अल्लाह तआला उस शख़्स को तरोताज़ा रखे जिसने मुझसे कोई हदीस सुनी फिर उसको आगे पहुँचा दिया जैसा कि सुना था।



1000 मुन्तख़ब हदीसें

बुख़ारी शरीफ़ से

तरतीब

मौलाना मुश्ताक़ अहमद शाकिर व जनाब उबैदुल्लाह साहब

हिन्दी अनुवाद

मौलाना मुहम्मद इमरान क़ासमी विज्ञानवी

ibsbookstore.com

इल्मे हदीस की मशहूर व मक़बूल किताब
से ली गईं

एक हज़ार मुन्तख़ब हदीसें

अज़

बुख़ारी शरीफ़

तालीफ़

इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी रह॰

तरतीब

मौलाना मुश्ताक़ अहमद शाकिर व जनाब उबैदुल्लाह साहब

हिन्दी अनुवाद

मौलाना मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी

इस्लामिक बुक सर्विस प्रा॰ लि॰

1000 मुन्तख़ब हदीसें
अज़
बुख़ारी शरीफ़

तालीफ
इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी रह.

तरतीब
मौलाना मुश्ताक अहमद शाकिर व जनाब उबैदुल्लाह साहब

हिन्दी अनुवाद
मौलाना मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

ISBN 978-93-5169-013-9

First Published 2016

Published by *Abdus Sami* for :

Islamic Book Service (P) Ltd.
1511-12, Pataudi House, Darya Ganj, New Delhi-110 002 (India)
Tel.: +91-11-23244556, 23253514, 23269050, 23286551
e-mail: info@ibsbookstore.com
Website: www.ibsbookstore.com
ebooks: www.bit.do/ebs
amazon.in www.bit.do/ibs

OUR ASSOCIATES

Al Mashkoor Bookshop LLC, **Sharjah (U.A.E.)**
Azhar Academy Ltd., **London (United Kingdom)**
Lautan Lestari (Lestari Books), **Jakarta (Indonesia)**
Husami Book Depot, **Hyderabad (India)**

Printed in India

بسم الله الرحمن الرحيم



Derived from the works of Mahmud Oncu [1]
"Wamubashshiran bi raswlin ya'ty min ba'dy Ismuhu Ahmad"

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

इस किताब को पढ़ने से पहले इस तरह दुआ़ माँगिये......

(इसी तरह हर काम को शुरू करने से पहले भी अगर आप अल्लाह तआ़ला से मदद माँगें तो आपका हर काम आसान हो जायेगा। इन्शा-अल्लाह)

हर दुआ़ के शुरू में अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त की तारीफ़ व सना बयान करें जिसके लिये सूरः फ़ातिहा पढ़ना काफ़ी है। फिर रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर दुरूद शरीफ़ भेजिये और इसी तरह हर दुआ़ के आख़िर में भी दुरूदे इब्राहीमी पढ़िये और उसके बाद इस तरह दुआ़ माँगिये।

या अल्लाह! मैं इल्मे हदीस समझना और इस पर अ़मल करना चाहता/चाहती हूँ। मुझे दीन के समझने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाईये और समझने के बाद उस पर अ़मल करना मेरे लिये आसान बना दीजिये और तमाम मुसलमानों का ख़ात्मा ईमान पर कीजिये। उसके बाद निम्नलिखित दुआ़यें भी माँगिये—

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ○ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ○ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ○ يَفْقَهُوا قَوْلِي ○

रब्बिश्रह् ली सद्री, व यस्सिर् ली अम्री, वह्लुल् अ़ुक्दतम् मिल्लिसानी, यफ़्क़हू क़ौली। (सूरः तॉहा 20, आयतें 25-28)

तर्जुमाः ऐ मेरे रब! मेरा सीना खोल दीजिये, मेरे लिये मेरा (यह) काम आसान बना दीजिये, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दीजिये ताकि वे (लोग) मेरी बात समझ लें।

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ○

रब्बि ज़िद्नी अ़िल्मा। (सूरः तॉ-हा 20, आयत 114)

तर्जुमाः ऐ मेरे रब! मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाईये।

رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِينُ.

रब्बि यस्सिर् व ला तुअस्सिर् व तम्मिम् बिल्-ख़ैरि व बि-क अस्तआ़ीनु।

तर्जुमाः ऐ मेरे रब! (दीन का सीखना) मेरे लिये आसान कर दीजिये, इसे मुश्किल न बनाईये और भलाई के साथ इसे मुकम्मल कीजिये, और आप ही से मैं मदद का तलबगार हूँ।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ. اٰمِيْن.

व सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़ला ख़ातमिन्नबिय्यी-न मुहम्मदिंव्-व अ़ला आलिही व अस्हाबिही अज्मईन। आमीन।

फ़ेहरिस्त उनवानात

हिन्दी अनुवाद के कलम से

अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्-आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अ़ला हबीबिही मुहम्मदिंव-व अ़ला आलिही व अस्हाबिही अज्मअ़ीन।

दिल में खुशी व एहतिराम के जज़्बात उमंड रहे हैं कि अल्लाह तआ़ला ने अपने हबीब, अम्बिया के सरदार, आख़िरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मुबारक हदीसें लिखने और उनको हिन्दी भाषा में मुन्तक़िल करने का मौक़ा इनायत फ़रमाया है। अगर गहराई से ग़ौर किया जाये तो यह एक ऐसी नेमत है जिसका मुक़ाबला दुनिया की कोई चीज़ नहीं कर सकती।

यह अल्लाह के महबूब का कलाम है, यह अल्लाह के कलाम (क़ुरआन पाक) की तफ़सीर है, यह उस ज़ात के मुबारक होंठों से निकले हुए अलफ़ाज़ हैं जिनके बारे में खुद ख़ालिके कायनात की गवाही है कि वह अपनी तरफ़ से कुछ नहीं कहते, वही इरशाद फ़रमाते हैं जिसका हुक्म व इशारा हमारी तरफ़ से होता है, यह उस पाक ज़ात का कलाम है जो तमाम आ़लम के लिये रहमत हैं, जो इनसानियत को राहे निजात दिखाने वाले हैं, जो आमना के लाल हैं, जो अ़ब्दुल-मुत्तलिब के दुलारे हैं।

हज़राते सहाबा किराम और मुहद्दिसीन का उम्मत पर बड़ा एहसान है कि उन्होंने अपनी उम्रें इस मशग़ले में खपा दीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की एक-एक बात, एक-एक अ़मल, यहाँ तक की एक-एक हरकत व गतिविधि को महफ़ूज़ करके क़ियामत तक आने वाली उम्मते मुहम्मदिया और इनसानियत को एक क़ीमती तोहफ़ा बख़्शा, उलूम का एक ज़ख़ीरा जमा कर दिया जिससे इल्म व अख़्लाक़, दीन व मज़हब और दुनिया व आख़िरत के उलूम से इनसानियत आगाह हुई। ज़रूरत है कि इस क़ीमती और अमूल्य ज़ख़ीरे को सर-आँखों पर रखा जाये, इससे फ़ायदा उठाया जाये, इसकी क़द्र की जाये, इस पर अ़मल करके अपनी दुनिया व आख़िरत को संवारा जाये।

मैं इस किताब के पढ़ने वालों से गुज़ारिश करूँगा कि वे इसे एक आ़म

मालूमात या मसले-मसाईल की नीयत से न पढ़ें बल्कि इन क़ीमती मोतियों को अपने दिल के अन्दर उतारने और इनसे अपनी ज़िन्दगी को रोशन करने की नीयत से दिल के ख़ुलूस, मुहब्बत और इज़्ज़त व क़द्र की निगाह से देखें। जहाँ तक मसले-मसाईल की बात है तो मुहद्दिसीन व उलेमा ने क़ुरआन व हदीस के समझने-समझाने और उम्मत के लिये उनसे रहनुमाई हासिल करके अपनी मेहनत व कोशिश की जो छाप और ज़ख़ीरा छोड़ा है, वह अल्लाह के यहाँ मक़बूल है और क़ियामत तक इन्शा-अल्लाह उसकी पैरवी करने वाले मौजूद रहेंगे।

हनफ़ी मस्लक ही को ले लीजिये, आज भी दुनिया में मुसलमानों की कुल आबादी का आधे से ज़ायद हिस्सा हनफ़ी मस्लक के मुताबिक़ क़ुरआन व हदीस पर अ़मल पैरा है। इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. सबसे बड़े इमाम हैं, बाक़ी के तीनों इमाम उनसे बाद के हैं जिनमें से अक्सर इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्दों के शागिर्द हैं और मुहद्दिसीन में से अक्सर हज़रात चारों इमामों में से किसी न किसी इमाम के मानने वाले हैं, मालूम यह हुआ कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हदीस व फ़िक़ा के तक़रीबन सारे इमाम हज़रात इमाम अबू हनीफ़ा रह. के उलूम से फ़ायदा उठाने वाले हैं।

मैं सिर्फ़ यह अ़र्ज़ करना चाहता हूँ कि हदीस मुबारक को किसी ख़ास नज़रिये से न देखा जाये, यह तो इस्लामी क़ानून की बुनियाद है, अगर यह मान लें (जैसा कि कुछ अ़क़्ल के मारों की सोच है) कि सिर्फ़ बुख़ारी व मुस्लिम ही को मोतबर हदीसी ज़ख़ीरा माना जाये तो बाद में जितनी हदीस की किताबें लिखी गयीं उनका तो कोई मक़ाम ही नहीं बचता। हदीस क़ुरआन की तफ़सीर है और क़ुरआन के बारे में है कि क़ियामत तक इसके नये-नये उलूम ज़ाहिर होते रहेंगे, मतलब यह कि हदीसे पाक से भी इल्म की नयी-नयी धारायें फूटती रहेंगी, तो फिर इस जमूद और सीमितता से यह बात कैसे पूरी हो सकती है। ज़रा सोचिये और समझ से काम लीजिये।

मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी

मुज़फ़्फ़र नगर (उ. प्र.) 9456095608

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

प्रकाशक की ओर से

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لَاۤ اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ وَصَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْنَ.

"मुन्तख़ब अहादीस" (चुनिन्दा हदीसों) के मजमूए का हर घर में होना ज़रूरी है। हमने एक हज़ार मुन्तख़ब हदीसें (बुख़ारी शरीफ़ से लेकर) इस नीयत से तरतीब दी हैं कि जो मुसलमान महंगी किताबें नहीं ख़रीद सकते या जो मस्रूफ़ियात (व्यस्तताओं) की वजह से ज़्यादा वक़्त हदीस के पढ़ने व अध्ययन करने को नहीं दे सकते उनके लिये तक़रीबन हर विषय पर हदीसे पाक का मुख़्तसर इल्म घर में मौजूद हो। आपको बज़ाहिर कुछ हदीसों का उनवान से ताल्लुक़ नज़र नहीं आयेगा मगर इल्मी तौर पर उसका कुछ न कुछ ताल्लुक़ ज़रूर होता है। यह एक इल्मी बहस है। एक हदीस से कई-कई मसाईल निकलते हैं और यही इमाम बुख़ारी रह. का इल्मी कमाल है। हमने यह बहस नहीं लिखी है। यह आसान उर्दू तर्जुमा अनेक तर्जुमों को सामने रखकर किया है और इख़्तिसार (संक्षिप्तता) से इस हद तक काम लिया है कि हदीस का मफ़्हूम न बदले। कुछ जगहों पर मुख़्तसर वज़ाहत ब्रेकिट में दे दी है। जहाँ कहीं किसी सहाबी के नाम के बाद मुख़्तसर 'रज़ि.' लिखा गया है (जगह बचाने के लिये) आप से दरख़्वास्त है कि आप 'रज़ि.' की जगह पूरा 'रज़ियल्लाहु अन्हु' ज़रूर पढ़ें ताकि आपकी तरफ़ से उन सहाबी को एक बेहतरीन दुआ का तोहफ़ा पहुँच जाये बिइज़्निल्लाहि तआला। मरहूम हज़रात के लिये दुआ बेहतरीन तोहफ़ा है। आप से गुज़ारिश है कि इस किताब को आप तक पहुँचाने वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें।

दुआ है कि अल्लाह करीम हर मुसलमान के लिये इस किताब को नफ़ा देने वाली बनाये और हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तरीक़े और आपकी हदीसों पर अमल करने वाला बनाये। आमीन

ऐ अल्लाह! आपकी मग़फ़िरत हमारे तमाम गुनाहों से कहीं ज़्यादा बड़ी है और हमें आपकी रहमत का आसरा है न कि अपने आमाल का। हम सब मुसलमानों की मग़फ़िरत फ़रमा दीजिये। या अल्लाह! हम आपकी पनाह चाहते हैं बुरे दिन, बुरी रात, बुरी घड़ी और बुरे वक़्त से, और आपके नागहानी अ़ज़ाब से, और हर तरह के ग़ुस्से और नेमतों व आ़फ़ियतों के छिन जाने से।

ऐ अल्लाह! हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाईये और नेक आमाल करने की भी तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाईये। आमीन

सुब्हा-न रब्बि-क रब्बिल्-इ़ज़्ज़ति अ़म्मा यसिफ़ून। व सलामुन् अ़लल्-मुर्सलीन। वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्-आ़लमीन।

तालिब दुआ़

मुहम्मद उबैदुल्लाह

नाज़िमे अल्-अअ़्लामुल्-इस्लामी (रजि.)

इमाम बुख़ारी रह्मतुल्लाहि अ़लैहि के हालाते ज़िन्दगी

इमाम बुख़ारी रह्मतुल्लाह अ़लैहि का सिलसिला-ए-नसब यह है-

अबू अ़ब्दुल्लाह मुहम्मद (इमाम बुख़ारी) बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन मुग़ीरा बिन बर्दज़बा बुख़ारी अल्-जुअ़्फ़ी। इमाम बुख़ारी के वालिद हज़रत इस्माईल को बड़े-बड़े उलेमा और इमाम मालिक रह्मतुल्लाहि अ़लैहि के शागिर्द होने का भी सम्मान हासिल था। इमाम बुख़ारी 13 शव्वाल सन् 194 हिजरी (20 जौलाई 810 ई.) को जुमे की नमाज़ के बाद बुख़ारा में पैदा हुए। इमाम बुख़ारी अभी थोड़ी उम्र ही के थे कि शफ़ीक़ बाप का साया सर से उठ गया और तालीम व तरबियत के लिये सिर्फ़ वालिदा का ही सहारा बाक़ी रह गया। शफ़ीक़ बाप के उठ जाने के बाद माँ ने इमाम बुख़ारी की परवरिश शुरू की और तालीम व तरबियत का एहतिमाम किया।

इमाम बुख़ारी ने अभी अच्छी तरह आँखें खोली भी न थीं कि बीनाई (आँखों की रोशनी) जाती रही। इस तकलीफ़देह हादसे से वालिदा को सख़्त सदमा हुआ, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में आह व फ़रियाद की, आ़जिज़ी व नियाज़ का दामन फैलाकर अपने बेटे की बीनाई के लिये दुआ़एँ माँगीं। एक बेक़रार और बेसहारा माँ की दुआ़एँ क़ुबूल हुईं। उन्होंने एक रात हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलाम को ख़्वाब में देखा फ़रमा रहे थे- जा ऐ नेक औ़रत! तेरी दुआ़एँ क़ुबूल हुईं। तुम्हारे नूरे नज़र और लख़्ते जिगर को अल्लाह तआ़ला ने फिर आँखों की रोशनी से नवाज़ दिया है। सुबह उठकर देखती हैं कि बेटे की आँखों का नूर लौट आया है, सुब्हानल्लाह।

हज़रत अहमद बिन हफ़्स ने कहा कि मैं हज़रत इस्माईल के पास (उनकी मौत के वक़्त) गया जो इमाम बुख़ारी के वालिद थे, उन्होंने कहा मैं नहीं समझता कि मेरे माल में कोई रुपया हराम या शुब्हे का हो (यानी आपकी परवरिश हलाल माल से हुई), हज़रत वर्राक़ फ़रमाते हैं कि इमाम बुख़ारी को अपने बाप के तर्के में से बहुत माल मिला था। गुन्जार ने अपनी तारीख़ में लिखा है कि एक दफ़ा इमाम बुख़ारी के पास कुछ तिजारत का

माल आया, कारोबारी लोगों ने पाँच हज़ार के नफ़े से उसे माँगा। फिर दूसरे दिन कुछ और ताजिरों ने दस हज़ार के नफ़े की पेशकश की तो इमाम साहिब ने फ़रमाया- मैंने पहले ताजिरों को देने की नीयत कर ली थी, आख़िर उन्हीं को दे दिया और पाँच हज़ार का अतिरिक्त नफ़ा छोड़ दिया।

इमाम बुख़ारी रह्मतुल्लाहि अ़लैहि को अपने वालिद की मीरास से काफ़ी दौलत मिली थी, आप उससे तिजारत किया करते थे। इस ख़ुशहाली से आपने कभी अपने ऐश व आराम का एहतिमाम नहीं किया, जो कुछ आमदनी होती तालिब-इल्मों के लिये ख़र्च करते। ग़रीब और नादार तलबा की इमदाद करते, ग़रीबों और मिस्कीनों की मुश्किलों में हाथ बटाते। हर क़िस्म के मामलात में आप बेहद एहतियात बरतते थे।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद सयारफ़ी रह्मतुल्लाहि अ़लैहि फ़रमाते हैं कि मैं इमाम बुख़ारी के साथ उनके मकान में बैठा था इतने में उनकी बाँदी आई और अन्दर जाने लगी। सामने एक दवात (इंक की बोतल) रखी थी, उसको ठोकर लगी, इमाम बुख़ारी ने कहा तुम कैसे चलती हो, वह बोली जब रास्ता न हो तो कैसे चलूँ? यह सुनकर इमाम बुख़ारी ने अपने दोनों हाथ फैला दिये और कहा- जा मैंने तुझको आज़ाद कर दिया। लोगों ने कहा- ऐ अबू अ़ब्दुल्लाह! इस लड़की ने तो आपको ग़ुस्सा दिलाया है। उन्होंने कहा मैंने इस काम से अपने नफ़्स को राज़ी कर लिया है।

वज़ाहतः- आप भी जब किसी पर नाराज़ हों या उसकी ग़ीबत करें या नुक़सान पहुँचायें या दिल दुखायें तो उस पर कोई न कोई एहसान ज़रूर करें या उससे माफ़ी माँगें। कम से कम उसके लिये दुआ-ए-मग़फ़िरत करें ताकि आख़िरत के अ़ज़ाब से आप बच जायें। हज़रत वर्राक़ फ़रमाते हैं कि इमाम बुख़ारी बहुत कम ख़ुराक लेते थे, तालिब-इल्मों के साथ बहुत एहसान करते और बहुत ही सख़ी थे। मुहम्मद बिन मन्सूर फ़रमाते हैं हम अबू अ़ब्दुल्लाह बुख़ारी की मजलिस में थे। एक शख़्स ने आपकी दाढ़ी में से कुछ कचरा निकाला और ज़मीन पर डाल दिया। इमाम बुख़ारी ने लोगों को जब ग़ाफ़िल पाया तो उसको उठाकर अपनी जेब में रख लिया। जब मस्जिद से बाहर निकले तो उसको फेंक दिया (गोया मस्जिद का इतना एहतिराम किया)।

इमाम बुख़ारी रह. का हाफ़िज़ा

इमाम बुख़ारी रह. को अल्लाह तआ़ला ने ग़ैर-मामूली (असाधारण) हाफ़िज़ा (याद रखने की क़ुव्वत) और ज़ेहन अ़ता किया था। एक मर्तबा बग़दाद आये, मुहद्दिसीन जमा हुए और आपका इम्तिहान लेना चाहा, इम्तिहान की तरतीब यह रखी कि दस आदमियों ने दस-दस हदीसें लेकर उनके सामने पेश कीं, उन हदीसों के मतन (असल इबारत) और सनदों को बदला गया, मतन एक हदीस का और सनद दूसरी हदीस की लगा दी गई। इमाम बुख़ारी हदीस सुनते और कहते, मुझे इस हदीस के बारे में इल्म नहीं। जब सारे मुहद्दिसीन अपनी दस-दस हदीसें सुना चुके और हर एक के जवाब में इमाम बुख़ारी ने कहा कि मुझे इसका इल्म नहीं, तो सारे लोग उनसे बदगुमान हुए और कहने लगे कि यह कैसे इमाम हैं कि सौ हदीसों में से चन्द हदीसें भी नहीं जानते। इमाम बुख़ारी रह. पहले शख़्स से मुख़ातिब होकर कहने लगे- तुमने पहली हदीस यूँ सुनाई थी और फिर सही हदीस सुनाई, दूसरी हदीस के बारे में फ़रमाया कि तुमने यह हदीस इस तरह सुनाई थी जबकि सही यह है और फिर सही हदीस सुनाई।

मुख़्तसर यह कि इमाम बुख़ारी ने दस के दस आदमियों की मुकम्मल हदीसें पहले उनके रद्दोबदल के साथ सुनाईं और फिर सही सनदों के साथ हदीसें सुनाईं। उस मजलिस में इमाम साहिब की इस तरह हदीसें की सेहत पर सारा मजमा हैरान और ख़ामोश था। अ़ल्लामा इब्ने हजर अ़स्क़लानी यह वाक़िआ़ लिखने के बाद फ़रमाते हैं कि यहाँ इमाम बुख़ारी की इमामत तस्लीम करनी पड़ती है। ताज्जुब यह नहीं कि इमाम बुख़ारी ने ग़लत हदीसों को सही करके बयान किया इसलिये कि वह तो थे ही हदीस के हाफ़िज़, ताज्जुब तो इस करिश्मे पर है कि इमाम बुख़ारी ने एक ही दफ़ा में उनकी बयान की हुई तरतीब के मुताबिक़ वो तमाम तब्दीली की हुई हदीसें भी याद कर लीं। (फ़त्हुल-बारी, शरह सही बुख़ारी)

आपकी सब से ऊँचे दर्जे की किताब सही बुख़ारी है। आपने बुख़ारी की तरतीब व जमा करने में सिर्फ़ इल्मियत, ज़हानत और हिफ़्ज़ ही का ज़ोर

ख़र्च नहीं किया बल्कि ख़ुलूस, दियानत, तक़्वे और तहारत के भी आख़िरी मरहले ख़त्म कर डाले और इस शान से तरतीब व संकलन का आग़ाज़ किया कि जब एक हदीस लिखने का इरादा करते तो पहले ग़ुस्ल करते, दो रक्अ़त नमाज़े इस्तिख़ारा पढ़ते, अल्लाह की बरगाह में सज्दा करते और उसके बाद एक हदीस लिखते। इस बड़ी सख़्त मेहनत और गहरी नज़र के बाद सोलह साल की लम्बी मुद्दत में यह किताब मुकम्मल हुई और एक ऐसी तस्नीफ़ वजूद में आ गई जिसका यह लक़ब क़रार पाया-

"असह्हुल्-कुतुबि बअ़्-द किताबिल्लाहि" यानी अल्लाह तआ़ला की किताब (क़ुरआन मजीद) के बाद सबसे ज़्यादा सही किताब। उम्मत के हज़ारों मुहद्दिसीन ने सख़्त से सख़्त कसोटी पर कसा, परखा और जाँचा मगर जो लक़ब इस पवित्र तस्नीफ़ के लिये अल्लाह की जानिब मुक़द्दर हो चुका था वह पत्थर की कभी न मिटने वाली लकीर बन गया।

इमाम बुख़ारी की शर्त का बयान

आप वही हदीस बयान करते थे जिसको मोतबर ने मोतबर से मशहूर सहाबी तक रिवायत की हो और मोतबर व क़ाबिले भरोसा हज़रात उस हदीस में इख़्तिलाफ़ (मतभेद) न करते हों, और सनदों का सिलसिला एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। अगर सहाबी से दो शख़्स रावी (हदीस बयान करने वाले) हों तो बेहतर वरना एक मोतबर रावी भी काफ़ी है। इमाम मुस्लिम ने इमाम बुख़ारी से इल्मे हदीस हासिल किया और फ़ायदा उठाया लेकिन वह इमाम बुख़ारी के अक्सर उस्तादों के भी शगिर्द हैं (यानी दोनों ने एक ही उस्ताद से इल्म हासिल किया) और इन दोनों की किताबें क़ुरआन मजीद के बाद तमाम किताबों से ज़्यादा सही हैं। उलेमा हज़रात का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ (एक राय) है कि सही बुख़ारी सेहत में सही मुस्लिम से अफ़ज़ल है। बुख़ारी शरीफ़ के अ़लावा भी इमाम साहिब की बाईस (22) अहम और ऊँचे दर्जे की किताबें हैं। आपके दर्स (सबक़) की मजलिसें ज़्यादातर बसरा, बग़दाद और बुख़ारा में रहीं, लेकिन दुनिया का ग़ालिबन कोई कोना और इलाक़ा ऐसा नहीं जहाँ इमाम बुख़ारी के शगिर्द सिलसिला-ब-सिलसिला न

पहुँचे हों।

हदीसों को जमा करने की शुरूआत खुलफ़ा-ए-राशिदीन ही से हुई है। हज़रत उमर फ़ारूक़ को अगर ज़रा भी शुब्हा हो जाता तो दलील और गवाह तलब कर लेते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद के बारे में मुहद्दिसीन लिखते हैं कि रिवायत (हदीस बयान करने) में बहुत ज़्यादा सख़्ती बरतते थे और अगर कोई शगिर्द हदीस के अलफ़ाज़ याद करने में कोताही करता तो डाँटते थे। तहक़ीक़ व परख की बुनियाद हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक़ ने डाली, ताबिईन ने उसके उसूल व क़ायदे तरतीब दिये और तबा-ए-ताबिईन ने मुस्तक़िल और बाज़बता फ़न की हैसियत दी। बुख़ारी शरीफ़ को अगर इस्लामी उलूम का "इन्साईकिलो पीडिया" कहा जाये तो बिल्कुल सही होगा।

मुस्तजाबुद्दअ़वात होना

इमाम बुख़ारी रहमातुल्लाह अ़लैहि मुस्तजाबुद्दअ़वात थे (यानी उनकी दुआयें अल्लाह तआ़ला के यहाँ बड़ी जल्दी क़ुबूल होती थीं)। उन्होंने अपनी किताब के क़ारी (पढ़ने वाले) के लिये भी दुआ़ की है और सैंकड़ों बुज़ुर्गों ने इसका ताजुर्बा किया है कि बुख़ारी शरीफ़ का ख़त्म करना (यानी पूरा पढ़ना) हर नेक मतलब और मक़सद के लिये मुफ़ीद है (इसलिये बुख़ारी शरीफ़ मुकम्मल होने की मजलिसों में शरीक होकर अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त से दुआ़यें माँगनी चाहियें)।

वफ़ात

मुहम्मद बिन अबी हातिम वर्राक़ फ़रमाते हैं कि मैंने ग़ालिब बिन जिब्रील से सुना कि इमाम बुख़ारी रह. ख़ुरतंग में उन्हीं के पास तशरीफ़ फ़रमा थे। इमाम बुख़ारी चन्द रोज़ वहाँ रहे फिर बीमार हो गये, उस वक़्त एक एलची आया और कहने लगा कि समरक़न्द के लोगों ने आपको बुलाया है। इमाम बुख़ारी रह. ने क़ुबूल फ़रमाया। मौज़े पहने, पगड़ी बाँधी, बीस क़दम गये होंगे कि उन्होंने कहा- मुझको छोड़ दो, मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है। हमने छोड़ दिया, इमाम बुख़ारी ने कई दुआ़यें पढ़ीं फिर

लेट गये। आपके बदन से बहुत पसीना निकला। दस शव्वाल सन् 256 हि. को इशा की नमाज़ के बाद आप इस दुनिया से रुख़्सत हुए। अगले दिन जब आपके इन्तिक़ाल की ख़बर समरक़न्द और आस-पास के इलाक़ों में फैली तो कोहराम मच गया, पूरा शहर मातम-कदा बन गया। जनाज़ा उठा तो शहर का हर शख़्स जनाज़े के साथ था। ज़ोहर की नमाज़ के बाद इस इल्म व अमल, नेकी व तक़्वा के पैकर को ख़ाके सुपुर्द कर दिया गया। जब क़ब्र में रखा तो आपकी क़ब्र से मुश्क की तरह ख़ुशबू फूटी और बहुत दिनों तक यह ख़ुशबू बाक़ी रही। (इब्ने अबी हातिम)

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ٥

तर्जुमाः- हम तो ख़ुद अल्लाह तआला की मिल्कियत हैं और हम उसी की तरफ़ लौटने वाले हैं। (सूरः ब-क़रह 2, आयत 156)

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ٥ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ٥

तर्जुमाः- ज़मीन पर जो हैं सब फ़ना होने वाले हैं। सिर्फ़ तेरे रब की ज़ात तो बड़ाई व इज़्ज़त वाली है बाक़ी रह जायेगी।

(सूरः रहमान 55, आयत 26-27)

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ٥ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ٥

तर्जुमाः- पाक है आपका रब जो बड़ाई वाला है, हर उस चीज़ से जो (मुश्रिक) बयान करते हैं, और (तमाम) रसूलों पर सलामती हो और तमाम तारीफ़ व सना उसी अल्लाह करीम के लिये है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। (सूरः अस्साफ़्फ़ात 37, आयत 180-182)

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

इल्मे हदीस सीखने वाले के लिये कुछ आदाब

1. हदीस का इल्म सही और ख़ालिस नीयत के साथ सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला की रज़ा के लिये हासिल करें।

2. हदीस का इल्म नाम कमाने और दुनिया के मक़सदों के लिये हरगिज़ हासिल न करें वरना कुछ फ़ायदा न होगा।

3. अल्लाह तआ़ला से दुआ़ करते रहें कि इस मुबारक इल्म के हासिल होने में अल्लाह तआ़ला की तौफ़ीक़ हासिल रहे, हालात दुरुस्त रहें, कोई रुकावट और मुश्किल पेश न आये और अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त हदीस के समझने में ख़ुसूसी मदद फ़रमाते रहें और ख़ात्मा ईमान के साथ हो।

4. रोज़ाना कुछ न कुछ वक़्त (या जितना ज़्यादा संभव हो) हदीस का इल्म हासिल करने के लिये ज़रूर ख़र्च करें, बेहतर यह है कि किसी मोतबर और परहेज़गार उस्ताज़ की शागिर्दी भी इख़्तियार करें।

5. उस्ताज़ की बहुत ज़्यादा इ़ज़्ज़त करें और जो हदीस पढ़ें या सुनें उस पर अ़मल करने की कोशिश भी करें।

6. हदीस के इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलायें और जो बात मालूम न हो वह अपनी राय से हरगिज़ न बतायें बल्कि यह कहें कि मैं नहीं जानता।

7. इल्म के हासिल करने में शर्म न करें, जब भी कोई बात समझ में न आये तो अपने उस्ताज़ या किसी और आ़लिम से पूछ लें और हर हदीस अच्छी तरह समझें।

8. हदीस का इल्म हासिल करने में हदीस की मशहूर व मोतबर किताबों 'बुख़ारी व मुस्लिम' को तरजीह दें।

हदीस की इस्तिलाहें

हदीस की परिभाषा–

1. **क़ौली हदीस-** रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का फ़रमान।

2. **फ़ेली हदीस-** रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का अ़मल।

3. **तक़रीरी हदीस-** रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की इजाज़त। (तक़रीरी हदीस उसे कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मौजूदगी में कोई काम किया गया हो या कोई बात कही गयी हो और आप उस पर ख़ामोश रहे हों या मना न किया हो।)

4. और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सिफ़ात (हुलिया, अख़्लाक़, किरदार) 'सिफ़ती हदीस' कहलाती हैं।

हदीस की क़िस्में (संक्षिप्तता के साथ)

1. **सही-** जिसके तमाम रावी (रिवायत करने वाले) मोतबर, परहेज़गार और क़ाबिले एतिबार याददाश्त के मालिक हों और सनद मुत्तसिल हो (मुत्तसिल के मायने 'लगातार' के हैं, यानी सनद शुरू से आख़िर तक मिली हुई हो, बीच से कोई रावी ग़ायब न हो)।

2. **हसन-** जिसके रावी सही हदीस के रावियों के मुक़ाबले में हाफ़िज़े (याद्दाश्त) में तो कम हों, बाक़ी शर्तें (मोतबर, परहेज़गार और सनद मुत्तसिल होने में) सही हदीस वाली मौजूद हों।

3. **मरफ़ूअ़-** जिस हदीस में किसी सहाबी ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का नाम लेकर हदीस बयान की हो वह मरफ़ूअ़ कहलाती है।

4. **मौक़ूफ़-** जिस हदीस में किसी सहाबी ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का नाम लिये बग़ैर हदीस बयान की हो या अपने ख़्याल का इज़हार किया हो वह मौक़ूफ़ कहलाती है।

5. **आहाद-** जिस हदीस के रावी तायदाद में मुतवातिर हदीसों के रावियों

से कम हों वह आहाद कहलाती है, आहाद की तीन क़िस्में हैं (1) 'मशहूर' जिस हदीस के रावी हर ज़माने में दो से ज़्यादा रहे हों। (2) 'अ़ज़ीज़' जिसके रावी हर ज़माने में कम से कम दो रहे हों। (3) 'ग़रीब' जिस हदीस का रावी हर ज़माने में कम से कम एक रहा हो, और हर रावी मोतबर, परहेज़गार, क़ाबिले एतिबार याददाश्त का मालिक रहा हो और सनद मुत्तसिल हो।

6. **मुतवातिर-** जिस हदीस के रावी हर ज़माने में इतने हों जिनका झूठ पर इकट्ठे होना मुम्किन न हो।

7. **मक़बूल-** जिस हदीस के रावियों की दियानत (ईमानदारी) और सच्चाई तस्लीम हो, वह हदीस मक़बूल कहलाती है।

8. **ग़ैर-मक़बूल-** जिस हदीस के रावियों की दियानत और सच्चाई संदिग्ध हो, वह ग़ैर-मक़बूल कहलाती है।

9. **ज़ईफ़-** जिस हदीस में न तो सही हदीस की शर्तें मौजूद हों और न ही हसन की। यानी जिस हदीस के रावियों में कोई रावी कम-फ़हम, कमज़ोर हाफ़िज़े वाला हो या सनद में एक या ज़्यादा रावी छूट गये हों।

10. **मौज़ूअ़ (मनगढ़त)-** जिस हदीस का (कोई एक भी) रावी कज़्ज़ाब (झूठा) हो। 'कज़्ज़ाब' उस रावी को कहते हैं जिससे हदीसे पाक में झूठ बोलना साबित हो चुका हो।

हदीस की किताबों की इस्तिलाहें

1. **सिहाहे-सित्ता-** हदीस की 6 (मशहूर) किताबें- बुख़ारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा को 'सिहाहे-सित्ता' कहा जाता है।

2. **जामेअ़-** जिस हदीस में इस्लाम से मुताल्लिक़ तमाम मबाहिस, अ़क़ीदे, अहकाम, तफ़सीर, फ़ितन (फ़ितनों का बयान), आदाबे जन्नत, दोज़ख़ वग़ैरह के हालात मौजूद हों वह 'जामेअ़' कहलाती है। मसलन 'जामेअ़ अस्सहीह बुख़ारी', 'जामेअ़ तिर्मिज़ी'।

3. **सुनन्-** जिस किताब में सिर्फ़ अहकामात के मुताल्लिक़ हदीसें जमा की गयी हों वह सुनन कहलाती है, मसलन 'सुनन् अबी दाऊद', 'सुनन्

नसाई'।

4. **मुस्नद-** जिस किताब में हर सहाबी की हदीसें तरतीबवार एकट्ठी कर दी गयी हों वह मुस्नद कहलाती है, मसलन 'मुस्नद अहमद'।

5. **मुस्तख़्रज-** जिस किताब में एक किताब की हदीसें किसी दूसरी सनद से रिवायत की जायें वह 'मुस्तख़्रज' कहलाती है, मसलन 'मुस्तख़्रजुल्-इस्माईली अ़लल्-बुख़ारी'।

6. **मुस्तद्रक-** जिस किताब में एक मुहद्दिस की क़ायम की हुई शर्तों के मुताबिक़ वो हदीसें जमा की जायें जो उस मुहद्दिस ने अपनी किताब में दर्ज न की हों वह 'मुस्तद्रक' कहलाती है मसलन 'मुस्तद्रक हाकिम'।

बुख़ारी शरीफ़ में सारी हदीसें सही हैं और आज तक तमाम मुहद्दिसीन का इस पर इत्तिफ़ाक़ (एक राय) है।

अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है-

ऐ मोमिनो! अगर तुम्हें कोई फ़ासिक़ (बदकार व ग़ैर-मोतबर आदमी) ख़बर दे तो तुम उसकी अच्छी तरह तहक़ीक़ कर लिया करो।

(सूरः 49, आयत 6)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का फ़रमान है-

1. अल्लाह तआ़ला उस शख़्स को तरोताज़ा रखे (यानी ख़ुशहाल रखे और इज़्ज़त व सम्मान इनायत फ़रमाये) जिसने मुझसे कोई हदीस सुनी फिर उसको आगे पहुँचा दिया जैसा कि सुना था।। (तिर्मिज़ी)

2. जब आदमी मर जाता है उसके अ़मल का सवाब रुक जाता है मगर तीन अ़मलों का सवाब बाक़ी (और जारी) रहता है- सदक़ा-ए-जारिया, वह इल्म जिससे नफ़ा हासिल किया जाये, और नेक औलाद जो उसके लिये दुआ़ करे।। (मुस्लिम)

3. जो शख़्स इल्म हासिल करने के लिये किसी रास्ते पर चला अल्लाह तआ़ला उसके लिये जन्नत का रास्ता आसान करेगा।। (मुस्लिम)

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

वही का बयान

अल्लाह तआला का फ़रमान है–

तर्जुमाः- हमने (ऐ पैग़म्बर) आप पर उस तरह वही नाज़िल फ़रमाई है जैसे नूह और उनके बाद दूसरे पैग़म्बरों पर नाज़िल फ़रमाई थी।

(सूरः निसा 4, आयत 163)

हदीस 1. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना, आप फ़रमाते थे- (सवाब के) तमाम काम नीयतों पर मौक़ूफ़ हैं और हर आदमी को उसकी नीयत ही के मुताबिक़ फल मिलेगा, फिर जिस शख़्स ने दुनिया कमाने या किसी औ़रत से शादी के लिये वतन छोड़ा तो उसकी हिजरत उसी काम के लिये है जिसके लिये उसने हिजरत की होगी (यानी उस हिजरत का उसे सवाब नहीं मिलेगा)।

हदीस 2. हज़रत हारिस बिन हिशाम रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सवाल किया- या रसूलल्लाह! (बतलाईये) आप पर वही कैसे आती है? रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कभी तो (वही) ऐसे आती है जैसे घन्टी की आवाज़ हो और यह वही मुझ पर बहुत सख़्त गुज़रती है, फिर जब फ़रिश्ते का कहा मुझको याद हो जाता है तो यह मौक़ूफ़ (बन्द) हो जाती है, और कभी फ़रिश्ता आदमी की सूरत में मेरे पास आता है, मुझसे बात करता है, मैं उसका कहा हुआ याद कर लेता हूँ। हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं मैंने आपको कड़कड़ाती सर्दी में देखा कि आप पर वही उतरती, फिर मौक़ूफ़ (बन्द) हो जाती और आपकी पेशानी पर पसीना आ जाता था।

वज़ाहतः- घन्टी की आवाज़ वही के आने को बताती थी जिस तरह मौजूदा फ़ोन की घन्टी बताती है कि किसी का पैग़ाम आया है।

अल्लाह तआला का फ़रमान है-

तर्जुमाः- वही को जल्दी याद करने के लिये अपनी ज़ुबान को जल्दी न

हिलाया करो। (सूरत 75, आयत 16)

हदीस 3. इस आयत की तफ़सीर में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर क़ुरआन उतरने से बहुत सख़्ती होती थी और आप अक्सर अपने होंठ हिलाते थे। हज़रत इब्ने अ़ब्बास ने (हज़रत सईद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से) कहा मैं तुम्हें उस तरह होंठ हिलाकर दिखाता हूँ जैसे आप हिलाते थे, और हज़रत सईद ने (हज़रत अबू मूसा से) कहा मैं तुम्हें उस तरह होंठ हिलाकर दिखाता हूँ जैसे मैंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास को हिलाते देखा, फिर हज़रत सईद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अपने दोनों होंठ हिलाये।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि जब आप 'वही' याद करने के लिये जल्दी करते थे और अपने होंठ हिलाते थे तो अल्लाह तआ़ला ने यह आयत उतारी-

तर्जुमाः- ऐ नबी वही को जल्दी याद करने के लिये अपनी ज़ुबान को जल्दी न हिलाया करो। क़ुरआन का आपको याद कराना और पढ़ाना हमारा काम है। जब हम पढ़वा चुकें तो उस वक़्त आप हमारे पढ़ने की पैरवी फ़रमायें। (सूरत नम्बर 75, आयत 16-19)

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं- इसका मतलब यह है कि ख़ामोशी के साथ सुनते रहें, उसके बाद आपको ज़ेहन-नशीन कराना हमारा काम है। इन आयतों के नाज़िल होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ऐसा ही किया करते थे। जब हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम आपके पास आकर क़ुरआन सुनाते तो आप (तवज्जोह से) सुनते रहते थे, जब वह चले जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उसी तरह क़ुरआन पढ़ लेते जैसे हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम ने पढ़ा था।

ईमान का बयान

ईमान (जो क़ौल व अ़मल का नाम है) के लिये तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है-

1. दिल से तस्दीक़ करना कि अल्लाह तआला के सिवा और कोई सच्चा माबूद और लायक़े इबादत नहीं है, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह तआला के बन्दे और रसूल हैं।

2. इस बात का ज़ुबान से इक़रार करना भी ज़रूरी है।

3. अल्लाह के अहकाम पर पूरा-पूरा अमल करना, मसलन नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज और औरतों का पर्दा करना वग़ैरह।

हदीस 4. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर है– यह गवाही देना कि अल्लाह तआला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह तआला के रसूल हैं, और नमाज़ को पाबन्दी से अदा करना और ज़कात देना और हज करना (अगर ख़र्च करने के लिये रक़म हो) और रमज़ान के रोज़े रखना।

वज़ाहतः- इस्लाम और ईमान एक ही चीज़ है। ईमान घटता-बढ़ता रहता है। अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर सूरत नम्बर 48, आयत 4, और सूरः आले इमरान आयत 173।

हदीस 5. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया- ईमान की साठ (60) से ज़्यादा शाख़ें हैं और हया (शर्म) भी ईमान ही की एक शाख़ (हिस्सा और दर्जा) है।

वज़ाहतः- 'हया' बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह बुराईयों और गुनाहों से रोकती है। (फ़त्हुल-बारी)

हदीस 6. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुसलमान वह है जिसकी ज़ुबान और हाथ (के नुक़सान) से (दूसरे) मुसलमान महफ़ूज़ रहें, और मुहाजिर वह है जो उन कामों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह तआला ने मना किया है।

वज़ाहतः- ज़्यादातर तकलीफ़ों और गुनाहों का ताल्लुक़ इन्हें दो (हाथ

और ज़बान) से होता है। इसलिये एहतियात कीजिये। (फ़त्हुल-बारी)

हदीस 7. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सवाल किया- इस्लाम (मुसलमान) की कौनसी ख़स्लत बेहतर है? आपने फ़रमाया- खाना खिलाना और सलाम करना चाहे उसको पहचानते हो या न पहचानते हो।

वज़ाहतः- सलाम करने से आपस में मुहब्बत पैदा होती है इसलिये आप भी सलाम ज़्यादा किया करें।

हदीस 8. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से कोई शख़्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने मुसलमान भाई के लिये भी वही पसन्द न करे जो अपने लिये पसन्द करता है।

वज़ाहतः- इस्लाम ने इस आ़दत को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। इससे दुनियावी ज़िन्दगी भी निहायत आराम से गुज़रती है और आख़िरत की ज़िन्दगी में भी फ़ायदा ही फ़ायदा है। इस अ़मल से मुसलमान ख़ुद भी ख़ुश रहता है।

हदीस 9. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से कोई शख़्स उस वक़्त तक (पूरा) मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको मुझसे मुहब्बत अपने माँ-बाप, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा न हो।

वज़ाहतः- आप से तबई मुहब्बत के अ़लावा ईमानी मुहब्बत भी होनी ज़रूरी है वरना तबई (फ़ितरी) मुहब्बत तो आप से अबू तालिब को भी थी, लेकिन उसे मोमिन नहीं कहा गया।

हदीस 10. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसमें तीन बातें होंगी वह ईमान का मज़ा (मिठास) पायेगा- अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मुहब्बत उसको हर चीज़ से ज़्यादा हो, दूसरी किसी बन्दे से ख़ालिस अल्लाह के लिये दोस्ती रखे और तीसरी फिर कुफ़्र में जाना (जब अल्लाह तआ़ला ने उसको कुफ़्र से बचा लिया हो) इतना

बुरा समझे जैसे आग में डाला जाना।

वज़ाहतः- मिठास से मुराद वह लज़्ज़त है तो रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों पर पूरा-पूरा अ़मल करने वाले ही को महसूस होती है।

हदीस 11. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सवाल किया गया कि कौनसा अ़मल अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया- "अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल पर ईमान लाना" अ़र्ज़ किया गया- "फिर कौनसा (अ़मल)?" फ़रमाया- "अल्लाह तआ़ला की राह में जिहाद करना" अ़र्ज़ किया गया- "फिर कौनसा (अ़मल)"? फ़रमाया "हज्जे-मबरूर"।

वज़ाहतः- 'हज्जे मबरूर' वह है जो रियाकारी (दिखावे और शोहरत हासिल करने) से पाक हो और ख़ालिस अल्लाह तआ़ला की रज़ा के लिये किया जाये। हज्जे मबरूर की निशानी यह है कि हाजी की इस्लामी ज़िन्दगी पहले से बहुत बेहतर हो जाये। (फ़त्हुल-बारी)

हदीस 12. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- (मेराज के सफ़र के दौरान) मुझे दोज़ख़ दिखाई गई तो उसमें मैंने ज़्यादातर औ़रतों को पाया। वजह यह है कि वे कुफ़्र (एहसान का इनकार) करती हैं"। अ़र्ज़ किया गया- "क्या अल्लाह के साथ कुफ़्र करती हैं?" आपने फ़रमाया "नहीं, शौहर की नाशुक्री करती हैं और एहसान नहीं मानतीं, अगर तुम एक औ़रत से सारी उम्र एहसान करो फिर वह कोई (एक ज़रा सी) बात तुम में देखे (जिसको पसन्द न करती हो) तो कहने लगती है कि मैंने तो तुम में कभी भी कोई भलाई नहीं देखी।"

वज़ाहतः- कुफ़्र के कई मायने हैं- मसलन अल्लाह तआ़ला को न मानना, नाशुक्री, इनकार करना वग़ैरह। कुफ़्र दो क़िस्म का होता है- एक असली और वास्तविक कुफ़्र जिसके करने से इनसान इस्लाम के दायरे से ख़ारिज हो जाता है मसलन अल्लाह तआ़ला के साथ किसी (बुज़ुर्ग, ज़िन्दा या मुर्दा) को शरीक करना, किसी को मुश्किल को हल करने वाला, दाता

समझना। इसकी अधिक तफ़सील के लिये देखिये (सूरः मायदा 5, आयत 72)। दूसरा वह कुफ़्र है जिससे वह इस्लाम के दायरे से ख़ारिज तो नहीं होता मगर गुनाहगार ज़रूर होता है, यहाँ दूसरी क़िस्म का कुफ़्र मुराद है।

हदीस 13. हज़रत अबूज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि मैंने एक शख़्स (हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु) को इस तरह गाली दी कि उसे माँ की आर (ग़ैरत) दिलाई। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने (यह सुनकर) फ़रमाया- क्या तुमने उसे उसकी माँ से आर (ग़ैरत) दिलाई? अभी तक तुम में जाहिलीयत का असर बाक़ी है। तुम्हारे ग़ुलाम तुम्हारे भाई हैं, उन्हें अल्लाह तआला ने तुम्हारे क़ब्ज़े में दे रखा है, पस जिस शख़्स का भाई उसके क़ब्ज़े में हो उसको चाहिये कि उसे वही खिलाये जो ख़ुद खाता है और उसे वही लिबास पहनाये जो वह ख़ुद पहनता है, और उनसे वह काम न लो जो उन पर भारी गुज़रे और अगर ऐसे काम की उन्हें ज़हमत दो तो ख़ुद भी उनका हाथ बटाओ।

वज़ाहतः- दूसरी हदीस में है कि हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को सिर्फ़ इतना कहा था कि ऐ काले रंग की औरत के बेटे! हमारे समाज में इस क़िस्म की बात गाली शुमार नहीं होती बल्कि सिर्फ़ मज़ाक़ की एक क़िस्म है, लेकिन शरीअत ने इसे भी जाहिलीयत के ज़माने की यादगार से ताबीर किया है।

हदीस 14. हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब दो मुसलमान अपनी-अपनी तलवारें लेकर आपस में लड़ पड़ें तो क़ातिल और मक़्तूल दोनों ही जहन्नमी हैं। मैंने अर्ज़ किया- या रसूलल्लाह! क़ातिल (तो ज़रूर जहन्नमी है) लेकिन मक़्तूल (क़त्ल होने वाला) क्यों जहन्नमी होगा? आपने फ़रमाया- "उसकी इच्छा भी दूसरे साथी को क़त्ल करने की थी।"

हदीस 15. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- चार बातें जिसमें होंगी वह पक्का मुनाफ़िक़ होगा, और जिसमें इन चारों में से कोई एक बात हो तो उसमें निफ़ाक़ की एक ख़स्लत (आदत) होगी, जब तक वह उसको

छोड़ न दे। (वो ये हैं) जब उसके पास अमानत रखी जाये तो वह ख़्यानत करे, और जब बात करे तो झूठ बोले, और जब अ़हद करे तो वायदा-ख़िलाफ़ी करे, और जब झगड़े तो बेहूदा गुफ़्तगू (यानी गाली-गलौज) करे।

वज़ाहतः- मुनाफ़िक़ के मायने हैं दोहरा रवैया रखने वाला यानी ऊपर से कुछ अन्दर से कुछ और।

हदीस 16. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स शबे क़द्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत करता है तो उसके पिछले गुनाह बख़्श दिये जाते हैं।

हदीस 17. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- "अल्लाह तआ़ला उस शख़्स की ज़िम्मेदारी लेता है जो उसकी राह में (जिहाद के लिये) निकले। उसे घर से सिर्फ़ इस बात ने निकाला कि वह मुझ (अल्लाह) पर ईमान रखता है और मेरे रसूलों की तस्दीक़ करता है तो मैं उसे उस सवाब या माले ग़नीमत के साथ वापस करूँगा जो उसने जिहाद में पाया है, या उसे (शहीद बनाकर) जन्नत में दाख़िल करूँगा। (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया) अगर मैं अपनी उम्मत पर दुश्वार न समझता तो कभी भी छोटे से छोटे लश्कर के पीछे न बैठ रहता और मेरी यह आरज़ू है कि अल्लाह तआ़ला की राह में मारा जाऊँ फिर ज़िन्दा किया जाऊँ फिर मारा जाऊँ फिर ज़िन्दा किया जाऊँ फिर मारा जाऊँ।"

वज़ाहतः- जिहाद ईमान का हिस्सा है, जो लोग जिहाद को पसन्द नहीं करते या उसकी मुख़ालफ़त करते हैं यक़ीनन उनके ईमान ख़तरे में हैं।

हदीस 18. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखता है तो उसके पहले के गुनाह बख़्श दिये जाते हैं।

वज़ाहतः- मुश्रिक और रियाकार शख़्स की इबादत या नेक अ़मल का उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिये ख़ालिस तौर पर इबादत अल्लाह

तआ़ला ही के लिये करें।

हदीस 19. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि आपने फ़रमाया- जिसने ('ला इला-ह इल्लल्लाहु' कलिमा) कहा और उसके दिल में एक जौ के बराबर नेकी यानी ईमान हो तो वह दोज़ख़ से (ज़रूर) निकलेगा, और जिसने ('ला इला-ह इल्लल्लाहु' कलिमा) कहा और उसके दिल में गेहूँ के दाने के बराबर भलाई (ईमान) हो तो वह दोज़ख़ से ज़रूर निकलेगा, और जिसने ('ला इला-ह इल्लल्लाहु' कलिमा) कहा और उसके दिल में एक ज़र्रे के बराबर नेकी (ईमान) हो तो वह भी दोज़ख़ से (ज़रूर) निकलेगा।

वज़ाहतः- सूरज की किरनों में सूई की नोक के बराबर बेशुमार ज़र्रे उड़ते नज़र आते हैं, चार ज़र्रे एक राई के दाने के बराबर होते हैं, और सौ ज़र्रे एक जौ के दाने के बराबर होते हैं।

हदीस 20. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक यहूदी ने उनसे कहा "ऐ अमीरुल-मोमिनीन! आपकी किताब (क़ुरआन) में एक ऐसी आयत है जिसे आप पढ़ते रहते हैं, अगर वह आयत हम यहूदियों पर नाज़िल होती तो हम उस दिन को ईद का दिन ठहरा लेते"। हज़रत उमर ने कहा वह कौनसी आयत है? यहूदी बोला वह यह आयत है—

तर्जुमाः- आज मैंने तुम्हारे लिये तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल कर दी, और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिये पसन्द किया। (सूरत 5, आयत 3) हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि हम उस दिन और उस मकाम को जानते हैं जिसमें यह आयत रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर नाज़िल हुई, यह आयत जुमे के दिन उतरी जब आप अ़रफ़ात में थे।

वज़ाहतः- हर जुमा मुसलमानों के लिये ईद का दिन होता है।

हदीस 21. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुसलमान को गाली देने से आदमी फ़ासिक़ हो जाता है और मुसलमान का क़त्ल करना कुफ़्र है।

वज़ाहतः- 'फ़ासिक़' के मायने बदकार और हक़ से हट जाने वाले के हैं।

हदीस 22. हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब कोई अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से (अल्लाह तआला का हुक्म समझकर) ख़र्च करे तो उसे सदक़े का अज्र मिलेगा।

वज़ाहतः- इसलिये ख़र्च करते वक़्त इस तरह नीयत करे- "या अल्लाह! मैं जो ख़र्च कर रहा हूँ वह सवाब की नीयत से कर रहा हूँ"।

हदीस 23. हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि मैं आप से इस्लाम पर बैअत करना चाहता हूँ तो आपने मुझसे हर मुसलमान के साथ ख़ैरख़्वाही (भलाई) करने का अहद लिया, पस इसी पर मैंने आप से बैअत कर ली।

वज़ाहतः- हमें चाहिये कि काफ़िरों को भी नसीहत करें। उन्हें इस्लाम की दावत दें और जब वे मश्विरा लें तो उनकी सही रहनुमाई करें (बेहतर तरीक़ा बतायें) अलबत्ता बैअत का सिलसिला सिर्फ़ मुसलमानों के लिये है।

इल्म का बयान

हदीस 24. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- पेड़ों में एक पेड़ ऐसा है जिसके पत्ते नहीं झड़ते और वह मुसलमान के जैसा है। मुझे बतलायें वह कौनसा पेड़ है? इस पर लोगों ने जंगल के पेड़ों का ख़्याल किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मेरे दिल में आया कि वह खजूर का पेड़ है लेकिन (बुज़ुर्गों से) मुझे शर्म आई, आख़िर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा "आप ही बता दीजिये वह कौनसा पेड़ है?" आपने फ़रमाया- "वह खजूर का पेड़ है।"

वज़ाहतः- मालूम हुआ कि दीन समझने और इल्म हासिल करने में हया (शर्म) नहीं करनी चाहिये, क्योंकि इल्म से रोकने वाली दो चीज़ें हैं- एक

तकाब्बुर दूसरे शर्म व हया। साथ ही यह भी मालूम हुआ कि बड़ों का अदब करते हुए उन्हें गुफ़्तगू का पहले मौक़ा दिया जाये।

हदीस 25. हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हमारे परेशान होने (उकता जाने) के अन्देशे से हमें वअ़ज़ व नसीहत करने के लिये वक़्त और मौक़ा व महल का ख़्याल रखते थे।

वज़ाहतः- तक़रीर व बयान करने वाले हज़रात को वअ़ज़ व नसीहत के वक़्त मौक़े व महल का ख़्याल रखना चाहिये ताकि लोग उक्ता न जायें, और न ही उनमें नफ़रत के जज़्बात पैदा हों।

हदीस 26. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- (दीन में) आसानी करो सख़्ती न करो, और लोगों को ख़ुशख़बरी सुनाओ उन्हें (डरा-डराकर) नफ़रत पैदा न करो।

वज़ाहतः- दीनी मामलात में बेजा सख़्ती नहीं करनी चाहिये। वअ़ज़ व नसीहत करते वक़्त भी पहले ख़ुशख़बरी सुनाईये।

हदीस 27. हज़रत मुआ़विया रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला को जिसकी भलाई मन्ज़ूर होती है उसको दीन की समझ अ़ता फ़रमा देते हैं, और मैं तो सिर्फ़ तक़सीम करने वाला हूँ देने वाला तो अल्लाह तआ़ला ही है, और यह उम्मत हमेशा अल्लाह तआ़ला के हुक्म पर क़ायम रहेगी दुश्मनों से इसको कुछ नुक़सान न पहुँचेगा यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला का हुक्म (क़ियामत) आ जायेगी।

नोटः- दीन की असल समझ के लिये क़ुरआन व हदीस का शौक़ से मुताला (अध्ययन) करें, रोज़ाना इस किताब का कम से कम एक पेज पढ़ें और अपने घर वालों को पढ़कर सुनायें, इससे आपको नसीहत करने का सवाब भी मिलेगा और जो इस पर अ़मल करेगा उनके सवाब में भी बराबर के शरीक होंगे।

हदीस 28. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत

है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- दो आदमियों की ख़स्लतों (आ़दतों) पर रश्क करना जायज़ है। पहला वह शख़्स जिसको अल्लाह तआ़ला ने दौलत दी और वह उसको नेक कामों में ख़र्च करता हो। दूसरा वह शख़्स जिसे अल्लाह तआ़ला ने क़ुरआन और हदीस का इल्म दिया हो और वह उसके मुताबिक़ फ़ैसला करता हो और लोगों को (इल्मे दीन) सिखाता हो।

वज़ाहतः- किसी में अच्छी ख़ूबी देखकर अपने लिये भी उसकी दुआ़ करे तो यह जायज़ है, लेकिन हसद करना (यानी जलना) गुनाह है, हसद के मायने हैं दूसरे से जलना, किसी की बरबादी चाहना। क्योंकि यह नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है।

हदीस 29. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसने जान-बूझकर मेरे नाम से झूठ बोला वह अपना ठिकाना दोज़ख़ में बना ले।

वज़ाहतः- यह वईद (धमकी) हर तरह के झूठ के लिये है। मज़ाक़ में भी झूठ बोलना गुनाह है, लिहाजा मनगढ़त हदीस भी लोगों को बयान करना बड़ा गुनाह है।

हदीस 30. हज़रत अबू मसऊ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! मेरे लिये जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ना मुश्किल हो गया है, क्योंकि फ़ुलाँ शख़्स नमाज़ बहुत लम्बी पढ़ाते हैं। हज़रत अबू मसऊ़द अन्सारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को नसीहत के वक़्त उस दिन से ज़्यादा कभी ग़ुस्से में नहीं देखा। आपने फ़रमाया- लोगो! तुम (ऐसी सख़्ती इख़्तियार करके लोगों को) दीन से नफ़रत दिलाने लगे हो। देखो जो कोई लोगों को नमाज़ पढ़ाये उसे चाहिये कि हल्की और मुख़्तसर करे, क्योंकि मुक़्तदियों में बीमार, कमज़ोर भी होते हैं।

वज़ाहतः- मस्जिदों के इमाम हज़रात को भी अपने मुक़्तदियों का ख़्याल रखना चाहिये, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि नमाज़ बहुत

जल्दी-जल्दी पढ़ाकर ख़राब ही कर दी जाये। तफ़सील के लिये पढ़िये इसी किताब की हदीस नम्बर 118।

हदीस 31. हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम एक दिन बनी इस्राईल में ख़ुतबा देने के लिये खड़े हुए तो उनसे पूछा गया कि सब लोगों में बड़ा आ़लिम कौन है? उन्होंने कहा कि "मैं हूँ" अल्लाह तआ़ला ने उन पर नाराज़गी का इज़हार फ़रमाया, क्योंकि उन्होंने इल्म को अल्लाह तआ़ला के हवाले न किया था। फिर अल्लाह तआ़ला ने उन पर वही भेजी कि मेरे बन्दों में एक बन्दा, जहाँ दो दरिया मिलते हैं ऐसा है जो तुम से ज़्यादा इल्म रखता है। हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ परवर्दिगार! मेरी उनसे कैसे मुलाक़ात होगी? हुक्म हुआ कि एक मछली को थेले में रखो, जहाँ वह गुम हो जाये वही उसका ठिकाना है। (पूरे वाक़िए के लिये पढ़िये तफ़सीर सूरः बनी इस्राईल 18, आयत 60-82)।

वज़ाहतः- हज़रत ख़िज़्र "हज़रत मूसा" से अफ़ज़ल न थे लेकिन हज़रत मूसा का यह कहना अल्लाह तआ़ला को पसन्द नहीं आया कि "मैं सबसे बड़ा आ़लिम हूँ" आप भी एहतियात कीजिये, अगर कोई आप से पूछे कि आप में बड़ा भाई कौन है? तो यह नहीं कहिये कि मैं बड़ा हूँ बल्कि यह कहिये कि यह मेरे छोटे भाई हैं, यानी अपने लिये बड़ाई के अलफ़ाज़ इस्तेमाल न करें क्योंकि वैकल्पिक जुमला भी मुम्किन है। बड़ाई सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला ही के लिये है।

वुज़ू का बयान

अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः-

तर्जुमाः- ऐ ईमान वालो! जब तुम नमाज़ के लिये खड़े हो तो अपने मुँह और अपने हाथ कोहनियों तक धोओ और अपने सरों पर मसह करो और अपने पाँव दोनों टख़्नों तक धोओ। (सूरः मायदा 5, आयत 6)

हदीस 32. नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- वुज़ू

में एक-एक बार आज़ा (वुज़ू के बदनी हिस्सों व अंगों) का धोना फ़र्ज़ है, और आपने दो-दो बार भी वुज़ू के आज़ा को धोया है और तीन-तीन बार भी, लेकिन तीन बार से ज़्यादा नहीं धोया क्योंकि तीन बार से ज़्यादा धोना बहुत ही बुरा है।

वज़ाहत:- किसी भी चीज़ में ज़्यादती और हद से बढ़ना गुनाह है। वुज़ू करते वक़्त पानी के लिये नल कम खोलिये।

हदीस 33. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस शख़्स को (नमाज़ में) हदस हो जाये उसकी नमाज़ क़ुबूल नहीं होती जब तक वह (दोबारा) वुज़ू न करे। एक शख़्स ने पूछा- ऐ अबू हुरैरह! हदस किसे कहते हैं? तो उन्होंने फ़रमाया- "हवा ख़ारिज होने को।"

हदीस 34. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरी उम्मत के लोग क़ियामत के दिन बुलाये जायेंगे, वुज़ू की वजह से उनकी पेशानियाँ, हाथ, पाँव चमक रहे होंगे। अब तुम में से जो कोई अपनी चमक व सफ़ेदी बढ़ाना चाहे वह बढ़ा ले।

वज़ाहत:- हाथों को कोहनियों से कुछ ऊपर तक और पाँव को टख़्नों से कुछ ऊपर तक धो लेना बेहतर है, क्योंकि जहाँ तक वुज़ू का पानी पहुँचा होगा वहाँ तक क़ियामत के दिन बदनी अंग चमक रहे होंगे।

हदीस 35. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने एक ऐसे शख़्स की हालत बयान की गई जिसको नमाज़ में यह शुब्हा होता था कि उसे हदस हुआ है। आपने फ़रमाया कि (वह नमाज़ छोड़कर) न फिरे जब तक कि (हदस की) आवाज़ न सुन ले या बदबू न पाये।

वज़ाहत:- यानी शक की बुनियाद पर वुज़ू नहीं टूटता है, इसी तरह तमाम दीनी मामलात में शक का कोई एतिबार नहीं है।

हदीस 36. हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से कोई

(पानी या दूध या शर्बत वग़ैरह) पिये तो बर्तन में साँस न ले, और जब कोई बैतुल-ख़ला (लैट्रीन) में जाये तो अपने ख़ास अंग (यानी शर्म गाह) को दायाँ हाथ न लगाये और न ही दायें हाथ से इस्तिन्जा करे।

वज़ाहतः- यही हुक्म औरतों के लिये भी है।

हदीस 37. हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने (वुज़ू के लिये) पानी का बर्तन मंगवाया, (पहले) अपनी दोनों हथेलियों पर तीन बार पानी डाला और उनको धोया, फिर अपना दायाँ हाथ बर्तन में डाला कुल्ली की और नाक साफ़ की, फिर अपना चेहरा और दोनों हाथ कोहनियों तक तीन-तीन बार धोये, फिर एक बार सर का मसह किया, फिर दोनों पाँव टख़्नों तक तीन बार धोये फिर कहा- "रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया था जो कोई मेरे इस वुज़ू की तरह वुज़ू करे फिर दो रक्अ़तें (तहिय्यतुल-वुज़ू की) पढ़े और दिल में कोई ख़्याल न लाये तो उसके पिछले गुनाह बख़्श दिये जाते हैं।"

वज़ाहतः- कबीरा (बड़े) गुनाहों की माफ़ी के लिये पक्की तौबा शर्त है, यानी तौबा के बाद आईन्दा गुनाह न करने का अ़हद करे।

हदीस 38. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब कोई वुज़ू करे तो चाहिये कि वह अपनी नाक में पानी डाले, फिर उसको साफ़ करे, और जो कोई (मिट्टी के) ढेले से इस्तिन्जा करे तो वह ताक़ ढेलों को इस्तेमाल करे, और जब तुम में से कोई अपनी नींद से जागे तो वह अपने हाथ वुज़ू के पानी में डालने से पहले धो ले, इस वजह से कि तुम में से कोई भी यह नहीं जानता कि रात को उसका हाथ कहाँ (जिस्म के किस-किस हिस्से पर) फिरता रहा है।

हदीस 39. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम एक सफ़र में हमसे पीछे रह गये, फिर (कुछ देर बाद) आप हमसे ऐसे वक़्त में आ मिले जब अ़सर का वक़्त तंग हो रहा था और हम (जल्दी की वजह से) पाँव पर मसह कर रहे थे, यह देखकर आपने बुलन्द आवाज़ से तीन बार ख़बरदार किया- "देखो दोज़ख़ की आग से एड़ियों की ख़राबी होगी"।

वज़ाहतः- एड़ियों को टख़ने से थोड़ा ऊपर तक धोईये ताकि काई हिस्सा सूखा न रहे। पैरों का टख़नों तक धोना फ़र्ज़ है जैसा कि क़ुरआन में सूरः मायदा आयत 6 में है।

हदीस 40. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जूता पहनने, कंघी करने, वुज़ू करने और हर काम में दाहिनी तरफ़ से काम की शुरूआत को पसन्द फ़रमाते थे।

वज़ाहतः- बैतुलख़ला (लैट्रीन) में दाख़िल होना, जूता उतारना, मस्जिद से निकलना, नाक साफ़ करना और इस्तिन्जा करना इस हुक्म से अलग और बाहर हैं।

हदीस 41. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये, हमने आपके लिये पानी रखा, आपने वुज़ू किया और तीन बार अपना मुँह धोया और दोनों हाथ कोहनियों तक दो-दो बार धोये और (पूरे) सर पर मसह इस तरह किया कि हाथ आगे से पीछे ले गये और पीछे से आगे लाये, और फिर दोनों पाँव धोये।

हदीस 42. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब गुस्ल फ़रमाते तो एक से लेकर पाँच साअ़ तक पानी इस्तेमाल करते और एक मुद (तक़रीबन ढाई पाव) पानी से वुज़ू कर लेते।

वज़ाहतः- एक 'साअ़' का वज़न ढाई किलो ग्राम है, वुज़ू और गुस्ल के लिये अफ़राद व हालात के मुताबिक़ पानी की मात्रा में कमी-बेशी हो सकती है, फ़ुज़ूलख़र्ची करना और बिना ज़रूरत पानी बहाना जायज़ नहीं।

(फ़त्हुल-बारी)

हदीस 43. हज़रत मुग़ीरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं एक सफ़र (ग़ज़वा-ए-तबूक) में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ था (आप वुज़ू कर रहे थे) मैं झुका कि आपके मौज़े उतारूँ आपने फ़रमाया- रहने दो मैंने इनको वुज़ू के साथ पहना था। फिर आपने उन पर मसह किया।

हदीस 44. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम (एक मर्तबा) दो क़ब्रों के पास से गुज़रे तो आपने फ़रमाया- इन दोनों को अ़ज़ाब हो रहा है लेकिन किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं, इनमें से एक तो पेशाब से एहतियात नहीं बरतता था और दूसरा चुग़लख़ोरी करता था। फिर आपने (खजूर के पेड़ की) हरी शाख़ (टहनी) ली, उसको दरमियान में से चीरकर दो कर डाला और हर क़ब्र पर एक-एक हिस्सा गाड़ दिया। लोगों ने अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! आपने ऐसा क्यों किया? फ़रमाया- शायद इनके ख़ुश्क होने तक इनके अ़ज़ाब में कमी हो जाये।

वज़ाहतः- इस हदीस से क़ब्र का अ़ज़ाब साबित हुआ और यह भी मालूम हुआ कि पेशाब की छींटों और चुग़लख़ोरी से बचना इन्तिहाई ज़रूरी है। पेशाब करने के बाद थोड़ी देर तक वहीं बैठे रहें जब तक इस बात का इत्मीनान कर लें कि अब कोई क़तरा पेशाब का बाहर नहीं आयेगा।

हदीस 45. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि एक देहाती खड़ा होकर मस्जिद में पेशाब करने लगा तो लोगों ने उसे पकड़ना चाहा। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उसे छोड़ दो और उसके पेशाब पर पानी से भरा हुआ एक डोल (बाल्टी) बहा दो, क्योंकि तुम लोग आसानी के लिये पैदा किये गये हो, तुम्हें सख़्ती करने के लिये नहीं भेजा गया है।

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उसे अपनी हाजत से फ़राग़त के बाद बुलाया और फ़रमाया कि मस्जिदें अल्लाह की याद और नमाज़ के लिये बनाई जाती हैं उनमें पेशाब नहीं करना चाहिये। (लिहाज़ा मस्जिद से बाहर जाकर पेशाब करना चाहिये) इस तरह तब्लीग़ से वह मुतास्सिर हुआ और मुसलमान हो गया।

हदीस 46. हज़रत उम्मे क़ैस बिन्ते मिहसन रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि वह रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास अपना छोटा बच्चा लेकर आईं जो अभी खाना नहीं खाता था, रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उसे अपनी गोद में बैठा लिया तो उसने आपके कपड़ों

पर पेशाब कर दिया, आपने पानी मंगवाकर उस पर छिड़क दिया लेकिन उसे धोया नहीं।

वज़ाहतः- मालूम हुआ कि छोटे लड़के के पेशाब पर पानी छिड़क देना काफ़ी है, अलबत्ता लड़की के पेशाब को धोना ज़रूरी है। याद रहे कि जब लड़का ग़िज़ा खाने लगे तो उसके पेशाब को भी धोना ज़रूरी है।

हदीस 47. हज़रत असमा बिन्ते अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि एक औ़रत रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आई और अ़र्ज़ किया कि बताईये हम में से अगर किसी औ़रत के कपड़े में हैज़ (माहवारी का ख़ून) लग जाये तो क्या करे? आपने फ़रमाया कि "उसे खुरच डाले फिर पानी डालकर रगड़े और साफ़ करके उसमें नमाज़ पढ़े।"

वज़ाहतः- नजासत (नापाकी) दूर करने के लिये पानी को ही इस्तेमाल किया जाता है दूसरी बहने वाली चीज़ें यानी सिरका वग़ैरह से धोना दुरुस्त नहीं।

हदीस 48. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आया, देखा तो आप हाथ में मिस्वाक लिये हुए मिस्वाक कर रहे थे और उअ़्-उअ़् की आवाज़ निकाल रहे थे, और मिस्वाक आपके मुहँ में थी गोया क़ै कर रहे हों।

वज़ाहतः- इस तरह मिस्वाक करने से मुबालग़ा मुराद है, आप ज़बान पर भी मिस्वाक रगड़ते थे काफ़ी अन्दर हलक़ तक जिससे उअ़्-उअ़् की आवाज़ निकलती है। यह अ़मल सेहत का राज़ भी है। ज़बान और तालू पर खानों की तह जम जाती है, अगर सफ़ाई न की जाये तो बीमारियाँ ही बीमारियाँ। इसलिये हर वुज़ू में ज़बान और तालू भी साफ़ करें। यह मस्नून अ़मल नज़र की तेज़ी मसूढ़ों की मज़बूती और मुहँ की तमाम बीमारियों से हिफ़ाज़त और याददाश्त के लिये बहुत मुफ़ीद है जिसको माडर्न चिकित्सा ने भी माना और स्वीकार किया है।

हदीस 49. हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब रात को (नींद से) उठते तो अपने मुहँ को मिस्वाक से साफ़ करते।

वज़ाहतः- एक हदीस में आता है कि जो नमाज़ मिस्वाक करके पढ़ी जाये वह बग़ैर मिस्वाक वाली नमाज़ से 27 दर्जा अफ़ज़ल है (ज़्यादा सवाब मिलता है)। मिस्वाक करने से आँखें भी रोशन होती हैं और दाँतों व मुहँ की तमाम बीमारियों से हिफ़ाज़त भी है, औरतों को भी मिस्वाक करना चाहिये।

हदीस 50. हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझसे फ़रमाया- जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो पहले नमाज़ जैसा वुज़ू करो और फिर अपने दायें पहलू पर लेटकर यह दुआ पढ़ोः

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ، لَا مَلْجَاً وَلَا مَنْجٰى مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ. اَللّٰهُمَّ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ.

अल्लाहुम्-म अस्लमूतु वज्ही इलै-क व फ़व्वज़्तु अमरी इलै-क व अल्जअ्तु ज़ह्री इलै-क रग़्बतंव्-व रह्बतन् इलै-क, ला मल्ज-अ व ला मन्जा मिन्-क इल्ला इलै-क। अल्लाहुम्-म आमन्तु बिकिताबिकल्लज़ी अन्ज़ल्-त व बि-नबिय्यिकल्लज़ी अर्सल्-त।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! आपके सवाब के शौक़ में और आपके अज़ाब से डरते हुए मैंने अपने आपको आपके सुपुर्द कर दिया और आपको अपना पुश्त-पनाह (मददगार) बना लिया है। आप से भागकर कहीं पनाह नहीं मगर आपके ही पास। ऐ अल्लाह! मैं उस किताब पर ईमान लाया जो आपने उतारी है और आपके उस नबी पर यक़ीन किया जिसे आपने भेजा है।

अब अगर तुम उस रात में मर जाओ तो फ़ितरते इस्लाम पर मरोगे। साथ ही यह दुआई कलिमात सब बातों से फ़ारिग़ होकर पढ़ो। हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने ये कलिमात आपके सामने दोहराये, जब मैं इस जगह पहुँचा (आमन्तु बिकिताबिकल्लज़ी अन्ज़ल्-त) उसके बाद मैंने "व बि-रसूलि-क" कह दिया तो आपने फ़रमाया- नहीं, बल्कि यूँ कहो "व बि-नबिय्यिकल्लज़ी अर्सल्-त"।

वज़ाहतः- मस्नून दुआओं में जो अलफ़ाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि

व सल्लम से मन्क़ूल हैं उनमें तब्दीली नहीं करनी चाहिये चाहे मायने वही हों। इस हदीस में ज़िक्र हुई फ़ज़ीलत उस शख़्स को मिलती है जो जागते हुए सबसे आख़िर में वुज़ू करता हो और आख़िरी गुफ़्तागू के तौर पर यह दुआ पढ़ता है, साथ ही दाईं जानिब लेटकर सोने से ज़्यादा ग़फ़लत नहीं होती है और तहज्जुद के लिये आँख भी खुल जाती है।

अल्लाह तआला का फ़रमान है:-

तर्जुमा:- ऐ ईमान वालो! जब तुम नमाज़ के लिये उठो तो अपने मुहँ को और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो, अपने सरों का मसह करो और अपने पाँव को टख़्नों समेत धो लो। (सूरः मायदा 5, आयत 6)

ग़ुस्ल का बयान

हदीस 51. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब जनाबत (पाक होने) का ग़ुसल करना चाहते तो शुरू में दोनों हाथ धोते फिर नमाज़ के वुज़ू की तरह वुज़ू करते फिर अपनी उंगलियाँ पानी में डालकर बालों की जड़ों का ख़्याल करते, फिर दोनों हाथों से अपने सर पर तीन चुल्लू पानी डालते, फिर अपने पूरे बदन पर पानी बहा लेते थे।

हदीस 52. हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा जो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की बीवी थीं, फ़रमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये ग़ुस्ल का पानी (एक बर्तन में) रखा तो आपने पहले दायें हाथ से बायें हाथ पर पानी डाला और दोनों हाथ धोये, फिर अपनी शर्मगाह (ख़ास जगह) और जिस्म पर लगी गन्दगी धोई, फिर अपने हाथ को ज़मीन पर रगड़कर उसे मिट्टी से मला और (पानी से) उसको धोया, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला, फिर अपना मुहँ धोया और अपने सर पर पानी बहाया। बालों की जड़ों तक पानी पहुँचाकर फिर वहाँ से एक तरफ़ होकर दोनों पाँव धोये, फिर तौलिया लाया गया लेकिन आपने उसे इस्तेमाल नहीं किया।

वज़ाहत:- रोज़ा न हो तो नाक में पानी किसी क़द्र ज़ोर से खींचे यानी

पानी चुल्लू में लेकर नाक में ज़ोर से ऊपर खींचे, रोज़ा हो तो आहिस्ता से ताकि पानी हलक़ में न जाये।

हदीस 53. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सवाल किया- क्या कोई जनाबत (नापाकी) की हालत में सो सकता है? आपने फ़रमाया- हाँ, जब वुज़ू कर ले तो जनाबत की हालत में भी सो सकता है।

वज़ाहतः- जुनुबी (जिस पर नहाना वाजिब हो) सोने से पहले शर्मगाह से गन्दगी को धोये, फिर नमाज़ जैसा वुज़ू करे लेकिन उस वुज़ू से नमाज़ नहीं पढ़ सकता क्योंकि जनाबत की हालत में ग़ुस्ले जनाबत के बग़ैर नमाज़ अदा करने की इजाज़त नहीं है।

हदीस 54. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब जनाबत (नापाकी) की हालत में सोना चाहते तो अपनी शर्मगाह (ख़ास जगह) साफ़ करते और नमाज़ की तरह वुज़ू कर लेते थे।

हदीस 55. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब मर्द (अपनी) औ़रत के चारों हिस्सों के दरमियान बैठ गया फिर उसके साथ कोशिश की (यानी अपने अंग को उसके जिस्म में दाख़िल किया) तो यक़ीनन ग़ुस्ल वाजिब हो गया।

वज़ाहतः- सिर्फ़ दाख़िल करने से ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है चाहे मनी (वीर्य) निकले या न निकले।

हैज़ (माहवारी) का बयान

अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः-

तर्जुमाः- (ऐ पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम!) लोग आप से हैज़ (माहवारी) के बारे में पूछते हैं, फ़रमा दीजिये कि वह गन्दगी है तुम हैज़ के दिनों में औ़रतों से अलग रहो (यानी हमबिस्तरी न करो) और जब तक वे पाक न हो जायें (यानी माहवारी के बाद ग़ुस्ल न कर लें) उनके पास न

जाओ, फिर जब वे (अच्छी तरह) पाक हो जायें तो जिधर से अल्लाह तआ़ला ने हुक्म दिया है उस तरफ़ से उनके पास जाओ। बेशक अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त तौबा करने वालों और पाक रहने वालों को पसन्द फ़रमाते हैं।

(सूरः ब-क़रह 2, आयत 222)

वज़ाहतः- हैज़ (माहवारी) ख़त्म होने और ग़ुस्ल करने के बाद ही बीवी से हमबिस्तरी करनी चाहिये वरना बीमारियों का ख़तरा है और गुनाह भी है।

हदीस 56. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि हम हज की नीयत से निकले थे। जब हम सरफ़ के मक़ाम में पहुँचे तो मुझे हैज़ (मासिक धर्म) आ गया, रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाये, मैं रो रही थी, आपने फ़रमाया- क्या हाल है? क्या तुम्हें हैज़ आ गया है? मैंने अ़र्ज़ किया- "जी हाँ" आपने फ़रमाया- यह तो वह चीज़ है जो अल्लाह तआ़ला ने आदम की बेटियों के लिये लिख दी है। तुम हाजियों वाले तमाम काम करती रहो सिर्फ़ बैतुल्लाह का तवाफ़ न करना। हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने (आगे) कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपनी बीवियों की तरफ़ से एक गाय की क़ुरबानी दी।

वज़ाहतः- नापाकी की हालत में बैतुल्लाह या किसी भी मस्जिद में जाना नहीं चाहिये, नापाकी अगर मस्जिद में हो जाये मसलन हैज़, एहतिलाम, पेशाब वग़ैरह तो फ़ौरन मस्जिद से बाहर चले जाना चाहिये, ग़ुस्ल के बाद आकर उस जगह को भी साफ़ कर दे अगर कोई गन्दगी वहाँ लगी हो।

हदीस 57. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि मैं माहवारी की हालत में रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सर मुबारक में कंघी किया करती थी।

हदीस 58. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मेरी गोद पर तकिया लगाते और मैं माहवारी से होती, फिर आप क़ुरआन पढ़ते थे।

वज़ाहतः- माहवारी वाली औरत घर के काम और शौहर की ख़िदमत अन्जाम दे सकती है सिवाय हमबिस्तरी के।

हदीस 59. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि

रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ईदुल-फ़ित्र या ईदुल-अज़्हा में ईदगाह जाने के लिये निकले, (रास्ते में) औ़रतें मिलीं, आपने फ़रमाया- ऐ औ़रतो! ख़ैरात करो क्योंकि (मेराज की रात में) मुझे दिखाया गया कि दोज़ख़ में औ़रतें ज़्यादा हैं। औ़रतों ने कहा- या रसूलल्लाह! ऐसा क्यों है? आपने फ़रमाया- तुम लान-तान बहुत किया करती हो और शौहर की नाशुक्री करती हो। मैंने नाक़िसे-दीन और नाक़िसे-अ़क़्ल तुमसे बढ़कर किसी को नहीं देखा। अ़क़्लमन्द आदमी को दीवाना बना देती हो। उन्होंने कहा- या रसूलल्लाह! हमारे दीन और अ़क़्ल में क्या नुक़सान है? आपने फ़रमाया- देखो औ़रत की गवाही आधे मर्द की गवाही के बराबर है या नहीं? उन्होंने कहा "बेशक है" आपने फ़रमाया- पस यही उनकी अ़क़्ल का नुक़सान (कमी) है। देखो औ़रत को जब हैज़ आता है तो वह नमाज़ नहीं पढ़ती है और न ही वह रोज़ा रखती है, उन्होंने कहा "हाँ यह तो है" आपने फ़रमाया- पस यही उसके दीन का नुक़सान है।

हदीस 60. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ आपकी एक बीवी ने एतिकाफ़ किया हालाँकि उसे इस्तिहाज़े (ख़ून जारी रहने) की बीमारी थी, वह अक्सर ख़ून की वजह से तश्त रख लिया करती थीं।

वज़ाहतः- जिस शख़्स का वुज़ु बराबर टूटता रहे बाक़ी न रहे या जिसके ज़ख़्मों से ख़ून बहता रहे उसके लिये भी यही हुक्म है।

हदीस 61. हज़रत अबू हुबैश की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! मैं तो पाक ही नहीं होती (ख़ून नहीं रुकता), क्या मैं नमाज़ छोड़ दूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- यह एक रग का ख़ून है हैज़ नहीं है (इस्तिहाज़ा है), इसलिये तुम्हें जब हैज़ का ख़ून आये तो नमाज़ छोड़ दो, फिर जब अन्दाज़े से ख़त्म हो जाये तो अपने जिस्म से ख़ून साफ़ कर लो और नमाज़ पढ़ो।

वज़ाहतः- हैज़ और इस्तिहाज़ा में फ़र्क़ है। इस्तिहाज़ा एक बीमारी है जिसकी वजह से औ़रत की शर्मगाह से ख़ून बहता रहता है, लेकिन यह हैज़

(माहवारी) के ख़ून की तरह काले रंग का नहीं होता।

हदीस 62. हज़रत उम्मे अ़तीया रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि हमें मय्यित पर तीन दिन से ज़्यादा सोग मनाने से रोका जाता था मगर बीवी को शौहर पर चार महीने दस दिन तक (सोग का हुक्म था), और यह भी हुक्म था कि वे सोग के दिनों में सुर्मा और ख़ुशबू न लगायें, कोई रंगीन कपड़ा भी न पहनें मगर जिस कपड़े का सूत बनावट से पहले रंगा गया हो, और हमें हैज़ (माहवारी) से पाक होते वक़्त यह इजाज़त थी कि जब वे हैज़ का ग़ुस्ल कर लें तो 'कुस्त अज़फ़ार' (यह एक क़िस्म की ख़ुशबू थी) लगा लें, और हम औ़रतों को जनाज़े के पीछे जाने से भी रोका जाता था।

हदीस 63. अन्सार की एक औ़रत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सवाल किया कि मैं हैज़ (माहवारी) का ग़ुस्ल किस तरह करूँ? आपने उसको ग़ुस्ल की कैफ़ियत से आगाह किया और फिर फ़रमाया- मुश्क लगा हुआ एक रूई का टुकड़ा लो और तीन बार पाकी इख़्तियार करो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने शर्म की वजह से उसकी तरफ़ से रुख़ फेर लिया और यूँ फ़रमाया कि उससे पाकी हासिल कर लो। हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि मैंने उस औ़रत को अपनी तरफ़ खींच लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का जो मतलब था उसको समझा दिया।

वज़ाहतः- माहवारी से फ़ारिग़ होने के बाद ग़ुस्ल करते वक़्त औ़रत को भी सर के बालों की जड़ों को ख़ूब मलना चाहिये ताकि पानी जड़ों तक पहुँच जाये, क्योंकि यह हैज़ के ग़ुस्ल के फ़र्ज़ों में है, हैज़ के ग़ुस्ल से फ़ारिग़ होने के बाद औ़रत को अपनी मख़्सूस जगह (शर्मगाह) पर ख़ुशबू मलनी चाहिये।

नोटः- हज़रत ज़ैद इब्ने साबित रज़ियल्लाहु अ़न्हु की बेटी को मालूम हुआ कि औ़रतें रात के अंधेरे में चिराग़ मंगवा कर पाकी को देखती हैं तो आपने फ़रमाया कि औ़रतें ऐसा न करें। उन्होंने (औ़रतों के इस काम को) ऐब की बात समझा। यानी। पाक होने में जल्दबाज़ी से काम न लें।

हदीस 64. हज़रत मुआ़ज़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि एक

औरत ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सवाल किया कि हम में से कोई औरत जब हैज़ (माहवारी) से पाक हो जाये तो क्या क़ज़ा नमाज़ पढ़े? हज़रत आयशा ने फ़रमाया- क्या तुम हरूरिया (ख़ारिजी) हो? हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में हैज़ आता फिर आप हमें नमाज़ की क़ज़ा पढ़ने का हुक्म नहीं देते थे।

वज़ाहतः- ख़ारिजी एक फ़िर्क़ा है जो सिर्फ़ क़ुरआन को मानता है और हदीस को नहीं मानता, यह फ़िर्क़ा नबी पाक की वफ़ात के बाद पैदा हुआ, अब भी यह फ़िर्क़ा (मुन्किरीने हदीस के नाम से) मौजूद है।

नोटः- हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि (मुस्तहाज़ा औरत जब अपने जिस्म में पाकी देखे तो) ग़ुस्ल करे और नमाज़ पढ़े अगरचे दिन में थोड़ी देर के लिये ऐसा हुआ हो, और उसका शौहर नमाज़ के बाद उसके पास आये क्योंकि नमाज़ सबसे ज़्यादा बड़ाई वाली (अफ़ज़ल) चीज़ है।

हदीस 65. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब हैज़ (माहवारी) का वक़्त आये तो नमाज़ छोड़ दो और जब यह वक़्त गुज़र जाये तो ख़ून को धोओ और ग़ुस्ल करो, फिर नमाज़ पढ़ो।

वज़ाहतः- जब मुस्तहाज़ा (यानी जिस औरत को किसी बीमारी की वजह से बराबर ख़ून आता रहता हो) के लिये ग़ुस्ल करके नमाज़ पढ़ना दुरुस्त हुआ तो शौहर को उससे सोहबत करना तो कहीं ज़्यादा दुरुस्त (जायज़) है।

तयम्मुम का बयान

अल्लाह तआला ने फ़रमायाः-

तर्जुमाः- अगर तुम पानी न पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो और अपने चेहरे और हाथों पर उससे मसह कर लो।

(सूरः मायदा 5, आयत 6)

हदीस 66. हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने अबज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से

रिवायत है कि एक शख़्स हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु के पास आया और कहने लगा- अगर मैं जुनुबी (नापाक, यानी जिस पर ग़ुस्ल करना वाजिब हो) हो जाऊँ और ग़ुस्ल के लिये पानी न मिले (तो मैं क्या करूँ)? हज़रत अ़म्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से कहा क्या आपको याद नहीं (यह वाक़िआ़) जब हम दोनों सफ़र में थे और हम दोनों जुनुबी (नापाक) हो गये थे, आपने तो नमाज़ न पढ़ी लेकिन मैंने (तयम्मुम की नीयत से) ज़मीन पर लेटकर (लौट लगाया) और नमाज़ पढ़ ली, फिर मैंने यह वाक़िआ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से बयान किया तो आपने फ़रमाया तुम्हारे लिये इतना काफ़ी था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारे, उन पर फूँका फिर उन दोनों हाथों से अपने चेहरे और फिर दोनों हाथों पर मसह करके दिखाया।

वज़ाहतः- जनाबत (नापाकी) दूर करने के लिये पानी न मिले या पानी तो मौजूद हो मगर इस्तेमाल से बीमारी का अन्देशा हो तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज़ वक़्त पर ही पढ़नी चाहिये, क्योंकि यही अल्लाह तआ़ला का हुक्म है कि वक़्त पर नमाज़ अदा करो, बग़ैर शरई उज़्र के देर से नमाज़ पढ़ना बड़ा गुनाह है। (पढ़िये तफ़सीर सूरः 107, आयत 4-5)

नमाज़ का बयान

हदीस 67. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक दफ़ा नक़्श (फूल-बूटे) वाली चादर में नमाज़ पढ़ी, आपकी नज़र उसके फूल-बूटों पर पढ़ी तो आपने नमाज़ से फ़ारिग़ होकर फ़रमाया- मेरी इस चादर को अबू जुहम के पास वापस ले जाओ और उससे उसकी अंबजानी (एक जगह का नाम है) की सादा चादर ले आओ, क्योंकि इस (फूल-बूटे वाली चादर) से मुझे डर है कि कहीं मुझे मेरी नमाज़ से ग़ाफ़िल न कर दे।

वज़ाहतः- जो चीज़ें भी ख़ुशूअ़ (नमाज़ के ध्यान) में ख़लल डालने वाली हों नमाज़ी उनसे बचे। नक़्श व निगार वाली जायनमाज़ का भी यही

हुक्म है। कोशिश कीजिये कि जायनमाज़ एक रंग की सादा हो, यानी डिज़ाईन वाली न हो तो बहुत बेहतर है, क्योंकि उससे ख़ुशूअ़ (नमाज़ के ध्यान और यक्सूई) में ख़लल पैदा होता है।

हदीस 68. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब नमाज़ पढ़ते तो अपने दोनों हाथों को (सज्दे में) इतना खुला रखते कि आपकी बग़लों की सफ़ेदी ज़ाहिर होने लगती थी (यानी बग़लें खुल जाती थीं)।

वज़ाहतः- सज्दा थोड़ा दूर यानी लम्बाई में ज़्यादा करें ताकि बग़लें खुल जायें, औ़रतों के लिये भी यही हुक्म है।

हदीस 69. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसने हमारी तरह नमाज़ पढ़ी (नमाज़ में) हमारे क़िब्ले की तरफ़ रुख़ किया और हमारा ज़िबह किया हुआ जानवर खाया तो वह मुसलमान है, वह अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल की पनाह में है, तुम अल्लाह तआ़ला की पनाह में ख़्यानत न करो।

वज़ाहतः- नमाज़ के दौरान क़िब्ले की तरफ़ मुहँ करना ज़रूरी है, हाँ अगर कोई उज़्र या ख़ौफ़ हो या नफ़्ली नमाज़ जो सवारी पर अदा की जा रही हो तो और बात है।

हदीस 70. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुझे पाँच ऐसी चीज़ें अ़ता की गयी हैं जो मुझसे पहले किसी पैग़म्बर को नहीं मिलीं–

1. एक महीने की दूरी से (दुश्मन पर) मेरा रौब डालकर मेरी मदद की गई है।

2. सारी ज़मीन मेरे लिये मस्जिद और पाक करने वाली बनाई गई है (पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो) इसलिये मेरी उम्मत के जिस शख़्स को जहाँ भी नमाज़ का वक़्त आ जाये वहीं नमाज़ पढ़ ले।

3. मेरे लिये माले ग़नीमत हलाल किया गया।

4. (पहले ज़माने में) हर पैग़म्बर ख़ास अपनी क़ौम की तरफ़ भेजा

जाता था और मैं तमाम लोगों (पूरी दुनिया) की तरफ़ भेजा गया हूँ।

5. मुझे बड़ी शफ़ाअत (करने की इज़्ज़त) मिली है।

हदीस 71. हज़रत कअ़ब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब सफ़र से (लौटकर मदीना में) तशरीफ़ लाते तो पहले मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ते थे।

वज़ाहतः- घर जाने से पहले मस्जिद जाकर दो रकअ़त नमाज़ शुकराने की पढ़िये।

हदीस 72. हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब कोई मस्जिद में आये तो बैठने से पहले दो रकअ़त (नमाज़) पढ़ ले।

वज़ाहतः- ये दो रकअ़त नमाज़ ''तहिय्यतुल्-मस्जिद'' कहलाती हैं। वक़्त अगर कम हो तो तरजीह के तौर पर खड़ा रहे।

हदीस 73. हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से कोई शख़्स सामने सुतरा (आड़) रखकर नमाज़ पढ़ रहा हो फिर भी कोई उस (नमाज़ी) के सामने से गुज़रना चाहे (यानी आड़ के अन्दर से) तो उसको रोके, अगर वह न रुके तो उससे लड़े क्योंकि यह शैतान है।

वज़ाहतः- लड़ने से मुराद गुज़रने वाले को सख़्ती से रोके। नमाज़ के दौरान एक हाथ सीधा (ज़मीन के बराबर) कर दे। नमाज़ी के सज्दे की जगह और नमाज़ी के दरमियान से गुज़रना बहुत बड़ा गुनाह है।

हदीस 74. हज़रत अबू जुहैम रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अगर नमाज़ी के सामने से गुज़रने वाला यह जान ले कि इसका कितना बड़ा गुनाह है तो चालीस (साल) तक उसको वहीं खड़ा रहना उसके सामने से निकल जाने से बेहतर मालूम हो।

हदीस 75. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मस्जिद में थूकना गुनाह है और इसका कफ़्फ़ारा उसे दफ़न कर देना है।

वज़ाहतः- क़िब्ले की तरफ़ भी थूकना मना है, अगर मस्जिद के सेहन में मिट्टी वग़ैरह हो तो उसे दफ़न कर दिया जाये, दूसरी सूरत में उसे कपड़े या पत्थर से साफ़ करके बाहर फेंक दिया जाये।

हदीस 76. हज़रत सहल रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की जायनमाज़ और सामने की दीवार के बीच इस क़द्र फ़ासला था कि एक बकरी गुज़र सकती थी।

वज़ाहतः- नमाज़ी को किसी चीज़ की आड़ में नमाज़ पढ़नी चाहिये और किसी चीज़ को सुतरा बना लेना चाहिये, यानी किसी दीवार या सुतून के क़रीब खड़े होकर नमाज़ पढ़े।

नमाज़ के वक़्तों का बयान

अल्लाह तआ़ला का फ़रमान हैः-

तर्जुमाः- मुसलमानों पर नमाज़ मुक़र्ररा (निर्धारित) वक़्तों पर फ़र्ज़ की गई है। (सूरः निसा 4, आयत 103)

हदीस 77. हज़रत जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह बजली रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से नमाज़ पढ़ने, ज़कात देने और हर मुसलमान के साथ ख़ैरख़्वाही (भलाई) करने पर बैअ़त की थी।

हदीस 78. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा कि कौनसा अ़मल अल्लाह तआ़ला की बारगाह में सबसे ज़्यादा पसन्दीदा है? आपने फ़रमाया- वक़्त पर नमाज़ पढ़ना। मैंने पूछा फिर कौनसा? फ़रमाया माँ-बाप से अच्छा सुलूक करना। मैंने पूछा फिर कौनसा? फ़रमाया अल्लाह की राह में जिहाद करना। हज़रत इब्ने मसऊद फ़रमाते हैं कि आपने ये तीन बातें बताईं अगर मैं और कुछ पूछता तो आप और ज़्यादा बयान फ़रमा देते।

हदीस 79. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर तुम में से किसी के दरवाज़े पर पानी की नहर बेहती हो और वह रोज़ाना पाँच बार उसमें गुस्ल

करता हो क्या उसके जिस्म पर मैल-कुचैल बाक़ी रहेगी? सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने अ़र्ज़ किया- "नहीं ज़रा भी मैल नहीं रहेगा" आपने फ़रमाया- "पस यही पाँच नमाज़ों की मिसाल है, अल्लाह तआ़ला उनकी वजह से गुनाह मिटा देते हैं।"

हदीस 80. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस शख़्स की अ़सर की (यानी बीच वाली) नमाज़ छूट गई वह ऐसा है जैसे उसका घर-बार और तमाम माल असबाब सब लुट गया हो।

वज़ाहतः- हर नमाज़ वक़्त पर जमाअ़त के साथ अदा करें ख़ास तौर पर अ़सर की। (अधिक मालूमात के लिये पढ़िये तफ़सीर सूरः ब-क़रह आयत 238) नमाज़े अ़सर की ताकीद इसलिये है कि यह दुनियावी धंधों और कामों के लिहाज़ से बहुत अहम वक़्त है, या कुछ लोग इस वक़्त सोते रहते हैं और सूरज ग़ुरूब होने लगता है। कोई भी नमाज़ (मर्द को) बग़ैर शरई उज़्र के घर या दफ़्तर में नहीं अदा करनी चाहिये, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक नाबीना सहाबी (हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अ़न्हु) तक को जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया था।

हदीस 81. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- रात और दिन में फ़रिश्ते तुम्हारे पास आगे पीछे आते जाते हैं, और रात और दिन वाले फ़रिश्ते फ़जर और अ़सर की नमाज़ में इकट्ठे हो जाते हैं, फिर तुम में रात गुज़ारने वाले फ़रिश्ते (आसमान) पर चढ़ जाते हैं, परवर्दिगार उनसे पूछता है, हालाँकि वह ख़ूब जानता है- तुमने मेरे बन्दों को किस हाल में छोड़ा? वे कहते हैं- हमने उनको नमाज़ पढ़ते हुए छोड़ा और जब हम उनके पास गये थे उस वक़्त भी वे नमाज़ ही पढ़ रहे थे।

वज़ाहतः- लिहाज़ा हर नमाज़ पाबन्दी से जमाअ़त के साथ पढ़ें, ख़ास तौर पर फ़जर और अ़सर की नमाज़।

हदीस 82. हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि हम

मग़रिब की नमाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ पढ़ते, फिर हम में से कोई (मस्जिद से) लौट जाता और तीर-अन्दाज़ी करता, वह तीर गिरने के मक़ाम (जगह) को देख लेता।

हदीस 83. हज़रत मुहम्मद बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि हमने हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नमाज़ों का वक़्त पूछा तो हज़रत जाबिर ने कहा आप ज़ोहर की नमाज़ दोपहर की गर्मी में (यानी जब सूरज ढल जाता) और अ़सर की नमाज़ जब सूरज तेज़ चमक रहा होता तो पढ़ते (यानी सूरज में ज़र्दी की मिलावट न होती) मग़रिब की नमाज़ सूरज ग़ुरूब होने पर और अगर लोग जल्दी जमा हो जाते तो इशा की नमाज़ जल्दी पढ़ लेते, अगर लोग देर से जमा होते जो देर करके अदा फ़रमाते और फ़जर की नमाज़ अन्धेरे में पढ़ते।

वज़ाहतः- आप फ़जर की नमाज़ जल्दी यानी सुबह सादिक़ के (तक़रीबन 15 मिनट) बाद पढ़ लेते थे। आज भी बैतुल्लाह और मस्जिदे नबवी में नमाज़ें अव्वल वक़्त में पढ़ी जाती हैं, जब फ़जर की नमाज़ ख़त्म होती है तो अंधेरा होता है। मग़रिब की नमाज़ का आख़िरी वक़्त सूरज की सुर्ख़ी ग़ायब होने तक यानी सूरज ग़ुरूब से तक़रीबन चालीस मिनट बाद तक है।

हदीस 84. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नमाज़े इशा से पहले सोने और उसके बाद बातचीत करने को नापसन्द फ़रमाते थे।

वज़ाहतः- इशा के बाद बातें करते रहने से तहज्जुद के लिये आँखें नहीं खुलतीं, कभी सुबह की नमाज़ में भी देर हो जाती है। इशा की नमाज़ के बाद जल्दी सो जाया करें यही आपका अ़मल था।

हदीस 85. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ सुबह की नमाज़ में मुसलमान औ़रतें अपनी चादरों में लिपटी हुई आती थीं, फिर नमाज़ पढ़कर अपने घरों को लौट जातीं तो अंधेरे की वजह से कोई उन्हें पहचान न सकता था।

हदीस 86. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया- नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़जर की नमाज़ के बाद सूरज ऊँचा होने तक और असर की नमाज़ के बाद सूरज गुरूब होने तक नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया है।

वज़ाहतः- क्योंकि ये वक़्त आग को पूजने वाले मुश्रिकों की इबादत के होते हैं। नमाज़े कुसूफ़, नमाज़े जनाज़ा, सज्दा-ए-तिलावत, सज्दा-ए-शुक्र इस हुक्म से अलग हैं। याद रहे कि बैतुल्लाह शरीफ़ में तवाफ़ और नमाज़ मना किये गये वक़्तों में भी जायज़ हैं। मना किये गये वक़्त तीन हैं-

1. सूरज निकलने के वक़्त, 2. सूरज के ज़वाल के वक़्त,
3. सूरज के गुरूब होने के वक़्त।

हदीस 87. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स कोई नमाज़ पढ़ना भूल जाये तो याद आते ही उसको पढ़ ले, बस यही उसका कफ़्फ़ारा है, और कुछ नहीं।

वज़ाहतः- जान-बूझकर दुनियावी कामों में लगा रहना और नमाज़ क़ज़ा करना बहुत बड़ा गुनाह है। नमाज़ से न कहीं कि मुझे काम है बल्कि काम से कहें कि मुझे नमाज़ पढ़नी है।

हदीस 88. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि एक रात हम इशा की नमाज़ के लिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आने का इन्तिज़ार करते रहे, जब आधी रात हो गई तो आप बाहर तशरीफ़ लाये, नमाज़ पढ़ाई फिर ख़ुतबा दिया और फ़रमाया- सुनो! लोग तो नमाज़ पढ़ चुके और सो गये और तुम नमाज़ के इन्तिज़ार में रहे, जितनी देर तुमने इन्तिज़ार किया तुम नमाज़ ही की हालत में रहे।

वज़ाहतः- नमाज़ के इन्तिज़ार में बैठना गोया कि नमाज़ पढ़ना है। आप भी नमाज़ का इन्तिज़ार किया करें और इन्तिज़ार के दौरान फ़ारिग़ बैठने के बजाय ज़िक्र व अज़कार में मसरूफ़ रहें।

अज़ान के मसाईल का बयान

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:-

तर्जुमाः- और जब तुम नमाज़ के लिये अज़ान देते हो तो काफ़िर उसको हंसी और खेल बनाते हैं इसलिये कि वह बेअक़्ल लोग हैं। (सूरः मायदा 5, आयत 58) और दूसरी जगह अल्लाह तआला ने फ़रमाया-

तर्जुमाः- जब जुमा के दिन नमाज़ के लिये अज़ान दी जाये तो तुम अल्लाह के ज़िक्र (नमाज़) के लिये (जल्दी) आ जाया करो और ख़रीद व फ़रोख़्त बन्द कर दो। यही बात तुम्हारे लिये बेहतर है अगर तुम समझो।

(सूरः जुमा 62, आयत 9)

वज़ाहतः- हर अज़ान सुनते ही मस्जिद चले जाना चाहिये यही अल्लाह करीम का हुक्म है।

हदीस 89. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि जब मुसलमान (हिजरत करके) मदीना पहुँचे तो नमाज़ के लिये यूँ ही जमा हो जाते थे, एक वक़्त तय कर लेते, नमाज़ के लिये अज़ान नहीं होती थी। एक दिन उन्होंने इस बारे में मश्विरा किया तो कुछ कहने लगे कि ईसाईयों की तरह एक घन्टा बना लो और कुछ ने कहा कि यहूदियों की तरह एक नरसिंगा (बिगुल) बना लो (उसको फूँक दिया करो)। हज़रत उमर ने कहा ऐसा क्यों नहीं करते कि एक आदमी को मुक़र्रर करो वह नमाज़ के लिये अज़ान दिया करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने (इसी राय को पसन्द किया) हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अ़न्हु से फ़रमाया उठो नमाज़ के लिये अज़ान दो।

वज़ाहतः- मुअज़्ज़िन (अज़ान देने वाला) अच्छी और बुलन्द आवाज़ वाला हो तो बेहतर है।

हदीस 90. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब नमाज़ के लिये अज़ान दी जाती है तो शैतान पीठ मोड़कर भाग खड़ा होता है और उसकी हवा ख़ारिज हो रही होती है, वहाँ रुकता है जहाँ अज़ान न सुने (अज़ान सुनना उसको

नागवार है)। जब अज़ान ख़त्म हो जाती है तो वापस लौट आता है, जब नमाज़ की तकबीर होती है तो फिर पीठ मोड़कर भागता है, जब तकबीर भी ख़त्म हो जाती है तो फिर वापस आता है, नमाज़ी के दिल में वस्वसे डालता है। कहता है कि फ़ुलाँ बात याद कर। ऐसी-ऐसी बातें याद दिलाता है जो नमाज़ी को याद ही न थीं, आख़िर (नमाज़ी) यह भी भूल जाता है कि कितनी रकअ़तें पढ़ी हैं।

वज़ाहतः- एक दूसरी हदीस में आता है कि जब नमाज़ पढ़ते हुए दिल में शैतानी वस्वसे आयें तो रुककर "अऊ़ज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम" पढ़कर तीन बार बाईं जानिब (दिल की तरफ़) थुतकार दें। यही इलाज उस वस्वसे (शैतानी ख़्याल) का भी है जो नमाज़ के अ़लावा आये। यानी जब भी आपको शैतानी ख़्यालात परेशान करें तो बार-बार पढ़ियेः

"अऊ़ज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम" यह तजुर्बा शुदा अ़मल है।

हदीस 91. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम अज़ान सुनो तो जो मुअज़्ज़िन कहे वही तुम भी कहो।

हदीस 92. हज़रत यहया रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि जब मुअज़्ज़िन ने 'हय्-य अ़लस्सलाति' कहा तो हज़रत अमीरे मुआ़विया रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने इसके जवाब में "ला हौ-ल व ला क़ुव्व-त इल्ला बिल्लाहि" पढ़ा और फ़रमाया- मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यही पढ़ते हुए सुना है।

हदीस 93. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स अज़ान सुनकर यह दुआ़ पढ़े तो क़ियामत के दिन उसको मेरी शफ़ाअ़त नसीब होगीः

अल्लाहुम्-म रब्-ब हाज़िहिद्दअ़्वतित्ताम्मति वस्सलातिल्-क़ाइ-मति आति मुहम्म-द निल्-वसील-त वल्-फ़ज़ील-त वब्अ़स्हु मक़ामम्-मस्मू-द निल्लज़ी वअ़त्तहू।

तर्जुमाः ऐ अल्लाह! जो इस पूरी दावत और क़ायम रहने वाली नमाज़

का रब है, मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को (क़ियामत के दिन) वसीला बड़ा मर्तबा और मक़ामे महमूद अ़ता फ़रमा जिसका आपने उनसे वायदा किया है।

वज़ाहतः- 'वसीला' जन्नत में एक बहुत ऊँचे दर्जे का नाम है और 'मक़ामे महमूद' शफ़ाअ़त के मक़ाम का नाम है।

हदीस 94. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दो दफ़ा फ़रमाया- हर अज़ान और तकबीर (इक़ामत) के दरमियान में नमाज़ पढ़ो। तीसरी मर्तबा फ़रमाया- जो पढ़ना चाहे।

वज़ाहतः- अज़ान और इक़ामत (तकबीर) के दरमियान कोई नमाज़ तब ही पढ़ी जा सकती है जब आप उस अज़ान के वक़्त मस्जिद में मौजूद हों। हदीस से मग़रिब की अज़ान के फ़ौरन बाद दो रकअ़त 'तहिय्यतुल्- मस्जिद' पढ़ना भी साबित होता है, यानी मग़रिब की नमाज़ मग़रिब की अज़ान के चन्द मिनट बाद अदा की जाये।

हदीस 95. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम तकबीर की आवाज़ सुनो तो नमाज़ के लिये (मामूल की चाल) चलते हुए आओ और आहिस्ता चलने और सहूलियत को अपने ऊपर लाज़िम कर लो। डरो नहीं, फिर जितनी नमाज़ (जमाअ़त से) मिले वह पढ़ लो जो जाती रहे उसको इमाम के सलाम फेरने के बाद पूरा कर लो।

हदीस 96. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने यह इरादा किया था कि मैं लकड़ियाँ जमा करने का हुक्म दूँ फिर उस नमाज़ का हुक्म दूँ जिसके लिये अज़ान दी जाये, फिर एक शख़्स से कह दूँ कि वह लोगों को नमाज़ पढ़ाये और ख़ुद मैं उन लोगों के पास जाऊँ (जो जमाअ़त में हाज़िर नहीं होते), उनको उनके घरों समेत जला दूँ। क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर उन लोगों को जो जमाअ़त में नहीं आते यह मालूम हो जाये कि उनको

गोश्त की एक मोटी हड्डी मिलेगी या अच्छे दो पाये मिलेंगे तो इशा की जमाअ़त में ज़रूर आयें।

वज़ाहतः- मर्दों को फ़र्ज़ नमाज़ मस्जिद में पढ़नी ज़रूरी है जब तक कोई शरई उज़्र (बीमारी या ख़ौफ़) न हो।

हदीस 97. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जमाअ़त की नमाज़ अकेले शख़्स की नमाज़ से सत्ताईस दर्जा ज़्यादा फ़ज़ीलत (सवाब) रखती है।

वज़ाहतः- जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ने का सवाब अकेले नमाज़ पढ़ने से सत्ताईस गुना ज़्यादा मिलता है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 98. हज़रत मालिक बुहैना रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक शख़्स को (फ़जर की नमाज़ की) तकबीर के बाद दो रकअ़तें (फ़जर की सुन्नतें) पढ़ते हुए देखा, जब आप फ़जर की नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो सब ने उसको घेर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उससे फ़रमाया- क्या तुम सुबह की भी चार रकअ़तें पढ़ते हो? उसने कहा कि मैं फ़जर की दो सुन्नतें पढ़ रहा था।

वज़ाहतः- जब फ़र्ज़ नमाज़ की तकबीर हो जाये तो फ़र्ज़ नमाज़ के अ़लावा और कोई नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिये। (फ़त्हुल-बारी)

हदीस 99. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में कोई खाना खा रहा हो तो जल्दी न करे अच्छी तरह खा ले, अगरचे नमाज़ की तकबीर हो जाये।

वज़ाहतः- मक़सद यह है कि भूख के वक़्त अगर खाना तैयार हो तो पहले खाने से फ़ारिग़ हो जाना चाहिये ताकि नमाज़ पूरे सुकून और ध्यान से अदा की जाये। (फ़त्हुल-बारी)

हदीस 100. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि हज़रत अस्वद बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैंने हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से सवाल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपने घर में क्या (काम) करते थे? तो उन्होंने बताया कि आप घर

के काम-काज में मसरूफ़ रहते, जब नमाज़ तैयार होती तो (काम छोड़कर) नमाज़ के लिये चले जाते थे।

वज़ाहतः- काम की वजह से नमाज़ को लेट नहीं करनी चाहिये बल्कि काम को लेट कर देना चाहिये।

हदीस 101. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से जो कोई (रुकूअ या सज्दे से) इमाम से पहले अपना सर उठाता है वह इस बात से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह रब्बुल्-इ़ज़्ज़त उसका सर गधे का बना दे, या उसकी सूरत गधे की सूरत में तब्दील कर दे।

वज़ाहतः- इमाम से आगे बढ़ना सख़्त गुनाह है, इमाम जब नमाज़ का हर रुक्न पूरा कर ले तो उसके बाद मुक़्तदी को वह रुक्न करना चाहिये, उसके साथ या उससे पहले नहीं करना चाहिये।

हदीस 102. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ये इमाम तुम्हें नमाज़ पढ़ाते हैं, अगर ठीक पढ़ायेंगे तो तुम्हें और इन्हें (दोनों को) सवाब मिलेगा। अगर (वह) ग़लती करें तो भी (तुम्हारी नमाज़ का) तुम्हें सवाब मिल जायेगा, ग़लती का वबाल इमाम पर होगा।

हदीस 103. हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- (नमाज़ में) अपनी सफ़ें दुरुस्त रखो वरना अल्लाह तआ़ला तुम्हारे चेहरे बदल देगा।

वज़ाहतः- सफ़ों को बराबर रखने से मुराद यह है कि नमाज़ी आगे पीछे न हों और दरमियान में ख़ाली जगह न हो। सफ़ों को सीधा और दुरुस्त करना नमाज़ का हिस्सा है।

हदीस 104. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अपनी सफ़ें बराबर करो क्योंकि सफ़ बराबर करना नमाज़ के क़ायम करने में दाख़िल है।

वज़ाहतः- यानी कन्धे से कन्धा मिला रहना चाहिये और दो नमाज़ियों के दरमियान में कोई ख़ाली जगह न छोड़ी जाये और न सफ़ें टेढ़ी हों।

हदीस 105. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अपनी सफ़ें बराबर रखो मैं तुम्हें अपनी पीठ के पीछे से भी देखता हूँ (यह आपका मोजिज़ा था), और हम में से हर शख़्स (सफ़ में) अपना कन्धा अपने साथी के कन्धे से और अपना क़दम उसके क़दम से मिलाकर रखता था।

वज़ाहतः- जब तकबीर कही जाती थी तो आप अपना चेहरा मुबारक सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम की तरफ़ करके पहले सफ़ें सीधी करवाते थे, जब सफ़ें बराबर हो जातीं तो फिर आप नमाज़ शुरू करते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की ख़िलाफ़त के ज़माने में तो इस काम के लिये लोग मुक़र्रर थे जो सफ़-बन्दी करवाया करते थे, आज भी हर इमाम को यही मस्नून अ़मल कराना चाहिये। सही सफ़-बन्दी नमाज़ के क़ुबूल होने के लिये बहुत ही ज़रूरी है।

हदीस 106. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब नमाज़ शुरू करते तो दोनों हाथ कन्धों तक उठाते और जब रुकूअ़ के लिये 'अल्लाहु अकबर' कहते और जब रुकूअ़ से अपना सर उठाते तब भी उसी तरह दोनों हाथ उठाते और 'समिअ़ल्लाहु लिमन् हमिदह् रब्बना लकल्-हम्द्'' कहते, और सज्दों में आप दोनों हाथ नहीं उठाते थे।

हदीस 107. हज़रत अबू किलाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने मालिक बिन हुवैरस रज़ियल्लाहु अ़न्हु (सहाबी) को देखा कि जब वह नमाज़ शुरू करते तो तकबीर-ए-तहरीमा (नीयत बाँधने वाली तकबीर) के साथ दोनों हाथ उठाते, फिर जब रुकूअ़ में जाते तो उस वक़्त दोनों हाथ उठाते, और उन्होंने बयान किया कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम भी इसी तरह किया करते थे।

वज़ाहतः- हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक़, हज़रत उस्मान ग़नी, हज़रत अ़ली, हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास, हज़रत अबू हुरैरह, हज़रत बरा इब्ने आ़ज़िब, हज़रत क़तादा, हज़रत अनस बिन मालिक, हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने कहा कि ''आपने रुकूअ़

में जाते वक़्त और रुकूअ़ से सर उठाते वक़्त भी दोनों हाथ उठाये।"

(बुख़ारी, बैहक़ी, इब्ने माजा, दारे क़ुतनी, दारमी, हाकिम, तिर्मिज़ी)

नोटः- हज़रत शाह वलीयुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अ़लैहि अपनी किताब 'हुज्जतुल्लाहिल्-बालिग़ा'' (जिल्द 2, पेज 8) में लिखते हैं- "रफ़ा-ए-यदैन करने वाला मुझको रफ़ा-ए-यदैन न करने वाले से ज़्यादा महबूब है, क्योंकि इस (रफ़ा-ए-यदैन) के बारे में दलीलें बहुत ज़्यादा और सही हैं।"

हदीस 108. हज़रत नाफ़ेअ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु जब नमाज़ में दाख़िल होते तो "अल्लाहु अकबर" कहते हुए दोनों हाथ उठाते (यानी रफ़ा-ए-यदैन करते) और रुकूअ़ में जाते तब भी दोनों हाथ उठाते और जब "समिअ़ल्लाहु लिमन् हमिदह्" कहते तब भी दोनों हाथ उठाते, और जब दो रक्अ़तें पढ़कर (तीसरी रकअ़त के लिये) उठते तब भी दोनों हाथ उठाते। हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु इस फ़ेल (अ़मल) को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तरफ़ मन्सूब करते थे।

हदीस 109. हज़रत सहल बिन सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि लोगों को यह हुक्म दिया जाता था कि नमाज़ में हर आदमी अपना दायाँ हाथ बायें हाथ की कलाई पर रखे।

वज़ाहतः- पंजे और कोहनी के दरमियानी हिस्से को कलाई कहते हैं। जब दायाँ हाथ बायें हाथ की कलाई पर रखेंगे तो दोनों हाथ नाफ़ से ऊपर ही बाँधे जायेंगे।

नोटः- हज़रत वाईल बिन हजर रज़ियल्लाहु अ़न्हु (मशहूर सहाबी-ए-रसूल) कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लाम के साथ नमाज़ अदा की, आपने अपना दायाँ हाथ अपने बायें हाथ पर रखकर सीने पर बाँध लिये। (फ़त्हुल्-बारी जिल्द 2 पेज 285)

हदीस 110. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु नमाज़ में क़िराअत 'अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्-आ़लमीन'

(यानी सूरः फ़ातिहा) से शुरू करते थे।

वज़ाहतः- 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' भी पढ़िये।

हदीस 111. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तकबीरे तहरीमा और क़िराअत के दरमियान थोड़ी देर ख़ामोश रहते थे। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मेरे माँ-बाप आप पर क़ुरबान हों आप तकबीरे तहरीमा और क़िराअत (यानी नीयत बाँधने वाली तकबीर और अल्हम्दु शरीफ़) के दरमियान ख़मोशी में क्या पढ़ते हैं? आपने फ़रमाया मैं यह पढ़ता हूँ-

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اَللّٰهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मुझसे मेरे गुनाह इतने दूर कर दीजिये जैसे आपने पूरब से पश्चिम में दूरी की है। या अल्लाह! मुझको गुनाहों से ऐसा पाक कर दीजिये जैसे सफ़ेद कपड़ा मैल-कुचैल से पाक-साफ़ हो जाता है। या अल्लाह! मेरे गुनाह पानी व बर्फ़ और ओलों से धो डालिये।

नोटः- दूसरी दुआ यानी—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ.

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैं आपकी पाकी बयान करता हूँ और आपकी तारीफ़ बयान करता हूँ और आपकी शान बहुत ऊँची है, और आपके अलावा कोई माबूद नहीं है।

भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पहली दुआ पढ़ना बेहतर है।

हदीस 112. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सवाल किया कि नमाज़ में इधर-उधर देखना कैसा है? आपने फ़रमाया- यह शैतान की झपट (हमला करना) है, वह आदमी की नमाज़ पर झपट मारता है।

वज़ाहतः- पूरी नमाज़ में नज़रें सज्दे की जगह पर रखिये सिवाय

अत्तहिय्यात की हालत के, अत्तहिय्यात की हालत में नज़रें शहादत की उंगली पर होनी चाहियें। एक दूसरी हदीस में आया है कि जब नमाज़ में आदमी तीसरी बार इधर-उधर देखता है तो अल्लाह तआला उसकी तरफ़ से अपना रुख़ फेर लेते हैं।

हदीस 113. हज़रत उबादा इब्ने सामित रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया—

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

तर्जुमाः- जिस शख़्स ने सूरः फ़ातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज़ ही नहीं हुई।

वज़ाहतः- यह हुक्म आम है हर नमाज़ के लिये चाहे वह फ़र्ज़ नमाज़ हो या सुन्नत या नफ़िल, हर रकअत में सूरः फ़ातिहा पढ़नी चाहिये।

हदीस 114. हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ज़ोहर की पहली दो रकअतों में सूरः फ़ातिहा और दो सूरतें (हर रकअत में एक-एक) पढ़ते और आख़िरी दो रकअतों में सिर्फ़ सूरः फ़ातिहा पढ़ते थे (कभी) एक या आधी आयत हमको सुना भी देते थे, पहली रकअत दूसरी रकअत से लम्बी पढ़ते और ऐसा ही असर और फ़जर की नमाज़ में करते थे।

हदीस 115. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि जिसकी आमीन फ़रिश्तों की आमीन से मिल जाये तो उसके पहले के गुनाह बख़्श दिये जाते हैं।

वज़ाहतः- सूरः फ़ातिहा के समापन पर आसमान पर फ़रिशते भी आमीन कहते हैं। (फ़त्हुल-बारी)

हदीस 116. हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मुस्अब इब्ने सअद ने अपने बाप हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास के बराबर में नमाज़ पढ़ी और उन्होंने कहा कि मैंने (रुकूअ में) दोनों हथेलियाँ मिलायीं और दोनों रानों के दरमियान में रख लीं, मेरे वालिद ने मना किया और कहा पहले हम ऐसा किया करते थे फिर हमें

ऐसा करने से मना कर दिया गया और यह हुक्म हुआ कि (रुकूअ़ के दौरान) हाथों को घुटनों पर रखें।

वज़ाहतः- रुकूअ़ में कमर बिल्कुल सीधी (ज़मीन की तरह) रहनी चाहिये, इस तरह कि कमर पर गिलास रख दिया जाये तो वह गिरे नहीं।

हदीस 117. हज़रत बरा इब्ने आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का रुकूअ़ और सज्दा और दोनों सज्दों के दरमियान में बैठना और क़ौमा (रुकूअ़ के बाद खड़ा होना) यह सब क़रीब-क़रीब बराबर थे सिवाय क़ियाम (यानी क़िराअत की हालत के) और अत्तिहिय्यात के।

वज़ाहतः- रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम रुकूअ़ के बाद अच्छी तरह खड़े होते थे और दोनों सज्दों के दरमियान भी इत्मीनान से बैठते थे, दोनों सूरतों में कमर बिल्कुल सीधी हो जानी चाहिये लेकिन निगाहें सज्दे की जगह पर रहें, कुछ नमाज़ी रुकूअ़ और सज्दे के बाद पूरी तरह कमर सीधी नहीं करते जो सुन्नत के ख़िलाफ़ है।

हदीस 118. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाये, इतने में एक शख़्स आया उसने नमाज़ पढ़ी और आकर आपको सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया और फ़रमाया- जा नमाज़ पढ़, तूने नमाज़ नहीं पढ़ी। वह गया, दोबारा नमाज़ पढ़ी फिर आकर आपको सलाम किया। आपने फ़रमाया- जा नमाज़ पढ़, तूने नमाज़ नहीं पढ़ी। तीन बार यही अ़मल हुआ। आख़िर उसने अ़र्ज़ किया कि उस ज़ात की क़सम जिसने आपको हक़ के साथ (रसूल बनाकर) भेजा है मैं तो इससे अच्छी नमाज़ पढ़ना नहीं जानता, आप मुझे सिखलाईये, तो आपने फ़रमाया- जब तुम नमाज़ के लिये खड़े हो तो "अल्लाहु अकबर" कहो, फिर जो कुछ क़ुरआन से तुमको याद हो और आसानी के साथ पढ़ सको वह पढ़ लो, फिर इत्मीनान से रुकूअ़ करो, फिर सर उठाओ यहाँ तक कि सीधे खड़े हो जाओ, फिर इत्मीनान से सज्दा करो, फिर सज्दे से सर उठाकर इत्मीनान से बैठो, फिर दूसरा सज्दा इत्मीनान से अदा करो, फिर इसी तरह सारी नमाज़ पढ़ो।

वज़ाहतः- साबित हुआ कि ठहर-ठहरकर इत्मीनान से हर रुक्न का अदा करना फ़र्ज़ है।

हदीस 119. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम रुकूअ़ और सज्दे में यह दुआ पढ़ते थे-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ.

सुब्हानकल्लाहुम्-म रब्बना व बि-हम्दि-क, अल्लाहुम्मग़्फ़िर् ली।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह हमारे परवर्दिगार! आप अपनी तारीफ़ के साथ पाक हैं। इलाही मुझे बख़्श दीजिये।

हदीस 120. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया— जब इमाम "समिअ़ल्लाहु लिमन् हमिदह्" कहे तो तुम "अल्लाहुम्-म रब्बना व लकल्-हम्दु" कहो, क्योंकि जिसका यह कहना फ़रिश्तों के कहने से मिल जाये तो उसके पिछले गुनाह बख़्श दिये जाते हैं।

वज़ाहतः- फ़रिश्ते भी नमाज़ियों के साथ-साथ नमाज़ पढ़ते हैं। (फ़त्हुल-बारी)

हदीस 121. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि लो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नमाज़ के क़रीब-क़रीब नमाज़ पढ़कर दिखाता हूँ। चुनाचे आप ज़ोहर, इशा और फ़जर की आख़िरी रक्अ़त में क़ुनूत (नाज़िला) पढ़ा करते थे। "समिअ़ल्लाहु लिमन् हमिदह्" के बाद मोमिनों के हक़ दुआ़ और काफ़िरों पर लानत भेजते थे।

वज़ाहतः- कुछ काफ़िरों ने मुसलमानों को धोखा देकर शहीद कर दिया था जिस पर आपको सख़्त सदमा हुआ। इस वजह से आप एक माह तक उन पर यह दुआ़ यानी दुआ़-ए-क़ुनूते नाज़िला पढ़ते थे। 'क़ुनूते नाज़िला' के लिये पढ़िये (किताबुद्-दुआ़-इ बुख़ारी) जब मुसलमानों पर कोई मुसीबत आ जाये तो हर नमाज़ की आख़िरी रक्अ़त में रुकूअ़ के बाद 'क़ुनूते नाज़िला' पढ़ना मुस्तहब है। नमाज़ के अ़लावा भी यह दुआ़ (क़ुनूते नाज़िला) माँग सकते हैं।

हदीस 122. हज़रत रिफ़ाआ़ इब्ने राफ़ेअ़ ज़रक़ी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से

रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे, जब आप रुकूअ़ से सर उठाते (यानी रुकूअ़ से सीधे खड़े होते) तो "समिअ़ल्लाहु लिमन् हमिदह्" कहते थे। एक शख़्स ने पीछे से कहा- "रब्बना व लकल्-हम्दु हम्दन् कसीरन् तय्यिबन् मुबारकन् फ़ीहि" आपने नमाज़ से फ़ारिग़ होकर दरियाफ़्त फ़रमाया कि किसने ये कलिमात कहे थे? उस शख़्स ने जवाब दिया कि मैंने। इस पर आपने फ़रमाया कि मैंने तीस से ज़्यादा फ़रिश्तों को देखा है कि इन कलिमात के लिखने में वे एक दूसरे पर सब्क़त ले जाना (यानी एक दूसरे से पहले आगे बढ़ना) चाहते थे।

वज़ाहतः- रुकूअ़ से खड़े होकर यह दुआ पढ़ना भी मस्नून है।

हदीस 123. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नमाज़ का तरीक़ा बयान करते हुए फ़रमाया कि आप नमाज़ पढ़ते और जब रुकूअ़ से सर उठाते तो इतनी देर तक खड़े रहते हम समझते कि आप भूल गये हैं।

वज़ाहतः- रुकूअ़ के बाद सज्दे में जाने से पहले इत्मीनान से खड़े रहना चाहिये ताकि कमर बिल्कुल सीधी हो जाये।

हदीस 124. हज़रत अबू वाईल रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने एक शख़्स को देखा कि रुकूअ़ और सज्दा पूरी तरह नहीं कर रहा था। जब वह नमाज़ पूरी कर चुका तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने उससे कहा कि तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी। हज़रत अबू वाईल ने कहा- मुझे याद आता है कि हज़रत हुज़ैफ़ा ने यह भी फ़रमाया कि अगर तुम मर गये तो तुम्हारी मौत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सुन्नत पर नहीं होगी।

वज़ाहतः- जब नमाज़ सुन्नत के मुताबिक़ आराम-आराम से अदा नहीं की तो नमाज़ अदा नहीं हुई, गोया ऐसा ही है जैसा कि उसने नमाज़ ही नहीं पढ़ी, क्योंकि अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है-

तर्जुमाः- ऐसे नमाज़ियों के लिये अफ़सोस और वैल (जहन्नम का एक गढ़ा) है जो अपनी नमाज़ों से ग़ाफ़िल रहते हैं। (सूरत नम्बर 107 आयत 4-5)

नोटः- ग़ाफ़िल नमाज़ी वे हैं जो नमाज़ों को उनके मुतैयन वक़्तों में नहीं

पढ़ते या नमाज़ के अरकान व शर्तों में ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ का ख़्याल नहीं रखते। एहतियात कीजिये।

हदीस 125. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुझे सात हड्डियों पर सज्दा करने का हुक्म हुआ है– पेशानी पर, और आपने पेशानी में नाक को भी दाख़िल फ़रमाया, और दोनों हाथों पर, और दोनों घुटनों पर, और दोनों पाँव की उंगलियों पर, और यह भी हुक्म हुआ है कि (नमाज़ के दौरान) हम कपड़ों और बालों को न समेटें।

वज़ाहतः- नमाज़ के दौरान कपड़ों और बालों को ठीक नहीं करना चाहिये, यह ख़िलाफ़े सुन्नत है। इसी तरह खुजली भी हो तो बरदाश्त करना चाहिये।

हदीस 126. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सज्दा ठीक तौर पर अदा करो, और तुम में से कोई अपने दोनों बाज़ू ज़मीन पर कुत्ते की तरह न फैला दिया करे।

वज़ाहतः- कोहनियों को ज़मीन से दूर रखिये, सिर्फ़ हथेलियाँ और हाथों की उंगलियाँ (मिली हुई) ज़मीन से लगी हुई हों, यह हुक्म आ़म है मर्दों के लिये भी और औ़रतों के लिये भी।

हदीस 127. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु अपने बाप हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु को हमेशा देखते कि नमाज़ में चार ज़ानू बैठते (आलती-पालती मारकर) मैं भी उसी तरह बैठता, उन दिनों मैं कमउम्र था, हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने मुझको मना किया और कहा- नमाज़ (अत्तहिय्यात) में यूँ बैठना सुन्नत है कि दाहिना पाँव खड़ा करे और बायें को मोड़ दे (उस पर बैठे)। मैंने कहा आप तो चार ज़ानू बैठे हो, उन्होंने कहा मेरा पाँव मेरा बोझ नहीं उठा सकता।

वज़ाहतः- बीमारी में इस तरह बैठकर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है।

हदीस 128. हज़रत मुहम्मद बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है

कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के कई सहाबा किराम बैठे थे, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नमाज़ का ज़िक्र आया तो हज़रत अबू हुमैद साअ़िदी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा- मैं तुम सब में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नमाज़ को ख़ूब याद रखने वाला हूँ। मैंने देखा कि आप जब तकबीर-ए-तहरीमा कहते तो अपने दोनों हाथ कंधों के बराबर ले जाते और जब रुकूअ़ करते तो अपने दोनों हाथ घुटनों पर जमा देते, फिर अपनी पीठ झुकाकर सर और गर्दन के बराबर कर देते थे, फिर सर उठाकर सीधे खड़े हो जाते आपकी पीठ की हर पसली अपनी जगह पर आ जाती (इत्मीनान से खड़े होते थे), और जब सज्दा करते तो दोनों हाथ ज़मीन पर रखते, बाजुओं को न तो (ज़मीन पर) बिछाते और न समेटकर पहलू से लगाते, और पाँव की उंगलियों की नोकें क़िब्ले की तरफ़ रखते। जब दूसरी रकअ़त पढ़ते तो बायाँ पाँव बिछाकर उस पर बैठते और दाहिना पाँव खड़ा रखते, जब आख़िरी रकअ़त में बैठते तो बायाँ पाँव (दायीं टांग के नीचे से निकालकर) आगे करते और दाहिना पाँव खड़ा रखते, और फिर उल्टे कूल्हे पर बैठते थे।

हदीस 129. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि हम (पहले-पहल) जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ा करते तो (सलाम के वक़्त) यूँ कहते थे- हज़रत जिब्राईल पर सलाम और हज़रत मीकाईल पर सलाम, फ़ुलाँ-फ़ुलाँ पर सलाम, फिर (एक रोज़) रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हमारी तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला तो ख़ुद सलामती अ़ता करने वाला है इसलिये जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़े तो यूँ कहे-

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ
وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ. اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्स-लवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अ़लै-क अय्युहन्नबिय्यु व रह्मतुल्लाहि व ब-रकातुहू अस्सलामु अ़लैना व अ़ला

इबादिल्लाहिस्सालिहीन। अश्हदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्-न मुहम्मदन् अ़ब्दुहू व रसूलुहू।

तर्जुमाः- तमाम ज़बानी, जिस्मानी और माली इबादतें अल्लाह तआ़ला ही के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से सलामती और उसकी रहमतें और बरकतें नाज़िल होती रहें (और) हम पर भी और अल्लाह तआ़ला के नेक बन्दों पर भी सलामती हो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) अल्लाह तआ़ला के बन्दे और रसूल हैं।

जब तुम यह कहोगे तो तुम्हारा सलाम आसमान और ज़मीन में जहाँ कोई अल्लाह का नेक बन्दा है उसको पहुँच जायेगा।

नोटः- यह बहुत ही उम्दा दुआ़ है जो आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के लिये, अल्लाह तआ़ला के नेक बन्दों के लिये और खुद पढ़ने वाले के लिये भी है, इसलिये इसको नमाज़ के अ़लावा भी बार-बार पढ़ना बेहतर है।

हदीस 130. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नमाज़ में तशह्हुद यानी 'अत्तहिय्यातु लिल्लाहि.......' के बाद यह दुआ़ पढ़ते थे-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अऊज़ु बि-क मिन् अज़ाबिल्-क़ब्रि व अऊज़ु बि-क मिन् फ़ित्नतिल्-मसीहिद्-दज्जालि व अऊज़ु बि-क मिन् फ़ित्नतिल्-मह्या व फ़ित्नतिल्-ममाति। अल्लाहुम्-म इन्नी अऊज़ु बि-क मिनल्-मअ्सिम वल्-मग़्रमि।

तर्जुमाः- या अल्लाह! मैं आपकी पनाह चाहता हूँ क़ब्र के अ़ज़ाब से, और आपकी पनाह चाहता हूँ दज्जाल के फ़ितने से, और आपकी पनाह चाहता हूँ ज़िन्दगी और मौत के फ़ितनों से। या अल्लाह! मैं आपकी पनाह

चाहता हूँ गुनाहों से और क़र्ज़ से।

हदीस 131. हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया कि आप मुझे कोई ऐसी दुआ सिखलाईये जिसको मैं नमाज़ में पढ़ा करूँ तो आपने फ़रमाया यह पढ़िये-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا كَثِیْرًا وَّ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِیْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِیْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ و رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ و

अल्लाहुम्-म इन्नी ज़लम्तु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरंव्-व ला यग़्फ़िरुज़्ज़ुनू-ब इल्ला अन्-त फ़ग़्फ़िर् ली मग़्फ़ि-रतम् मिन् अिन्दि-क वर्हम्नी इन्न-क अन्तल् ग़फ़ूरुर्-रहीम। रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या ह-स-नतंव् व फ़िल्-आख़ि-रति ह-स-नतंव् व क़िना अज़ाबन्नार।

तर्जुमाः- या अल्लाह! मैंने अपनी जान को (गुनाह करके) बहुत मुसीबत में डाला और गुनाहों को माफ़ करने वाला आपके सिवा कोई नहीं है। आप अपनी ख़ास बख़्शिश से मुझको बख़्श दें और मुझ पर रहम करें, बेशक आप बड़े बख़्शने वाले मेहरबान हैं।

हदीस 132. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को गीली मिट्टी पर सज्दा करते हुए देखा। मिट्टी का निशान आपकी पेशानी (माथे) पर साफ़ ज़ाहिर था।

वज़ाहतः- पाक मिट्टी पर नमाज़ पढ़ी जा सकती है अगरचे वह गीली ही हो, यानी जायनमाज़ अगर है तो बेहतर है वरना नमाज़ का वक़्त आ जाये तो नमाज़ फ़ौरन पाक मिट्टी पर ही पढ़ लेनी चाहिये।

हदीस 133. हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब नमाज़ से सलाम फेरते तो (नमाज़ में शरीक) औरतें सलाम फेरते ही खड़ी होकर चल देतीं और आप

थोड़ी देर उसी हालत में बैठे रहते। हज़रत इब्ने शिहाब फ़रमाते हैं कि मैं समझता हूँ और पूरा इल्म तो अल्लाह ही को है, यह इसलिये था कि औरतें मर्दों से पहले चली जायें।

हदीस 134. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मोहताज लोग (ग़रीब व ज़रूरत मन्द लोग) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आये और अर्ज़ किया- दौलत मन्द लोगों ने (सारे) बुलन्द दर्जे कमा लिये और हमेशा का चैन लूट लिया, हमारी तरह वे नमाज़ भी पढ़ते हैं और रोज़े भी रखते हैं लेकिन उनके पास पैसा है जिससे वे हज, उमरा, जिहाद और सदक़ा करते हैं (हम ग़रीबी की वजह से इन कामों को नहीं कर सकते), आपने फ़रमाया- मैं तुमको ऐसा काम न बताऊँ कि अगर तुम उसको करो तो आगे बढ़ने वालों को पा लोगे और तुमको कोई न पा सकेगा जो तुम्हारे पीछे है, और तुम अपने ज़माने वालों में सबसे अच्छे हो जाओगे, मगर हाँ सिवाय उनके जो यही अमल शुरू कर दें। तुम हर नमाज़ के बाद 33 बार "सुब्हानल्लाहि" 33 बार "अल्हम्दु लिल्लाहि" और 33 मर्तबा "अल्लाहु अकबर" कह लिया करो।

वज़ाहतः- एक हदीस में "अल्लाहु अकबर" का ज़िक्र 34 बार आया है। सोते वक़्त भी यह अमल करने से दिन भर की थकान दूर हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को यह अमल थकान दूर करने के लिये बताया था।

हदीस 135. हज़रत मुग़ीरा इब्ने शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद यह दुआ पढ़ते थे-

لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरी-क लहू लहुल्-मुल्कु व लहुल्-हम्दु व हु-व अला कुल्लि शैइन् क़दीर। अल्लाहुम्-म ला मानि-अ

लिमा अअ़्तै-त व ला मुअ़्ति-य लिमा मनअ़्-त व ला यन्फ़अु ज़लजदि मिन्कल्-जद्दु।

तर्जुमाः- अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, वह अकेला है उसका कोई शरीक नहीं। उसकी बादशाहत है, उसी को तारीफ़ ज़ेब देती है, वह सब कुछ कर सकता है। ऐ अल्लाह! आप जो दें उसको कोई रोक नहीं सकता, और आप जो रोक लें उसको कोई दे नहीं सकता, और मालदार को उसकी मालदारी आपके सामने काम नहीं आ सकती।

हदीस 136. हज़रत समुरा इब्ने जुन्दुब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नमाज़ पढ़ लेते थे (यानी सलाम फेरने के बाद) तो अपना चेहरा मुबारक हमारी तरफ़ करके बैठ जाते थे।

हदीस 137. हज़रत अ़ता इब्ने अबी रबाह रहमतुल्लाहि अ़लैहि से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो कोई लहसुन खाये वह हमारी मस्जिद में न आये। हज़रत अ़ता ने कहा कि मैंने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से पूछा कच्चा लहसुन मुराद है या पका हुआ? उन्होंने कहा मैं समझता हूँ कच्चा लहसुन मुराद है।

वज़ाहतः- लहसुन की बू से नमाज़ियों और फ़रिश्तों को तकलीफ़ होती है इसलिये नमाज़ से पहले कच्ची प्याज़, मूली और कच्चा लहसुन नहीं खाना चाहिये। तम्बाकू का इस्तेमाल हर हाल (नमाज़ से पहले और नमाज़ के बाद भी) में हराम है।

हदीस 138. हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैं नमाज़ पढ़ने खड़ा होता हूँ और मेरी नीयत यह होती है कि लम्बी नमाज़ पढ़ूँगा, फिर मैं बच्चे का रोना सुनता हूँ तो नमाज़ मुख़्तसर (छोटी) कर देता हूँ, मुझे उसकी माँ को तकलीफ़ देना बुरा मालूम होता है।

वज़ाहतः- इस हदीस से मालूम हुआ कि औ़रतें भी मस्जिद जाया करती थीं, औ़रतें पर्दे में रहकर जा सकती हैं शर्त यह है कि ख़ुशबू न लगायें और उनकी ज़ेब व ज़ीनत (बनाव-सिंगार) नामेहरमों को नज़र न आये, और

शौहर मस्जिद में जाने की इजाज़त दे दे।

हदीस 139. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से किसी की बीवी (नमाज़ पढ़ने के लिये मस्जिद में आने की) इजाज़त माँगे तो शौहर को चाहिये कि उसको न रोके।

जुमा का बयान

अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया-

तर्जुमा:- ऐ ईमान वालो! जब जुमे के दिन नमाज़ के लिये अज़ान दी जाये तो अल्लाह तआ़ला की याद (नमाज़) के लिये जल्दी चल पड़ो और ख़रीद व फ़रोख़्त छोड़ दो, तुम्हारे हक़ में यह बहुत ही बेहतर है अगर तुम समझो तो। (सूरत नम्बर 62 आयत 9)

हदीस 140. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हम सब उम्मतों के बाद दुनिया में आये लेकिन क़ियामत के दिन सबसे आगे होंगे। फ़र्क़ सिर्फ़ यह है कि यहूदियों और ईसाईयों को हमसे पहले अल्लाह तआ़ला की किताब मिली फिर यही जुमे का दिन उनके लिये भी (मख़्सूस इबादत के वास्ते) मुक़र्रर हुआ था जो तुम पर फ़र्ज़ हुआ है, लेकिन उन्होंने इसमें इख़्तिलाफ़ (झगड़ा व मतभेद) किया और हमको अल्लाह तआ़ला ने इसकी हिदायत कर दी, सब लोग हमारे पीछे होंगे। यहूदी दूसरे दिन (यानी शनिवार) और ईसाई तीसरे दिन (यानी इतवार) की तरफ़ चल दिये।

हदीस 141. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से जब कोई जुमे की नमाज़ के लिये आये तो उसे ग़ुस्ल कर लेना चाहिये।

हदीस 142. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु जुमे के दिन खड़े होकर ख़ुतबा दे रहे थे कि इतने में एक सहाबी पहले के मुहाजिरीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सहाबा में से आये। हज़रत उमर ने

(ख़ुतबे के दौरान ही) उनको पुकारा "भला यह कौनसा वक़्त है आने का" उन्होंने कहा मुझे काम पड़ गया था, मैं घर में नहीं गया, अज़ान सुनते ही मैंने वुज़ू किया (और चला आया)। हज़रत उमर ने कहा अच्छा यह कहते हो कि तुमने सिर्फ़ वुज़ू ही पर इक्तिफ़ा (बस) किया हालाँकि तुमको मालूम है कि आप (जुमे के दिन) ग़ुस्ल का हुक्म देते थे।

हदीस 143. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जुमे के दिन हर जवान पर ग़ुस्ल और मिस्वाक करना वाजिब (ज़रूरी) है, और अगर ख़ुशबू मयस्सर हो तो उसका भी लगाना ज़रूरी है।

वज़ाहतः- बेहतर यही है कि शादीशुदा मर्द और उसकी बीवी दोनों ही जुमे के दिन पाकी का ग़ुस्ल करें।

हदीस 144. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो कोई जुमे के दिन जनाबत (नापाकी से पाक होने) का ग़ुस्ल करे, फिर (जुमे की) नमाज़ के लिये (जल्दी) चले तो गोया उसने एक ऊँट की क़ुरबानी की, और जो (उसके बाद) दूसरी घड़ी में चले तो गोया उसने एक गाय क़ुरबान की, और जो तीसरी घड़ी में चले गोया उसने एक सींगों वाला मेंढा क़ुरबान किया, और जो कोई चौथी घड़ी में चले तो गोया उसने एक मुर्ग़ी क़ुरबान की, और जो पाँचवीं घड़ी में चले तो गोया उसने एक अण्डा अल्लाह तआ़ला की राह में दिया, फिर जब इमाम ख़ुतबे के लिये खड़ा हो जाये तो ये हाज़िरी लिखने वाले फ़रिश्ते भी मस्जिद में आ जाते हैं और ख़ुतबा सुनते हैं।

वज़ाहतः- जुमे की नमाज़ के लिये मस्जिद जल्दी जाना चाहिये, कोशिश करें कि सूरः कहफ़ मस्जिद में जाकर अज़ान से पहले पढ़ लें, सूरः कहफ़ जुमे के दिन पढ़ना बहुत ज़्यादा सवाब वाला और मस्नून अ़मल है।

हदीस 145. हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी जुमे के दिन ग़ुस्ल करे और जहाँ तक सफ़ाई कर सकता है सफ़ाई करे (ग़ैर-ज़रूरी बाल साफ़ करे, नाख़ुन काटे) और अपने घर में उपलब्ध तेल लगाये, या

अपने घर की ख़ुशबू में से ख़ुशबू लगा ले, फिर (जुमे की नमाज़ के लिये) निकले (मस्जिद में आये), दो आदमियों के दरमियान में न घुसे, फिर जितनी नमाज़ उसके मुक़द्दर में है वह पढ़े, जब इमाम ख़ुतबा देने लगे तो ख़ामोशी के साथ सुनता रहे, तो उसके पिछले जुमे से लेकर उस जुमे तक के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं।

हदीस 146. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जुमे के दिन सुबह की नमाज़ में (ज़्यादातर) सूरः सज्दा (सूरत नम्बर 32) और सूरः दहर (सूरत नम्बर 76) पढ़ते थे।

हदीस 147. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सूरज ढलते ही नमाज़े जुमा अदा कर लेते थे।

वज़ाहतः- ज़ोहर और जुमे की नमाज़ सूरज ढलने के बाद पढ़ी जा सकती है। आज भी बैतुल्लाह और मस्जिदे नबवी में तमाम नमाज़ें अव्वल वक़्त में ही पढ़ी जाती हैं।

हदीस 148. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि कोई शख़्स अपने भाई को उसकी जगह से उठाकर खुद वहाँ न बैठे। मालूम किया गया कि क्या यह हुक्म जुमे के लिये ख़ास है? आपने फ़रमाया कि नहीं, बल्कि जुमा और ग़ैर-जुमा दोनों के लिये यही हुक्म है।

वज़ाहतः- जुमे और मेहफ़िल के आदाब में है कि आदमी बहुत ही मतानत (संजीदगी) के साथ जहाँ जगह मिले बैठ जाये, धकम-पैल करते हुए गर्दनें फलाँग कर आगे बढ़ना शरअ़न् मना (वर्जित) और गुनाह है।

हदीस 149. हज़रत मुआ़विया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि वह जुमे के दिन मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा थे तो मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी। जब मुअज़्ज़िन ने "अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर" कहा तो हज़रत मुआ़विया रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने भी "अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर" कहा, जब मुअज़्ज़िन ने "अश्हदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु" कहा

तो हज़रत मुआ़विया ने कहा कि मैं भी यह गवाही देता हूँ। फिर मुअज़्ज़िन ने "अश्हदु अन्‌-न मुहम्मदर्रसूलुल्लाह" कहा तो हज़रत मुआ़विया ने कहा- मैं भी यही गवाही देता हूँ। फिर जब अज़ान ख़त्म हो गई तो हज़रत मुआ़विया ने कहा- ऐ लोगो! मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से इसी मक़ाम पर सुना था कि जब मुअज़्ज़िन अज़ान देता तो आप भी वही फ़रमाते थे जो तुमने मुझे कहते हुए सुना।

हदीस 150. हज़रत जाबिर इब्ने अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक खजूर का तना था जिस पर टेक लगाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम खड़े होते थे और जब आपके लिये मिम्बर रखा गया तो उस तने से हमने दस महीने की हामिला (गर्भवती) ऊँटनी के रोने जैसी आवाज़ सुनी, आख़िर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मिम्बर से उतरे और उस तने पर अपना हाथ मुबारक रखा।

वज़ाहतः- उस जुदाई की वजह से तने पर लरज़ा (कपकपी) तारी हो गया था और इस तरह रोने लगा जिस तरह दस महीने की हामिला ऊँटनी तकलीफ़ की वजह से रोती है। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का मोजिज़ा था।

हदीस 151. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम खड़े होकर (जुमे का) ख़ुतबा देते थे, फिर (ख़ुतबे के बाद) बैठते फिर खड़े होते जैसे तुम आजकल करते हो।

हदीस 152. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जुमे के दिन एक आदमी उस वक़्त आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ख़ुतबा इरशाद फ़रमा रहे थे। आपने पूछा- ऐ आदमी! क्या तुमने नमाज़ (सुन्नतें) पढ़ ली है? उसने कहा कि "नहीं"। आपने फ़रमाया- अच्छा उठो और दो रक्अ़त नमाज़ पढ़ो।

वज़ाहतः- मस्जिद का हक़ है कि बैठने से पहले दो रक्अ़त नमाज़ पढ़ ले और अगर जमाअ़त खड़ा होने में एक दो मिनट हों तो तरजीह के तौर पर खड़ा रहे।

हदीस 153. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम अपने साथी से जुमे के दिन यूँ कहो "चुप रहो" और इमाम ख़ुतबा दे रहा हो तो तुमने ख़ुद एक बेहूदा और ग़लत हरकत की है।

वज़ाहतः- ख़ुतबे के दौरान किसी से भी बात नहीं करनी चाहिये और न ही इशारे से जवाब देना चाहिये।

हदीस 154. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जुमे के दिन का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया- उस दिन एक ऐसी घड़ी आती है कि अगर कोई मुसलमान बन्दा उस घड़ी में खड़ा होकर नमाज़ पढ़ते हुए अल्लाह तआ़ला से कुछ माँगे तो अल्लाह तआ़ला उसको ज़रूर इनायत फ़रमाते हैं, और हाथ से इशारा करके आपने यह बतलाया कि वह घड़ी थोड़ी-सी है।

वज़ाहतः- जुमे के दिन नवाफ़िल और दुरूद ज़्यादा पढ़ने चाहियें और दुआयें भी ज़्यादा माँगनी चाहियें।

हदीस 155. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ज़ोहर से पहले दो रकअ़त और ज़ोहर के बाद दो रकअ़त और मग़रिब के बाद दो रकअ़त अपने घर में पढ़ते थे, और इशा के बाद भी दो रकअ़त (घर में) पढ़ते थे। और जुमे (की नमाज़) के बाद मस्जिद में कुछ नहीं पढ़ते थे बल्कि जब अपने घर लौटकर आते तो दो रकअ़तें पढ़ते थे।

वज़ाहतः- ज़ोहर की जगह जुमे की नमाज़ है इसलिये जो सुन्नतें ज़ोहर से पहले और बाद में मस्नून हैं वही जुमे की नमाज़ से पहले और बाद में भी पढ़नी मस्नून हैं।

ख़ौफ़ की नमाज़ का बयान

हदीस 156. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ नज्द की तरफ़ जिहाद किया, हम दुश्मनों के मुक़ाबिल (सामने) हुए और सफ़ें बाँधीं,

(उसके बाद) रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हमें नमाज़ पढ़ाने के लिये खड़े हुए तो (हम में से) एक गिरोह तो आपके साथ (फ़र्ज़) नमाज़ में खड़ा हुआ और दूसरा गिरोह दुश्मन के मुक़ाबले में खड़ा रहा, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने रुकूअ़ किया और उन लोगों ने भी जो नमाज़ में आपके साथ थे, और दो सज्दे किये (उस वक़्त आप क़अ़दे में बैठे रहे, पहले पहले गिरोह ने दुआयें पढ़कर सलाम फेर लिया और आप क़अ़दे में ही बैठे रहे और यह गिरोह चला गया) फिर यह (नमाज़ पढ़ने वाला) गिरोह लौटकर उस गिरोह की जगह पर आ गया जो नमाज़ में शरीक नहीं हुआ था, वह गिरोह आया तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनके साथ भी एक रुकूअ़ और दो सज्दे किये (यानी पूरी एक रकअ़त पढ़ी), फिर आपने सलाम फेर दिया, उसके बाद दोनों जमाअ़तों ने (बारी-बारी) एक-एक रुकूअ़ और दो-दो सज्दे किये (यानी दूसरी रकअ़त पूरी पढ़ी)। .

वज़ाहतः- फ़र्ज़ नमाज़ की इतनी अहमियत है कि जिहाद और ख़ौफ़ की हालत में भी वक़्त पर पढ़नी है। जिहाद जैसे ख़तरनाक हालात में भी जिहाद (जंग व क़िताल) के वक़्त या कोई और सख़्त ख़ौफ़ हो तो पैदल चलने वाला या सवार एक रकअ़त भी जिस तरह मुम्किन हो पढ़ सकता है। इशारों से भी अदा करना जायज़ है। मालूम हुआ कि फ़र्ज़ नमाज़ किसी भी हालत में माफ़ नहीं है, इसी तरह सख़्त बीमारी में भी फ़र्ज़ नमाज़ उस वक़्त तक अदा करना ज़रूरी है जब तक मरीज़ होश व हवास में रहे।

हदीस 157. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सुबह की नमाज़ अंधेरे में पढ़ी, फिर सवार हुए और फ़रमाया- अल्लाहु अकबर! ख़ैबर पर बरबादी आ गई, हम तो जब किसी क़ौम के मैदानों में उतरते हैं तो जो लोग डराये गये हैं उनकी सुबह ख़ौफ़नाक हो जाती है। यहूदी गली-कूचों में यह कहते हुए भाग रहे थे कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) पाँच हिस्सों पर आधारित (मुक़द्दिमा, साक़ा, मैमना, मैसरा, क़ल्ब) लश्कर लेकर आ गये, आख़िर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उन पर ग़ालिब आये और

लड़ने वाले (जवानों) को क़त्ल कर दिया। आपने औ़रतों और बच्चों को क़ैद कर लिया। इत्तिफ़ाक़ से हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अ़न्हा, हज़रत दिहया कल्बी रज़ियल्लाहु अ़न्हु के हिस्से में आयीं, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को मिलीं।

वज़ाहतः- आपने हज़रत दिहया कल्बी रज़ियल्लाहु अ़न्हु को सात ग़ुलाम देकर हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अ़न्हा को हासिल किया था, आपने उनसे निकाह कर लिया। फिर आपने उनको आज़ाद कर दिया, यही उनका मेहर ठहरा। हज़रत साबित ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से पूछा कि आपने उनका मेहर क्या मुक़र्रर किया था? तो हज़रत अनस ने कहा "ख़ुद उन्हीं को उनके मेहर में दे दिया था" (यानी आज़ाद कर दिया) फिर मुस्कुराये। आपने हज़रत सफ़िया के आ़ला नसब (ऊँचे ख़ानदान) और उनकी दिलजोई की ग़र्ज़ से उन्हें अपने निकाह में लिया था, क्योंकि वह बनू क़ुरैज़ा के सरदार की बेटी थीं।

दोनों ईदों का बयान

हदीस 158. हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को (ईद के दिन) ख़ुतबा देते हुये सुना, आपने फ़रमाया- पहला काम जो हम सब इस दिन करते हैं वह नमाज़ है, फिर लौटकर (बक़र-ईद वाले दिन) क़ुरबानी करते हैं, जिसने इस तरह किया उसने हमारी सुन्नत पर अ़मल किया।

हदीस 159. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ईदुल-फ़ितर के दिन जब तक चन्द (ताक़) खजूरें न खा लेते नमाज़ को न जाते।

हदीस 160. हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमें बक़र-ईद के दिन नमाज़ के बाद ख़ुतबा सुनाया, फिर फ़रमाया- जो शख़्स हमारी नमाज़ की तरह नमाज़ पढ़े और हमारी क़ुरबानी की तरह क़ुरबानी करे उसकी क़ुरबानी सही हुई, और जो शख़्स नमाज़ से पहले क़ुरबानी करे वह (गोश्त है) क़ुरबानी

नहीं। हज़रत अबू बुरदा बिन दीनार रज़ियल्लाहु अन्हु (बरा बिन आज़िब के मामूँ) ने अर्ज़ किया- या रसूलल्लाह! मैंने तो अपनी बकरी नमाज़ से पहले ही काट डाली और मुझे यह ख़्याल रहा कि यह दिन खाने पीने का है तो मैंने यह चाहा कि सबसे पहले मेरे ही घर में बकरी कटे, इसलिये मैंने अपनी बकरी काट डाली और नमाज़ की तरफ़ आने से पहले खा भी ली। आपने फ़रमाया कि तुम्हारी बकरी तो गोश्त की बकरी ठहरी (क़ुरबानी न हुई)। उसने अर्ज़ किया- या रसूलल्लाह! मेरे पास एक साल की पठिया (बकरी) है जो दो बकरियों से भी ज़्यादा मुझको अच्छी लगती है, क्या वह मेरी तरफ़ से क़ुरबानी में काफ़ी हो जायेगी? आपने फ़रमाया- "हाँ लेकिन तुम्हारे बाद किसी और की तरफ़ से इस उम्र की पठिया काफ़ी न होगी।"

वज़ाहतः- क़ुरबानी के जानवर का कम से कम दो दाँत वाला होना ज़रूरी है इसके बग़ैर क़ुरबानी नहीं होती। हदीस में ज़िक्र हुई इजाज़त सिर्फ़ हज़रत अबू बुरदा रज़ियल्लाहु अन्हु के लिये ख़ास थी।

हदीस 161. हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ईदैन की नमाज़ें ख़ुतबे से पहले पढ़ते थे।

हदीस 162. हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ईदुल-फ़ितर के दिन दो रक्अतें पढ़ीं उससे पहले कोई नमाज़ न पढ़ी और न ही उसके बाद, फिर (ख़ुतबे के बाद) आप औरतों के पास आये, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आपके साथ थे, आपने औरतों से फ़रमाया- "ख़ैरात करो"। वे ख़ैरात देने लगीं, कोई अपनी बाली देती कोई हार।

हदीस 163. हज़रत उम्मे अतीया रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमको हुक्म दिया था कि हम जवान पर्दे वालियों को भी (ईद के दिन) निकालें।

वज़ाहतः- मर्दों को चाहिये कि औरतों को भी ईदगाह लायें। माहवारी वाली औरतें नमाज़ न पढ़ें, सिर्फ़ दुआ में शरीक हों।

हदीस 164. हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि

आपने फ़रमाया- किसी और दिन की इबादत इन (ईदुल-अज़्हा के) दस दिनों में इबादत करने से अफ़ज़ल नहीं है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया- जिहाद भी नहीं? आपने फ़रमाया कि जिहाद भी नहीं, हाँ वह शख़्स जो (जिहाद में) अपनी जान और माल को ख़तरे में डालते हुए निकले और फिर कोई चीज़ लेकर वापस न लौटे (यानी अपनी जान व माल क़ुरबान कर दे)।

वज़ाहत:- चूँकि ये दिन अक्सर लोग ग़फ़लत के साथ गुज़ारते हैं लिहाज़ा इन दस दिनों के इबादत को बड़ी फ़ज़ीलत वाली क़रार दिया गया है।

हदीस 165. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ईदगाह ही में नहर (ऊँट की क़ुरबानी) और ज़िबह (दूसरे जानवरों की क़ुरबानी) किया करते थे।

हदीस 166. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ईद के दिन एक रास्ते से ईदगाह जाते और दूसरे रास्ते से वापस आते थे।

वज़ाहत:- किसी मजबूरी की वजह से ईद की नमाज़ या जमाअत न मिले तो घर में दो रकअतें पढ़ लें।

वित्र की नमाज़ का बयान

हदीस 167. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- रात की नमाज़ (यानी तहज्जुद) दो-दो रकअतें हैं, फिर जब तुम नमाज़ से फ़ारिग़ होना चाहो तो एक रकअत वित्र पढ़ लो, वह तुम्हारी सारी नमाज़ को ताक़ (बराबर रकअतों में न बंटने वाली) कर देगी।

वज़ाहत:- हज़रत क़ासिम बिन मुहम्मद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा- हमें तो जब से होश आया हमने लोगों को तीन रकअत वित्र पढ़ते भी देखा है और तीन या एक सब जायज़ है, और मुझको उम्मीद है कि किसी में क़बाहत (बुराई) न होगी।

हदीस 168. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम (रात को) ग्यारह रकअतें (तहज्जुद और वित्र की) मिलाकर पढ़ा करते थे, रात की नमाज़ आपकी यही थी, उनमें सज्दे इतनी देर तक करते कि आपके सर उठाने से पहले तुम में कोई पचास आयतें पढ़ ले, और फ़जर की नमाज़ से पहले दो रकअतें (सुन्नत) पढ़ा करते थे, फिर दाहिनी करवट पर (ज़रा सी देर) लेट जाते यहाँ तक कि मुअज़्ज़िन नमाज़ के लिये बुलाने को आपके पास आता।

वज़ाहतः- आप सज्दे में बार-बार यह कहा करते-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ

सुब्हानकल्लाहुम्-म व बि-हम्दि-क अल्लाहुम्मग़्फ़िर् ली।

हदीस 169. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रात के सब हिस्सों में वित्र पढ़ा है। आपके वित्र का आख़िरी वक़्त 'सुबह सादिक़' (जब सहरी का वक़्त ख़त्म होता है) से पहले तक होता था।

हदीस 170. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- वित्र रात की तमाम नमाज़ों (फ़र्ज़, सुन्नत, नफ़िल, तहज्जुद वग़ैरह) के बाद पढ़ा करो।

हदीस 171. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सफ़र में (तहज्जुद और वित्र की) नमाज़ अपनी ऊँटनी पर इशारे से पढ़ लिया करते थे। वह जिधर चाहती आपको लेजाती, सिवाय फ़र्ज़ नमाज़ों के।

वज़ाहतः- फ़र्ज़ नमाज़ ज़मीन पर ही पढ़ते थे। सफ़र में भी वित्र पढ़ना आपकी सुन्नते मुअक्कदा है।

बारिश तलब करने का बयान

हदीस 172. हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम (नमाज़े इस्तिस्क़ा के लिये) बाहर (मैदान में) तशरीफ़ ले गये और वहाँ जाकर क़िब्ला-रुख़ होकर दुआ माँगी

और अपनी चादर लपेटी, फिर दो रक्अ़त "नमाज़े इस्तिस्क़ा" (बारिश तलब करने की नमाज़) पढ़ी। इस्तिस्क़ा (बारिश तलब करने) की दुआ़ यह है-

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ.

अल्लाहुम्मस्क़ि अ़िबाद-क व बहाइ-म-क वन्शुर् रह्म-त-क व अह्यि ब-ल-दकल्-मय्यि-त।

तर्जुमाः- इलाही! अपने बन्दों और चौपायों (जानवरों) को पानी पिला, अपनी रहमत आ़म फ़रमा दे और मुर्दा ज़मीन को हरा-भरा कर दे।

वज़ाहतः- इस्तिस्क़ा की दुआ़ में आपने चादर का नीचे का कोना पकड़कर उसको उल्टा किया और चादर को दाईं जानिब से बाईं तरफ़ डाल लिया। इसमें इशारा था कि अल्लाह तआ़ला अपने फ़ज़्ल से ऐसे ही क़हत (सूखे) की हालत को बदल देगा, और दुआ़ सलाम फेरने के बाद माँगी।

हदीस 173. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जुमे के दिन ख़ुतबा दे रहे थे कि एक शख़्स आया और अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! पानी का क़हत पढ़ गया है, अल्लाह तआ़ला से दुआ़ कीजिये कि हमें सैराब कर दे। आपने दुआ़ की और बारिश इस तरह शुरू हुई कि घरों तक पहुँचना मुश्किल हो गया। दूसरे जुमे तक बराबर बारिश होती रही। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि फिर (दूसरे जुमे में) वही शख़्स खड़ा हुआ और अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! दुआ़ कीजिये कि अल्लाह तआ़ला बारिश का रुख़ किसी और तरफ़ मोड़ दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह दुआ़ फ़रमाई- "अल्लाहुम्-म हवालैना व ला अ़लैना" (ऐ अल्लाह! हमारे इर्द-गिर्द बारिश बरसा अब हम पर न बरसा)। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैंने देखा कि बादल टुकड़े-टुकड़े होकर दाईं-बाईं तरफ़ चले गये, फिर वहाँ बारिश शुरू हो गई और मदीना में उसका सिलसिला बन्द हो गया।

हदीस 174. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम (ने सूखे के वक़्त बारिश की नमाज़ में दुआ़ करने के लिये) उस तरह हाथ उठाये कि मैंने आपकी बग़लों की सफ़ेदी

देख ली।

वज़ाहतः- इस दुआ में हाथों को बहुत ज़्यादा बुलन्द करें इतना कि दोनों हाथों की पुश्त आपकी आँखों के सामने आ जायें और हथेलियाँ ज़मीन की तरफ़ और पुश्त आसमान की तरफ़ रहे, यानी जिस तरह दुआ माँगते हैं उसका उलट करें।

हदीस 175. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब बारिश होती देखते तो यह दुआ करते थे- "अल्लाहुम्-म सय्यिबन्-नाफ़िअन्" (ऐ अल्लाह! नफ़े वाली बारिश बरसा)।

सूरज ग्रहण का बयान

हदीस 176. हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण उस दिन लगा जिस दिन (आपके बेटे) हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु का इन्तिकाल हुआ। कुछ लोग कहने लगे कि यह ग्रहण हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात की वजह से लगा है। इस बात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि ग्रहण किसी की मौत व ज़िन्दगी से नहीं लगता, अलबत्ता तुम जब उसे देखो तो नमाज़ पढ़ा करो और दुआ किया करो।

वज़ाहतः- सूरज या चाँद ग्रहण की नमाज़ का वक़्त वही है जब चाँद या सूरज को ग्रहण लगे, चाहे कोई भी वक़्त हो।

हदीस 177. उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ तो आपने लोगों को नमाज़ पढ़ाई। पहले आप (क़ियाम में) खड़े हुए तो बड़ी देर तक खड़े रहे, क़ियाम के बाद रुकूअ़ किया और रुकूअ़ में बहुत देर तक रहे। फिर रुकूअ़ से उठने के बाद देर तक दोबारा खड़े रहे लेकिन पहले से कम, फिर सज्दे में गये और देर तक सज्दे की हालत में रहे। दूसरी रकअ़त में भी आपने इसी तरह किया। जब

आप फ़ारिग़ हुए तो सूरज ग्रहण ख़त्म हो चुका था। उसके बाद आपने खुतबा दिया। अल्लाह तआ़ला की तारीफ़ व सना के बाद फ़रमाया कि सूरज और चाँद दोनों अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त की निशानियाँ हैं और किसी की मौत व ज़िन्दगी से उनमें ग्रहण नहीं लगता। जब तुम ग्रहण लगा हुआ देखो तो (उस वक़्त) अल्लाह करीम से दुआ़ करो, तकबीर कहो, नमाज़ पढ़ो और सदक़ा करो। फिर आपने फ़रमाया- "ऐ मुहम्मद! की उम्मत के लोगो! देखो इस बात पर अल्लाह तआ़ला से ज़्यादा ग़ैरत और किसी को नहीं आती कि उसका कोई बन्दा या बन्दी ज़िना करे। ऐ उम्मते मुहम्मद! अल्लाह की क़सम! जो कुछ मैं जानता हूँ अगर तुम्हें भी मालूम हो जाये तो तुम हंसते कम और रोते ज़्यादा।"

वज़ाहतः- कुसूफ़ (सूरज ग्रहण) की नमाज़ दो रकअ़त पढ़ी जाती हैं, हर रकअ़त में दो या इससे ज़ायद रुकूअ़ और क़ियाम होते हैं।

हदीस 178. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ तो यह ऐलान किया गया कि नमाज़ होने वाली है।

वज़ाहतः- चाँद या सूरज ग्रहण की नमाज़ में अज़ान और तकबीर नहीं कही जाती है बल्कि उस नमाज़ में क़िराअत लम्बी की जाती है, लेकिन वक़्त और जगह का ऐलान किया जा सकता है।

सज्दा-ए-तिलावत का बयान

हदीस 179. हज़रत अबू राफ़ेअ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु के साथ इशा की नमाज़ पढ़ी तो उन्होंने सूरः "इज़स्समाउन्शक़्क़त" पढ़ी और (इस सूरत में एक सज्दा है) सज्दा किया, मैंने कहा यह सज्दा कैसा? उन्होंने कहा कि मैंने इस सूरत में अबुल-क़ासिम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पीछे सज्दा किया था तो मैं हमेशा इसमें सज्दा करता रहूँगा यहाँ तक आप से मिल जाऊँ।

वज़ाहतः- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सज्दा-ए-तिलावत में इस दुआ़ को पढ़ा करते थे-

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ○

स-ज-द वजुहि-य लिल्लज़ी ख़-ल-क़हू व सव्व-रहू व शक़्-क़ समअहू व ब-स-रहू बिहौलिही व क़ुव्वतिही फ़-तबारकल्लाहु अहसनुल-ख़ालिक़ीन।

तर्जुमाः- मेरे चेहरे ने सज्दा किया उस ज़ात के लिये जिसने इसको पैदा किया, और इसकी सूरत बनाई, कान और आँख अपनी क़ुदरत व क़ुव्वत से बनाई। बरकत वाला है अल्लाह तआला बहुत ही अच्छा पैदा करने वाला है।

और आपने सूरः नज्म और सूरः सॉद में और दूसरे मक़ामात पर भी जहाँ-जहाँ सज्दा है सज्दा-ए-तिलावत किया।

हदीस 180. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमारे सामने सज्दे वाली सूरत तिलावत फ़रमाते तो आप सज्दा करते और हम भी सज्दा करते, यहाँ तक कि हम में से किसी को अपनी पेशानी (माथा) रखने के लिये जगह न मिलती थी।

वज़ाहतः- मस्जिद छोटी थी इसलिये सज्दा करने की जगह कम पड़ती थी।

क़सर नमाज़ का बयान

हदीस 181. हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने (मक्का फ़तह होने के मौक़े पर) उन्नीस दिन क़ियाम फ़रमाया और बराबर क़सर करते रहे, इस लिये उन्नीस दिन सफ़र में हम भी क़सर करते हैं, और अगर इससे ज़्यादा (क़ियाम यानी ठहरने का इरादा) हो तो पूरी नमाज़ पढ़ते हैं।

वज़ाहतः- 'क़सर' के मायने हैं "कम करना"। फ़जर और मग़रिब की नमाज़ों में क़सर नहीं है। सफ़र के दौरान क़सर करना अफ़ज़ल है, अगर मुसाफ़िर क़ियाम (ठहरने) की मुद्दत का फ़ैसला न कर पाये तो वापसी तक क़सर कर सकता है चाहे महीनों यह हालत रहे।

हदीस 182. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ (हज्जतुल-विदा में) मदीना से मक्का की तरफ़ रवाना हुए, आप दो-दो रक्अ़तें पढ़ते रहे (यानी दस दिन क़सर करते रहे) यहाँ तक कि हम मदीना वापस लौट आये।

हदीस 183. हज़रत हारिसा बिन वहब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने (हज के मौक़े पर) मिना में अमन की हालत में जब बिल्कुल ख़ौफ़ न था दो रक्अ़त नमाज़ (क़सर) पढ़ाई थी।

हदीस 184. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो औ़रत अल्लाह और आख़िरत के दिन (क़ियामत) पर यक़ीन रखती हो उसको बग़ैर मेहरम के एक दिन रात का सफ़र करना भी दुरुस्त नहीं है।

वज़ाहतः- एक दूसरी हदीस में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कोई औ़रत मेहरम के बग़ैर सफ़र न करे।

हदीस 185. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ मदीना में ज़ोहर की चार रक्अ़तें पढ़ीं और ज़ुलहुलैफ़ा में जाकर अ़सर की दो रक्अ़तें पढ़ीं। आप मक्का तशरीफ़ ले जा रहे थे। मदीना में ज़ोहर पढ़कर रवाना हुए और "ज़ुलहुलैफ़ा" में अ़सर के वक़्त पहुँचे तो वहाँ क़सर नमाज़ पढ़ी।

हदीस 186. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को देखा कि जब आपको सफ़र में जल्दी होती तो मग़रिब की तकबीर (इक़ामत) कहलवाते और तीन रक्अ़तें पढ़कर सलाम फेर देते, फिर थोड़ी देर ठहरकर इशा की तकबीर कहलवाते, उसकी दो रक्अ़तें पढ़कर सलाम फेर देते और इशा के बाद सुन्नत वग़ैरह कुछ न पढ़ते, फिर आधी रात के बाद खड़े होकर (तहज्जुद और वित्र की) नमाज़ पढ़ते थे।

हदीस 187. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि

रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सफ़र के दौरान, ज़ोहर और अ़सर की नमाज़ें जमा कर लेते थे और मग़रिब और इशा की नमाज़ें भी जमा फ़रमा लेते।

वज़ाहतः- ज़ोहर के वक़्त अ़सर, और मग़रिब के वक़्त इशा पढ़ने को 'जमा तक़दीम' और अ़सर के वक़्त (शुरू होने से थोड़ा पहले) ज़ोहर, और इशा के वक़्त (शुरू होने से थोड़ा पहले) मग़रिब पढ़ने को 'जमा ताख़ीर' कहते हैं।

हदीस 188. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम (सफ़र में) जब सूरज ढलने (यानी ज़वाल) से पहले कूच करते तो ज़ोहर की नमाज़ अ़सर के वक़्त तक लेट कर देते, फिर अ़सर के वक़्त दोनों को मिलाकर पढ़ लेते, अगर कूच से पहले सूरज ढल जाता तो ज़ोहर पढ़कर सवार होते।

वज़ाहतः- अगर मुसाफ़िर को आसानी हो तो हर नमाज़ वक़्त पर जमाअ़त के साथ पढ़नी अफ़ज़ल है।

हदीस 189. हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से बैठकर नमाज़ पढ़ने के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया- "खड़े होकर नमाज़ पढ़ना अफ़ज़ल है, लेकिन अगर कोई बैठकर नमाज़ पढ़े तो खड़े होकर पढ़ने वाले से उसे आधा सवाब मिलेगा, और लेटकर पढ़ने वाले को बैठकर पढ़ने वाले से आधा सवाब मिलेगा।"

हदीस 190. हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मुझे बवासीर का रोग था, मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा- नमाज़ कैसे पढ़ूँ? आपने फ़रमाया- "खड़े होकर पढ़ा करो, यह न हो सके तो बैठकर, अगर यह भी न हो सके तो करवट से (लेटकर) पढ़ लिया करो।"

वज़ाहतः- तन्दुरुस्त इनसान को फ़र्ज़ नमाज़ बैठकर पढ़ना जायज़ नहीं है, लेकिन शरई उज़्र हो तो बैठकर नमाज़ पढ़ने से भी पूरा सवाब मिलता है।

तहज्जुद (की नमाज़) का बयान

तहज्जुद को 'कियामुल्लैल' और 'तरावीह' भी कहते हैं। रमज़ान में यह इशा की नमाज़ के बाद और ग़ैर-रमज़ान में रात के आख़िरी हिस्से में पढ़ी जाती है।

हदीस 191. हज़रत जुन्दुब बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बीमार हो गये तो एक या दो रात आप तहज्जुद के लिये (बीमारी की वजह से) न उठ सके।

हदीस 192. उम्मुल्-मोमिनीन हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बाज़े आमाल को छोड़ देते अगरचे आपको उसका करना पसन्द होता, क्योंकि आपको यह डर रहता कि ऐसा न हो कि लोग उसको करने लगें फिर वह उन पर फ़र्ज़ हो जाये। चुनाँचे रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने चाश्त की नफ़िल नमाज़ (हमेशा) नहीं पढ़ी और मैं उसको पढ़ा करती हूँ।

वज़ाहतः- इसी डर की वजह से आपने रमज़ान में तरावीह की नमाज़ जमाअ़त के साथ हमेशा पूरे महीने नहीं पढ़ाई।

हदीस 193. उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक रात मस्जिद में (तरावीह और तहज्जुद की) नमाज़ (जमाअ़त के साथ) पढ़ी, लोगों ने भी आपके साथ पढ़ी फिर दूसरी रात भी आपने पढ़ी और मुक़्तदी बहुत हो गये, फिर तीसरी रात को भी वे जमा हुए मगर आप नहीं आये। जब सुबह हुई तो आपने फ़रमाया- मैंने तुम्हारा अ़मल देखा और मुझे तुम्हारे पास आने से किसी चीज़ ने नहीं रोका मगर इस बात ने कि कहीं तुम पर यह नमाज़ फ़र्ज़ न हो जाये। यह वाक़िया रमज़ान में पेश आया था।

हदीस 194. हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इतनी लम्बी नमाज़ पढ़ते कि आपके पाँव पर वरम आ जाता था। जब आप से इस बारे में कहा जाता तो आप फ़रमाते- "क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बन्दा न बनूँ।"

हदीस 195. हज़रत मसरूक़ ने कहा कि मैंने हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को कौनसा अ़मल ज़्यादा पसन्द था। आपने जवाब दिया "जिस पर हमेशगी की जाये" (चाहे वह कोई भी नेक काम हो, और छोटा ही क्यों न हो)। मैंने मालूम किया कि आप (रात में तहज्जुद के लिये) कब खड़े होते थे। आपने फ़रमाया कि जब मुर्ग़ की आवाज़ सुनते।

वज़ाहतः- मुर्ग़ रात के आख़िरी हिस्से में बाँग देता है, नमाज़ के लिये जगाता है, आपके यहाँ एक मुर्ग़ था, मुर्ग़ की आवाज़ सुनकर यह दुआ़ पढ़नी मस्नून है-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अस्अलु-क मिन् फ़ज़्लि-क।

तर्जुमाः- इलाही! मैं आप से आपके फ़ज़्ल का सवाल करता हूँ।

(फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 196. हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! रात की नमाज़ किस तरह पढ़ी जाये? आपने फ़रमाया- "दो-दो रक्अ़त करके और जब सुबह होने का अन्देशा हो तो एक रक्अ़त पढ़कर सब को ताक़ (दो-दो में न बंटने वाली) कर लो।"

वज़ाहतः- वित्र पढ़ना ज़रूरी है इसलिये कि यह सुन्नते मुअक्कदा है यहाँ तक कि आप सफ़र में भी वित्र पढ़ा करते थे।

हदीस 197. हज़रत मसरूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की रात की नमाज़ के मुताल्लिक़ सवाल किया तो उन्होंने बताया कि आप कभी सात कभी नौ कभी ग्यारह रक्अ़तें पढ़ते, फ़जर की सुन्नतों के अ़लावा।

हदीस 198. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हमारा परवर्दिगार बुलन्द और बरकत वाला हर रात उस वक़्त दुनिया वाले आसमान पर तशरीफ़ लाता है जब रात का आख़िरी तिहाई हिस्सा बाक़ी रह जाता है (और)

फ़रमाता है- कौन है जो मुझसे दुआ करे मैं क़ुबूल करूँ। कौन है जो मुझसे माँगे मैं दूँ। कौन है जो मुझसे बख़्शिश चाहे मैं उसको बख़्श दूँ।

वज़ाहतः- आप भी उस वक़्त दुआएँ करें।

हदीस 199. हज़रत अस्वद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सवाल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रात को कैसे नमाज़ पढ़ते थे? उन्होंने बताया कि आप शुरू रात में सोते थे और आख़िर रात में जगा कर (तहज्जुद की) नमाज़ पढ़ते थे, फिर अपने बिस्तर पर आ जाते और जब मुअज़्ज़िन अज़ान देता तो जल्दी से उठ खड़े होते, अगर आपको नहाने की ज़रूरत होती तो ग़ुस्ल करते वरना वुज़ू करके बाहर तशरीफ़ ले जाते।

वज़ाहतः- आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद अगर तलब व रुचि होती तो अपनी किसी बीवी मोहतरमा के पास तशरीफ़ ले जाते। हकीमों के नज़दीक भी सोहबत के लिये बेहतरीन वक़्त रात का आख़िरी हिस्सा है और सुन्नत भी है।

हदीस 200. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सुबह की नमाज़ के वक़्त हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा- बिलाल! मुझे बताओ कि तुमने इस्लाम लाने के बाद सबसे ज़्यादा उम्मीद का कौनसा नेक काम किया है? क्योंकि मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे जूतों की आहट सुनी है। हज़रत बिलाल ने अर्ज़ किया- मैंने तो अपने ख़्याल में इससे ज़्यादा उम्मीद का कोई काम नहीं किया कि रात हो या दिन मैंने जब भी वुज़ू किया तो मैं उस वुज़ू से (नफ़िल) नमाज़ पढ़ता रहा, जितनी मेरे मुक़द्दर में लिखी थी।

वज़ाहतः- हज़रत बिलाल ज़्यादातर वुज़ू के साथ रहते थे और जब भी नया वुज़ू करते तो दो या दो से ज़्यादा नवाफ़िल पढ़ते थे।

हदीस 201. हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स रात को बेदार होकर (जागकर) यह दुआ पढ़े-

لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ

شَیْءٍ قَدِیْرٌ وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَکْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ.

ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरी-क लहू लहुल्-मुल्कु व लहुल्-हम्दु व हु-व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर। अल्हम्दु लिल्लाहि व सुब्हानल्लाहि व ला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बरु व ला हौ-ल व ला क़ुव्व-त इल्ला बिल्लाहि, अल्लाहुम्मग़्फ़िर् ली।

तर्जुमाः- अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई माबूद नहीं। वह अकेला है उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाहत है वही तारीफ़ के लायक़ है और वह हर चीज़ पर क़ादिर है। सारी की सारी तारीफ़ें अल्लाह तआ़ला के लिये ही हैं, अल्लाह तआ़ला की ज़ात पाक है और अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह तआ़ला सबसे बड़ा है। गुनाह से बचने की ताक़त और नेकी करने की क़ुव्वत अल्लाह तआ़ला की मदद के बग़ैर किसी को हासिल नहीं हो सकती। ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ फ़रमा दीजिये।

(यह पढ़ने के बाद पढ़ने वाला अगर दुआ़ करे) तो उसकी दुआ़ क़ुबूल होती है, अगर वुज़ू करे और नमाज़ पढ़े तो उसकी नमाज़ भी क़ुबूल होती है।

हदीस 202. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़जर की सुन्नतें पढ़कर (थोड़ी देर) दाईं करवट पर लेट जाते थे।

हदीस 203. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम किसी नफ़िल की इतनी पाबन्दी नहीं करते थे जितनी पाबन्दी फ़जर की दो रकअ़तों (सुन्नत) की फ़रमाते थे।

वज़ाहतः- इस हदीस में हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़जर की सुन्नतों को भी नफ़िल लफ़्ज़ के साथ ही ज़िक्र फ़रमाया है, यानी आप सफ़र में भी फ़जर की सुन्नतें अदा फ़रमाते थे, यानी नफ़िल भी सुन्नत ही है, क्योंकि सुन्नत के मायने वह अ़मल है जो आप किया करते थे मगर फ़र्ज़ न था।

हदीस 204. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि

आपने मुझे तीन बातों की वसीयत फ़रमाई, मैं मरते वक़्त तक उनको नहीं छोडूँगा- पहली बात हर महीने में तीन रोज़े रखना, दूसरी चाश्त की नमाज़ पढ़ना, तीसरी वित्र पढ़कर सोना।

वज़ाहतः- जो यह समझता हो कि वह तहज्जुद में नहीं उठ सकेगा उसको चाहिये कि सोने से पहले वित्र पढ़ ले।

हदीस 205. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अपने घरों में भी कुछ नमाज़ें पढ़ा करो और उन्हें क़ब्रें न बनाओ।

वज़ाहतः- घर में नमाज़ से मुराद सुन्नत और नफ़िल नमाज़ है। मर्द को फ़र्ज़ नमाज़ मस्जिद में अदा करना ज़रूरी है जब तक कि कोई शरई उज़्र न हो।

बैतुल्लाह, मस्जिदे नबवी, मस्जिदे अक़्सा और मस्जिदे क़ुबा में नमाज़ की फ़ज़ीलत

हदीस 206. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तीन मस्जिदों के अलावा किसी और मस्जिद की तरफ़ सफ़र न किया जाये- 'मस्जिदे हराम', 'मस्जिदे नबवी' और 'मस्जिदे अक़्सा' (बैतुल्-मुक़द्दस)।

वज़ाहतः- अल्लाह की निकटता और सवाब हासिल करने के लिये घर से निकलना सिर्फ़ इन्हीं तीन मक़ामात के साथ मख़्सूस है, दूसरे सफ़र करने पर सवाब नहीं, सिर्फ़ ज़रूरत पूरी हाती है। नौकरी, तिजारत, इल्म हासिल करने के लिये जाना जायज़ है वह भी किसी इस्लामी मुल्क में। अस्थायी तौर पर किसी ग़ैर-इस्लामी मुल्क में जा सकता है बशर्ते कि वह वहाँ के इस्लामिक सैन्टर या मस्जिद से जुड़ा रहे और कुछ न कुछ वक़्त ग़ैर-मुस्लिम को इस्लाम की दावत देने पर ख़र्च करता रहे। (तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर सूरः निसा 4, आयत 97-100)

हदीस 207. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरी मस्जिद में एक नमाज़ मस्जिदे हराम (बैतुल्लाह) के सिवा दूसरी तमाम मस्जिदों की हज़ार नमाज़ों से बेहतर है।

वज़ाहतः- मेरी मस्जिद से मुराद मस्जिदे नबवी है।

हदीस 208. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि वह चाश्त की नमाज़ दो दिनों के अ़लावा किसी और दिन में न पढ़ते- एक जब मक्का मुकर्रमा आते तो ज़रूर पढ़ते, क्योंकि वह मक्का में चाश्त ही के वक़्त आते थे। तवाफ़ करते, फिर मक़ामे इब्राहीम के पीछे दो रकअ़त नमाज़ पढ़ते, और दूसरे जिस दिन क़ुबा जाते तो उस दिन भी नमाज़े चाश्त पढ़ते थे। वह हर हफ़्ते मस्जिदे क़ुबा में भी जाते, जब मस्जिदे क़ुबा में दाख़िल होते तो नमाज़ पढ़े बग़ैर वहाँ से निकलने को बुरा ख़्याल करते। उनका बयान है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मस्जिदे क़ुबा की ज़ियारत के लिये कभी सवार और कभी पैदल जाया करते थे, और यह भी कहा करते थे कि मैं उस तरह करता हूँ जैसा कि मैंने अपने दोस्तों को करते देखा है, और मैं किसी को मना नहीं करता कि रात या दिन में जब चाहे नमाज़ पढ़े, हाँ जान-बूझकर सूरज निकलते या ग़ुरूब होते वक़्त नमाज़ न पढ़े।

वज़ाहतः- बाज़े नेक आमाल की अदायगी के लिये किसी दिन को मुतैयन करना और फिर उस पर हमेशगी (पाबन्दी) करना जायज़ है।

हदीस 209. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरे घर और मिम्बर के बीच की जगह जन्नत के बाग़ों में से एक बाग़ है, और मेरा मिम्बर (क़ियामत के दिन) मेरे हौज़ पर होगा।

वज़ाहतः- बिला-शुब्हा यह फ़ज़ीलत ज़मीन के किसी और टुकड़े को हासिल नहीं, हक़ीक़त में यह हिस्सा (टुकड़ा) जन्नत ही का है और आख़िरत के जहान में इसे जन्नत ही का हिस्सा बना दिया जायेगा।

नमाज़ में कोई काम करने का बयान

हदीस 210. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को (शुरू इस्लाम में) सलाम किया करते थे हालाँकि आप नमाज़ में होते और आप हमें जवाब भी दिया करते थे लेकिन नजाशी (हब्शा का बादशाह) के पास से लौटकर आने के बाद हमने आपको नमाज़ में सलाम किया तो आपने जवाब न दिया और फ़ारिग़ होने के बाद फ़रमाया कि नमाज़ में मसरूफ़ियत हुआ करती है।

वज़ाहतः- यानी उसके बाद नमाज़ में बातें करने की मनाही नाज़िल हुई।

हदीस 211. हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम नमाज़ में एक दूसरे से गुफ़्तगू किया करते थे यहाँ तक कि यह आयत नाज़िल हुई-

तर्जुमाः- नमाज़ों की हिफ़ाज़त करो और (ख़ासकर) दरमियानी नमाज़ की, और अल्लाह तआ़ला के सामने अदब से खड़े रहो। (सूरः ब-क़रह 2, आयत 238) फिर हमें नमाज़ में ख़ामोश रहने का हुक्म दिया गया।

वज़ाहतः- नमाज़ के दौरान हर क़िस्म की दुनियावी बात करना मना है।

हदीस 212. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ताली बजाना औ़रतों के लिये है और 'सुब्हानल्लाह' कहना मर्दों के लिये है।

वज़ाहतः- जब नमाज़ में इमाम कुछ भूल जाये तो मुक़्तदियों को इस तरह इमाम को बाख़बर करना चाहिये, साथ ही इस हदीस से औ़रतों का जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ना भी साबित हुआ।

हदीस 213. हज़रत मुऐक़ीब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उस शख़्स से जो (नमाज़ में) सज्दे की जगह मिट्टी हमवार (बराबर) कर रहा था यह फ़रमाया कि अगर तुम यह

करना ही चाहते हो तो एक दफ़ा से ज़्यादा न करो।

वज़ाहतः- नमाज़ के दौरान अल्लाह तआ़ला की रहमत नमाज़ी के सामने होती है इसलिये तवज्जोह हटाकर कंकरियों को बार-बार बराबर करना गोया अल्लाह की रहमत से मुँह फेरना और बेतवज्जोही बरतना है।

हदीस 214. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कमर पर हाथ रखकर नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया है।

वज़ाहतः- ऐसा करना तकब्बुर (घमण्ड) की निशानी है, यहूदी अक्सर ऐसा करते थे, और इब्लीस (शैतान) को ऐसी हालत में आसमान से उतारा गया और जहन्नम वाले आराम के वक़्त ऐसा करेंगे इसलिये नमाज़ के दौरान ऐसा करना मना है।

नमाज़ में कुछ भूल जाने का बयान

हदीस 215. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने (भूल से) ज़ोहर की पाँच रकअ़तें पढ़ीं, जब आप से पूछा गया कि क्या रकअ़तें बढ़ गई हैं? तो आपने फ़रमाया- क्या बात है? कहने वाले ने अ़र्ज़ किया कि आपने पाँच रकअ़तें पढ़ी हैं, इस पर आपने सलाम के बाद दो सज्दे सह्व के किये।

हदीस 216. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम (चार रकअ़तों वाली नमाज़ में) दो रकअ़त (नमाज़) पढ़कर उठ खड़े हुए (यानी सलाम फेर लिया)। हज़रत ज़ुलयदैन रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने पूछा- या रसूलल्लाह! क्या नमाज़ कम कर दी गई है या आप भूल गये हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने लोगों से पूछा- क्या ज़ुलयदैन सच कहता है? लोगों ने जवाब दिया 'जी हाँ'। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम खड़े हुए और दो रकअ़त जो रह गई थीं उनको पढ़ाई, फिर दो सज्दे (सह्व के) किये।

हदीस 217. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन बुहैना असदी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ज़ोहर की नमाज़

में क़अ़दा-ए-ऊला किये (पहले वाली अत्तहिय्यात में बैठे) बग़ैर उठ खड़े हुए, जब नमाज़ पूरी कर चुके तो सलाम से पहले (सह्व के) दो सज्दे किये, हर सज्दे के लिये 'अल्लाहु अकबर' कहा और लोगों ने भी आपके साथ दोनों सज्दे किये, यह सज्दे उस पहले क़अ़दे के बदल थे जो आप भूल गये थे।

हदीस 218. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से कोई जब नमाज़ में खड़ा होता है तो शैतान उसकी नमाज़ में शुब्हा (शक) डाल देता है, (फिर) उसको (यह भी) याद नहीं रहता कि कितनी रकअ़तें पढ़ी हैं, इसलिये जब तुम में से किसी को ऐसा इत्तिफ़ाक़ हो तो बैठे-बैठे दो सज्दे (सह्व के) करे।

वज़ाहतः- सज्दा सह्व (भूल के सज्दे) के लिये खड़ा न हो बल्कि भूल जाने की सूरत में कम रकअ़त पर फ़ैसला करे, मसलन चार रकअ़त वाली नमाज़ में अगर यह शक हो जाये कि मैंने चार पढ़ी हैं या तीन तो तीन माने और चौथी रकअ़त पढ़े। उसके बाद दो सज्दे सह्व (भूल) के करके सलाम फेरे।

जनाज़ों के अहकाम

हदीस 219. हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमको सात बातों का हुक्म दिया और सात बातों से मना फ़रमाया। आपने हुक्म दिया (1) जनाज़ों के साथ जाने (2) मरीज़ की मिज़ाज-पुर्सी करने (3) दावत क़ुबूल करने (4) मज़लूम की मदद करने (5) क़सम पूरी करने (6) सलाम का जवाब देने (7) छींक (के जवाब) पर 'यर्‌हमुकल्लाह' कहने का। और आपने मना फ़रमाया- चाँदी के बर्तन, (मर्दों के लिये) सोने की अँगूठी (सोने का ज़ेवर) ख़ालिस रेशमी कपड़े और दीबाज और क़सी और इस्तबरक़ से।

वज़ाहतः- ये तीनों रेशम की क़िस्मों में से हैं, रेशमी गद्दी जो घोड़े की ज़ीन पर रखी जाती है उसका भी इस्तेमाल मना है।

हदीस 220. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुसलमान के मुसलमान पर पाँच हक़ हैं (1) सलाम का जवाब देना (2) मरीज़ की इयादत करना (बीमारी का हाल पूछना) (3) जनाज़े के साथ जाना (4) दावत क़ुबूल करना (5) छींक का जवाब देना।

हदीस 221. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि औरतों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया- एक दिन हमको भी वअ़ज़ सुनाने के लिये मुक़र्रर फ़रमा दीजिये, आपने (मुक़र्रर कर दिया) उनको वअ़ज़ फ़रमाया- जिस औरत के तीन बच्चे मर जायें वह (क़ियामत के दिन) दोज़ख़ से उसकी ढाल होंगे। एक औरत (उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु अ़न्हा) ने अ़र्ज़ किया- अगर दो मर जायें? आपने फ़रमाया कि दो भी।

वज़ाहत:- एक हदीस में एक बच्चे के लिये भी यही वायदा है। यह उस सूरत में होगा जब वह रोने-पीटने की बजाय सब्र करे।

हदीस 222. हज़रत उम्मे अ़तीया रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बेटी (हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा) का इन्तिक़ाल हुआ तो आप हमारे पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाने लगे- इसको तीन बार या अगर मुनासिब समझो तो पाँच बार या इससे भी ज़्यादा पानी और बेरी के पत्तों से नहला सकती हो, और आख़िर में काफ़ूर का इस्तेमाल कर लेना, और ग़ुस्ल से फ़ारिग़ होने पर मुझे इत्तिला देना। हज़रत उम्मे अ़तीया ने कहा- जब हम नहला चुकीं और आपको ख़बर दी तो आपने हमें एक चादर दी और फ़रमाया- यह इसके बदन पर लपेट दो।

हदीस 223. रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपनी साहिबज़ादी (बेटी) के (जनाज़े के) ग़ुस्ल में फ़रमाया- इसकी दाहिनी तरफ़ से और वुज़ू के अंगों से शुरू करो। हज़रत उम्मे अ़तीया रज़ियल्लाहु अ़न्हा कहती हैं कि हमने कंघी करके उनके बालों के तीन हिस्से कर दिये थे।

वज़ाहत:- मय्यित को कुल्ली कराना और उसके नाक में पानी डालना मुस्तहब है।

हदीस 224. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यमन के तीन सफ़ेद सूती धुले कपड़ों में कफ़न दिया गया था, न उनमें क़मीज़ थी न अ़मामा (पगड़ी)।

वज़ाहतः- एक इज़ार (तहबन्द) एक चादर और एक लिफ़ाफ़ा, बस यही तीन कपड़े थे।

हदीस 225. हज़रत उम्मे अ़तीया रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि हमें जनाज़ों के साथ जाने से मना किया गया मगर ताकीद से मना नहीं किया गया था।

हदीस 226. उम्मुल-मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो औ़रत अल्लाह तआ़ला और आख़िरत के दिन पर ईमान रखती है उसको किसी मुर्दे पर तीन दिन से ज़्यादा सोग करना दुरुस्त नहीं है, मगर शौहर पर चार महीने दस दिन सोग करे। फिर मैं उम्मुल-मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश के पास (चौथे दिन) गई जब उनके भाई मर गये थे, उन्होंने ख़ुशबू मंगवाई और लगाई, फिर फ़रमाने लगीं- मुझे ख़ुशबू की कोई ज़रूरत न थी, बात यह है कि मैंने आप से सुना है कि जो औ़रत अल्लाह तआ़ला और आख़िरत के दिन पर ईमान रखती है उसको किसी मय्यित पर तीन दिन से ज़्यादा सोग करना दुरुस्त नहीं, मगर शौहर पर चार महीने दस दिन (इद्दत) करे।

वज़ाहतः- हामिला (गर्भवती) औ़रत के सोग की मुद्दत उसके हमल की पैदाईश है, चाहे चार माह दस दिन से पहले हो या बाद में।

हदीस 227. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम एक औ़रत के पास से गुज़रे जो एक क़ब्र के पास बैठी रो रही थी, आपने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला से डर और सब्र कर। वह कहने लगी जाओ भी, यह मुसीबत तुम पर पड़ी होती तो पता चलता। उस (औ़रत) ने आपको पहचाना नहीं था। फिर लोगों ने उसे बताया कि यह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम थे। वह (घबराकर) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दरवाज़े पर आई,

दरबान वग़ैरह कोई भी न था और अ़र्ज़ करने लगी- मैंने आपको नहीं पहचाना (माफ़ फ़रमाईये)। आपने फ़रमाया- सब्र तो जब सदमा शुरू हो उस वक़्त करना चाहिये।

वज़ाहतः- रो-पीटकर तो सब को सब्र आ ही जाता है, मगर ऐसा करने से सवाब ज़ाया हो जाता है। वे औ़रतें जो शरीअ़त के ख़िलाफ़ काम न करें क़ब्रों पर जा सकती हैं, इसलिये कि आपने औ़रतों को क़ब्रों पर जाने से ताकीद से नहीं रोका बल्कि वहाँ जाकर रोने से रोका है।

हदीस 228. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम एक यहूदी औ़रत (के घर) के पास से गुज़रे, उसके घर वाले उस पर रो (नोहा कर) रहे थे (क्योंकि वह मर गई थी), उस वक़्त आपने फ़रमाया- यह तो (यहाँ) रो रहे हैं और वहाँ इसको अपनी क़ब्र में अ़ज़ाब हो रहा है।

वज़ाहतः- यह मय्यित यहूदी की थी, आपकी एक दूसरी हदीस में यह है कि रोने (नोहा करने) से मय्यित को अ़ज़ाब होता है। मरने वाला अगर पीटने (यानी नोहा करने और बदन को पीटकर सोग मनाने) को अपनी ज़िन्दगी में पसन्द करता था और पीटने से मना भी नहीं करता था तो उस सूरत में मरने वाले और नोहा करने वालों को अ़ज़ाब होगा। अगर पीटने को नापसन्द करता था और मना भी करता था तो उस सूरत में मय्यित को अ़ज़ाब नहीं होगा, सिर्फ़ पीटने वाले गुनाहगार होंगे। (फ़त्हुल-बारी)

हदीस 229. हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मय्यित को क़ब्र में अ़ज़ाब होता है उस पर नोहा करने की वजह से भी।

हदीस 230. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो कोई रुख़्सार पीटे (गालों पर थप्पड़ मारे) और गिरेबान फाड़े और कुफ़्र की बातें करे वह हम मुसलमानों में से नहीं है।

वज़ाहतः- हर इनसान (मर्द व औ़रत) अपने वारिस को यह वसीयत और नसीहत करता रहे कि उसके मरने के बाद ख़िलाफ़े शरीअ़त काम

(नोहा व मातम, तीजा, दसवाँ व चालीसवाँ वग़ैरह) नहीं किये जायें, इसलिये कि आपने अपने किसी रिश्तेदार या सहाबी के मरने के बाद यह आमाल नहीं किये हैं, और न ही ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने ये काम किये, और आज भी तमाम मुहक़्क़िक़ उलेमा-ए-दीन इन आमाल को ख़िलाफ़े शरीअ़त मानते हैं।

हदीस 231. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब क़ारी लोग (बीरे मऊना पर) क़त्ल हुए तो आपने एक महीने तक नमाज़ में क़ुनूत (नाज़िला) पढ़ी, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को उन दिनों से ज़्यादा ग़मज़दा कभी नहीं देखा।

हदीस 232. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब मय्यित चारपाई पर रखी जाती है और मर्द उसे कंधों पर उठाते हैं तो अगर वह नेक हो तो कहता है कि मुझे आगे ले चलो, लेकिन अगर नेक नहीं होता तो कहता है कि हाय बरबादी मुझे कहाँ लेजा रहे हो। इस आवाज़ को इनसान के सिवा अल्लाह तआ़ला की सारी मख़्लूक़ सुनती है, अगर इनसान सुन ले तो बेहोश हो जाये।

हदीस 233. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जनाज़ा लेकर जल्दी चला करो, अगर वह नेक है तो तुम उसको भलाई के नज़दीक करते हो, और अगर नेक नहीं है तो बुरे को अपनी गर्दनों पर से उतारते हो।

वज़ाहतः- मरने के फ़ौरन बाद मय्यित के तमाम काम जल्द से जल्द पूरे करने चाहियें।

हदीस 234. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने सहाबा को नजाशी (हब्शा का बादशाह जो मुसलमान हो गया था) के मरने की ख़बर सुनाई, फिर आप आगे बढ़े, लोगों ने आपके पीछे सफ़ें बाँधीं (और) आपने चार मर्तबा तकबीरें कहीं।

वज़ाहतः- आपने हज़रत नजाशी रज़ियल्लाहु अ़न्हु की ग़ायबाना नमाज़े

जनाज़ा पढ़ाई, इसके अलावा हज़रत मुआविया बिन मुआविया मुज़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की भी ग़ायबाना नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई थी।

(फ़त्हुल-बारी)

हदीस 235. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स जनाज़े में नमाज़े जनाज़ा होने तक शरीक रहा उसको एक क़ीरात सवाब मिलता है, और जो दफ़न तक साथ रहा तो उसे दो क़ीरात का सवाब मिलता है। आप से पूछा गया दो क़ीरात कितने होंगे? आपने फ़रमाया दो बड़े पहाड़ों के बराबर।

हदीस 236. हज़रत समुरा बिन जुन्दुब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पीछे एक औरत की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जिसका ज़चगी (बच्चे की पैदाईश होने के बाद) की हालत में इन्तिक़ाल हो गया था। आप (नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने के लिये) उसके दरमियान में खड़े हुए।

हदीस 237. हज़रत तल्हा बिन अब्दुल्लाह बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे एक जनाज़े पर नमाज़ पढ़ी, उन्होंने सूरः फ़ातिहा (ज़रा बुलन्द आवाज़ से) पढ़ी और कहा मैंने यह इसलिये किया है ताकि तुम जान लो कि यह अमल सुन्नत है।

वज़ाहतः- मालूम हुआ कि नमाज़े जनाज़ा में ऊँची आवाज़ से क़िराअत और सूरः फ़ातिहा का पढ़ना सुन्नत और हक़ है। (फ़त्हुल-बारी 3, पेज 262)

हदीस 238. हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक शख़्स की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जिसका इन्तिक़ाल रात में हो गया था (और उसे रात ही में दफ़न कर दिया गया)। आप अपने सहाबा किराम के साथ खड़े हुए और आपने उस (शख़्स) के मुताल्लिक़ पूछा कि यह किसकी क़ब्र है। लोगों (सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने कहा कि यह फ़ुलाँ शख़्स की है जिसे कल रात ही दफ़न किया गया है, फिर सब ने (उसकी क़ब्र पर) नमाज़े जनाज़ा पढ़ी।

वज़ाहतः- रात को दफ़न करने में कोई बुराई नहीं है बल्कि बेहतर यही है कि रात हो या दिन मरने वाले के कफ़न-दफ़न में देर न की जाये। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ भी रात को दफ़न किये गये थे। अगर किसी ने नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी हो तो वह उसकी क़ब्र पर जाकर भी नमाज़े जनाज़ा पढ़ सकता है जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मस्जिद की ख़ादिमा की नमाज़े जनाज़ा (उसकी क़ब्र पर) पढ़ी थी। (फ़त्हुल-बारी)

हदीस 239. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम (अ़ज़ाबे क़ब्र से पनाह के लिये) यह दुआ़ माँगते थे-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अऊज़ु बि-क मिन् अ़ज़ाबिल्-क़ब्रि व मिन् अ़ज़ाबिन्नारि व मिन् फ़ित्नतिल् मह्या वल्-ममाति व मिन् फ़ित्नतिल् -मसीहिद्दज्जालि।

तर्जुमाः- या अल्लाह! मैं आपकी पनाह चाहता हूँ क़ब्र के अ़ज़ाब से और दोज़ख़ के अ़ज़ाब से और ज़िन्दगी और मौत की आज़माईशों से और मसीह दज्जाल के फ़ितनों से।

हदीस 240. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से जब कोई मर जाता है तो हर सुबह व शाम उसे उसका ठिकाना दिखाया जाता है, अगर वह जन्नती है तो जन्नत और अगर दोज़ख़ी है तो जहन्नम, और उससे कहा जाता है कि यही तेरा मक़ाम है जब क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला तुझे उठायेगा।

वज़ाहतः- इस हदीस से भी अ़ज़ाबे क़ब्र साबित हुआ, और यह भी मालूम हुआ कि जिस्म के फ़ना होने से रूह फ़ना नहीं होती है, अ़ज़ाबे क़ब्र रूह को भी होता है। (पढ़िये तफ़सीर सूरः मोमिन 40, आयत 46 -

तर्जुमाः- वे लोग सुबह व शाम जहन्नम की आग के सामने पेश किये

जाते हैं)। यह आयत अ़ज़ाबे क़ब्र पर सबसे बड़ी दलील है। (फ़त्हुल-बारी)

हदीस 241. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया- मेरी माँ का अचानक इन्तिक़ाल हो गया है और मैं समझता हूँ अगर वह बात कर पाती तो कुछ ख़ैरात करती, अब अगर मैं उनकी तरफ़ से ख़ैरात करूँ तो क्या उनको कुछ सवाब मिलेगा? आपने फ़रमाया- हाँ मिलेगा।

वज़ाहतः- बेहतर है कि ख़ैरात वग़ैरह की वसीयत लिखकर ज़िन्दगी में (जैसे ही अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त माल व दौलत दें) किसी मोतबर इनसान के पास रखवा दी जाये। इसलियें कि अचानक मौत की सूरत में वसीयत करने की मोहलत नहीं मिलती। अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये 'शरई वसीयत नामा' हमारी किताब 'बीमारियाँ और उनका इलाज मय तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम' हिस्सा पाँच में।

हदीस 242. हज़रत सुफ़ियान तमार रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की क़ब्र देखी वह ऊँट के कोहान की तरह थी।

हदीस 243. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो लोग मर गये उनको बुरा न कहो, क्योंकि उन्होंने जैसे अ़मल किये थे वैसा बदला पा चुके।

वज़ाहतः- मुसलमान मय्यित को बुरा नहीं कहना चाहिये इसलिये कि जो कुछ उसने किया उसके सामने क़ब्र में आ चुका है, और बाद में क़ियामत के दिन भी आयेगा।

ज़कात का बयान (ज़कात और सदक़ात)

अल्लाह तआ़ला का फ़रमान हैः-

तर्जुमाः- नमाज़ दुरुस्ती से अदा करो और ज़कात दो।

(सूरः ब-क़रह 2, आयत 43)

वज़ाहतः- इससे ज़कात का फ़र्ज़ होना साबित हुआ। क़ुरआन मजीद में 82 जगह ज़कात का ज़िक्र आया है, इस्लाम का यह एक अहम रुक्न

(हिस्सा) है।

हदीस 244. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अ़न्हु को यमन की तरफ़ (हाकिम बनाकर) भेजा और फ़रमाया- (पहले) तुम उन्हें दावत देना इस बात की कि अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और मैं अल्लाह तआ़ला का रसूल हूँ। फिर अगर वे इसको मान लें तो उनसे यह कहना कि अल्लाह तआ़ला ने हर दिन-रात में उन पर पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। फिर अगर वे इसको भी मान लें तो उनको यह बतलाना कि अल्लाह तआ़ला ने उन पर माल का सदक़ा (ज़कात) फ़र्ज़ किया है, जो उनके मालदारों से लिया जायेगा और उन्हीं के मोहताजों को दिया जायेगा।

वज़ाहत:- अपने जानने वालों और अपने शहर में अगर ज़रूरत-मन्द लोग मौजूद हों तो दूसरे शहरों में ज़कात भेजना ख़िलाफ़े शरीअ़त है।

हदीस 245. हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया कि कोई ऐसा अ़मल बतलाईये जो मुझे जन्नत में ले जाये, लोग कहने लगे इसको क्या हुआ है (इसके पूछने की क्या ज़रूरत है)? आपने फ़रमाया- ज़रूरत क्यों नहीं यह तो बड़ी अहम बात है। फिर फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला के सिवा किसी की इबादत न करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और नमाज़ दुरुस्तगी से (यानी ख़ूब अच्छी तरह) अदा करो और ज़कात देते रहो, सिला-रहमी करो, रिश्तेदारों से मिलते रहो और उनका ख़्याल रखो।

वज़ाहत:- इस हदीस से साबित हुआ कि शिर्क न करने वाला, ज़कात देने वाला और बाक़ी इस हदीस के दूसरे काम करने वाला जन्नत में जायेगा। अल्लाह तआ़ला के हुक्म व इजाज़त से।

हदीस 246. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक गाँव वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आया और कहने लगा- मुझे ऐसा अ़मल बतलाईये कि जब मैं उसको करूँ तो जन्नत में

दाख़िल हो जाऊँ। आपने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और फ़र्ज़ नमाज़ दुरुस्ती से अदा करते रहो और फ़र्ज़ ज़कात देते रहो, और रमज़ान के रोज़े रखते रहो। वह देहाती कहने लगा- क़सम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है मैं इनमें कोई इज़ाफ़ा नहीं करूँगा (और न ही कमी करूँगा)। जब वह पीठ मोड़कर चला तो आपने फ़रमाया- अगर किसी को जन्नती आदमी देखना अच्छा लगता हो तो वह इस शख़्स को देख ले।

हदीस 247. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं जब आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की वफ़ात हो गई और हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ ख़लीफ़ा हुए और अ़रब के कई लोग काफ़िर हो गये यानी (ज़कात देने से इनकार किया) तो हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ ने उनसे लड़ना चाहा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने कहा- तुम उन लोगों से कैसे लड़ोगे? आपने तो यूँ फ़रमाया था कि मुझे लोगों से लड़ने का उस वक़्त तक हुक्म है जब तक ये 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' न कहें, जब यह कहने लगें तो उन्होंने अपने माल जान को मुझसे बचा लिया सिवाय किसी हक़ के बदल (क़िसास या हद) के। अब उनका हिसाब अल्लाह तआ़ला पर रहेगा। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने कहा मैं तो अल्लाह की क़सम जो कोई नमाज़ और ज़कात में फ़र्क़ समझेगा उससे ज़रूर लड़ूँगा, क्योंकि ज़कात माल का हक़ है (जैसे नमाज़ बदन का हक़ है)। अल्लाह की क़सम अगर ये लोग बकरी का बच्चा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को दिया करते थे मुझको न देंगे तो मैं उसके न देने पर इनसे ज़रूर लड़ूँगा। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने कहा- अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त की क़सम अल्लाह तआ़ला ने हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ का सीना इस्लाम के लिये खोल दिया है, मैं समझ गया कि यही हक़ है।

वज़ाहतः- यह ख़्याल उनका अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से था (हर नेक आदमी को अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से इल्हाम हो सकता है (इल्हाम के मायने हैं किसी नेक अ़मल का ख़्याल ज़ेहन में आना)।

हदीस 248. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- (क़ियामत के दिन) वो ऊँट जिनकी दुनिया में ज़कात न दी हो ख़ूब मोटे-ताज़े बनकर आयेंगे और अपने मालिक को पाँव से रौंदेंगे, और इसी तरह वो बकरियाँ भी जिनकी ज़कात न दी हो, अच्छी मोटी-ताज़ी बनकर अपने मालिक को खुरों से रौंदेंगी और सींघों से मारेंगी। आपने फ़रमाया- बकरियों का एक हक़ यह भी है कि चरागाह पर उनका दूध दूहा जाये। आपने फ़रमाया ऐसा न हो कि तुम में से कोई क़ियामत के दिन बकरी को अपनी गर्दन पर लादे हुए लाये, वह भायें-भायें कर रही हो और वह शख़्स (मुझको पुकार कर) कहे 'मुहम्मद! मुझको बचाओ' मैं कहूँगा 'मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो अल्लाह तआ़ला का हुक्म तुमको पहुँचा दिया था' और ऐसा न हो कि कोई शख़्स ऊँट अपनी गर्दन पर लादे हुए आये, वह बड़-बड़ कर रहा हो, फिर वह शख़्स कहे 'मुहम्मद! मुझको छुड़ाओ' मैं कहूँगा 'मैं कुछ नहीं कर सकता मैंने तो अल्लाह तआ़ला का हुक्म तुमको पहुँचा दिया था'।

वज़ाहतः- चरागाह (चारा खिलाने की जगह) पर दूध इसलिये दूहा जाये कि वहाँ मुसाफ़िर और मोहताज लोग भी होते हैं और उनको भी सदक़े के तौर पर कुछ दूध देना बेहतर है, इसके अ़लावा जानवरों की हर साल ज़कात देनी भी फ़र्ज़ है अगर वो जानवर ज़कात के निसाब को पहुँच गये हों।

हदीस 249. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला जिसको माल दे और वह उसकी ज़कात अदा न करे तो क़ियामत के दिन उसका माल एक गंजे साँप की शक्ल बनकर जिसकी आँखों पर दो काले टीके (दाग़) होंगे उसके गले का तौक़ बन जायेगा, फिर उसकी दोनों बाछें पकड़कर कहेगा- मैं तेरा माल हूँ मैं तेरा ख़ज़ाना हूँ। उसके बाद आपने सूरः आले इमरान की आयत नम्बर 180 पढ़ी-

तर्जुमाः- जिन लोगों को अल्लाह तआ़ला ने अपने फ़ज़्ल से माल दिया है और वे उसमें कन्जूसी करते हैं तो यह कन्जूसी अपने लिये बेहतर न समझें, बल्कि यह उनके हक़ में बहुत बुरी है, जिस माल में वे कन्जूसी करते हैं वह क़ियामत के दिन बहुत जल्दी उनके गले का तौक़ बनने वाला है

उनकी कन्जूसी की वजह से। (सूरः आले इमरान 3, आयत 180)

वज़ाहतः- यह आयते करीमा उन मालदारों के लिये वईद (सज़ा की धमकी और डाँट) है जो निसाब के मालिक होने के बावजूद पूरी ज़कात अदा नहीं करते हैं। ज़कात साल भर में एक दफ़ा हिसाब करके अदा करना फ़र्ज़ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नमाज़, रोज़ा और हज फ़र्ज़ हैं।

हदीस 250. हज़रत ख़ालिद बिन असलम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक देहाती ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा- मुझे इस आयत "वल्लज़ी-न यकनिज़ूनज़्ज़-ह-ब वल्फ़िज़्ज़-त" (सूरः तौबा 9, आयत 34) की तफ़सीर बतलाईये। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा- जिस शख़्स ने चाँदी-सोना जमा करके रखा फिर उसकी ज़कात न दी तो उसकी ख़राबी होगी। यह आयत ज़कात के फ़र्ज़ होने का हुक्म उतरने से पहले की है। जब ज़कात फ़र्ज़ हुई तो अल्लाह तआला ने मालों को उसके ज़रिये पाक कर दिया।

वज़ाहतः- जिस माल पर ज़कात अदा कर दी जाये वह कन्ज़ (छुपाया हुआ माल) नहीं है, और जिस माल पर ज़कात न दी जाये वह कन्ज़ है। ज़कात माल को पाक कर देती है, ज़कात के अलावा भी सदक़ा ख़ैरात करने से आने वाली मुसीबतें रुक जाती हैं, इसलिये रोज़ाना कुछ न कुछ सदक़ा ज़रूर करें चाहे एक पैसा ही क्यों न हो।

हदीस 251. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- दो आदमियों पर रश्क कर सकते हैं, एक उस शख़्स पर जिसको अल्लाह तआला ने माल दिया और नेक कामों में ख़र्च करने की तौफ़ीक़ भी दी हो। दूसरे उस शख़्स पर जिसको अल्लाह तआला ने क़ुरआन और हदीस का इल्म दिया, वह ख़ुद भी उस पर अमल करता है और दूसरों को भी सिखाता है।

वज़ाहतः- किसी की ख़ुशहाली, शादमानी, ख़ूबसूरती और सेहत को देखकर यह इच्छा करना कि उससे छिनकर ये चीज़ें मुझे मिल जायें, हसद (उससे जलना) है जो बड़ा गुनाह है, लेकिन यह इच्छा और दुआ करना कि अल्लाह तआला उसके माल में भी बरकत दे और मुझे भी यह सब कुछ

अल्लाह करीम अपनी रहमत और फ़ज़्ल से दे दे, यह जायज़ है।

हदीस 252. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर सदक़ा करे, और अल्लाह तआ़ला सिर्फ़ हलाल कमाई का सदक़ा क़ुबूल करता है, तो अल्लाह तआ़ला उसको अपने दायें हाथ में लेता है, फिर सदक़ा करने वाले के माल में इज़ाफ़ा करता है बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई तुम में से जानवर का बच्चा पालता है, यहाँ तक कि उसका सदक़ा पहाड़ के बराबर हो जाता है।

हदीस 253. हज़रत हारिसा बिन वहब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ख़ैरात करो क्योंकि एक ज़माना तुम पर ऐसा आने वाला है जब आदमी ख़ैरात लेकर निकलेगा और उसको कोई ऐसा शख़्स न मिलेगा जो (ख़ैरात) क़ुबूल करे।

वज़ाहतः- जिसको भी देने लगेगा वह कहेगा मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिये इस वक़्त को ग़नीमत जानते हुए ख़ूब ख़ैरात करें क्योंकि आजकल ज़रूरत-मन्द लोग बहुत मौजूद हैं।

हदीस 254. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत उस वक़्त तक क़ायम न होगी जब तक कि माल व दौलत की बेहतात (बहुत ज़्यादा अधिकता) न हो जाये और मालदार को यह फ़िक्र रहेगी कि उसकी ख़ैरात कौन लेगा, और किसी को ख़ैरात देने लगेगा तो वह कहेगा 'मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है।'

वज़ाहतः- क़ियामत के क़रीब जब ज़मीन अपने ख़ज़ाने उगल देगी तब यह हालत पेश आयेगी।

हदीस 255. हज़रत अ़दी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- (दोज़ख़ की) आग से बचो (सदक़ा देकर) अगरचे खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों न हो।

वज़ाहतः- हर रोज़ सदक़ा व ख़ैरात ग़रीब लोगों को भी करना चाहिये चाहे एक पैसा रोज़ाना ही क्यों ना हो। अल्लाह तआ़ला सवाब नीयत और

हालात के हिसाब से अ़ता फ़रमाते हैं। अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर (सूरः हश्र 59, आयत 9)

हदीस 256. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आया और कहने लगा- या रसूलल्लाह! किस सदक़े में ज़्यादा सवाब मिलेगा? आपने फ़रमाया- तन्दुरुस्ती की हालत में, जब तुम्हें माल की तमन्ना व इच्छा भी हो, मोहताजी का डर भी हो, ख़ैरात करो, और इतनी देर मत करो कि जान हलक़ में आ पहुँचे उस वक़्त तुम कहो कि फ़ुलाँ को इतना देना और फ़ुलाँ को इतना। अब तो फ़ुलाँ का माल हो ही चुका है।

वज़ाहतः- सदक़ा व ख़ैरात में जल्दी करनी चाहिये, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि कल हमारी ज़िन्दगी में आती भी है या नहीं। यह अल्लाह रब्बुल्-इ़ज़्ज़त का करम है कि उसने मरने से पहले-पहले (जब तक होश व हवास में हो) अपने माल की तिहाई वसीयत तक करने की इजाज़त दे दी है। याद रखिये वसीयत वारिस के लिये नहीं है बल्कि ग़ैर-वारिस के लिये है मसलन मदरसा, कुँआ बनवाना, मस्जिद बनवाना वग़ैरह।

हदीस 257. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पाक बीवियों ने आपसे पूछा- हम में से सब से पहले आपसे कौन मिलेगी? आपने फ़रमाया- जिसके हाथ ज़्यादा लम्बे हैं। फिर वे एक छड़ी लेकर अपने-अपने हाथ नापने लगीं तो हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के हाथ सबसे ज़्यादा लम्बे निकले। बाद में (जब सब बीवियों में पहले हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा का इन्तिक़ाल हुआ तब) हमें मालूम हुआ कि हाथ की लम्बाई से ख़ैरात करना मुराद था, और (हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा) सबसे पहले आप से मिलीं (क्योंकि) ख़ैरात करना उनको बहुत पसन्द था।

वज़ाहतः- उम्मुल्-मोमिनीन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा अपने हाथ से मेहनत व मशक़्क़त करके जो कुछ कमातीं उसे अल्लाह के रास्ते में ख़ैरात कर देती थीं।

हदीस 258. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सात आदमियों (मर्द और औ़रत) को अल्लाह तआ़ला उस दिन अपने (अ़र्श के) साये में रखेगा जिस दिन उसके साये के सिवा और कोई साया न होगा-

1. आ़दिल (इन्साफ़ करने वाला) बादशाह।

2. वह नौजवान जो अल्लाह तआ़ला की इबादत में फला-फूला हो।

3. वह शख़्स जिसका दिल मस्जिदों में लगा रहा हो।

4. वे दो आदमी जिन्होंने अल्लाह तआ़ला के लिये मुहब्बत रखी, फिर उस पर क़ायम रहे और मुहब्बत पर ही जुदा हुए (यानी मर गये)।

5. वह शख़्स जिसको एक आला ख़ानदान वाली ख़ूबसूरत औ़रत ने (बुरे काम के लिये) बुलाया, वह कहने लगा- मैं अल्लाह रब्बुल्-इ़ज़्ज़त से डरता हूँ।

6. वह शख़्स जिसने दायें हाथ से ऐसा छुपाकर सदक़ा दिया कि बायें हाथ को उसकी ख़बर भी न हुई हो।

7. वह शख़्स जिसने तन्हाई में अल्लाह तआ़ला को याद किया तो उसके आँसू बह निकले हों।

हदीस 259. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब कोई औ़रत अपने घर के खाने में से कुछ ख़ैरात करे, शर्त यह है कि घर बिगाड़ने की नीयत न हो, तो उस औ़रत को भी ख़ैरात करने का सवाब मिलेगा जैसे शौहर को माल के कमाने की वजह से सवाब मिलता है, और ख़ज़ानची को भी उतना ही सवाब मिलता है, और किसी का सवाब दूसरे के सवाब को कम नहीं करता।

वज़ाहतः- मुलाज़िम (ख़ज़ानची) जो मालिक के माल में से ख़ैरात करता है उसकी इजाज़त और दिल की रज़ामन्दी से और मालिक को सदक़ा व ख़ैरात की तरग़ीब (तवज्जोह) भी देता रहता है, वह भी सवाब में बराबर का शरीक है, और यही हुक्म हर नेक अ़मल के लिये है। इसलिये हम सब को चाहिये कि वक़्त वक़्त पर एक दूसरे को नेक काम करने की दावत देते रहें, इस तरह दावत देने वाले को भी नेकी करने के बराबर सवाब मिलेगा

इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

हदीस 260. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उम्दा ख़ैरात वही है जिसके देने के बाद आदमी मालदार रहे, और पहले उन लोगों से शुरू करो जो तुम्हारी कफ़ालत (ज़िम्मेदारी व मातहती) में हैं।

वज़ाहतः- अपने रिश्तेदारों और जानने वालों का हक़ सबसे पहले है, अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से ख़र्च करना भी सदक़ा है। इसी तरह अपने ज़रूरत-मन्द नौकरों को ज़कात व ख़ैरात देनी चाहिये। ज़कात पेशगी (एडवांस) भी दी जा सकती है। ज़कात देने वाला अपनी मर्ज़ी और ख़ुशी से ज़्यादा ज़कात अदा कर दे तो बहुत ज़्यादा सवाब है।

हदीस 261. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मिम्बर पर ख़ुतबे के वक़्त सदक़ा देने, सवाल करने और न करने का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया- ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, क्योंकि ऊपर वाला हाथ ख़र्च करने वाला और नीचे वाला हाथ माँगने वाला है।

वज़ाहतः- ज़रूरत के बावजूद भी लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिये बल्कि सब्र, हिम्मत और साबित-क़दमी से काम लेकर अल्लाह पर तवक्कुल और ख़ुद्दारी को क़ायम रखे और मेहनत करके जो अल्लाह तआ़ला दें उस पर क़नाअ़त (सब्र) करे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है।

हदीस 262. हज़रत उक़बा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अ़सर की नमाज़ पढ़ाई, फिर जल्दी से घर तशरीफ़ ले गये, थोड़ी देर बाद बाहर निकले, मैंने आप से इसका सबब पूछा, आपने फ़रमाया- ख़ैरात के माल में से एक सोने का टुकड़ा घर में छोड़ आया था, मुझे बुरा मालूम हुआ कि वह रात को मेरे पास रहे मैंने उसको बाँट दिया।

वज़ाहतः- सदक़े में जल्दी करना बेहतर है, ऐसा न हो कि मौत आ जाये या माल बाक़ी न रहे और सवाब से मेहरूम रह जाये। इसी तरह ज़कात साल गुज़रने से पहले भी दे सकते हैं।

हदीस 263. हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास जब कोई साईल (माँगने वाला) आता या कोई शख़्स अपनी ज़रूरत बयान करता तो आप (लोगों से) फ़रमाते- तुम भी सिफ़ारिश करो तुम्हें भी सवाब मिलेगा, और अल्लाह तआ़ला अपने पैग़म्बर की ज़बान से जो चाहेगा हुक्म देगा।

वज़ाहतः- इसलिये मोहताजों और दूसरे नेक कामों की कोशिश और सिफ़ारिश करनी चाहिये, अगर काम न भी हुआ तब भी कोशिश और सिफ़ारिश करने वाले को ज़रूर सवाब मिलेगा। याद रखिये अल्लाह तआ़ला सवाब सिर्फ़ नतीजे पर ही नहीं देते हैं यानी कामयाबी हो या नाकामी, अगर नीयत में ख़ुलूस (नेकी) है और कोशिश भी पूरी की हो तो सवाब ज़रूर मिलता है। मसलन शहीद जो बज़ाहिर दुनियावी एतिबार से अपनी जान से हाथ धो बैठा है, लेकिन आख़िरत के एतिबार से यह बहुत बड़ी कामयाबी पाने वाला है।

हदीस 264. हज़रत असमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझसे फ़रमाया- ख़ैरात को मत रोको वरना तुम्हारा रिज़्क़ भी रोक दिया जायेगा।

वज़ाहतः- एक दूसरी हदीस में यह भी है कि "मत गिन वरना अल्लाह भी तुझे हिसाब करके देगा"। जो बिना गिने (बेहिसाब) ख़ैरात करता है अल्लाह तआ़ला भी उसे बग़ैर शुमार के रिज़्क़ देते हैं, इसलिये शुमार करके ख़ैरात न करें बल्कि बग़ैर गिने अल्लाह रब्बुल्-इज़्ज़त की राह में दें, चाहे रेज़गारी ही क्यों न हो। अ़रब के अक्सर मुसलमान बग़ैर गिने अल्लाह तआ़ला की राह में ख़र्च करते देखे गये हैं, जेब में हाथ डाला जितने नोट हाथ में आ गये दे दिये। इसलिये शुरू में हमें भी कम से कम रेज़गारी या छोटे नोटों के साथ यही तरीक़ा अपनाना चाहिये, जब अल्लाह करीम आपका रिज़्क़ बढ़ाते जायें तो आप भी छोटे नोटों से बड़े नोटों की तरफ़ आते जायें। आप हार सकते हैं मगर अल्लाह रब्बुल्-इज़्ज़त हरगिज़ नहीं (यह तजुर्बा किया हुआ अमल है)।

हदीस 265. हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़र्ज़

किया- या रसूलल्लाह! उन नेक कामों से मुताल्लिक़ आप क्या फ़रमाते हैं जिन्हें मैं जाहिलीयत (इस्लाम से पहले) के ज़माने में, सदक़ा, ग़ुलाम आज़ाद करने और सिला-रहमी की सूरत में किया करता था? क्या उनका मुझे सवाब मिलेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम अपनी उन तमाम नेकियों के साथ इस्लाम लाये हो जो पहले गुज़र चुकी हैं।

वज़ाहतः- काफ़िर मुसलमान हो जाये तो कुफ़्र के ज़माने की नेकियों का भी सवाब मिलता है, और तमाम छोटे-बड़े गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यह अल्लाह पाक की इनायत है। जब काफ़िर इस्लाम लाता है और अच्छा मुसलमान हो जाता है तो उसकी हर नेकी जो उसने इस्लाम से पहले की थी लिख ली जाती है, और हर बुराई जो इस्लाम से पहले की थी मिटा दी जाती है।

हदीस 266. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कोई दिन बन्दों पर ऐसा नहीं गुज़रता जिस दिन सुबह को दो फ़रिश्ते न उतरते हों, उनमें से एक तो यूँ दुआ़ करता है- "या अल्लाह! ख़र्च करने वाले को उसका बदल दे" और दूसरा यूँ दुआ़ करता है- "या अल्लाह! बख़ील (कंजूस) का माल तबाह कर दे"।

इसके बारे और अधिक पढ़िये तफ़सीर सूरः लैल 92, आयत 5-7।

हदीस 267. हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हर मुसलमान के लिये ख़ैरात करना ज़रूरी है। लोगों ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! जिसके पास माल न हो (वह क्या करे)? आपने फ़रमाया वह अपने हाथ से मेहनत करे, ख़ुद भी फ़ायदा उठाये और ख़ैरात भी करे। लोगों ने अ़र्ज़ किया- अगर यह भी न हो सके तो? आपने फ़रमाया- अच्छी बात पर अ़मल करे और बुरी बात से बाज़ रहे उसके लिये यही ख़ैरात है।

वज़ाहतः- कम से कम तमाम इनसानों के लिये हिदायत की दुआ़ ज़रूर करता रहे। और अधिक पढ़िये तफ़सीर

(सूरः ज़िलज़ाल 99, आयत 6-8)

हदीस 268. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, जो शख़्स अपनी रस्सी उठाये और लकड़ी का गट्ठा अपनी पीठ पर लाद कर लाये (उसको बेचकर अपना काम चलाये), वह उस शख़्स से अच्छा है जो किसी के पास जाकर सवाल करे। वह दे या न दे।

वज़ाहतः- अपने हाथ से मेहनत करके रोज़ी कमाना बहुत ही अफ़ज़ल है, मसलन कारोबार, खेती-बाड़ी, कारीगरी वग़ैरह।

हदीस 269. हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना कि अल्लाह तआ़ला को तीन बातें नापसन्द हैं- एक फ़ुज़ूल बातें (फ़ुज़ूल बातें गुनाह की तरफ़ ले जाती हैं इसलिये एहतियात कीजिये), दूसरी रुपया-पैसा बरबाद करना, तीसरी (बिना ज़रूरत) कसरत से माँगना।

हदीस 270. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मिस्कीन (ग़रीब) वह नहीं है जो लोगों के पास घूमता रहता है एक लुक़्मा और दो लुक़्मा एक खजूर और दो खजूर की तमन्ना व इच्छा उसको दर-बदर फिराती है, बल्कि मिस्कीन वह है जिसके पास इतना माल नहीं है कि वह बेपरवाह (ज़रूरत से फ़ारिग़) हो जाये, और न ही कोई उसका हाल जानता हो कि उसको ख़ैरात दे दे, और न ही यह उठकर सवाल करता है।

वज़ाहतः- ऐसे लोगों को तलाश करके उनको देना हमारी ज़िम्मेदारी है। अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर (सूरः ब-क़रह 2, आयत 273)

हदीस 271. हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- पाँच वसक़ से कम (खजूरों) पर ज़कात नहीं, और पाँच से कम ऊँटों में ज़कात नहीं, और पाँच औक़िया से कम चाँदी में ज़कात नहीं है।

वज़ाहतः- पाँच वसक़ का वज़न तक़रीबन 725 किलो ग्राम और पाँच औक़िया का वज़न 612 ग्राम जो साढ़े बावन तोला बनता है।

हदीस 272. हज़रत अबू हुमैद साअि़दी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बनू सुलैम की ज़कात वसूल करने के लिये असद कबीले के एक शख़्स को (आ़मिल) मुक़र्रर किया, जिनको (अ़ब्दुल्लाह) इब्ने लतबियह् कहते थे, जब वह वापस आये तो आपने उनसे हिसाब लिया।

वज़ाहतः- आ़मिल (कार्यकर्ता) मुनासिब तन्ख़्वाह और ख़र्च तो ले सकता है लेकिन अगर उसको कोई तोहफ़ा मिले तो वह भी बैतुल-माल (सरकारी ख़ज़ाने) में जमा कराये वरना गुनाहगार होगा।

सदक़ा-ए-फ़ित्र का बयान

हदीस 273. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़ित्र का सदक़ा खजूर या जौ का एक साअ़ फ़र्ज़ किया, हर गुलाम, आज़ाद, मर्द, औ़रत, छोटे और बड़े की तरफ़ से जो मुसलमान हो। ईद की नमाज़ के लिये निकलने से पहले उसके अदा करने का हुक्म फ़रमाया।

वज़ाहतः- सदक़ा-ए-फ़ित्र ग़रीब नौकरों की तरफ़ से भी मालिक को देना चाहिये, जो नौकर अदा नहीं कर सकते (फ़त्हुल्-बारी)। एक साअ़ हिजाज़ी (सऊदी अ़रब का साअ़) अढाई किलो के बराबर होता है।

हदीस 274. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में सदक़ा-ए-फ़ित्र एक साअ़ गेहूँ का या एक साअ़ खजूर का या एक साअ़ जौ का या एक साअ़ मुनक़्क़ा (किशमिश) का दिया करते थे।

हदीस 275. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ईद की नमाज़ के लिये लोगों के निकलने से पहले सदक़ा-ए-फ़ित्र देने का हुक्म दिया।

वज़ाहतः- ईद की नमाज़ से पहले सदक़ा-ए-फ़ित्र अदा करना ज़रूरी है। आपके ज़माने में और आज भी सऊदी अ़रब वग़ैरह में अनाज या खजूर या मुनक़्क़ा (किशमिश) या पनीर देते हैं और यही मस्नून अ़मल है।

(फ़त्हुल्-बारी) सबसे सस्ता अनाज नहीं देना चाहिये बल्कि अपनी हैसियत के मुताबिक़ सदक़ा-ए-फ़ित्र देना चाहिये। अगर नक़द रक़म देनी हो तो भी अमीर लोगों को चाहिये कि वे पनीर या किशमिश या खजूर की क़ीमत दें न कि सबसे सस्ते अनाज की। याद रखिये- अल्लाह करीम की राह में (अमीर होने के बावजूद) अगर हम सबसे सस्ता माल देंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल्-इज़्ज़त भी हमें अच्छा और ज़्यादा माल क्यों दें? अगर सदक़ा (ख़ैरात) किसी ग़ैर-मुस्तहिक़ (अपात्र) को ग़लती से दे दिया जाये तो वह भी अल्लाह तआ़ला क़ुबूल कर लेते हैं और देने वाले को पूरा-पूरा सवाब मिल जाता है। लेकिन ज़कात देने वाले पर यह ज़रूरी है कि वह अच्छी तरह तहक़ीक़ करे।

हज और उमरे का बयान

हज के फ़र्ज़ होने और उसकी फ़ज़ीलत के बारे में अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया-

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا، وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ۝

तर्जुमाः- लोगों पर अल्लाह तआ़ला के लिये बैतुल्लाह (काबा शरीफ़) का हज करना फ़र्ज़ है जिसको वहाँ तक राह मिल सके (यानी माली असबाब व साधन मयस्सर हों), और जो न माने (बावजूद ताक़त व गुंजाईश होने के हज न करे) तो अल्लाह तआ़ला सारे जहान से बेपरवाह है।

(सूरः आले इमरान 3, आयत 97)

वज़ाहतः- मर्द या औरत या दोनों के पास जिस दिन इतना पैसा आ जाये कि वे हज के ख़र्चे बरदाश्त कर सकें तो उनको उसी साल हज कर लेना चाहिये। अगर मर्द के पास सिर्फ़ इतना पैसा हो जाये कि सिर्फ़ वही हज कर सकता हो तो उसको हज उसी साल कर लेना चाहिये। ऐसा न हो कि पैसा ख़त्म हो जाये और वह हज न कर सके और अल्लाह तआ़ला का क़र्ज़दार होकर मरे। जो लोग दिन-रात दुनियावी कामों में मसरूफ़ रहते हैं और (बावजूद गुंजाईश व ताक़त के) हज नहीं करते तो उनका ईमान सख़्त

ख़तरे में है, माल होने के बावजूद हज न करना ऐसा ही है जैसा कि वक़्त होने के बाद नमाज़ न पढ़ना।

हदीस 276. हज़रत क़ासिम बिन मुहम्मद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया- या रसूलल्लाह! आप लोगों ने तो उमरा भी कर लिया और मैंने उमरा नहीं किया। आपने फ़रमाया- ऐ अब्दुर्रहमान! अपनी बहन (आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा) को ले जाओ और तनईम (मक्का में एक जगह का नाम है, जहाँ आजकल मस्जिदे आयशा बनी हुई है) से इन्हें उमरा करा लाओ। चुनाचे हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऊँटनी पर उनको अपने पीछे बैठाकर उमरा कराया।

हदीस 277. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा- या रसूलल्लाह! हम समझते हैं कि जिहाद सब नेक आमाल से बढ़कर है, तो क्या हम भी जिहाद न करें? आपने फ़रमाया- नहीं, बल्कि जिहाद (तुम्हारे लिये) हज्जे मबरूर है।

वज़ाहतः- 'हज्जे मबरूर' वह हज है जो ख़ालिस अल्लाह तआला की रज़ा के लिये किया जाये, उसमें रियाकारी (दिखावे और नाम हासिल करने) का दख़ल न हो, और हज के दौरान (शुरू से आख़िर तक) कोई गुनाह न किया जाये। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 278. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो कोई अल्लाह तआला के लिये हज करे फिर बेहूदा और गुनाह की बातें न करे, वह गुनाहों से ऐसा पाक होकर लौटेगा जैसे वह उस दिन पाक था जिस दिन उसकी माँ ने उसको जन्म दिया था।

वज़ाहतः- जिस तरह बच्चा पैदाईश के वक़्त गुनाहों से पाक होता है उसी तरह हज्जे मबरूर के बाद भी तमाम गुनाह झड़ जाते हैं लेकिन बन्दों के हुक़ूक़ माफ़ नहीं होते। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 279. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मदीना वालों के एहराम बाँधने के लिये (मीक़ात) "ज़ुलहुलैफ़ा" शाम वालों के लिये "जुहफ़ा"

नज्द वालों के लिये "क़रने मनाज़िल", यमन (यानी पाकिस्तान, बंगलादेश और हिन्दुस्तान) वालों के लिये "यलमूलम्" मुतैयन किया। यहाँ से वे लोग भी एहराम बाँधें जो यहाँ रहते हों और वे लोग भी जो इन रास्तों से हज या उमरे के इरादे से गुज़रें। लेकिन जिनका क़्याम (रहना और ठहरना) मीक़ात और मक्का के बीच है तो वे एहराम उसी जगह से बाँधें जहाँ वे रहते हों, यहाँ तक कि मक्का वाले और मक्का में (वक़्ती और अस्थायी तौर पर) रहने वाले वे लोग जो हज का इन्तिज़ार कर रहे हों, मक्का ही से (हज का) एहराम बाँधें।

हदीस 280. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने "ज़ुलहुलैफ़ा" के पथरीले मैदान में अपनी ऊँटनी बैठाई फिर वहाँ नमाज़ पढ़ी (यानी एहराम की दो रकअ़तें अदा कीं। हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा भी ऐसा ही किया करते थे)।

हदीस 281. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! मुहरिम (एहराम बाँधा हुआ शख़्स) कौनसा कपड़े पहने? आपने फ़रमाया- न क़मीज़ पहने न अ़मामा न पायजामा न कनटोप और न मौज़े, मगर जिसको जूतियाँ न मिलें तो वह मौज़े टख़्नों के नीचे तक काटकर पहन सकता है, और वह कपड़ा भी न पहनो जिसमें ज़ाफ़रान या वर्स (ख़ुशबू) लगी हो।

वज़ाहतः- 'मुहरिम' (एहराम वाला शख़्स) अपना सर धो सकता है लेकिन कंघी न करे, न अपना बदन खुजलाये, जुओं को सर या बदन से निकालकर ज़मीन पर डाले उनको मारे नहीं, मर्द सिला हुआ कपड़ा न पहने औरतें पहन सकती हैं। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 282. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इस तरह (इन अलफ़ाज़ के साथ) तलबियह कहते थे-

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ. اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ.

लब्बैक अल्लाहुम्-म लब्बैक, लब्बैक ला शरी-क ल-क लब्बैक, इन्नल्-हम्-द वन्निअ्-म-त ल-क वल्मुल्-क ला शरी-क ल-क।

तर्जुमा:- हाज़िर हूँ ऐ अल्लाह! मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ। आपका कोई शरीक नहीं, मैं हाज़िर हूँ। सारी तारीफ़ और नेमत और बादशाहत के आप ही मुस्तहिक़ हैं, आपका कोई शरीक नहीं है।

वज़ाहत:- उमरे में बैतुल्लाह का तवाफ़ शुरू करने से पहले तलबियह् कहना बन्द कर देना चाहिये।

हदीस 283. हज़रत नाफ़ेअ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु जब सुबह की नमाज़ "ज़ुलहुलैफ़ा" में पढ़ लेते तो अपनी ऊँटनी पर पालान लगाने का हुक्म दिया करते, फिर उस पर सवार होते, जब वह उनको लेकर उठ खड़ी होती तो क़िब्ले की तरफ़ मुँह करके लब्बैक कहना शुरू करते। जब हरम में पहुँचते तो लब्बैक कहना छोड़ देते। जब ज़ी-तुवा (मक्का के क़रीब एक जगह का नाम है) में आते तो रात वहीं सुबह तक गुज़ारते, सुबह की नमाज़ पढ़कर ग़ुस्ल करते (फिर मक्का में दाख़िल होते) और कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम भी ऐसा ही किया करते थे।

हदीस 284. हज़रत तारिक़ बिन शिहाब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु (यमन से) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास (हज्जतुल्-विदा वाले साल) आये तो आपने उन्हें उमरा करके एहराम खोल देने का हुक्म दिया।

हदीस 285. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- याजूज और माजूज निकलने के बाद भी बैतुल्लाह का हज और उमरा होता रहेगा।

वज़ाहत:- एक हदीस में यह भी है कि हज कभी मौक़ूफ़ (बन्द) नहीं होगा जब तक क़ियामत नहीं आ जायेगी। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 286. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को देखा कि आप जब मक्का आते तो तवाफ़ शुरू करते वक़्त पहले हजरे-अस्वद को बोसा देते

और सात चक्करों में से पहले तीन चक्करों में रमल (पहलवानों की तरह चलना) करते थे।

हदीस 287. हज़रत आ़बिस बिन रबीआ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने हजरे अस्वद को बोसा दिया (चूमा) फिर कहने लगे- "मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, न नुक़सान पहुँचा सकता है और न फ़ायदा दे सकता है, अगर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तुझे चूमते हुए न देखा होता तो मैं कभी भी तुझको न चूमता।"

हदीस 288. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को इन दोनों रुक्न (हजरे-अस्वद और रुक्ने-यमानी) को इस्तिलाम करते (छूते) हुए देखा है मैंने भी इनके इस्तिलाम को चाहे सख़्त हालात हों या नर्म, नहीं छोड़ा।

वज़ाहत:- 'रुक्ने-यामानी' को सहूलत मयस्सर आने पर सिर्फ़ छूना सुन्नत है, 'हजरे-अस्वद' की तरह छूने के बाद हाथ को चूमना सुन्नत से साबित नहीं है।

हदीस 289. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब बैतुल्लाह का पहला तवाफ़ (यानी तवाफ़े क़ुदूम) करते तो पहले तीन चक्करों में (थोड़ा) तेज़ चलते और चार चक्करों में मामूली चाल से चलते, और सफ़ा और मरवा के दरमियान नाले के नशेब (निचले हिस्से) में दौड़कर चलते।

वज़ाहत:- अब इस दौड़ने की जगह पर हरी बत्तियाँ लगी हुई हैं।

हदीस 290. हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि मैंने आपसे शिकायत की कि मैं बीमार हूँ (पैदल तवाफ़ नहीं कर सकती) आपने फ़रमाया सवार होकर लोगों के पीछे रहकर तवाफ़ कर लो, चुनाँचे मैंने आ़म लोगों से पीछे-पीछे (सवार होकर) तवाफ़ किया, उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बैतुल्लाह के पहलू में नमाज़ पढ़ रहे थे।

हदीस 291. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ख़ाना काबा का तवाफ़ करते हुए

एक शख़्स के पास से गुज़रे जिसने अपना हाथ दूसरे शख़्स के साथ रस्सी या किसी और चीज़ से बाँध रखा था, आपने उस रस्सी को काट दिया और फ़रमाया- इसका हाथ पकड़कर चलो।

हदीस 292. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा-मरवा की सई इस तरह की कि मुशरिक लोगों को आपकी क़ुव्वत का अन्दाज़ा हो जाये।

वज़ाहतः- मर्दों को पहले तीन चक्करों में थोड़ा तेज़-तेज़ सीना निकालकर तवाफ़ करना चाहिये। तवाफ़ के दौरान अल्लाह तआ़ला की तस्बीह व तारीफ़ बयान करते रहना चाहिये। फ़ुज़ूल बातें करने से सवाब कम हो जाता है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 293. हज़रत हारिसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमको मिना में दो रक्अ़त नमाज़ (क़सर) पढ़ाई, उस वक़्त हमारी तादाद बहुत ज़्यादा थी और हम बहुत महफ़ूज़ भी थे।

हदीस 294. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझको यह हुक्म दिया कि क़ुरबानी के ऊँट जिनको मैंने नहर (क़ुरबान) किया, उनकी झूलें और खालें फ़क़ीरों को ख़ैरात कर दूँ।

वज़ाहतः- क़साई को क़ुरबानी के जानवर की उजरत (मज़दूरी) नक़द देनी चाहिये, उजरत में झूल या खाल न दें, यह ग़रीबों का हक़ है।

(फ़त्हुल्-बारी)

नोटः- इसी तरह सदक़े और अ़क़ीक़े के बकरों की खाल भी बेच करके यह पैसा ग़रीबों में तक़सीम कर दें।

हदीस 295. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा गया कि क़ुरबानी से पहले कोई सर मुंडा ले या ऐसा ही कोई काम आगे पीछे कर ले? तो आपने फ़रमाया "कोई बुराई नहीं"।

वज़ाहतः- क़ुरबानी के दिन (दस ज़िलहिज्जा) मुज़्दलिफ़ा से मिना आकर चार काम किये जाते हैं-

1. रमी (शैतानों को कंकरी मारना)। 2. क़ुरबानी। 3. हलक़ या क़स्र (यानी सर के बाल मुंडाना या कम कराना)। 4. तवाफ़े ज़ियारत (तवाफ़े इफ़ाज़ा) करना, इसी तरतीब से सुन्नत है लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। कोई काम आगे पीछे हो जाये तो कोई हर्ज नहीं। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 296. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ अल्लाह! सर मुंडाने वालों को बख़्श दे। लोगों ने अ़र्ज़ किया और बाल कटवाने वालों को? आपने फ़रमाया- या अल्लाह! सर मुंडाने वालों को बख़्श दे। लोगों ने अ़र्ज़ किया और बाल कटवाने वालों को? आपने तीन बार यही फ़रमाया 'बाल मुंडाने वालों को'। फिर चौथी बार भी मैंने यही अ़र्ज़ किया तो फ़रमाया और बाल कटवाने वालों को भी बख़्श दे।

वज़ाहतः- हज और उमरे के मौक़े पर पूरे सर के बालों का मुंडवाना अफ़ज़ल (बेहतर) है, इसलिये कि यह ख़ुज़ूअ़ व ख़ुशूअ़ (दिल की पूरी तवज्जोह और झुकने) और नीयत के सही होने पर दलालत करता है।

(फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 297. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दसवीं ज़िलहिज्जा (क़ुरबानी के दिन) लोगों को मिना में एक जामे ख़ुतबा दिया (अल्लाह तआ़ला की तारीफ़ व सना के बाद) फ़रमाया- लोगो! यह कौनसा दिन है? उन्होंने कहा हुर्मत का दिन है। आपने फ़रमाया यह कौनसा शहर है? लोगों ने कहा- हुर्मत का शहर। आपने फ़रमाया- यह कौनसा महीना है? लोगों ने कहा- हुर्मत का महीना। आपने फ़रमाया तो तुम्हारे ख़ून, माल और आबरू (एक दूसरे की इज़्ज़त) तुम पर हराम हैं जैसे इस दिन की, इस शहर की और इस महीने की हुर्मत (इज़्ज़त व सम्मान) है। कई बार आपने यही कलिमा दोहराया, फिर आसमान की तरफ़ सर उठाया और फ़रमाया- या अल्लाह! मैंने (तेरा हुक्म) पहुँचा दिया, या अल्लाह! मैंने (तेरा हुक्म) पहुँचा दिया। हज़रत इब्ने

अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा- उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है आपकी वसीयत अपनी उम्मत को यही थी कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं वे उनको पहुँचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। फिर फ़रमाया- देखो मेरे बाद एक दूसरे की गर्दन मारकर काफ़िर न बन जाना।

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि ख़ुतबे के आख़िर में आपने शहादत की उंगली को आसमान की तरफ़ उठाया और लोगों की तरफ़ झुकाते हुए तीन बार फ़रमाया- ऐ अल्लाह! गवाह रह। जब आप ख़ुतबे से फ़ारिग़ हो चुके तो अल्लाह तआ़ला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई-

तर्जुमाः- आज मैंने तुम्हारे लिये तुम्हारे दीन (इस्लाम) को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी है, और तुम्हारे लिये इस्लाम को दीन की हैसियत से पसन्द कर लिया है। (सूरः मायदा 5, आयत 3)
इसी मफ़्हूम का ख़ुतबा आपने अ़रफ़ा के दिन (9 ज़िलहिज्जा को) भी दिया था। मुख़्तलिफ़ रावियों ने मुख़्तलिफ़ अलफ़ाज़ में आपके ख़ुतबे नक़ल किये हैं मगर सब का मफ़्हूम एक ही है। आपने हज के दौरान चार दफ़ा अलग-अलग वक़्तों में ख़ुतबे दिये थे और यह ख़ुतबा उन चार में से एक है।

हदीस 298. हज़रत सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने जमरा-ए-ऊला (पहले वाले शैतान) की रमी सात कंकरियों के साथ की और हर कंकरी पर "अल्लाहु अकबर" कहते थे। उसके बाद आगे बढ़ते और नरम हमवार ज़मीन पर क़िब्ला-रुख़ खड़े हो जाते, दुआ़यें करते रहते। फिर जमरा-ए-वुस्ता (बीच वाले शैतान) की रमी भी इसी तरह करते और बायीं तरफ़ आगे बढ़कर एक नरम ज़मीन पर क़िब्ला-रुख़ खड़े हो जाते। बहुत देर तक इसी तरह खड़े होकर दुआ़यें करते रहते। फिर जमरा-ए-अ़क़बा (आख़िर वाले शैतान) की रमी करते लेकिन वहाँ (दुआ़ के लिये) ठहरते नहीं थे, और कहते थे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को इसी तरह करते देखा है।

वज़ाहतः- दसवीं ज़िलहिज्जा को कंकरियाँ सूरज निकलने के बाद लेकिन ज़वाल (सूरज ढलने) से पहले-पहले मारें और बाक़ी तकबीरे तशरीक़

के दिनों में सूरज ढलने (ज़वाल) के बाद मारें। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 299. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ज़ोहर, अ़सर, मग़रिब और इशा की नमाज़ (रवानगी हज वाले दिन) मिहसब में पढ़ीं, फिर कुछ देर के लिये सो गये, उसके बाद सवार होकर बैतुल्लाह की तरफ़ गये और उसका (विदाई) तवाफ़ किया।

वज़ाहतः- मिहसब एक मैदान का नाम है जो मक्का और मिना के बीच है, आपने यहाँ आराम के लिये क़ियाम फ़रमाया था, यहाँ ठहरना हज का कोई रुक्न नहीं है।

हदीस 300. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- एक उमरे के बाद दुसरा उमरा दोनों के बीच के गुनाहों का कफ़्फ़ारा है, और हज्जे मबरूर का बदला जन्नत के सिवा और कुछ नहीं।

वज़ाहतः- जिस हज में आदमी गुनाह न करे, दिखावा न हो और जिसके बाद आदमी गुनाहों से बचा रहे, अल्लाह की बारगाह में वह हज क़ुबूल होता है।

हदीस 301. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब जिहाद या हज या उमरे से लौटते तो हर चढ़ाई पर चढ़ते वक़्त तीन बार "अल्लाहु अकबर" कहते और (अपने शहर वापस आने के बाद) यह पढ़ते-

لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ه اٰئِبُوْنَ تَـائِبُوْنَ عٰبِدُوْنَ سٰجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ. صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ.

ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरी-क लहू लहुल्-मुल्कु व लहुल्-हम्दु व हु-व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर। आ-इबू-न ता-इबू-न आ़बिदू-न साजिदू-न लिरब्बिना हामिदू-न, स-दक़ल्लाहु वअ़्दहू व न-स-र अ़ब्दहू व ह-ज़मल् अह्ज़ा-ब वह्दहू।

तर्जुमाः- अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, वह अकेला है उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाहत है और उसी के लिये तमाम तारीफ़ है, और वह सब कुछ कर सकता है। हम सफ़र से लौटने वाले हैं, तौबा करने वाले, अपने मालिक की बन्दगी करने वाले, उसको सज्दा करने वाले, अपने मालिक की तारीफ़ करने वाले हैं। अल्लाह तआला ने अपना वायदा सच्चा किया और अपने बन्दे की मदद की और काफ़िरों की फ़ौजों को भगा दिया।

हदीस 302. हज़रत कअ़ब बिन अ़जरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कअ़ब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से फ़रमाया- "शायद जुओं ने तुझको तकलीफ़ दे रखी है"। उन्होंने अ़र्ज़ किया "जी हाँ या रसूलल्लाह"। आपने फ़रमाया- "फिर अपना सर मुंड़वा दो" उन्होंने बयान किया कि यह आयत (सूरः ब-क़रह 2, आयत 196) मेरे ही बारे में नाज़िल हुई थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तीन दिन रोज़े रखो या छह मिस्कीनों को खाना खिलाओ, या एक बकरी की क़ुरबानी करो।

वज़ाहतः- यानी एहराम के दौरान अगर कोई हज से पहले सर मुंडवा ले तो उक्त फ़िदया दे। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 303. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक एहराम वाले शख़्स को उसकी ऊँटनी ने गर्दन तोड़कर मार डाला, वह आपके सामने लाया गया, आपने फ़रमाया- इसको पानी और बेरी के पत्तों से ग़ुस्ल देकर (एहराम ही के) दो कपड़ों में कफ़ना दो, इसका सर न छुपाओ न ही इसको ख़ुशबू लगाओ, क्योंकि यह क़ियामत के दिन "लब्बैक" कहता हुआ उठेगा।

हदीस 304. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायल है कि "जुहैना" (क़बीले) की एक औ़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आई और कहने लगी- मेरी माँ ने हज करने की मन्नत मानी थी लेकिन वह हज करने से पहले ही इन्तिक़ाल कर गई है, क्या मैं उसकी तरफ़ से हज करूँ? आपने फ़रमाया- हाँ उसकी तरफ़ से हज करो। अगर

तुम्हारी माँ पर किसी का कर्ज़ा होता तो क्या तुम उसे अदा करतीं? (उसने कहा ज़रूर) आपने फ़रमाया- फिर अल्लाह तआ़ला का क़र्ज़ अदा करना ज़रूरी है।

वज़ाहतः- जिस तरह माल जो ज़कात के निसाब को पहुँच जाये तो उस माल पर उसी साल ज़कात फ़र्ज़ है बिल्कुल इसी तरह माल आ जाने के बाद हज भी अल्लाह करीम का एक फ़र्ज़ है जो उसी साल करना चाहिये जिस साल इतना माल आ जाये कि हज के ख़र्चे पूरे हो जायें और घर वालों के ख़र्चे भी देकर जा सके। जो लोग जान-बूझकर ऐसा नहीं करते वे गुनाहगार हैं। एक हदीस में है कि हज करने के बाद अल्लाह तआ़ला माल में भी इज़ाफ़ा फ़रमाते हैं।

हदीस 305. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि "ख़सअ़म्" क़बीले की एक औ़रत जिस साल हज्जतुल्-विदा हुआ तो वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आई और कहने लगी- या रसूलल्लाह! अल्लाह रब्बुल्-इ़ज़्ज़त ने अपने बन्दों पर हज फ़र्ज़ किया है और मेरा बाप इतना बूढ़ा है कि ऊँटनी पर बैठ नहीं सकता, अगर मैं उसकी तरफ़ से हज करूँ तो क्या उसका हज अदा हो जायेगा? आपने फ़रमाया- "हाँ"।

वज़ाहतः- 'हज्जे-बदल' के लिये ज़रूरी है कि हज्जे बदल करने वाला पहले अपना हज कर चुका हो। मरने वाला अगर माल व दौलत छोड़ जाये और उसने फ़र्ज़ी हज न किया हो तो वारिसों को चाहिये कि उसके माल में से किसी दूसरे को हज्जे-बदल के लिये रवाना करें। (फ़त्हुल्-बारी)

नोटः- अगर हज्जे-बदल करने वाला ग़रीब हो लेकिन अच्छे अ़मल वाला मुसलमान हो तो वह बग़ैर अपना हज अदा किये भी हज्जे-बदल कर सकता है, इस लिये कि उस पर तो हज फ़र्ज़ ही नहीं हुआ।

हदीस 306. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- औ़रत अपने मेहरम रिश्तेदार के साथ ही सफ़र करे। उसके पास कोई मर्द न जाये जब तक कोई मेहरम उसके पास मौजूद न हो। एक शख़्स ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! मैं

फ़ुलाँ लशकर के साथ (जिहाद के लिये) निकलने वाला हूँ और मेरी बीवी हज को जाना चाहती है, आपने फ़रमाया- "अपनी बीवी के साथ हज को जा"।

हदीस 307. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक बूढ़े शख़्स को देखा जो अपने दोनों बेटों का सहारा लिये चल रहा था। आपने पूछा- "इसको क्या हुआ है?" लोगों ने अ़र्ज़ किया- इसने पैदल काबा को जाने की मन्नत मानी है। आपने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला को इसकी हाजत नहीं कि यह अपने को तकलीफ़ दे, और हुक्म दिया कि वह सवार हो जाये।

मदीना के फ़ज़ाईल का बयान

हदीस 308. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- (क़ियामत के क़रीब) ईमान (यानी मोमिन लोग) मदीना में सिमटकर इस तरह आ जायेगा जैसे साँप सिमटकर अपने बिल (सुराख़) में दाख़िल हो जाता है।

हदीस 309. हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मदीने वालों से जो कोई भी फ़रेब करेगा वह इस तरह घुल जायेगा जैसे नमक पानी में घुल जाया करता है।

हदीस 310. हज़रत अबू बकरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मदीने में दज्जाल का कुछ ख़ौफ़ न होगा, उस वक़्त मदीने के सात दरवाज़े होंगे, हर दरवाज़े पर दो फ़रिश्ते मुक़र्रर होंगे।

वज़ाहतः- नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में न मदीने की फ़सील थी और न ही उसमें दरवाज़े थे। अब फ़सील भी बन गई है और सात दरवाज़े भी हैं। भविष्यवाणी का बाक़ी हिस्सा भी आईन्दा सही साबित होगा इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

रोज़े का बयान

अल्लाह तआला का इरशाद है-

तर्जुमाः- ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़े उसी तरह फ़र्ज़ किये गये हैं जिस तरह उन लोगों पर फ़र्ज़ किये गये थे जो तुम से पहले गुज़र चुके, ताकि तुम में तक़्वा पैदा हो। (सूरः ब-क़रह 2, आयत 183)

हदीस 311. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के दरवाज़े खोले जाते हैं और दोज़ख़ के दरवाज़े बन्द किये जाते हैं, और शैतानों को ज़न्जीरों से जकड़ दिया जाता है।

हदीस 312. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम रमज़ान का चाँद देखो तो रोज़ा रखो, जब शव्वाल का चाँद देखो तो रोज़ा रखना बन्द कर दो, अगर बादल हों (और चाँद नज़र न आये) तो तीस रोज़े पूरे कर लो।

वज़ाहतः- चाँद देखकर पढ़ने की मस्नून दुआ यह है-

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ

अल्लाहुम्-म अहिल्लहू अलैना बिल-अमूनि वल्-ईमानि वस्सला-मति वल्-इस्लामि, रब्बी व रब्बुकल्लाहु।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! हम पर यह चाँद अमन व ईमान और सलामती और इस्लाम के साथ तुलूअ फ़रमा (निकाल)। (ऐ चाँद) मेरा और तेरा रब अल्लाह ही है।

हदीस 313. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस शख़्स ने शबे-क़द्र में ईमान के साथ सवाब की नीयत से इबादत की तो उसके पिछले गुनाह बख़्श दिये जाते हैं, और जिस शख़्स ने रमज़ान के रोज़े ईमान के साथ सवाब की नीयत से रखे तो उसके (भी) पिछले गुनाह बख़्श दिये जाते हैं।

हदीस 314. हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम भलाई पहुँचाने में सबसे ज़्यादा सख़ी थे, और रमज़ान में जब जिब्राईल आप से मिलते तो आप आ़म दिनों से ज़्यादा सख़ावत करते थे। हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम रमज़ान में हर रात आप से मिला करते, रमज़ान ख़त्म होने तक। वह आप से क़ुरआन का दौर किया करते थे, जिन दिनों हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम आप से मिलते तो आप भलाई पहुँचाने में चलती हवा से भी ज़्यादा सख़ी हो जाते थे।

हदीस 315. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स (रोज़ा रखकर भी) झूठ बोलना और दग़ाबाज़ी करना न छोड़े तो अल्लाह तआ़ला को यह ज़रूरत नहीं कि वह अपना खाना-पानी छोड़ दे।

वज़ाहतः- रोज़े का मक़सद है कि इनसान परहेज़गार बन जाये, अगर यह मक़सद हासिल नहीं होता तो रोज़ा नहीं बल्कि फ़ाक़ा है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 316. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक हदीसे क़ुदसी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं- "आदमी का हर नेक अ़मल उसी के लिये है लेकिन रोज़ा ख़ास मेरे लिये है और मैं ही उसका बदला दूँगा, और रोज़ा एक ढाल है, और जब तुम में कोई रोज़ा रखे तो गन्दी और ग़लत बातें न करे, न शोर मचाये, अगर कोई उसको गाली दे या उससे लड़े तो कह दे मैं रोज़ेदार हूँ। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की जान है, रोज़ेदार के मुहँ की बू अल्लाह तआ़ला को मुश्क की ख़ुशबू से ज़्यादा पसन्द है। रोज़ेदार के लिये दो ख़ुशियाँ हैं- एक रोज़ा खोलते वक़्त वह ख़ुश होता है, दूसरी जब अपने मालिक (अल्लाह तआ़ला) से मिलेगा तो रोज़े का सवाब देखकर ख़ुश होगा।

हदीस 317. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कोई रमज़ान से एक दो दिन पहले (रमज़ान के स्वागत लिये) रोज़े न रखे, मगर हाँ किसी शख़्स के रोज़े रखने का दिन आ जाये जिस दिन वह हमेशा रोज़ा रखा करता था तो रोज़ा रख ले।

वज़ाहतः- आधे शाबान के बाद रोज़ा रखने की मनाही इसलिये है कि रमज़ान के रोज़ों के लिये ताक़त क़ायम रहे।

हदीस 318. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सेहरी खाया करो (क्योंकि) इसमें बरकत है (और सवाब भी)।

वज़ाहतः- सेहरी खाने से रोज़ा पूरा करने में जिस्मानी क़ुव्वत मिलती है, जान-बूझकर सेहरी छोड़ना सुन्नत के ख़िलाफ़ है और यहूदियों व ईसाईयों की मुवाफ़क़त है।

हदीस 319. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को नहाने की हाजत होती, एहतिलाम से नहीं (बल्कि हमबिस्तरी से) और सुबह हो जाती तो आप नहाते और रोज़ा रखते।

वज़ाहतः- वक़्त की कमी की वजह से फ़र्ज़ वाला ग़ुस्ल सेहरी खाने के फ़ौरन बाद भी जायज़ है, लेकिन अफ़ज़ल सेहरी करने से पहले ही है, अगर वक़्त हो। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 320. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब भूलकर कोई रोज़े में खा-पी ले तो अपना रोज़ा पूरा करे, क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने उसको खिलाया पिलाया है।

वज़ाहतः- भूलकर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 321. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आया और कहने लगा- यह बदनसीब रमज़ान (रोज़े की हालत) में अपनी बीवी से सोहबत कर बैठा है। आपने फ़रमाया- तू एक ग़ुलाम आज़ाद कर सकता है? उसने कहा "नहीं"। आपने फ़रमाया- दो महीने लगातार रोज़े रख सकता है? कहने लगा "नहीं"। आपने फ़रमाया अच्छा साठ मिस्कीनों को खाना खिला सकता है? कहने लगा "नहीं"। फिर आपके पास खजूर का एक बड़ा टोकरा आया जिसको अ़र्क़ कहते हैं, आपने फ़रमाया- तू इसे लेजा और

फ़क़ीरों को यह अपनी तरफ़ से खिला दे। उसने अ़र्ज़ किया- मदीना के दोनों पथरीले किनारों में हमसे ज़्यादा कोई मोहताज नहीं है। आपने फ़रमाया- ख़ैर! अपने घर वालों ही को खिला दे।

वज़ाहतः- उस मुफ़लिस और नादार आदमी को भी कफ़्फ़ारे से अलग नहीं किया गया, वो खजूरें उसकी तरफ़ से आपने कफ़्फ़ारे के तौर पर अदा की थीं, और बाद में चूँकि वही बस्ती में सबसे ज़्यादा ग़रीब था इसलिये उसके घर वालों को खिलाने की इजाज़त दे दी।

हदीस 322. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर कोई मर जाये और उसके ज़िम्मे रोज़े वाजिब हों तो उसका कोई वारिस (रिश्तेदार) उसकी तरफ़ से रोज़े रखे।

वज़ाहतः- वारिस को अगर मालूम हो जाये कि उसके रिश्तेदार ने रोज़ा नहीं रखा है तो वारिस को चाहिये कि उसकी ज़िन्दगी (बीमारी) में या मौत के बाद रोज़ा रखे, या फ़िदया (रोज़े का बदला) दे दे। अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर सूरः ब-क़रह 2, आयत 184।

हदीस 323. हज़रत सहल बिन सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरी उम्मत के लोग उस वक़्त तक भलाई में रहेंगे जब तक रोज़ा जल्दी इफ़्तार करते रहेंगे।

वज़ाहतः- यानी सूरज ग़ुरूब होते ही इफ़्तार कर लेंगे।

हदीस 324. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़मर बिन आ़स रज़ियल्लाहु अ़न्हुम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अ़ब्दुल्लाह! मुझको यह ख़बर पहुँची है कि तुम दिन को रोज़ा रखते हो और रात को नमाज़ में खड़े रहते हो। उन्होंने कहा- बेशक सच है या रसूलल्लाह। आपने फ़रमाया- तुम ऐसा मत करो, रोज़ा रखो और नाग़ा भी करो, इबादत करो और सोओ भी, क्योंकि तुम्हारे बदन का तुम पर हक़ है और तुम्हारी आँखों का भी तुम पर हक़ है, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक़ है, तुम्हारे मेहमान का भी तुम पर हक़ है, और तुम्हारे लिये हर महीने तीन (नफ़्ली) रोज़े रखना काफ़ी हैं क्योंकि हर नेकी का बदला दस गुना होता है (तीन के

तीस हुए), तो गोया सारी उम्र रोज़े से गुज़री। हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा- मैंने अपने ऊपर सख़्ती की तो सख़्ती कर दी गई। मैंने अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! मैं अपने में ज़्यादा ताक़त पाता हूँ। इस पर आपने फ़रमाया तुम हज़रत दाऊद पैग़म्बर का रोज़ा रख लो और उससे मत बढ़ो। मैंने पूछा हज़रत दाऊद पैग़म्बर कैसे रोज़े रखते थे? आपने फ़रमाया- एक दिन रोज़ा एक दिन नाग़ा। हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़मर जब बूढ़े हो गये उस वक़्त कहते थे "काश मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की छूट और रियायत को क़ुबूल कर लेता (हर महीने में तीन रोज़े आसान थे)"।

वज़ाहतः- अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तालीमात से आगे बढ़कर इबादत नहीं करनी चाहिये, इसी तरह बुख़ारी शरीफ़ की एक दूसरी हदीस में है कि क़ुरआन भी कम से कम तीन दिन में ख़त्म करना चाहिये।

हदीस 325. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मेरे ख़लील (दोस्त) सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे हर महीने तीन (नफ़्ली) रोज़े रखने और चाश्त की नमाज़ की (कम से कम) दो रक्अ़तें और सोने से पहले वित्र पढ़ने की वसीयत फ़रमाई है।

हदीस 326. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में कोई ख़ास तौर पर जुमे के दिन रोज़ा न रखे अगर रखना हो तो उससे पहले या उसके बाद भी एक दिन रोज़ा रखे।

वज़ाहतः- इसलिये कि जुमे का दिन मुसलमानों के लिये खाने-पीने और ईद (ख़ुशी) का दिन है।

हदीस 327. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मदीना में तशरीफ़ लाये और यहूदियों को आ़शूरा (दस मोहर्रम) के दिन का रोज़ा रखते हुए देखा तो आपने पूछा यह रोज़ा कैसा है? उन्होंने कहा कि यह उम्दा दिन है, अल्लाह तआ़ला ने इस दिन बनी इस्राईल को उनके दुश्मन (फ़िरऔ़न) से निजात

दिलाई थी तो हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने इस दिन रोज़ा रखा था। आपने फ़रमाया मैं तुमसे ज़्यादा मूसा अ़लैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखता हूँ, फिर आपने इस दिन रोज़ा रखा और लोगों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया।

वज़ाहतः- आपकी इच्छा और तमन्ना थी कि यहूदियों की मुख़ालफ़त की जाये, नौ और दस का या दस और ग्यारह मोहर्रम का रोज़ा रखा जाये, इस ख़्वाहिश के एहतिराम में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम मोहर्रम के दो रोज़े रखा करते थे। ख़ुशी मिलने पर शुक्राने का रोज़ा रखना अम्बिया-ए-किराम अ़लैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत नूह और हज़रत मूसा अ़लैहिमस्सलाम ने भी ख़ुशी हासिल होने पर शुक्राने का रोज़ा रखा था, हमें भी जब कोई ख़ुशी मिले तो शुक्राने का रोज़ा रखना चाहिये। इसी तरह कम से कम दो रकअ़त नमाज़ नफ़िल शुक्राना भी अदा करें।

तरावीह की नमाज़ का बयान

हदीस 328. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने रमज़ान की फ़ज़ीलत में फ़रमाया- जिस शख़्स ने ईमान के साथ सवाब की नीयत से रमज़ान में नमाज़े तरावीह पढ़ी उसके पिछले गुनाह बख़्श दिये जाते हैं।

हदीस 329. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम एक बार आधी रात को (रमज़ान में अपने घर से) निकले और मस्जिद में (तरावीह की) नमाज़ पढ़ी और कुछ लोगों ने भी आपके पीछे क़ियाम किया। जब सुबह हुई तो उन्होंने इसका चर्चा किया। दूसरी रात को उससे ज़्यादा लोग जमा हुए और आपके साथ नमाज़ पढ़ी। सुबह को लोगों ने (और ज़्यादा) चर्चा किया और तीसरी रात को बहुत लोग जमा हुए। आप आये और नमाज़ पढ़ी, लोगों ने भी आपके पीछे नमाज़ पढ़ी। जब चौथी रात हुई तो इतने लोग जमा हुए कि मस्जिद में उनका समाना मुश्किल हो गया (आप अपने घर से बाहर ही नहीं आये)। सुबह को नमाज़ के लिये निकले और नमाज़ के बाद लोगों की तरफ़ मुख़ातिब हुए। पहले शहादत (बयान करने) के बाद फ़रमाया- "मुझे मालूम

था कि तुम यहाँ जमा हो लेकिन मैं डरा कहीं यह नमाज़ तुम पर फ़र्ज़ न हो जाये और तुमसे अदा न हो सके" (इसलिये मैं नहीं आया)। फिर आपके अल्लाह को प्यारे होने तक की यही कैफ़ियत क़ायम रही।

वज़ाहतः- आपने सिर्फ़ तीन दिन जमाअ़त के साथ नमाज़े तरावीह पढ़ाने का एहतिमाम किया, फिर लोग अपने-अपने तौर पर पर पढ़ लेते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने उन लोगों को एक इमाम हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ियल्लाहु अ़न्हु पर जमा कर दिया था। यानी जमाअ़त के साथ नमाज़े तरावीह शुरू की गई। नमाज़े तरावीह सुन्नत है, रमज़ान में इस नमाज़ को तरावीह और ग़ैर-रमज़ान में तहज्जुद कहते हैं।

शबे-क़द्र की फ़ज़ीलत का बयान

हदीस 330. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो कोई ईमान के साथ सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे उसके पिछले गुनाह बख़्श दिये जाते हैं, और जिसने शबे-क़द्र में ईमान और नीयत के ख़ुलूस के साथ इबादत की उसके भी पिछले गुनाह बख़्श दिये जाते हैं।

हदीस 331. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- शबे-क़द्र को रमज़ान के आख़िरी अ़शरे (आख़िरी दस दिनों) की ताक़ रातों में ढूँढो।

हदीस 332. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम रमज़ान के आख़िरी दस दिनों में एतिकाफ़ किया करते और फ़रमाते थे "रमज़ान के आख़िरी दस दिनों में शबे-क़द्र को तलाश करो।"

हदीस 333. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम रमज़ान के आख़िरी दस दिनों में अपना तहबन्द मज़बूत बाँधते (यानी उन दस दिनों में अल्लाह की इबादत के लिये ज़्यादा मेहनत करते) और रात को जागते और अपने घर वालों को भी जगाते थे।

एतिकाफ़ का बयान

हदीस 334. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रमज़ान के आख़िरी दस दिनों में बराबर एतिकाफ़ करते रहे यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने आपको उठा लिया। फिर आपके बाद आपकी पाक बीवियाँ भी एतिकाफ़ करती रहीं।

वज़ाहतः- औरतों को भी उन मस्जिदों में एतिकाफ़ करना चाहिये जहाँ औरतों का अलग इन्तिज़ाम हो, आज भी साऊदी अरब वग़ैरह में औरतें मस्जिदों में एतिकाफ़ करती हैं।

हदीस 335. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा- मैंने जाहिलीयत के ज़माने में यह नज़्र (मन्नत) मानी थी कि एक रात मस्जिदे हराम में एतिकाफ़ करूँगा। आपने फ़रमाया- "अपनी नज़्र पूरी करो"।

वज़ाहतः- मालूम हुआ कि एक दिन का नफ़्ली एतिकाफ़ भी जायज़ है। नज़्र (नीयत करना कि मेरा यह जायज़ काम हो जाये तो मैं अल्लाह की रज़ा के लिये यह इबादत शुक्राने के तौर पर अदा करूँगा, मसलन नफ़्ली नमाज़, रोज़ा सदक़ा वग़ैरह) जो ख़ालिस अल्लाह तआला के लिये हो (किसी और के लिये न हो) और जायज़ काम के लिये हो, उसका पूरा करना वाजिब है। ग़ैरुल्लाह के लिये नज़्र मानना, मसलन किसी की क़ब्र या मज़ार पर चादर चढ़ाना, किसी के नाम पर (अल्लाह के अलावा) जानवर ज़िबह करना, या खाना खिलाना शिर्क है। और ज़्यादा तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर सूरः हज 22, आयत 73-74।

हदीस 336. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रमज़ान में दस दिन का एतिकाफ़ किया करते थे, जब वह साल आया जिसमें आपकी वफ़ात हुई तो आपने (रमज़ान के आख़िरी) बीस दिन का एतिकाफ़ किया।

वज़ाहतः- एतिकाफ़ सुन्नत-ए-मुअक्कदा है, इसका बहुत अज्र व सवाब

है। आप भी हर साल करें।

ख़रीद व फ़रोख़्त का बयान

अल्लाह तआला ने इरशाद फ़रमाया-

तर्जुमाः- जब जुमे की नमाज़ (ख़त्म) हो जाये तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह तआला का फ़ज़्ल ढूँढो (यानी रिज़्क़ तलाश करो), और अल्लाह को बहुत याद करो ताकि तुम्हारा भला हो। (और उन लोगों का तो यह हाल है) जब कोई तिजारत या खेल तमाशा देखते हैं तो उसकी तरफ़ दौड़ पड़ते हैं और आपको (ख़ुतबे में) खड़ा छोड़ जाते हैं। कह दीजिये कि अल्लाह तआला के पास जो सवाब है वह उस खेल और कारोबार से कहीं बेहतर है, और अल्लाह तआला सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है।

(सूरः जुमा 62, आयत 10-11)

अल्लाह तआला ने एक और जगह इरशाद फ़रमाया-

तर्जुमाः- आपस में एक दूसरे का माल नाहक़ न खाओ लेकिन तिजारत करके रज़ामन्दी से खाओ। (सूरः निसा 4, आयत 29)

वज़ाहतः- एक दूसरे का माल चोरी, धोखा देकर, जुए, सूद और दूसरे हराम तरीक़ों से न खाया करो।

हदीस 337. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि कुछ लोगों ने कहा कि ऐ अल्लाह के पैग़म्बर! बहुत से लोग हमारे यहाँ गोश्त लाते हैं, हमें यह मालूम नहीं होता कि उन्होंने अल्लाह का नाम ज़िबह करने के वक़्त लिया था या नहीं? इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तुम "बिस्मिल्लाह" पढ़कर उसे खा लिया करो।

वज़ाहतः- मतलब यह कि मुसलमान से नेक गुमान रखना चाहिये, और जब तक मालूम न हो जाये कि मुसलमान ने ज़िबह के वक़्त "बिस्मिल्लाह" नहीं कही थी या ज़िबह के वक़्त अल्लाह तआला के सिवा किसी और का नाम लिया था तो उसका लाया हुआ या पकाया हुआ गोश्त हलाल ही समझा जायेगा। यह हुक्म मुश्रिकों और काफ़िरों के लिये नहीं है, और खाते वक़्त "बिस्मिल्लाह" पढ़नी ज़रूरी है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 338. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- लोगों पर एक ऐसा दौर आयेगा कि इनसान अपने आमदनी के साधनों और ज़रियों की कोई परवाह नहीं करेगा कि हलाल है या हराम।

वज़ाहतः- हमें चाहिये कि रोज़ी कमाने के असबाब और साधनों के मुताल्लिक़ ख़ूब छान-बीन कर लें, क्योंकि आमदनी का हलाल होना निहायत ज़रूरी है, इसलिये कि इसके बग़ैर कोई भी इबादत क़ुबूल नहीं होती है।

हदीस 339. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते थे- जिसको रिज़्क़ की कुशादगी (यानी ज़्यादती व फ़रावानी) या उम्र का लम्बा होना भला लगे वह अपने रिश्तेदारों से (नेक) सुलूक करे।

वज़ाहतः- रिश्तेदारों से मिलने और ग़रीब रिश्तेदारों की माली मदद करने से आमदनी और उम्र में बरकत होती है, क्योंकि ये दिल से उसकी उम्र के लम्बा और माल की ज़्यादती व अधिकता की दुआएँ करते हैं।

हदीस 340. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में अगर कोई लकड़ियों का गट्ठा (जंगल से काटकर) अपनी पीठ पर लादकर लाये और उसको बेचकर खाये तो उस आदमी से बेहतर है जो किसी के सामने हाथ फैलाता है, चाहे वह उसे कुछ दे या न दे।

वज़ाहतः- यानी सवाल करने के बजाय ख़ुद मेहनत करे।

हदीस 341. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- एक व्यापारी लोगों को क़र्ज़ दिया करता था, फिर जब देखता कोई मोहताज है तो अपने आदमियों से कहता उसको माफ़ कर दो शायद अल्लाह तआ़ला हमको भी माफ़ कर दे। आख़िर (जब वह मर गया तो) अल्लाह रब्बुल्-इ़ज़्ज़त ने उसको बख़्श दिया।

हदीस 342. हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बेचने वाला और

ख़रीदने वाला दोनों जब तक जुदा न हों सौदे को मन्सूख़ (ख़त्म और निरस्त) करने का इख़्तियार रखते हैं। फिर अगर वे दोनों सच बोलें और जो ऐब वग़ैरह हो वह साफ़-साफ़ बयान कर दें तो उनकी बै (कारोबार) में बरकत होती है, और अगर छुपायें या झूठ बोलें तो उनकी बै में बरकत नहीं होती है।

हदीस 343. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो कोई अनाज ख़रीदे वह उसको उस वक़्त तक आगे न बेचे जब तक अपने क़ब्ज़े में न ले ले।

वज़ाहतः- यानी कोई भी चीज़ जब ख़रीदी जाये तो क़ब्ज़े से पहले उसे आगे न बेचा जाये।

हदीस 344. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कोई तुम में से अपने भाई की बै (सौदे और मामले) पर बै न करे।

वज़ाहतः- जब दो आदमियों के दरमियान मामला तय हो रहा हो तो दख़ल-अन्दाज़ी न करे, जब तक कि दोनों का मामला खुद ख़त्म न हो जाये, और इसी तरह अपने भाई के रिश्ते पर भी दख़ल-अन्दाज़ी न करे।

हदीस 345. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम एक मरी हुई बकरी के क़रीब से गुज़रे, फ़रमाया- लोगो! तुमने इसकी खाल से फ़ायदा क्यों न उठाया? उन्होंने अ़र्ज़ किया यह तो मुर्दार है। आपने फ़रमाया- मुर्दार का सिर्फ़ खाना हराम है।

वज़ाहतः- मुर्दार में कुत्ते और ख़िन्ज़ीर (सुअर) की खाल दबाग़त (ख़ास तरीक़े से सुखाने और तैयार करने) से भी पाक नहीं होती है, बाक़ी तमाम मुर्दार हलाल जानवरों की खाल दबाग़त के बाद पाक हो जाती है, यानी किसी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। दबाग़त (रंगने) की दो क़िस्में हैं- एक यह कि सूरज से ख़ुश्क किया हुआ चमड़ा, मगर जब तक यह ख़ुश्क रहेगा तो पाक रहेगा जब तर हो जायेगा यानी भीग जायेगा तो उसमें

नापाकी फिर लौट आयेगी। दूसरे चूने और कीकर की छाल से रंगा हुआ, ऐसा चमड़ा भीगने के बाद भी पाक ही रहेगा नापाक नहीं होगा।

हदीस 346. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाये और फ़रमाया- (आज से) शराब पीने की तरह उसकी ख़रीद व फ़रोख़्त करना भी हराम है।

बै-ए-सलम का बयान

'सलम' ऐसी बै है जिसमें क़ीमत पहले दी जाती है सामान बाद में हवाले किया जाता है। ज़रूरी है कि जिन्स की क़िस्म, मात्रा, भाव और अदायेगी की तारीख़ बै की मजलिस में ही तय कर ली जाये। यह बै जायज़ है। जिस बै में ऊपर ज़िक्र हुई तमाम शर्तों में से कोई एक शर्त भी पूरी न हो तो वह बै नाजायज़ है।

हदीस 347. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मदीना में तशरीफ़ लाये और लोग खजूरें दो साल की मियाद पर सलम किया करते थे, आपने फ़रमाया- जब किसी चीज़ में कोई सलम करे तो निर्धारित नाप-तौल और मियाद मुक़र्रर कर लिया करे।

हदीस 348. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से खजूर के पेड़ के बारे में बै-ए-सलम के मुताल्लिक़ पूछा गया तो आपने फ़रमाया- पेड़ पर फल को बेचने से आपने उस वक़्त तक के लिये मना फ़रमाया था जब तक वह खाने के क़ाबिल न हो जाये, या उसका वज़न न किया जा सके।

हदीस 349. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक यहूदी से उधार ग़ल्ला ख़रीदा और अपनी लोहे की ज़िरह उसके पास गिरवी रखवा दी थी।

वज़ाहतः- कोई चीज़ ज़मानत के तौर पर रखवाना जायज़ है। इसी तरह क़र्ज़ लेने वाले का ज़मानती बनना या उसको क़र्ज़ देना दोनों ही बहुत बड़े सवाब के काम हैं।

शुफ़आ का बयान

फ़रोख़्त के वक़्त शरीक या पड़ोसी के ख़रीदने के हक़ को "हक़्क़े शुफ़आ" कहते हैं। फ़रोख़्त करते वक़्त पड़ोसी या हिस्सेदार को आगाह कर देना चाहिये, लेकिन पड़ोसी या शरीक को मार्किट की क़ीमत पर सौदा करना चाहिये। नाजायज़ दबाना दुरुस्त नहीं है। एक दफ़ा बता देने के बाद अगर पड़ोसी या पार्टनर न ख़रीदे तो उसके बाद शुफ़आ का हक़ न रहेगा।

हदीस 350. हज़रत जाबिर इब्ने अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने शुफ़आ का हुक्म दिया, जिसकी तक़सीम न हुई हो। जब हद-बन्दी हो जाये और रास्ते बदल दिये जायें फिर 'शुफ़आ' का हक़ बाक़ी न रहेगा।

वज़ाहतः- यानी जब सौदा हो जाये तो फिर शुफ़आ का हक़ ख़त्म हो जाता है।

हदीस 351. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा- या रसूलल्लाह! मेरे दो पड़ोसी हैं, उनमें से (पहले) मैं किसको हदिया (तोहफ़ा) भेजूँ? आपने फ़रमाया- जिसका दरवाज़ा तुमसे ज़्यादा नज़दीक हो।

वज़ाहतः- इसी उसूल से शुफ़आ का हक़ भी पहले उसी पड़ोसी को मिलेगा जिसका दरवाज़ा सबसे ज़्यादा क़रीब हो, यानी अगर आप अपनी जायदाद बेच रहे हों तो पहले पड़ोसियों का हक़ है कि वे ख़रीद लें।

उजरत का बयान

अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है-

तर्जुमाः- सबसे अच्छा मज़दूर वह है जिन्हें तुम मज़दूरी पर रखो जो ताक़तवर अमानतादार हो। (सूरः क़सस 28, आयत 26)

हदीस 352. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है- मैं क़ियामत के दिन तीन आदमियों का दुश्मन हूँगा, एक वह जिसने मेरा

नाम लेकर अ़हद किया फिर फ़रेब किया। दूसरा वह जिसने आज़ाद (इनसान) को बेचकर उसका पैसा खाया, तीसरा जिसने मज़दूर से पूरी मेहनत ली फिर उसको मज़दूरी न दी।

वज़ाहतः- मज़दूर की पूरी-पूरी मज़दूरी उसका पसीना ख़ुश्क होने से पहले अदा कर देनी चाहिये। नेक और अच्छे लोगों से मज़दूरी पर काम कराना कोई बुरी बात नहीं है बल्कि दोनों के लिये बरकत का सबब और सवाब है।

हदीस 358. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के कुछ सहाबा एक सफ़र में थे। सफ़र के दौरान अ़रब के एक क़बीले के पास पड़ाव डाला और चाहा कि क़बीले वाले हमारी मेहमान-नवाज़ी करें, लेकिन उन्होंने मेहमान-नवाज़ी न की। इत्तिफ़ाक़ से उनके सरदार को बिच्छू ने काट लिया और कोई तदबीर उनकी कारगर न हुई। कुछ लोग उनमें से कहने लगे चलो उन लोगों से पूछें जो यहाँ आकर ठहरे हैं, उनमें शायद कोई इसका तोड़ जानता हो। वे आये और सहाबा से कहने लगे- लोगो! हमारे सरदार को बिच्छू ने काट लिया है और हमने सब जतन किये मगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तुम्हारे पास कोई चीज़ (इलाज) है? (सहाबा में से) किसी ने कहा- क़सम अल्लाह की मैं उसका दम जानता हूँ। तुम लोगों से हमने यह चाहा कि हमारी मेहमान-नवाज़ी करो लेकिन तुमने न माना अब मैं तुम्हारे लिये दम पढ़ने वाला नहीं जब तक हमको उसकी मज़दूरी न दो। आख़िर चन्द बकरियाँ उजरत तय हुईं। वह सहाबी गये और सूरः फ़ातिहा पढ़-पढ़कर तुथकारने लगे। वह (अल्लाह तआ़ला के हुक्म से) ऐसा चंगा भला हो गया जैसे कोई रस्सी से बँधा हुआ खोल दिया जाये और अच्छी तरह चलने लगा, उसको कोई दुख न रहा। जो बकरियाँ तय हुई थीं वो उन्होंने दे दीं। कुछ (सहाबा) ने कहा इनको बाँट लो लेकिन जिसने दम किया था उसने कहा अभी ठहरो, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होंगे और आप से यह क़िस्सा बयान करेंगे। आपने दम पढ़ने वाले से पूछा तुझे यह कैसे मालूम हुआ कि सूरः फ़ातिहा दम है? सहाबा ने कहा कि मुझे इल्हाम

हुआ था। (फ़त्हुल्-बारी)

फिर आपने फ़रमाया- तुमने अच्छा किया। ये बकरियाँ बाँट लो, मेरा भी हिस्सा अपने साथ लगाओ। और यह फ़रमाकर आप हंस दिये।

वज़ाहतः- हदीस में यह नहीं है कि कितनी बार सूरः फ़ातिहा पढ़ी, लेकिन एक हदीस में सात बार और दूसरी हदीस में तीन बार का ज़िक्र आया है। मरीज़ पर हर दफ़ा "बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम" के साथ सूरः फ़ातिहा पढ़कर तीन बार या सात बार सुबह व शाम दम करें, तकलीफ़ ज़्यादा हो तो हर नमाज़ के बाद कम से कम सात दिन। हर मर्ज़ का बेहतरीन मस्नून इलाज है।

हवाला और कफ़ालत का बयान

हवाला के शरई मायने किसी के क़र्ज़ को दूसरे की तरफ़ रज़ामन्दी से मुन्तक़िल कर देना है। इसी तरह कफ़ालत के मायने हैं "ज़िम्मेदारी"।

हदीस 354. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मालदार की तरफ़ से (क़र्ज़ अदा करने में) टाल-मटोल करना ज़ुल्म है, और किसी का क़र्ज़ किसी मालदार के हवाले किया जाये तो उसे क़ुबूल कर लेना चाहिये।

वज़ाहतः- मालदार को ग़रीब के क़र्ज़े का ज़मानती बनना चाहिये, और क़र्ज़दार अगर मुक़र्ररा वक़्त पर अदा न कर सके तो मालदार ज़मानती को अदा कर देना चाहिये, बहुत बड़ा सवाब है।

हदीस 355. हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने एक जनाज़ा लाया गया (जनाज़े की) नमाज़ पढ़ने के लिये। आपने पूछा- क्या इस पर कोई क़र्ज़ है? लोगों ने कहा "नहीं"। आपने उस पर नमाज़े (जनाज़ा) पढ़ी। फिर दूसरा जनाज़ा आया आपने पूछा क्या- इस पर क़र्ज़ है? लोगों ने कहा "जी हाँ"। आपने सहाबा से फ़रमाया तुम अपने साथी पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ लो। हज़रत अबू क़तादा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! इसका क़र्ज़ मैंने अपने ज़िम्मे ले लिया, तब आपने उस पर नमाज़े (जनाज़ा) पढ़ी।

वज़ाहतः- मक़रूज़ (जिस पर कर्ज़ा हो) का कर्ज़ा अदा करना बहुत बड़ा सवाब है, ख़ास तौर पर कर्ज़दार मय्यित का। हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने एक मय्यित का कर्ज़ अपने ज़िम्मे ले लिया था इसलिये कि आप कर्ज़दार मय्यित की नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ा रहे थे। उसके बाद आपने हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु को दुआ़ दी कि अल्लाह रब्बुल्-इज़्ज़त तुमको बेहतरीन बदला और जन्नत अ़ता करे। कर्ज़ा ज़कात में से भी अदा किया जा सकता है। याद रहे कि ज़कात पेशगी साल के बीच में भी दी जा सकती है। अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर सूरः तौबा 9, आयत 60।

वकालत का बयान

किसी दूसरे आदमी को अपने काम सुपुर्द करना 'वकालत' कहलाता है। जिसे काम सौंपा जाये उसे 'वकील' कहते हैं।

हदीस 356. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर एक शख़्स का एक उम्र वाला ऊँट कर्ज़ था, वह तक़ाज़ा करने आया, आपने सहाबा से फ़रमाया- इसको उसी उम्र का ऊँट दे दो। ढूँढा तो उस उम्र का ऊँट न मिला बल्कि उससे ज़्यादा उम्र वाला (जो क़ीमत में भी ज़्यादा था) मिला। आपने फ़रमाया "वही दे दो"। वह बोला- आपने मेरा हक़ पूरा दे दिया, अल्लाह तआ़ला आपको भी पूरा बदला दे। तब आपने फ़रमाया- तुम में अच्छे वही लोग हैं जो कर्ज़ को ख़ूबी के साथ अदा करें।

वज़ाहतः- मक़रूज़ (कर्ज़दार) अगर मुम्किन हो तो कर्ज़ से बेहतर या ज़्यादा जितना भी ख़ुशी से देना चाहे अदा करे, लेकिन पहले से तय न करे वरना सूद हो जायेगा। अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है-

तर्जुमाः- एहसान का बदला एहसान ही है। (सूरः रहमान 55, आयत 60) यानी अगर आप पर कोई एहसान करे तो आप भी कोई न कोई एहसान करें, कुछ न कर सकते हों तो कम से कम उसके लिये मग़फ़िरत की दुआ़ ही कर दें।

हदीस 357. हज़रत सहल बिन सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है

कि एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आई और कहने लगी या रसूलल्लाह! मैं ख़ुद को आपके लिये हिबा करती हूँ (आप जो जी चाहे वह कीजिये)। एक शख़्स बोला या रसूलल्लाह! इसका निकाह मुझसे कर दीजिये। आपने फ़रमाया हमने क़ुरआन (की तालीम) के बदले में जो तुझको याद है इसका निकाह तुझसे कर दिया।

वज़ाहतः- मेहर में देने के लिये कुछ न हो तो क़ुरआन की तालीम भी मेहर हो सकता है। लड़की वाले (बाप या वली) भी रिश्ता माँग सकते हैं यह कोई ऐब की बात नहीं है। लड़की अपने माँ-बाप को अपनी शादी के बारे में मश्विरा भी दे सकती है, माँ-बाप को बहुत ही संजीदगी (गंभीरता) से ग़ौर करना चाहिये। (तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर सूरः क़सस 28, आयत 27) हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ख़ुद आप से शादी की ख़्वाहिश अपनी सहेली नफ़ीसा बिन्ते मुनब्बेह रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़रीये की थी। (अर्रहीक़ुल्-मख़्तूम)

हदीस 358. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अमानत दार ख़ज़ानची जो अपने मालिक के हुक्म के मुताबिक़ पूरा-पूरा ख़ुशी से (अल्लाह के रास्ते में) देता है (तो वह भी) सदक़ा देने वालों में शरीक है, उसको भी सदक़े का सवाब मिलेगा।

वज़ाहतः- क्योंकि वह मालिक की तरफ़ से वकील था और देते वक़्त दिल तंग नहीं करता था।

खेती-बाड़ी और पैदावार का बयान

अल्लाह तआला ने (सूरः वाक़िआ में) फ़रमाया-

तर्जुमाः- बतलाओ तुम जो उगाते हो उसको तुम उगाते हो या हम उगाते हैं, अगर हम चाहें तो उसे किसी क़ाबिल न रहने दें।

(सूरः वाक़िआ 56, आयत 63-65)

हदीस 359. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो मुसलमान कोई

दरख़्त (पेड़) लगाये या खेती-बाड़ी करे फिर उसमें से कोई परिन्दा या आदमी या जानवर खाये तो उसको सदके का सवाब मिलेगा।

वज़ाहतः- तरजीही तौर पर (यानी वरीयता देते हुए) फलदार दरख़्त लगाने बेहतर हैं।

हदीस 360. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसने कुत्ता रखा उसके नेक आमाल का सवाब एक क़ीरात रोज़ना कम होता रहेगा, अलबत्ता खेत या रेवड़ की हिफ़ाज़त के लिये कुत्ता रखा जा सकता है।

बटाई का बयान

'मसाक़ात' के मायने यह हैं कि एक आदमी के बाग़ हों और वह दूसरे (शरीक) से यूँ कहे तुम उनको पानी दिया करो, उनकी ख़िदमत करते रहो, पैदावार हम दोनों बाँट लेंगे।

हदीस 361. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अन्सारी लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया कि ऐसा कीजिये कि खजूर के दरख़्त हम में और हमारे मुहाजिरीन भाईयों में तक़सीम कर दीजिये। आपने फ़रमाया- यह नहीं हो सकता। तब अन्सार ने मुहाजिरीन से कहा ऐसा करो तुम बाग़ों में मेहनत करो हम और तुम फल (पैदावार) में शरीक रहेंगे। उन्होंने कहा अच्छा हमने सुना और क़ुबूल किया।

हदीस 362. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में एक बकरी पली हुई थी, उसका दूध रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये धूहा गया और उसमें उस कुएँ का पानी मिला दिया गया जो हज़रत अनस के घर में था। फिर रसूलुलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दूध का प्याला पेश किया गया। आपने उसमें से पिया, जब प्याला मुहँ से अलग किया देखा तो हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी बायीं तरफ़ बैठे थे और एक देहाती आपकी दायीं तरफ़ बैठा था, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु डरे कि कहीं आप यह प्याला उस देहाती को न दे दें, इसलिये अर्ज़ किया- या रसूलल्लाह! पहले अबू बक्र को दीजिये जो आपके

पास बैठे हैं। आपने पहले उस देहाती को दिया और फ़रमाया- दायीं तरफ़ वाला ज़्यादा हक़दार है।

वज़ाहतः- आप भी जब कुछ तक़सीम करें तो सीधे हाथ की तरफ़ से करें, और बता भी दें कि यह सुन्नत तरीक़ा है। इस तरह हदीस भी लोगों को मालूम हो जायेगी और कोई नाराज़ भी नहीं होगा 'इन्शा-अल्लाह-तआ़ला'।

हदीस 363. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- एक शख़्स को ज़ोर की प्यास लगी, वह कुएँ में उतरा और पानी पिया, अन्दर से निकला देखा तो एक कुत्ता हाँप रहा है और प्यास के मारे कीचड़ चाट रहा है, उसने अपने दिल में कहा इसको भी वही तकलीफ़ होगी जो मुझको थी (चुनाँचे वह दोबारा कुएँ में उतरा) उसने अपना (चमड़े का) मौज़ा पानी से भरा और मुँह में थामकर ऊपर चढ़ा। कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह तआ़ला ने उसके इस अ़मल को क़ुबूल किया और उसको बख़्श दिया। यह सुनकर सहाबा ने अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! क्या जानवरों को पानी पिलाने में भी हमको सवाब मिलेगा? आपने फ़रमाया- क्यों नहीं, हर जानदार (की ख़िदमत करने) में सवाब है।

वज़ाहतः- आप भी रोज़ाना एक बर्तन में पानी भरकर खुली जगह में रखें ताकि चिड़ियाँ और दूसरे परिन्दे पानी पियें। हो सके तो थोड़ा-सा बाजरा भी रोज़ाना रख दें। इन्शा-अल्लाह तआ़ला आपको सवाब मिलता रहेगा।

हदीस 364. हज़रत असमा बिन्ते अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सूरज ग्रहण की नमाज़ पढ़ी फिर (नमाज़ के बाद) फ़रमाया- दोज़ख़ मुझसे इतनी नज़दीक हुई कि मैं कहने लगा परवर्दिगार क्या मैं भी दोज़ख़ वालों में से हूँ? इतने में मैंने एक औ़रत देखी जिसको एक बिल्ली नोच रही थी। आपने पूछा "यह क्या मामला है"? फ़रिश्तों ने कहा- इसने दुनिया में इस बिल्ली को बाँध रखा था यहाँ तक कि यह भूख से मर गई।

हदीस 365. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तीन आदमियों से अल्लाह तआ़ला कियामत के दिन बात नहीं करेगा और न ही उनकी तरफ़ नज़र उठाकर देखेगा। एक वह शख़्स जिसने झूठी क़सम खाई कि मुझको इस सामान के इतने रुपये मिलते थे हालाँकि उससे कम मिलते थे। दूसरा जिसने झूठी क़सम खाई ताकि एक मुसलमान का माल हज़्म कर ले। तीसरा जिसने अपनी ज़रूरत से बचा हुआ पानी रोक लिया। अल्लाह तआ़ला उससे फ़रमायेगा- तूने उस पानी को रोक रखा था जो तेरा बनाया हुआ न था, आज मैं अपना फ़ज़्ल तुझसे रोक लेता हूँ।

क़र्ज़ का बयान

हदीस 366. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने कहा कि मैं आपके साथ एक ग़ज़वे (जंगी मुहिम) में शरीक था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम्हारा ऊँट कैसा है? इसको बेचते हो? मैंने अ़र्ज़ किया जी हाँ बेचता हूँ। आख़िर मैंने आपके हाथ बेच डाला, जब आप मदीना में आये तो मैं ऊँट लेकर आपके पास पहुँचा तो आपने मुझे उसकी क़ीमत दे दी।

वज़ाहतः- उधार ख़रीद व फ़रोख़्त करना जायज़ है मगर वायदे पर अदायेगी ज़रूरी है।

हदीस 367. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स लोगों का माल इस नीयत से (क़र्ज़) ले कि उसको अदा करेगा तो अल्लाह तआ़ला उसकी तरफ़ से अदा करा देगा (कोई रास्ता निकाल देगा), और जो शख़्स न देने की नीयत से (क़र्ज़) ले तो अल्लाह रब्बुल्-इ़ज़्ज़त उसको तबाह कर देगा।

वज़ाहतः- क़र्ज़ लेते वक़्त अदा करने की नीयत और फ़िक्र ज़रूरी है। अगर नीयत में ख़राबी हो तो बहुत सी बार अल्लाह तआ़ला दुनिया में भी क़र्ज़ा लेने वाले को सज़ा देते हैं और आख़िरत में भी अ़ज़ाब होता है।

हदीस 368. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर मेरे पास उहुद पहाड़ के बराबर सोना हो तो तब भी मुझको यह अच्छा नहीं लगता कि तीन दिन गुज़र जायें और उसमें से कुछ भी सोना मेरे पास बाक़ी रहे। हाँ क़र्ज़ अदा करने के लिये कुछ मैं रख छोड़ूँ तो और बात है।

वज़ाहतः- बिना ज़रूरत क़र्ज़ लेना जायज़ नहीं।

हदीस 369. हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- एक शख़्स मर गया, उससे पूछा गया तेरे पास कोई नेकी है? वह कहने लगा मैं लोगों से ख़रीद व फ़रोख़्त करता था (और जब किसी पर मेरा क़र्ज़ होता तो) मालदार को मैं मोहलत देता था और तंगदस्तों को (क़र्ज़) माफ़ कर देता था। इस वजह से वह बख़्श दिया गया।

वज़ाहतः- ज़रूरत मन्द को क़र्ज़ देना और तंगदस्त क़र्ज़दार का क़र्ज़ा माफ़ कर देना बहुत ही बड़ा सवाब है, कम से कम उसको मोहलत ज़रूर देनी चाहिये। अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर सूरः ब-क़रह 2, आयत 280।

हदीस 370. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आया, आप उस वक़्त मस्जिद में थे, आपने फ़रमाया- दो रकअ़तें पढ़ लो। मेरा आप पर कुछ क़र्ज़ था, आपने उसे अदा किया और कुछ ज़्यादा भी दिया।

वज़ाहतः- एहसान का बदला नहीं है मगर एहसान। इसलिये क़र्ज़ अदा करते वक़्त अगर मुम्किन हो तो कोई तोहफ़ा वग़ैरह दे दिया जाये तो बेहतर है जो पहले से तय न हो।

हदीस 371. हज़रत जाबिर इब्ने अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु के वालिद उहुद के दिन शहीद हुए, वह क़र्ज़दार थे, क़र्ज़ देने वालों ने अपने क़र्ज़ के लिये तक़ाज़ा किया। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आया (आप से बयान किया) आपने क़र्ज़ देने वालों से कहा कि बाग़ में जितनी खजूरें हैं वो सब ले लो, बाक़ी क़र्ज़ माफ़ कर दो। उन्होंने न माना, आख़िर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बाग़ का मेवा उनको न

दिया और मुझसे यह फ़रमाया कि सुबह को मैं तुम्हारे बाग़ में आऊँगा (क़र्ज़ वालों को बुलवा लेना)। फिर सुबह आप तशरीफ़ लाये, बाग़ में चक्कर लगाया और उसके फल में बरकत की दुआ फ़रमाई। फिर मैंने जो खजूर काटी तो सब का क़र्ज़ अदा हो गया और कुछ बच भी गई।

हदीस 372. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नमाज़ में (क़र्ज़ से अल्लाह तआ़ला की पनाह) यूँ माँगते थे-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अऊ़ज़ु बि-क मिनल्-मअ्समि वल्-मग़्रमि।

तर्जुमाः- या अल्लाह! मैं आपकी पनाह माँगता हूँ गुनाह से और क़र्ज़ से।

एक शख़्स ने पूछा या रसूलल्लाह! इसकी क्या वजह है कि आप क़र्ज़ से बहुत पनाह माँगा करते हैं? आपने फ़रमाया- आदमी जब क़र्ज़दार होता है तो झूठ बोलता है और वादा करके उसके ख़िलाफ़ करता है।

हदीस 373. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स (अपने इन्तिक़ाल के वक़्त) माल छोड़ जाये तो वह उसके वारिसों को मिलेगा, और जो क़र्ज़ छोड़ जाये तो उसके हम ज़िम्मेदार हैं।

वज़ाहतः- यानी मय्यित का क़र्ज़ बैतुल्-माल से भी अदा किया जा सकता है। यह आपकी शफ़क़त थी।

झगड़ों का बयान

हदीस 374. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक यहूदी ने एक लड़की का सर दो पत्थरों से कुचल डाला, (उसमें कुछ जान बाक़ी थी) लोगों ने उससे पूछा यह किसने किया है? फ़ुलाँ ने या फ़ुलाँ ने? जब उस यहूदी का नाम लिया गया तो लड़की ने सर से इशारा किया (कि हाँ), वह यहूदी पकड़ा गया और उसने भी जुर्म को स्वीकार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हुक्म दिया और उसका सर भी दो

पत्थरों से कुचला गया। (तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर सूरः ब-क़रह 2, आयत 178 और सूरः मायदा 5, आयत 45)

हदीस 375. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक सहाबी ख़रीद व फ़रोख़्त के वक़्त धोखा खा जाया करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनसे फ़रमाया- जब ख़रीद व फ़रोख़्त करो तो कहा करो कि कोई धोखा न हो, चुनाँचे वे इसी तरह कहा करते थे।

गिरी हुई चीज़ का बयान

हदीस 376. हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मुझे एक थैली मिली जिसमें सौ दीनार थे, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आया (आप से पूछा), आपने फ़रमाया- साल भर तक लोगों से पूछता रह। मैं साल भर तक दरियाफ़्त करता रहा कोई उसका पहचानने वाला न मिला, फिर मैं (दोबारा) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आया, आपने फ़रमाया- एक साल और पूछता रह। मैंने पूछा लेकिन कोई न मिला, फिर तीसरी बार आपके पास आया, आपने फ़रमाया- उसकी थैली और गिनती और बन्धन (बाँधने को) एहतियात से पहचान लो, फिर अगर उसका मालिक आ जाये तो बेहतर है वरना तुम उसको अपने काम ले आओ, चुनाँचे मैं उसे अपने काम में ले आया।

वज़ाहतः- अगर सदक़ा कर दिया जाये तो अफ़ज़ल है, अगर ख़ुद ग़रीब हो तो अपने ऊपर भी ख़र्च कर सकता है।

हदीस 377. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को रास्ते में खजूर मिली, फ़रमाने लगे- अगर मुझको यह डर न होता कि यह खजूर सदक़े की है तो मैं इसको खा लेता।

वज़ाहतः- आप पर और आपकी आल पर सदक़ा हराम है।

हदीस 378. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कोई दूसरे के जानवर का दूध उसके मालिक की इजाज़त के बग़ैर न दूहे (निकाले)। क्या

तुम में कोई इस बात को पसन्द करेगा कि कोई उसके गोदाम में आकर उसके ग़ल्ले का मुँह खोले और ग़ल्ला लेकर चल दे? ऐसे ही जानवरों के थन उनके खाने (दूध) के गोदाम हैं, तो किसी का जानवर बग़ैर उस (उसके मालिक) की इजाज़त के हरगिज़ न दूहे।

वज़ाहतः- लेकिन जान बचाने के लिये बग़ैर इजाज़त के भी दूध दूहा जा सकता है।

ज़ुल्म का बयान

हदीस 379. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब ईमान वाले लोग (क़ियामत के दिन) दोज़ख़ पर से गुज़र जायेंगे तो जन्नत और दोज़ख़ के दरमियान उनको एक पुल पर रोक लिये जायेगा और दुनिया में जो उन्होंने एक दूसरे पर ज़ुल्म किया था उसका बदला लिया जायेगा। जब पाक-साफ़ हो जायेंगे तो उनको जन्नत के अन्दर जाने की इजाज़त मिलेगी। क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की जान है, हर शख़्स को जन्नत में अपना मकान दुनिया के मकान से बढ़कर (यानी ज़्यादा अच्छी तरह) मालूम रहेगा।

हदीस 380. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुसलमान मुसलमान का भाई है, न ख़ुद उस पर ज़ुल्म करे और न ज़ुल्म होने दे। और जो शख़्स अपने मुसलमान भाई का काम निकाले तो अल्लाह तआला उसका काम निकाल देगा, और जो शख़्स मुसलमान पर से कोई मुसीबत दूर करेगा तो अल्लाह तआला क़ियामत की मुसीबत उस पर से दूर फ़रमायेगा, और जो शख़्स मुसलमान का ऐब छुपा ले तो अल्लाह तआला क़ियामत के दिन उसके ऐब छुपायेगा।

हदीस 381. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अपने भाई की मदद करो वह ज़ालिम हो या मज़लूम। लोगों ने अर्ज़ किया- या रसूलल्लाह!

वह मज़लूम हो तो उसकी मदद करेंगे लेकिन ज़ालिम हो तो कैसे मदद करें? आपने फ़रमाया- उसको ज़ुल्म से रोको।

वज़ाहतः- ज़ालिम को ज़ुल्म से रोकना ही ज़ालिम की मदद है, इसलिये कि ज़ुल्म की वजह से आख़िरत में सख़्त सज़ा होगी।

हदीस 382. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आपने फ़रमाया- मोमिन दूसरे मोमिन के लिये ऐसा होना चाहिये जैसे इमारत की एक ईंट दूसरी ईंट को थामे हुई है। (यह कहकर) आपने एक हाथ की उंगलियाँ दूसरे (हाथ की उंगलियों) में दाख़िल कर लीं।

हदीस 383. हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हज़रत मुआज़ को यमन की तरफ़ भेजा और फ़रमाया- देखो मज़लूम की बद्दुआ से बचते रहना, क्योंकि उस (की बद्दुआ) को अल्लाह तआला तक पहुँचने में कोई रुकावट नहीं है।

वज़ाहतः- हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन के ज़ुल्म से तंग आकर बद्दुआ की थी जिसका असर चालीस साल के बाद ज़ाहिर हुआ था। ज़ालिम को यह नहीं समझना चाहिये कि मैंने ज़ुल्म किया और कुछ सज़ा नहीं मिली। अल्लाह तआला के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं है, इसी तरह दुआ करने वाले को भी सब्र से काम लेना चाहिये।

हदीस 384. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसने दूसरे की बेइज़्ज़ती और अपमान किया हो, या और कोई ज़ुल्म किया हो तो वह आज दुनिया में ही माफ़ करा ले उस दिन से पहले जहाँ न रुपया होगा न पैसा, अलबत्ता अगर नेक अमल उसके पास होगा तो वह ले लिया जायेगा उसके ज़ुल्म के बराबर, और अगर नेक अमल न होगा तो मज़लूम की बुराईयाँ लेकर उस पर डाल दी जायेंगी।

हदीस 385. हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो किसी की ज़मीन ज़ुल्म से छीन ले तो सात ज़मीनों का तौक़ (क़ियामत के दिन) उसके गले में डाला जायेगा।

हदीस 386. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दो-दो खजूरें इकट्ठी खाने से मना फ़रमाया, अलबत्ता अगर उसका भाई (जो उसके साथ खा रहा हो वह दो-दो खजूरें खाने की) इजाज़त दे तो ऐसा कर सकता है।

वज़ाहतः- सब के साथ खाना खा रहे हों तो प्लेट में थोड़ा-थोड़ा निकालना चाहिये, सबसे अच्छा और ज़्यादा अपने लिये नहीं निकलना चाहिये, यही आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तालीम है।

हदीस 387. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआला को सबसे ज़्यादा नापसन्द वह शख़्स है जो सख़्त झगड़ालू हो।

(अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर सूरः ब-क़रह 2, आयत 204)

हदीस 388. हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- रास्तों पर बैठने से बचते रहो। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! इस बात में तो हम मजबूर हैं, वहीं तो हम बैठते हैं बात-चीत करते हैं। आपने फ़रमाया- अच्छा अगर ऐसी ही मजबूरी है तो उसका हक़ अदा करो। उन्होंने पूछा हक़ क्या है? आपने फ़रमाया- निगाह नीची रखना और किसी को तकलीफ़ न देना और सलाम का जवाब देना, और अच्छी बात का हुक्म करना और बुरी बात से मना करना।

हदीस 389. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- रास्ते से तकलीफ़देह चीज़ को हटाना भी सदक़ा है।

हदीस 390. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- एक बार एक शख़्स रास्ते में जा रहा था, वहाँ काँटेदार शाख़ (टहनी) देखी तो उसको उठा लिया (और रास्ते से दूर कर दिया), अल्लाह तआला ने इस काम की क़द्र की और उसको बख़्श दिया।

हदीस 391. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स अपने माल की हिफ़ाज़त में मारा जाये वह शहीद है।

साझेदारी का बयान

हदीस 392. हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ अ़सर की नमाज़ पढ़कर ऊँट ज़िबह करते थे, फिर उसके दस हिस्से करते और हम सूरज डूबने से पहले पका हुआ गोश्त खा लेते थे।

वज़ाहत:- यानी अ़सर की नमाज़ अव्वल वक़्त में पढ़ लेते थे। आज भी बैतुल्लाह और मस्जिदे नबवी और मक्का व मदीना की तमाम मस्जिदों में तमाम नमाज़ें अव्वल वक़्त में ही पढ़ी जाती हैं, और अव्वल वक़्त में नमाज़ पढ़ना अफ़ज़ल अ़मल है।

हदीस 393. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अश्अ़री लोग जब जिहाद में मोहताज हो जाते या मदीना में उनके बाल-बच्चों के पास खाना कम रह जाता तो सब लोग अपना-अपना मौजूद सामान मिलाकर एक कपड़े में इकट्ठा कर लेते हैं फिर आपस में एक पैमाने (नापने के बर्तन) से तक़सीम कर लेते हैं, इस इन्साफ़ व बराबरी की वजह से वे मुझसे हैं और मैं उनसे हूँ।

वज़ाहत:- मालूम हुआ कि सफ़र व हज़र में अपना-अपना माल इकट्ठा करना फिर अन्दाज़े से बराबर तक़सीम करना मुस्तहब (अच्छा और पसन्दीदा) है।

हदीस 394. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन हिशाम रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मुलाक़ात की, उनकी वालिदा ज़ैनब हुमैद उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास लेकर गयी थीं और अ़र्ज़ किया था कि या रसूलल्लाह! इससे बैअ़त लीजिये। आपने फ़रमाया कि यह अभी छोटे हैं, लेकिन आपने उनके सर पर मुहब्बत का हाथ फेरा और उनके लिये दुआ़ फ़रमाई। वह अक्सर बाज़ार जाकर ग़ल्ला

ख़रीदा करते थे, हज़रत इब्ने उमर और हज़रत इब्ने ज़ुबैर उनसे मिलते तो कहते कि हमको भी शरीक कर लो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तुम्हारे लिये बरकत की दुआ़ की है। चुनाँचे वह उनको शरीक कर लेते, बहुत सी बार पूरा-पूरा ऊँट हिस्से में आता जिसको वे अपने घर भेज देते थे।

वज़ाहतः- कोई ख़ुश-क़िस्मत इनसान हो (जब मालूम हो जाये) तो उसके साथ शिर्कत (पार्टनर्शिप) करनी मुस्तहब (अच्छी और पसन्दीदा) है। वैसे भी कारोबार और शिर्कत (साझेदारी) मस्नून है बशर्ते कि शरीक (पार्टनर) की नीयत साफ़ हो तो फ़ायदा ही फ़ायदा है।

रहन रखने का बयान

अल्लाह तआ़ला ने इरशाद फ़रमाया-

तर्जुमाः- अगर तुम सफ़र में हो और लिखने वाला कोई न मिले तो कोई चीज़ गिरवी रख दो। (सूरः ब-क़रह 2, आयत 283)

वज़ाहतः- क़र्ज़ के बदले में कोई चीज़ रखवा देने को रहन (गिरवी) कहते हैं ताकि अगर क़र्ज़ अदा न हो तो क़र्ज़ देने वाला उस चीज़ से अपना क़र्ज़ वसूल कर ले। फ़रोख़्त होने से अगर रक़म क़र्ज़ से ज़्यादा वसूल हो तो मक़रूज़ को बाक़ी रक़म वापस कर दे, वरना बहुत बड़ा गुनाह है।

हदीस 395. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपनी ज़िरह "जौ" के बदले में गिरवी रखी थी (आपने "जौ" क़र्ज़ के तौर पर लिये थे और ज़मानत में अपनी ज़िरह उसके पास रखवाई थी, और (एक दिन) मैं आपके पास "जौ" की रोटी और बासी चर्बी (खाने के लिये) ले गया और मैंने आप से सुना, आप फ़रमाते थे- मुहम्मद के घर वालों के पास सुबह और शाम एक साअ़ (ढाई किलो ग्राम) अनाज के सिवा और कुछ नहीं, हालाँकि आपके नौ (9) घर थे।

वज़ाहतः- आपने अपना यह वाक़िआ़ मोमिनों को तसल्ली देने के लिये बयान किया।

हदीस 396. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- गिरवी जानवर पर उसका ख़र्च निकालने के लिये सवारी की जा सकती है, दूध वाला जानवर गिरवी हो तो उसका दूध पिया जा सकता है।

गुलामों को आज़ाद करने का बयान

हदीस 397. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स किसी मुसलमान ग़ुलाम को आज़ाद करेगा तो अल्लाह तआ़ला आज़ाद किये हुए ग़ुलाम के हर अंग (बदन के हिस्से) के बदले उसका हर अंग दोज़ख़ से आज़ाद कर देगा।

हदीस 398. हज़रत अबूज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा- कौनसा अ़मल अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला पर ईमान लाना, उसकी राह में जिहाद करना। मैंने कहा- कौनसा ग़ुलाम आज़ाद करना अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया- जिसकी क़ीमत ज़्यादा और उसके मालिक को बहुत पसन्द हो। मैंने अ़र्ज़ किया- अगर मैं यह न कर सकूँ तो? आपने फ़रमाया- तुम किसी मुसलमान कारीगर की मदद करो या बेहुनर की (जो रोज़ी न कमा सके)। मैंने अ़र्ज़ किया- अगर यह भी न कर सकूँ तो? आपने फ़रमाया- लोगों को अपने शर (बुराई) से महफ़ूज़ कर दो यह भी एक सदक़ा है जो तुम अपने ऊपर करोगे।

वज़ाहतः- ग़रीब बेहुनर को हुनर सिखाना बहुत बड़ा सवाब है, इसलिये किसी ग़रीब की फ़ीस और दूसरे ख़र्चे देकर उसको हुनर-मन्द बनायें ताकि वह भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा हो जाये।

हदीस 399. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि आपने फ़रमाया- तुम में से कोई शख़्स इस तरह न कहे- तू अपने रब को खाना खिला, अपने रब को वुज़ू करा, अपने रब को पानी पिला, मेरा बन्दा, मेरी बन्दी, बल्कि यूँ कहे मेरा ख़ादिम, मेरी ख़ादिमा और मेरा ग़ुलाम।

वज़ाहतः- हक़ीक़त में रब होना तो सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला की शान है

लिहाज़ा लफ़्ज़ (रब या मालिक या मेरा बन्दा) किसी मख़लूक़ के लिये इस्तेमाल न करें। हम सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल्-इ़ज़्ज़त के बन्दे हैं, किसी इनसान के नहीं हैं।

हदीस 400. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से किसी के पास उसका ख़ादिम खाना लेकर आये तो अगर उसको अपने साथ न खिला सके तो उसको एक दो लुक़्मे या खाने की चीज़ में से कुछ न कुछ ज़रूर दे, क्योंकि उसने उसको तैयार करने की मेहनत (और तकलीफ़) उठाई है।

वज़ाहतः- ख़ादिम को अपने साथ बिठाना मुस्तहब है, अगर ऐसा मुम्किन न हो तो कम से कम एक दो लुक़्मे उसे ज़रूर देने चाहियें।

हिबा का बयान (फ़ज़ीलत और प्रेरणा)

हदीस 401. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ मुसलमान औ़रतो! कोई औ़रत अपनी पड़ोसन औ़रत के (हदिये) को हक़ीर (मामूली और कम-दर्जे का) न समझे चाहे बकरी का पाया ही क्यों न हो।

वज़ाहतः- पड़ोसियों को तोहफ़ा (खाने पीने की चीज़ें) देते रहना चाहिये। कोई मामूली तोहफ़ा भी दे तो क़ुबूल कर ले वरना देने वालों का दिल दुखेगा, और मुसलमान का दिल दुखाना बड़ा गुनाह है, किसी मजबूरी की वजह से खुद इस्तेमाल न कर सकते हों तो लेकर किसी दूसरे को दे दें।

हदीस 402. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर दावत में मुझको कोई बकरी का हाथ या पाया तोहफ़ा भेजे तो मैं उसको ज़रूर ले लूँगा।

हदीस 403. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हदिया क़ुबूल फ़रमा लिया करते थे लेकिन उसका बदला भी दिया करते थे।

वज़ाहतः- फ़ौरी बदला कम से कम यह दुआ़ है-

جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا

जज़ाकल्लाहु ख़ैरन्

या

تَقَبَّلَ اللّٰهُ مِنْكَ.

तक़ब्बलल्लाहु मिन्-क।

हदीस 404. हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत बशीर बिन सअ़द नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आये और कहने लगे- मैंने अपने बेटे (नोमान) को एक ग़ुलाम दिया है। आपने पूछा क्या तुमने अपने सब बेटों को ऐसा ही ग़ुलाम दिया है? उन्होंने कहा "नहीं"। आपने फ़रमाया कि फिर (उनसे भी) वापस ले लो।

वज़ाहतः- ज़िन्दगी में हर औलाद (बेटा और बेटी) को बराबर देना चाहिये सिवाय इसके कि कोई औलाद ज़रूरत मन्द हो। विरासत का क़ानून इससे अलग और भिन्न है, विरासत मरने के बाद है।

हदीस 405. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हिबा (तोहफ़ा) करके फिर वापस लेने वाला उस कुत्ते की तरह है जो क़ै करके फिर चाट जाता है।

वज़ाहतः- इसी तरह किसी को तोहफ़ा देकर वापस लेना गुनाह है।

हदीस 406. हज़रत असमा बिन्ते अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ख़र्च किया करो, गिना न करो ताकि तुम्हें भी गिनकर न मिले, और छुपाकर न रखो ताकि तुमसे भी अल्लाह तआ़ला (अपनी नेमतों को) न पुछा ले।

वज़ाहतः- बग़ैर गिने अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआ़ला भी बग़ैर हिसाब के देते हैं, यह आज़माया हुआ नुस्ख़ा है।

हदीस 407. हज़रत कुरैब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि उम्मूल-मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने अपनी एक बाँदी आज़ाद कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर तुम अपने ननिहाल वालों (रिश्तेदारों) को यह बाँदी देती तो तुमको ज़्यादा सवाब

मिलता।

वज़ाहतः- ख़ाला या दूसरे क़रीबी रिश्तेदारों का हक़ पहले है, क्योंकि इसमें सिला-रहमी का सवाब भी मिलता है और सदक़ा करने का भी। एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस पर किसी (बन्दे) का हक़ हो तो उसे अदा कर दे या माफ़ करा ले। माँ के मरने के बाद ख़ाला ही को माँ समझे और माँ की तरह ख़िदमत करे, इन्शा-अल्लाह तआ़ला बहुत सवाब मिलेगा।

हदीस 408. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझको एक धारीदार रेशमी "हुल्ला" (चादर) भेजी, मैंने उसको पहना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के चहरे पर नागवारी के आसार हो गये, मैंने उसके टुकड़े करके अपनी (रिश्तेदार) औ़रतों में तक़सीम कर दिया।

वज़ाहतः- अगर कोई चीज़ तोहफ़े में मिले और उसको इस्तेमाल करना शरई तौर पर मना हो तो उसको ऐसे लोगों को दे देनी चाहिये जिनको इजाज़त हो, मसलन रेशम पहनना मर्दों को मना है लेकिन औ़रतों के लिये जायज़ है, यह चादर इसी क़िस्म की थी।

हदीस 409. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक यहूदी औ़रत ज़हर मिली हुई बकरी (यानी उसका गोश्त) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास तोहफ़े के तौर पर लाई, आपने उसमें से कुछ खाया (लेकिन फ़ौरन ही सहाबा से फ़रमाया 'इसमें ज़हर है') वे उस औ़रत को पकड़कर लाये और पूछा क्या इसको क़त्ल न कर दें? आपने फ़रमाया- "नहीं"। हज़रत अनस ने कहा कि मैं उस ज़हर का असर आपके तालू में हमेशा महसूस करता रहा।

वज़ाहतः- इस हदीस और क़ुरआनी आयत (सूरः अ़राफ़ आयत 188) से साबित हुआ कि आप आ़लिमुल-ग़ैब (ग़ैब की बातों के जानने वाले) न थे, आपको सिर्फ़ उन बातों का इल्म था जो अल्लाह तआ़ला ने आपको बता दी थीं।

हदीस 410. हज़रत असमा बिन्ते अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हा से

रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में मेरी माँ (क़तीला बिन्ते अ़ब्दुल्-उज़्ज़ा) आईं, वह मुश्रिका थीं। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया- मेरी वालिदा (मुहब्बत से) मेरे पास आयी हैं क्या मैं उनसे अच्छा सुलूक करूँ? आपने फ़रमाया- हाँ, अपनी माँ के साथ सिला-रहमी करो।

गवाही का बयान

अल्लाह तआ़ला ने इरशाद फ़रमाया-

तर्जुमाः- ऐ ईमान वालो! जब तुम एक वादा ठहराकर उधार का मामला करो तो उसको लिख लो, और तुम में से कोई लिखने वाला इन्साफ़ से लिख दे, और लिखने वाला जैसा कि अल्लाह तआ़ला ने उसको सिखलाया है लिखने से इनकार न करे, ज़रूर लिख दे, और जिस पर क़र्ज़ा है वही लिखवाये। (सूरः ब-क़रह 2, आयत 282)

हदीस 411. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत हमज़ा की बेटी के बारे में फ़रमाया- वह मुझको हलाल नहीं, जो रिश्ते नसब से हराम होते हैं वही दूध (रज़ाअ़त) से भी हराम होते हैं, वह तो मेरी दूध-शरीक भतीजी है।

वज़ाहतः- हज़रत हमज़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम दोनों ने हज़रत सुवैबा का दूध पिया था।

हदीस 412. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा गया कि कबीरा (बड़े) गुनाह कौनसे हैं? आपने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला के साथ किसी को शरीक करना और माँ-बाप की नाफ़रमानी करना और (नाहक़) ख़ून करना और झूठी गवाही देना।

वज़ाहतः- बड़े गुनाह और भी हैं लेकिन ये चार गुनाह बहुत ही ज़्यादा बड़े गुनाह हैं।

हदीस 413. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो कोई क़सम

उठाना चाहे तो अल्लाह तआ़ला की क़सम उठाये वरना ख़ामोश रहे।

वज़ाहतः- अल्लाह तआ़ला के अ़लावा किसी दूसरे की क़सम नहीं उठानी चाहिये, ग़ैरुल्लाह की क़सम खाना शिर्क है।

हदीस 414. हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम लोग मेरे पास अपने मुक़द्दमे लाते हो और यह मुम्किन है कि तुम में से एक दलील बयान करने में दूसरे से बढ़कर हो (बयान की क़ुव्वत ज़्यादा हो), इसलिये अगर मैं किसी फ़रीक़ के लिये उसकी (अच्छी) बहस के नतीजे में उसके भाई का हक़ उसको दिला दूँ तो वह समझ ले कि मैंने दोज़ख़ का एक हिस्सा उसे दे दिया है जिसे न लेना ही बेहतर है।

वज़ाहतः- क़ाज़ी का हुक्म इस दुनिया में नाफ़िज़ (लागू) होता है, असल फ़ैसला तो अल्लाह रब्बुल्-इ़ज़्ज़त ही क़ियामत के दिन करेंगे, ज़ाहिरी बातों और सुबूत में आकर अगर क़ाज़ी किसी का हक़ किसी दूसरे को दिला दे तब भी उसको नहीं लेना चाहिये, क्योंकि असल हक़ीक़त तो उसे मालूम ही है कि वह उसका हक़ नहीं है।

सुलह का बयान

अल्लाह तआ़ला ने सूरः निसा में इरशाद फ़रमाया-

तर्जुमाः- उनकी अक्सर कानाफूसियों (चुपके-चुपके और कान में बातें करने) में भलाई नहीं होती, मगर वह कानाफूसी जो ख़ैरात या अच्छी बात या लोगों में मिलाप कराने के लिये करे, और जो कोई अल्लाह तआ़ला को राज़ी करने की नीयत से (न कि दिखाने की नीयत से) ऐसा करे उसको हम बड़ा सवाब देंगे।

हदीस 415. हज़रत सहल बिन सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि बनू अ़मर बिन औ़फ़ (अन्सार के क़बीले) में कुछ तकरार हुई (वे क़ुबा में रहते थे), नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपने कई सहाबा किराम (उबई बिन कअ़ब, सुहैल बिन बैज़ा) को साथ लेकर उनमें मिलाप कराने तशरीफ़ ले गये। नमाज़ का वक़्त आ पहुँचा और आप (वहाँ से)

वापस तशरीफ़ न लाये, हज़रत बिलाल आये उन्होंने नमाज़ के लिये अज़ान दी लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ न लाये तो हज़रत बिलाल हज़रत अबू बक्र के पास आये और कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तो अभी तशरीफ़ नहीं लाये और नमाज़ का वक़्त हो गया है, क्या अब आप लोगों की इमामत करा देंगे? उन्होंने कहा- अच्छा अगर तुम चाहो तो। हज़रत बिलाल ने तकबीर कही तो हज़रत अबू बक्र आगे बढ़े (नमाज़ शुरू कर दी), उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये, आप सफ़ों में से गुज़रते हुए पहली सफ़ में आकर खड़े हो गये, लोगों ने तालियाँ बजाना शुरू कीं और हज़रत अबू बक्र की आ़दत थी कि वह नमाज़ में इधर-उधर निगाह नहीं करते थे, (जब बहुत तालियाँ बजाई गयीं तो) उन्होंने निगाह की, देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उनके पीछे खड़े हैं, आपने हाथ से उनको इशारा किया कि नमाज़ पढ़ाये जाओ, हज़रत अबू बक्र ने हाथ उठाकर अल्लाह तआ़ला का शुक्र अदा किया फिर उल्टे पाँव पीछे हटकर सफ़ में आ गये और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम आगे बढ़ गये, आपने लोगों को नमाज़ पढ़ाई। जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो लोगों की तरफ़ रुख़ मुबारक किया और फ़रमाया- लोगो! जब नमाज़ में तुमको कोई बात पेश आती है तो तुम तालियाँ बजाने लगते हो, तालियाँ तो औ़रतों के लिये हैं, नमाज़ में कोई बात पेश आये तो (मर्दों को) 'सुब्हानल्लाह' कहना चाहिये। इसको सुनकर हर कोई निगाह करेगा। (फिर फ़रमाया) अबू बक्र मैंने तुमको इशारा किया था, तुम नमाज़ क्यों नहीं पढ़ाते रहे? उन्होंने अ़र्ज़ किया- अबू क़हाफ़ा के बेटे की यह शान नहीं कि अल्लाह तआ़ला के पैग़म्बर की इमामत कराये।

वज़ाहतः- सुलह कराना मस्नून अ़मल है। इसके बारे में और ज़्यादा पढ़िये तफ़सीर सूरः हुजुरात 49, आयत 9-10 और "आपस के लड़ाई-झगड़ों से बचने के इस्लामी हल" के लिये पढ़िये हमारी किताब "बीमारियाँ और उनका इलाज मय तिब्बे नबवी" भाग पाँच।

हदीस 416. हज़रत उम्मे कुलसूम बिन्ते उक़बा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- वह

शख़्स झूठा नहीं जो लोगों में मिलाप कराये और (सुलह की नीयत से) अच्छी बात कहे।

वज़ाहतः- सुलह कराने के लिये और जंग में 'मस्लेहत के तौर पर' झूठ बोलना जायज़ है, लेकिन जो सुलह शरई क़ानूनों और अहकाम के ख़िलाफ़ हो वह बातिल (ग़लत) है।

हदीस 417. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसने हमारे दीन में अपनी तरफ़ से कोई ऐसी चीज़ निकाली जो इस (दीन) में नहीं थी तो वह मरदूद है।

हदीस 418. हज़रत अब्दुल्लाह बिन कअ़ब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू हदरद असलमी पर कुछ क़र्ज़ था, वह कअ़ब बिन मालिक को रास्ते में मिले तो कअ़ब बिन मालिक ने उनको पकड़ लिया, दोनों बुलन्द आवाज़ से झगड़ रहे थे उधर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम गुज़रे, आपने फ़रमाया- ऐ कअ़ब! और हाथ से इशारा किया कि आधा क़र्ज़ छोड़ दे। हज़रत कअ़ब ने आधा क़र्ज़ उससे ले लिया और आधा छोड़ दिया।

वज़ाहतः- क़र्ज़ का कुछ हिस्सा या पूरे का पूरा माफ़ कर देना सवाब और निजात का ज़रिया है, इसी तरह ज़रूरत मन्द को क़र्ज़ देना भी बहुत बड़ा सवाब है।

हदीस 419. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- आदमी के बदन के हर जोड़ पर हर दिन जिसमें सूरज निकलता है ख़ैरात करना लाज़िम है (क्योंकि हर जोड़ अल्लाह की नेमत है), लोगों में इन्साफ़ करना यह भी एक ख़ैरात (सदक़ा) है।

शर्तों का बयान

हदीस 420. हज़रत जरीर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इस शर्त पर बैअ़त की कि

नमाज़ पढ़ा करूँगा और ज़कात दिया करूँगा और हर मुसलमान का ख़ैरख़्वाह (हमदर्द और भला चाहने वाला) रहूँगा।

हदीस 421. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स पैवन्द लगाया हुआ खजूर का पेड़ फ़रोख़्त करे तो उसका (उस साल का) मेवा बेचने वाला ही लेगा, मगर जब ख़रीदार शर्त लगा ले।

हदीस 422. हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने एक दामाद (हज़रत अबुल-आ़स, हज़रत ज़ैनब के शौहर) का ज़िक्र किया, उनकी तारीफ़ की, फ़रमाया कि उन्होंने दामादी का रिश्ता अच्छी तरह पूरा किया, बात कही तो सच, वायदा किया तो पूरा किया।

हदीस 423. हज़रत उक़बा बिन आ़मिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सबसे ज़्यादा जो शर्तें पूरी करने के लायक़ हैं वह वे शर्तें हैं जिन पर तुमने औ़रतों से निकाह किया है।

वज़ाहतः- निकाह की जायज़ शर्तें पूरी करना फ़र्ज़ है, बीवी का मेहर जल्द अदा करना चाहिये, जिसने मेहर बाँधा और देने की नीयत न हो तो उसका निकाह हलाल न होगा, इसलिये कि मेहर के देने का हुक्म है, यानी मेहर देना फ़र्ज़ है। (तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर सूरः निसा 4, आयत 24)

हदीस 424. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि एक देहाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आया और अ़र्ज़ करने लगा- या रसूलल्लाह! मैं आपको अल्लाह की क़सम देता हूँ ताकि आप मेरे लिये किताबुल्लाह से फ़ैसला दीजिये, दूसरा फ़रीक़ जो उससे ज़्यादा समझदार था कहने लगा- आप हमारे दरमियान किताबुल्लाह (क़ुरआन मजीद) से फ़ैसला फ़रमा दें अलबत्ता मुझे इजाज़त दें कि मैं अपना हाल बयान करूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अच्छा बयान करो। उसने कहा मेरा बेटा (ग़ैर-शादीशुदा) इसके यहाँ मजदूरी करता था, उसने इसकी बीवी से ज़िना किया और मुझसे लोगों ने कहा कि मेरे बेटे

पर रज्म (पत्थरों से मार-मारकर मौत की सज़ा देना) वाजिब है, तो मैंने सौ बकरियाँ और एक बाँदी उसकी तरफ़ से फ़िदया देकर उसको छुड़ा लिया। फिर मैंने जानने वालों से मसला पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को सौ कोड़े लगेंगे और एक साल के लिये जिला-वतन (देस-निकाला) होगा, और इसकी बीवी संगसार की जायेगी। आपने फ़रमाया- क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं अल्लाह की किताब के मुताबिक़ तुम्हारा फ़ैसला करूँगा। बाँदी और बकरियाँ तो तुझे वापस मिल जायेंगी मगर तेरे बेटे पर सौ कोड़े और एक साल की जिला-वतनी है। ऐ उनैस! तुम उस औरत के पास जाओ, अगर वह इक़रार करे तो उसे संगसार कर देना। हज़रत अबू हुरैरह कहते हैं कि वह (यानी उनैस) उसके पास गये तो उसने जुर्म का इक़रार कर लिया, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हुक्म से वह संगसार (यानी पत्थरों से मार-मारकर ख़त्म) कर दी गई।

वज़ाहतः- किताबुल्लाह से मुराद शरीअ़त का क़ानून है जो क़ुरआन और हदीस दोनों को शामिल है, इसलिये कि अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है-

तर्जुमाः- वह (यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) अपनी ख़्वाहिश से कुछ नहीं कहते, जो कहते हैं वह वही (अल्लाह का हुक्म और पैग़ाम) है जो उनकी तरफ़ भेजी जाती है। (सूरः नज्म 53, आयत 3-4) वही दो क़िस्म की होती है- एक 'वही मतलू' (जो तिलावत की जाती है यानी क़ुरआन मजीद), दूसरी 'वही ग़ैर-मतलू' (जो तिलावत नहीं की जाती यानी हदीस शरीफ़)। मतलब यह है कि आपने शरीअ़त के अहकाम में अपनी मर्ज़ी से कभी कुछ नहीं फ़रमाया, जो कुछ फ़रमाया वह अल्लाह तआ़ला का हुक्म ही होता था यानी 'वही ग़ैर-मतलू'।

वसीयतों का बयान

हदीस 425. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- किसी मुसमान को जिसके पास वसीयत के लायक़ कुछ माल हो तो यह मुनासिब नहीं है कि वह दो रातें इस तरह गुज़ारे कि उसकी वसीयत उसके पास लिखी न रखी हो।

वज़ाहतः- चारों इमामों और अक्सर उलेमा का यह मज़हब है कि वसीयत मुस्तहब है, लेकिन कुछ हज़रात ने इसको वाजिब कहा है।

हदीस 426. हज़रत अ़मर बिन हारिस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने वफ़ात के वक़्त न रक़म छोड़ी, न ग़ुलाम न बाँदी और न और कोई चीज़ सिवाय अपने सफ़ेद ख़च्चर, हथियार और अपनी ज़मीन के, जिसको आप वक़्फ़ कर गये थे।

वज़ाहतः- अपनी सेहत की हालत में आपने यह ज़मीन अल्लाह तआ़ला के लिये वक़्फ़ कर दी थी। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 427. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम (माल की) एक तिहाई (की वसीयत कर सकते हो) और एक तिहाई भी बहुत है।

वज़ाहतः- किसी ग़ैर-वारिस को ज़्यादा से ज़्यादा तिहाई माल की वसीयत कर सकते हैं, लेकिन वसीयत पर अ़मल क़र्ज़ की अदायेगी के बाद होगा। वारिस के लिये वसीयत नहीं है क्योंकि अल्लाह रब्बुल्-इज़्ज़त ने क़ुरआन में वारिसों के हिस्से पहले ही मुक़र्रर कर दिये हैं। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 428. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स आपके पास आकर पूछने लगा- या रसूलल्लाह! कौनसा सदक़ा अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया- सदक़ा तन्दुरुस्ती की हालत में करो जबकि (उस माल को बाक़ी रखने के) इच्छुक भी हो (जिसके जमा हो जाने की सूरत में) तुम्हें मालदारी की उम्मीद हो और (ख़र्च की सूरत में) मोहताजी का डर भी हो। इसमें देरी न करो यहाँ तक कि रूह हलक़ तक पहुँच जाये और तुम कहने लगो कि इतना माल फ़ुलाँ के लिये और इतना फ़ुलाँ के लिये, हालाँकि उस वक़्त वह फ़ुलाँ का (यानी वारिसों का) हो ही चुका होता है।

हदीस 429. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब हज़रत सअ़द बिन उबादा की माँ का इन्तिक़ाल हुआ तो वह उस वक़्त मौजूद न थे, जब आये तो उन्होंने कहा- या रसूलल्लाह! मेरी माँ इन्तिक़ाल कर गई हैं और मैं उनकी मौत के वक़्त मौजूद न था, अगर मैं उनकी तरफ़ से कुछ ख़ैरात करूँ तो उनको सवाब पहुँचेगा? आपने फ़रमाया "हाँ"।

हज़रत सअ़द ने कहा मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मेरा बाग़ (मिख़राफ़) उनकी तरफ़ से सदक़ा है।

वज़ाहतः- माँ-बाप के इतने ज़्यादा एहसान होते हैं कि हम बदला नहीं दे सकते, इसलिये कम से कम उनके लिये मग़फ़िरत की दुआ़ और उनकी तरफ़ से सदक़ा-ए-जारिया करते रहना चाहिये।

हदीस 430. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत सअ़द बिन उबादा (ख़ज़्रज के सरदार) ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मसला पूछा- या रसूलल्लाह! मेरी माँ का इन्तिक़ाल हो गया है, उनके ज़िम्मे एक नज़्र (मन्नत) थी। आपने फ़रमाया- तुम उनकी तरफ़ से (नज़्र) अदा करो।

वज़ाहतः- माँ-बाप अगर ज़िन्दगी में कोई नज़्र (मन्नत) मान गये हों या किसी को कुछ देने का वायदा कर गये हों तो उसकी अदायेगी औलाद पर लाज़िम है।

हदीस 431. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि सूरः निसा की यह आयत-

तर्जुमाः- जो मालदार हो वह तो (यतीम के माल से) बचा रहे और जो मोहताज हो वह दस्तूर के मुताबिक़ खाये। (सूरः निसा 4, आयत 6) यह आयत यतीम के वली के बारे में उतरी है, जब वह मोहताज (ज़रूरत-मन्द) हो तो दस्तूर के मुताबिक़ उसके माल में से ले सकता है।

वज़ाहतः- यतीमों के माल की देखभाल करने वाला अगर ग़नी (मालदार) हो तो न खाये, अगर वली ग़रीब और मोहताज हो तो उसके माल से जायज़ ज़रूरत के मुताबिक़ अपने ऊपर ख़र्च कर सकता है।

हदीस 432. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सात तबाह करने वाले गुनाहों से बचते रहो। लोगों ने अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! वे कौनसे गुनाह हैं? आपने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला के साथ शिर्क करना, जादू करना, किसी जान का मारना जिसे अल्लाह तआ़ला ने हराम किया है (उसको नाहक़ मारना), सूद खाना, यतीम का माल खाना, काफ़िरों से मुक़ाबले के

वक़्त भागना, पाकदामन मुसलमान भोली-भाली औरतों पर तोहमत लगाना।

वज़ाहतः- इन कबीरा (बड़े) गुनाहों का करने वाला इनसान अगर तौबा किये बग़ैर मर गया तो वह यक़ीनन तबाह हो गया।

हदीस 433. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाये तो आपके पास कोई भी ख़िदमत करने वाला (ख़ादिम) न था, हज़रत अबू तल्हा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने मेरा हाथ पकड़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास ले गये, कहने लगे या रसूलल्लाह! अनस एक समझदार लड़का है यह आपकी ख़िदमत में रहेगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं फिर मैं सफ़र और हज़र दोनों में आपकी ख़िदमत करता रहा। आपने (दस बरस की मुद्दत में) कभी मुझसे यह नहीं कहा कि तुमने यह काम ऐसा क्यों किया जब मैं कोई काम कर चुका, और जिस काम को मैंने नहीं किया उसके लिये यूँ नहीं फ़रमाया कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया।

हदीस 434. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्ह से रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु को ख़ैबर में एक ज़मीन मिली, वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आये और आप से अ़र्ज़ किया कि एक ज़मीन मेरे हाथ आई है, ऐसा उम्दा माल कभी मुझको नहीं मिला (मैं उसे सदक़ा करना चाहता हूँ), आप उसके बारे में क्या मश्विरा देते हैं? आपने फ़रमाया तुम चाहो तो असल मिल्कियत अपने पास रखो और उसकी आमदनी ख़ैरात कर दो। हज़रत उमर ने उस ज़मीन को सदक़ा किया इन शर्तों पर कि असल ज़मीन न बेची जाये, न हिबा की जाये और न तर्के (मरने वाले के छोड़े हुए माल यानी मीरास) में किसी को मिले, उसकी आमदनी मोहताजों और रिश्तेदारों और ग़ुलामों को आज़ाद कराने और मुजाहिदीन और मेहमानों और मुसाफ़िरों पर ख़र्च की जाये, जो कोई उसका इन्तिज़ाम (देखभाल और निगरानी) करे वह उसमें से दस्तूर के मुताबिक़ खा सकता है या किसी दोस्त को खिला सकता है बशर्ते कि वह दौलत न जोड़े।

वज़ाहतः- इसी को 'वक़्फ़' कहते हैं जो हज़रत उमर ने बाद में तहरीर भी करा दिया था, यह अ़मल भी सदक़ा-ए-जारिया है। (फ़त्हुल्-बारी) आप भी सदक़ा-ए-जारिया कीजिये।

जिहाद का बयान

अल्लाह रब्बुल्-इ़ज़्ज़त ने फ़रमाया-

तर्जुमाः- अल्लाह ने मुसलमानों से उनकी जान और माल ख़रीद लिये हैं जन्नत के बदले में, वे अल्लाह तआ़ला की राह में (काफ़िरों से) लड़ते हैं, उन्हें मारते हैं और ख़ुद भी मारे जाते हैं, अल्लाह तआ़ला का यह वायदा (कि क़ुरबानियों के नतीजे में जन्नत मिलेगी) सच्चा है तौरात, इन्जील, क़ुरआन में, और अल्लाह करीम से बढ़कर कौन क़ौल का पक्का है। ऐ मुसलमानो! यह जो तुमने मामला अल्लाह तआ़ला के साथ किया है इसकी ख़ुशी मनाओ और यह बड़ी कामयाबी है। (सूरः तौबा 9, आयत 111)

वज़ाहतः- तक़रीबन पूरी सूरः तौबा जिहाद के अहकाम और फ़ज़ाईल से भरी हुई है, आप भी पढ़िये। क़ुरआन मजीद में कई और आयतें जिहाद की फ़र्ज़ियत और फ़ज़ाईल के बारे में मौजूद हैं। (तफ़सील के लिये पढ़िये हमारी किताब "रूहे इस्लाम")

हदीस 435. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आया और कहने लगा- मुझको ऐसा काम बतलाईये जो सवाब में जिहाद के बराबर हो। आपने फ़रमाया- ऐसा कोई काम मैं नहीं जानता। फिर फ़रमाया क्या तुम यह कर सकते हो कि जब मुजाहिद जिहाद के लिये निकले तो तुम मस्जिद में जाओ और बराबर नमाज़ में खड़े रहो, ज़रा भी दम न लो, बराबर रोज़े रखे जाओ कभी नाग़ा न करो। उसने कहा भला ऐसा कौन कर सकता है? हज़रत अबू हुरैरह ने कहा- मुजाहिद का घोड़ा जो रस्सी में बँधा हुआ ज़मीन पर पाँव मारता है तो भी मुजाहिद के लिये नेकियाँ लिखी जाती हैं।

हदीस 436. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा- कौनसा शख़्स सब लोगों में अफ़ज़ल

है? आपने फ़रमाया- वह मुसलमान जो अल्लाह तआला की राह में जान और माल से जिहाद करे। लोगों ने अ़र्ज़ किया- फिर कौनसा? आपने फ़रमाया वह मुसलमान जो किसी पहाड़ की घाटी में रहने लगे, अल्लाह रब्बुल्-इ़ज़्ज़त से डरता हो और लोगों को अपनी बुराई से महफ़ूज़ रखे।

वज़ाहतः- ईमान में फ़ितने का डर हो तो किसी छोटी जगह मसलन गाँव या पहाड़ पर जाना अच्छा अ़मल है, अगर ऐसा न हो तो लोगों में रहना अफ़ज़ल अ़मल है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 437. हज़रत समुरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैंने आज ख़्वाब (सपने) में देखा कि दो शख़्स आये और मुझको लेकर एक दरख़्त पर चढ़े, फिर एक उम्दा घर में ले गये जिससे बढ़कर उम्दा और ख़ूबसूरत घर मैंने नहीं देखा था। उन्होंने कहा यह शहीदों का घर है।

हदीस 438. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कोई भी अल्लाह का बन्दा जिसे मरने के बाद अल्लाह तआला की बारगाह से ख़ैर व सवाब मिला हो वह दोबारा यहाँ आना पसन्द नहीं करेगा चाहे उसको सारी दुनिया और जो कुछ इसमें है सब कुछ मिल जाये, मगर शहीद फिर दुनिया में दोबारा आना चाहेगा क्योंकि वह शहादत की फ़ज़ीलत (अज्र व सवाब) देखकर चाहेगा कि दुनिया में दोबारा आये और वह दोबारा अल्लाह तआला की राह में शहीद किया जाये।

हदीस 439. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़सम उस परवर्दिगार की जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह तआला की राह में जो शख़्स ज़ख़्मी हुआ और अल्लाह तआला ख़ूब जानता है कौन उसकी राह में ज़ख़्मी हुआ, वह क़ियामत के दिन उसी तरह ज़ख़्मी आयेगा, उसका रंग तो ख़ून के रंग जैसा होगा मगर ख़ुशबू मुश्क जैसी होगी।

वज़ाहतः- जो इस्लामी तालीम सीखने या सिखाने के दौरान ज़ख़्मी हो जाये या मर जाये तो उसके लिये भी यही फ़ज़ीलत है।

हदीस 440. हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास एक शख़्स ज़िरह पहने हुए आया और कहने लगा- या रसूलल्लाह! मैं पहले काफ़िरों से लडूँ या पहले मुसलमान हो जाऊँ? आपने फ़रमाया- पहले मुसलमान हो फिर लड़ना। वह मुसलमान हो गया, फिर जिहाद में शरीक हुआ यहाँ तक कि मारा गया। आपने फ़रमाया- देखो इसने अमल तो थोड़ा ही किया लेकिन सवाब बहुत पाया।

वज़ाहतः- हर नेक काम के क़ुबूल होने के लिये पहले मुसलमान होना शर्त है, ग़ैर-मुस्लिम जो भी नेकी करे दुनिया में उसका बदला उसे मिल जाता है और आख़िरत में उसके लिये कुछ नहीं।

हदीस 441. हज़रत अबू अबस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला की राह में जिस बन्दे के पाँव गर्द से भर गये हों उसको दोज़ख़ की आग छुयेगी भी नहीं।

हदीस 442. हज़रत आयशा बिन्ते तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि उम्मुल्-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जिहाद में जाने की इजाज़त माँगी तो आपने फ़रमाया- तुम औरतों का जिहाद हज करना है (यानी उसी में तुमको जिहाद का सवाब मिलेगा)।

वज़ाहतः- औरतें जिहाद में शरीक हों या नहीं यह उस वक़्त के मुस्लिम हाकिम (ख़लीफ़ा-ए-वक़्त) की सूझ-बूझ और राय पर निर्भर है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो उस वक़्त शरई पर्दे में रहते हुए ख़लीफ़ा-ए-वक़्त औरतों को भी मुजाहिदीन की विभिन्न ख़िदमत के लिये जिहाद में बुला सकता है, मसलन पानी पिलाने या मरहम-पट्टी वग़ैरह के लिये।

हदीस 443. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- रोज़ाना आदमी के हर-हर जोड़ पर सदक़ा लाज़िम है, जो कोई दूसरे की मदद करे या उसको जानवर पर सवार करा दे या उसका सामान उस पर लाद दे तो यह भी एक सदक़ा

है, अच्छी बात कहना, नमाज़ के लिये एक-एक क़दम जो उठाये यह भी सदक़ा है। किसी को रास्ता बतलाना यह भी सदक़ा है।

हदीस 444. हज़रत सहल बिन सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला की राह में एक दिन (जिहाद के) मोर्चे पर रहना सारी दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है, और किसी को कोड़ा रखने के बराबर जन्नत में जगह मिल जाये तो सारी दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है। और शाम को जो आदमी अल्लाह तआ़ला की राह में चले या सुबह चले तो वह सारी दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है।

हदीस 445. हज़रत अबू हाज़िम रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत सहल बिन सअ़द से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़ख़्म का हाल पूछा गया जो जंगे उहुद के दिन आपको लगा था, उन्होंने कहा- आपका मुबारक चेहरा ज़ख़्मी हो गया था और बीच के दाँत भी टूट गये थे, खुद (लोहे की जंगी टोपी) आपके सर पर थी वह टूट गई थी, फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ख़ून धोती थीं और हज़रत अ़ली उसको बन्द करते थे। जब हज़रत फ़ातिमा ने देखा कि ख़ून तो और बढ़ रहा है तो उन्होंने चटाई का टुकड़ा लिया, उसको जलाकर राख किया, फिर वह ज़ख़्म में भर दिया जिससे ख़ून बहना बन्द हो गया।

हदीस 446. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ एक जिहाद में शरीक थे, इत्तिफ़ाक़ से दोपहर का वक़्त एक काँटेदार जंगल में आ पहुँचा, लोग अलग-अलग जगह दरख़्तों के साये में फैल गये और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने भी एक दरख़्त के नीचे कियाम फ़रमाया, अपनी तलवार दरख़्त से लटका दी और सो गये। जब जागे देखा कि एक शख़्स बेख़बरी में आपके पास था, आपने लोगों से फ़रमाया- इस शख़्स ने मेरी तलवार मुझ पर सूँत ली और कहने लगा "अब तुमको मुझसे कौन बचायेगा?" मैंने कहा अल्लाह। तो (इस पर वह शख़्स ख़ुद ही डर गया) उसने तलवार म्यान में रख ली। वह यह बैठा हुआ है। आपने उसको कोई

सज़ा नहीं दी।

हदीस 447. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने रोम के बादशाह (हिरक़्ल) को एक ख़त लिखा, इस्लाम की दावत दी और यह भी लिखा कि अगर तुम नहीं माने तो तुम्हारी प्रजा का वबाल भी तुम ही पर पड़ेगा। उस ख़त का मुख़्तसर मज़मून यह था-

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।

अल्लाह के बन्दे और उसके पैग़म्बर मुहम्मद की तरफ़ से यह ख़त रोम के बादशाह के लिये है। हर उस शख़्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे। इसके बाद मैं आपके सामने इस्लाम की दावत पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आयेंगे तो (दीन व दुनिया में) सलामती नसीब होगी। अल्लाह तआ़ला आपको दोहरा सवाब देगा। और अगर आप (मेरी दावत से) मुँह मोड़ेंगे तो आपकी प्रजा (पब्लिक और अ़वाम) का गुनाह भी आप ही पर होगा।

क़ुरआन मजीद में अल्लाह का फ़रमान है-

तर्जुमाः- ऐ अहले किताब! एक ऐसी (इन्साफ़ वाली) बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। वह यह कि हम अल्लाह तआ़ला के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी को उसका शरीक न ठहरायें, और न हम में से कोई किसी को अल्लाह तआ़ला के सिवा अपना रब बनाये। फिर अगर वे अहले किताब (इस बात से) मुँह फेर लें तो (मुसलमानो!) तुम उनसे कह दो कि (तुम मानो या न मानो) हम तो अल्लाह के फ़रमाँबरदार हैं।

(सूरः आले इमरान 3, आयत 64)

नोटः- मुश्रिक लोगों को इस तरह के पत्र लिखना मस्नून अ़मल है। लिखित दावत देना भी इस्लामी तब्लीग़ का एक हिस्सा है। अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर सूरः आले इमरान 3, आयत 64।

हदीस 448. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- (अपने ख़लीफ़ा)

हाकिम की बात सुनना और हुक्म मानना ज़रूरी है जब तक वह ख़िलाफ़े शरीअत न हो। अगर शरीअत के ख़िलाफ़ हुक्म दिया जाये तो न तो सुनना चाहिये और न ही उस पर अ़मल करना चाहिये।

वज़ाहतः- यही हुक्म माँ-बाप के लिये भी है। अधिक जानकारी के लिये पढ़िये तफ़सीर सूरः अ़न्कबूत 29, आयत 8 और सूरः लुक़मान 31, आयत 15।

हदीस 449. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर मुझे अपनी उम्मत की तकलीफ़ का ख़्याल न होता तो मैं हर लश्कर के साथ जाता (जो जिहाद के लिये निकलता) लेकिन सवारी कहाँ है कि सब लोगों को उन पर सवार करूँ। जब मैं निकलूँगा तो लोगों का पीछे रह जाना (मेरे साथ न चलना) मुझ पर भारी गुज़रेगा और मुझे तो यह पसन्द है कि अल्लाह तआ़ला की राह में लड़ूँ और शहीद किया जाऊँ और फिर ज़िन्दा किया जाऊँ फिर शहीद किया जाऊँ फिर ज़िन्दा किया जाऊँ।

हदीस 450. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम जब बुलन्दी पर चढ़ते तो तकबीर (अल्लाहु अकबर) कहते, इसी तरह जब नीची जगह में उतरते तो तस्बीह (सुब्हानल्लाह) कहते थे।

हदीस 451. हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब बन्दा बीमार या सफ़र में होता है तो उसके लिये उतने ही अ़मल का सवाब लिखा जाता है जितना वह घर में या सेहत की हालत में किया करता था।

वज़ाहतः- मसलन नमाज़ खड़े होकर पढ़ना फ़र्ज़ है, लेकिन मजबूरी की हालत में बैठकर नमाज़ पढ़ी जाये तो उसको खड़े होकर पढ़ने का सवाब मिलता है। तन्दुरुस्त आदमी (बिना किसी शरई उ़ज़्र के) बैठकर नमाज़ पढ़े तो उसको आधा सवाब मिलता है, यह हुक्म मर्द और औ़रत दोनों के लिये बराबर है, यानी औ़रतों को भी नमाज़ खड़े होकर ही पढ़ना चाहिये।

हदीस 452. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सफ़र भी एक अ़ज़ाब

से कम नहीं, आदमी की न नींद पूरी होती है न खाना-पीना बराबर मिलता है। जो कोई अपना काम पूरा कर चुका (जिसके लिये सफ़र किया) तो जल्दी अपने घर आ जाये।

हदीस 453. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते है कि मैंने एक शख़्स को अल्लाह तआ़ला की राह में एक घोड़ा सवारी के लिये दिया, जिसको दिया था उसने बेचना चाहा, मैंने चाहा फिर ख़रीद लूँ। मैं यह समझा यह सस्ता दे देगा, तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा, आपने फ़रमाया- अब अगर तुम्हें एक दिरहम का भी मिले तो मत लो क्योंकि सदक़ा देकर उसको वापस लेने वाला उस कुत्ते की तरह है जो क़ै करके फिर उसको चाट जाता है।

हदीस 454. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आया और आप से जिहाद में जाने की इजाज़त चाही। आपने पूछा- तेरे माँ-बाप ज़िन्दा हैं? वह कहने लगा "जी हाँ" आपने फ़रमाया तो जा उनमें जिहाद कर (यानी उनकी ख़िदमत कर यही तेरा जिहाद है)।

वज़ाहतः- माँ-बाप की ख़िदमत लाज़िमी फ़र्ज़ है और जिहाद फ़र्ज़े-किफ़ाया है। अगर जिहाद लाज़िमी फ़र्ज़ हो जाये (जो ख़लीफ़ा-ए-वक़्त ऐलान करता है) तब माँ-बाप से इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है।

हदीस 455. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जंगे-बदर के दिन काफ़िरों के क़ैदी हाज़िर किये गये तो हज़रत अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु (आपके चाचा) भी लाये गये, उनके जिस्म पर क़मीज़ नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनके बदन के मुताबिक़ कोई कुर्ता तलाश किया, देखा तो अ़ब्दुल्लाह बिन उबई (मुनाफ़िक़) का कुर्ता उनके बदन पर पूरा था, आपने वही कुर्ता उनको पहना दिया और यही सबब था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपना कुर्ता उतारकर अ़ब्दुल्लाह बिन उबई को (उसके मरने के बाद) पहनाने के लिये दे दिया था।

वज़ाहतः- उसके बेटे की इच्छा पर आपने अपना कुर्ता दिया था। इब्ने

उयैना ने कहा कि अ़ब्दुल्लाह बिन उबई का एहसान नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर था आपने उसके एहसान का बदला चुका देना चाहा (ताकि मुनाफ़िक़ का एहसान न रहे) क़ैदियों और ग़ैर-मुस्लिमों के साथ हर अख़्लाक़ी और इनसानी सुलूक करना ज़रूरी है, यही इस्लाम की तालीम है।

हदीस 456. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक लड़ाई (फ़त्हे-मक्का) में एक औ़रत को देखा जो क़त्ल की गई थी, आपने औ़रतों और बच्चों के क़त्ल से नागवारी (नाराज़गी) का इज़हार फ़रमाया।

वज़ाहतः- जिहाद में जान-बूझकर औ़रतों और बच्चों को मारना इस्लाम में ना-पसन्दीदा है, लेकिन ग़ैर-इरादी तौर पर क़त्ल हो जायें तो उस पर कोई पकड़ नहीं है।

हदीस 457. हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- (मुसलमान) क़ैदी को छुड़ाओ और भूखे को खाना खिलाओ और बीमार का हाल-चाल पूछो (इयादत के लिये जाओ)।

वज़ाहतः- ये तीनों काम मसनून हैं आप भी करें।

हदीस 458. हज़रत उमर बिन मैमूना रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने (मरते वक़्त) कहा- मेरे बाद जो ख़लीफ़ा बने मैं उसको यह वसीयत करता हूँ कि अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल का (ज़िम्मी काफ़िरों से) जो अ़हद है उसे पूरा करे (मुआ़हदे का पूरा करना चाहे काफ़िर से हो या मुसलमान से निहायत ज़रूरी है) और उनको बचाने के लिये (दूसरे काफ़िरों से) लड़े और उनको ताक़त से ज़्यादा तकलीफ़ न दे (जितना हो सके उतना ही जिज़या ले)।

वज़ाहतः- जिज़ये के बदले में हुकूमत उन काफ़िरों की हिफ़ाज़त करती है और यो तमाम नागरिक सहूलतें भी देती है जो मुसलमानों को मिलती हैं। मुसलमान हुकूमत काफ़िरों से जिज़या कम लेती थी और मुसलमान बैतुल्-माल में ज़्यादा रकम देते थे, जबकि सहूलतें दोनों के लिये बराबर होती थीं।

हदीस 459. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैं एक सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ था, जब हम मदीना में पहुँचे तो आपने मुझसे फ़रमाया- पहले मस्जिद में जाओ और दो रकअ़तें (नफ़िल) पढ़ो।

वज़ाहतः- सफ़र के बाद ख़ैरियत से वापसी पर दो रकअ़त मस्जिद में जाकर नमाज़े शुक्राना अदा करना मस्नून है और सफ़र का समापन भी मस्जिद के साथ ताल्लुक़ पर हो।

हदीस 460. हज़रत कअ़ब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब दिन चढ़े सफ़र से लौटकर आते तो पहले मस्जिद में जाते और बैठने से पहले दो रकअ़तें (नफ़िल) पढ़ते थे।

वज़ाहतः- किसी मजबूरी की वजह से मस्जिद न जा सकें तो घर में आते ही पहले दो रकअ़त नमाज़ शुक्राना पढ़नी चाहिये।

हदीस 461. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरे वारिस मेरे बाद एक अशरफ़ी भी न बाँटें (मेरा छोड़ा हुआ माल तक़सीम न करें) मैं जो छोड़ जाऊँ उसमें से मेरे कारकुनों (इस्लामी हुकूमत के कार्यकर्ताओं) और मेरी बीवियों का ख़र्च निकालकर बाक़ी सब सदक़ा है।

वज़ाहतः- इस तरह की वसीयत सिर्फ़ आपके साथ ख़ास थी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िन्दगी में एक तिहाई माल की वसीयत करने की इजाज़त है, बाक़ी दो तिहाई माल वारिसों ही का है।

हदीस 462. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बहुत ज़्यादा बीमार हुए (वफ़ात की बीमारी में) तो आपने दूसरी बीवियों से इजाज़त चाही कि बीमारी में मेरे घर रहें तो उन्होंने इजाज़त दे दी।

हदीस 463. अन्सार की क़ौम में के एक शख़्स (हज़रत अनस बिन फ़ज़ाला रज़ियल्लाहु अ़न्हु) के यहाँ लड़का पैदा हुआ उसने उसका नाम मुहम्मद रखना चाहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने

फ़रमाया- मेरे नाम पर नाम रखो लेकिन मेरी कुन्नियत (अबुल-क़ासिम) पर अपनी कुन्नियत मत रखो, क्योंकि मैं अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से क़ासिम (बाँटने वाला) बनाया गया हूँ, मैं तुम में तक़सीम करता हूँ।

वज़ाहतः- यह हुक्म आपकी ज़िन्दगी मुबारक तक था, अब अबुल-क़ासिम कुन्नियत रखी जा सकती है।

हदीस 464. हज़रत मुआ़विया रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला जिसके साथ भलाई करना चाहता है उसको दीन की समझ दे देता है, और अल्लाह तआ़ला देने वाला है और मैं बाँटने वाला हूँ। और यह उम्मत हमेशा अपने मुख़ालिफ़ों पर ग़ालिब रहेगी यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला का हुक्म आ जायेगा (यानी क़ियामत) और वे ग़ालिब ही होंगे।

वज़ाहतः- शैतान आ़लिम (यानी इल्म को जानने वाला) था इसलिये उसने अपनी राय को आगे रखकर कहा कि मैं आदम से बेहतर हूँ जिसकी बिना पर वह मरदूद क़रार दिया गया। इसलिये हमें जो दीन की बातें समझ में न आयें उनमें अपनी राय से फ़ैसला नहीं करना चाहिये बल्कि दीन के उलेमा से रुजू करना चाहिये। आजकल हर दूसरा आदमी आ़लिम और मुफ़्ती बना हुआ है और ख़ुद ही फ़ैसले करते हैं, इसके विपरीत जब बीमार होते हैं तो डाक्टर की तरफ़ भागते हैं, जब घर बनवाना होता है तो आर्किटेक्ट (इन्जीनियर) के पास जाते हैं, ख़ुद ही क्यों नक़्शा नहीं बना लेते?

हदीस 465. हज़रत ख़ौला बिन्ते क़ैस अन्सारिया रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कुछ लोग अल्लाह तआ़ला के माल को बेजा ख़र्च करते हैं, वे क़ियामत के दिन दोज़ख़ में जायेंगे।

हदीस 466. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने (हज्जतुल्-विदा से पहले वाले हज के मौक़े पर) मुझे उन लोगों के साथ भेजा जो दसवीं ज़िलहिज्जा को मिना में मुनादी करते थे- "लोगो! इस साल के बाद कोई मुश्रिक हज करने न आये और न कोई नंगा होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ करे"। दसवीं

ज़िलहिज्जा हज्जे अकबर का दिन है। हज को 'हज्जे अकबर' इसलिये कहते हैं कि उमरे को 'हज्जे असग़र' कहते हैं। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ ने उस साल मुश्रिकों से जो अ़हद किया था वह ख़त्म कर दिया और (दूसरे) साल हज्जतुल्-विदा में जब आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज किया तो कोई मुश्रिक शरीक नहीं हुआ।

मख़्लूक़ की पैदाईश कैसे शुरू हुई?

हदीस 467. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सूरज और चाँद क़ियामत के दिन तारीक (बेनूर) हो जायेंगे।

हदीस 468. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये एक तकिया बनाया जिस पर तस्वीरें थीं, जैसे नक़्शी तकिया होता है, आप तशरीफ़ लाये तो दरवाज़े के क़रीब खड़े रहे अन्दर न आये और आपके चेहरे का रंग बदलने लगा, मैंने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! हमारा क्या क़सूर है? आपने फ़रमाया- यह तकिया किस लिये है? मैंने अ़र्ज़ किया- आपके आराम फ़रमाने के लिये यह तकिया मैंने बनाया है। आपने फ़रमाया- तुम नहीं जानतीं जिस घर में तस्वीर होती है वहाँ फ़रिश्ते नहीं आते और जो कोई तस्वीर बनायेगा क़ियामत के दिन अ़ज़ाब में पड़ेगा। उससे कहा जायेगा तस्वीर तो तूने बनाई अब इसमें जान भी डाल।

वज़ाहतः- जानदारों की तस्वीर बनानी नाजायज़ है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 469. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से कोई जब तक नमाज़ के लिये कहीं ठहरा रहे उसको नमाज़ ही का सवाब मिलता रहता है और फ़रिश्ते उसके लिये यूँ दुआ़ करते हैं-

या अल्लाह! इसको बख़्श दे, या अल्लाह! इस पर रहम कर, जब तक वह अपनी जगह से उठ न जाये या उसका वुज़ू न टूट जाये।

वज़ाहतः- मालूम हुआ कि फ़रिश्ते नमाज़ियों और दूसरे नेक आमाल

करने वालों के लिये दुआएँ करते हैं।

हदीस 470. हज़रत उरवा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा- उहुद के दिन से भी (जिस दिन आप ज़ख़्मी हुए थे) कोई दिन ज़्यादा सख़्त आप पर गुज़रा है? आपने फ़रमाया- ऐ आ़यशा! मैंने तेरी क़ौम (क़ुरैश) की तरफ़ से जो-जो तकलीफ़ें उठाई हैं सबसे ज़्यादा सख़्त दिन मुझ पर अ़क़बा (एक मक़ाम का नाम है) का दिन गुज़रा है जिस दिन मैं किनाना बिन अ़ब्द (जो ताईफ़ का सरदार था) के पास (तब्लीग़ के लिये) गया था, उसने मेरा कहा न माना (इस्लाम न लाया)। मैं ग़मगीन वहाँ से लौटा (होश ही न था किधर जा रहा हूँ) जब 'क़रनुस्-सआ़लिब्' (एक जगह का नाम है) पहुँचा तो ज़रा होश आया, मैंने सर ऊपर उठाया देखा तो बादल का एक टुकड़ा मुझ पर साया किये हुए था और उसमें हज़रत जिब्राईल मौजूद थे, उन्होंने मुझको पुकारा, कहने लगे- अल्लाह तआ़ला ने वह सुन लिया है जो आपकी क़ौम ने आप से कहा, अब अल्लाह तआ़ला ने पहाड़ों के फ़रिश्ते को आपके पास भेजा है कि जो चाहें इससे काम ले सकते हैं। इतने में उस फ़रिश्ते ने मुझको सलाम किया और कहने लगा- ऐ मुहम्मद! अल्लाह तआ़ला ने मुझे आपके पास भेजा है, जो कहो मैं कर दूँ। अगर कहो तो मैं दोनों तरफ़ जो पहाड़ हैं उन (लोगों) पर रख दूँ (वे सब चकनाचूर हो जायें)। आपने फ़रमाया (नहीं ऐसा मत करो) मुझे उम्मीद है (अगर ये लोग सीधी राह पर न आये तो) इनकी औलाद में से अल्लाह तआ़ला ऐसे लोग पैदा कर देंगे जो अकेले अल्लाह तआ़ला की इबादत करेंगे, उसके साथ किसी को शरीक न करेंगे।

वज़ाहत:- हमें भी आपकी इस मुबारक सुन्नत पर अ़मल करना चाहिये और अपने रिश्तेदारों और दूसरे मुख़ालिफ़ों को भी माफ़ करते रहना चाहिये, और तकलीफ़ों के बावजूद दावत व तब्लीग़ करते रहना चाहिये।

हदीस 471. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि जो कोई यह कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने परवर्दिगार को देखा उसने बड़ी झूठी बात कही, अलबत्ता आपने हज़रत जिब्राईल को

(मेराज की रात में) उनकी असली सूरत में देखा था, जिन्होंने आसमान का किनारा ढाँप लिया था।

हदीस 472. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब कोई शौहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाये और वह न आये और शौहर रात भर उस पर नाराज़ रहे तो फ़रिश्ते सुबह तक उस पर लानत करते रहते हैं।

वज़ाहतः- मालूम हुआ कि शौहर की इताअ़त (हुक्म मानना) बीवी के लिये ज़रूरी है। इताअ़त न करने की सूरत में बहुत से झगड़े और ख़राबियाँ (लड़ाई, तलाक़ वग़ैरह) पैदा हो सकते हैं।

हदीस 473. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब कोई मर जाता है तो सुबह और शाम (हर रोज़) उसको उसका ठिकाना (जहाँ वह आख़िरत में रहेगा) दिखलाया जाता है, अगर जन्नती है तो जन्नत, और दोज़ख़ी है तो दोज़ख़।

वज़ाहतः- जन्नत और दोज़ख़ इस वक़्त भी मौजूद हैं लेकिन दाख़िला क़ियामत के दिन होगा। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 474. हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैंने (मेराज की रात में) जन्नत में झाँककर देखा जो दुनिया में जो मोहताज (ग़रीब व नादार) थे उन्हें वहाँ ज़्यादा पाया, और दोज़ख़ में झाँककर देखा तो वहाँ औ़रतें बहुत पाईं।

हदीस 475. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- (जन्नत का) ख़ेमा क्या है? एक मोती है ख़ोलदार जिसकी बुलन्दी तीस मील है, उसके हर कोने में मुसलमान को ऐसी बीवी मिलेगी जिसको उसके सिवा कोई न देख सकेगा।

हदीस 476. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जन्नत में एक दरख़्त (तूबा) है जिसके साये में अगर सवार सौ बरस तक चलता रहे (फिर

भी) उसका साया ख़त्म न होगा।

(तफ़सील के लिये पढ़िये- तफ़सीर सूरः वाकिआ 56, आयत 30)

हदीस 477. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- पहला (आदमियों का) गिरोह जो जन्नत में जायेगा वह चौदहवीं रात के चाँद की तरह होगा, जो लोग उनके पीछे जायेंगे वे आसमान के ख़ूब चमकते सितारे की तरह होंगे, उनके दिल एक जैसे होंगे (उनमें) न बुग़ज़ (कीना) होगा न हसद (जलन)। हर जन्नती को बड़ी-बड़ी आँखों वाली दो बीवियाँ ऐसी मिलेंगी जिनकी पिंडली का गोश्त और हड्डी के अन्दर का गूदा भी दिखाई देगा।

हदीस 478. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- दोज़ख़ ने अपने परवर्दिगार से शिकवा किया, कहने लगी अब तो (गर्मी की शिद्दत से) मेरा यह हाल है कि मैं ख़ुद अपने आपको खा रही हूँ। उस वक़्त उसको (साल भर में) दो बार साँस लेने की परवर्दिगार ने इजाज़त दी, एक साँस (अन्दर) सर्दी में और एक साँस (बाहर) गर्मी में। तुम जो गर्मी में सख़्त हरारत देखते हो और सर्दी में सख़्त सर्दी, उसका यही सबब है।

हदीस 479. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैंने नींद की हालत में अपने आपको जन्नत में देखा कि एक औरत जन्नत के गोशे (कोने) में वुज़ू कर रही थी। मैंने पूछा यह महल किसका है? फ़रिश्तों ने कहा कि उमर बिन ख़त्ताब का। मुझे उनकी ग़ैरत का ख़्याल आया तो वापस आ गया। इस पर हज़रत उमर रोने लगे और अर्ज़ किया- या रसूलल्लाह! क्या मैं आप से भी ग़ैरत करूँगा?

वज़ाहतः- मालूम हुआ कि जन्नत मौजूद है और उसमें साज़ व सामान भी मौजूद है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 480. हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते थे- बुख़ार दोज़ख़ के जोश मारने के असर से होता है इसलिये उसको पानी से ठंडा कर लिया

करो।

वज़ाहतः- हज़रत असमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा बुख़ार वाले शख़्स के सीने पर पानी छिड़कती थीं। तिब्ब के इल्म में भी है कि (गर्मी के) बुख़ार में बीमार को ठंडा पानी ज़्यादा पिलाया जाये और ऊपर छिड़का भी जाये, बर्फ़ भी जिस्म पर मलना बेहतर है ताकि जिस्म का दर्जा-ए-हरारत (तापमान) नीचे आये।

हदीस 481. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम्हारी (दुनिया की) आग दोज़ख़ की आग के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। लोगों ने अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! दुनिया ही की आग (जलाने के लिये) काफ़ी थी, आपने फ़रमाया दोज़ख़ की आग 69 हिस्से इससे ज़्यादा गर्म है। हर हिस्सा दुनिया की आग के बराबर है।

हदीस 482. हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना- एक शख़्स को क़ियामत के दिन लाया जायेगा और उसको दोज़ख़ में डाल दिया जायेगा। उसकी अंतड़ियाँ (पेट से) बाहर निकल पड़ेंगी और वह अपनी अंतड़ियाँ लिये हुए चक्की के गधे की तरह घूमता रहेगा, सारे दोज़ख़ वाले उसके पास इकट्ठा होंगे। कहेंगे- ऐ फ़ुलाँ! यह क्या मामला है, तुम तो (दुनिया में अच्छे थे) हमको अच्छी बात का हुक्म करते बुरी बात से मना करते थे। वह कहेगा बेशक मैं तुमको तो अच्छी बात का हुक्म करता था मगर ख़ुद नहीं करता था, और तुमको बुरी बात से मना करता मगर ख़ुद बुरी बात किया करता था।

हदीस 483. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर तुम में से कोई अपनी बीवी से सोहबत (हमबिस्तरी) करने से पहले यह दुआ़ पढ़ ले-

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطٰنَ وَجَنِّبِ الشَّيْطٰنَ مَا رَزَقْتَنَا.

बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्-म जन्निबूनश्शैता-न व जन्निबिश्शैता-न मा रज़क़्तना।

तर्जुमाः- या अल्लाह! हमको शैतान से बचाईये और जो औलाद हमको दें उसको भी शैतान से बचाये रखिये।

फिर उसकी औलाद हुई तो शैतान उसको कोई नुक़सान न पहुँचा सकेगा।

हदीस 484. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे सदक़ा-ए-फ़ित्र में जो ग़ल्ला (गेहूँ, जौ, चावल या मेवा) आया था उसकी हिफ़ाज़त पर मुक़र्रर किया। एक शख़्स आया वह लप भर-भरकर उसमें से लेने लगा, मैंने उसको (चोर समझकर) पकड़ा और कहा मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास लेकर जाऊँगा, फिर आख़िर तक हदीस बयान की (यानी दोबारा भी पकड़ा), तीसरी बार जब मैंने उसको पकड़ा और किसी तरह न छोड़ा तो वह कहने लगा (मैं तुमको एक बात बतलाता हूँ) जब तुम (सोने के लिये) अपने बिस्तर पर जाओ तो 'आयतुल्-कुर्सी' पढ़ लिया करो, उसकी बरकत से अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से एक फ़रिश्ता बराबर तुम्हारी हिफ़ाज़त करता रहेगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे पास नहीं आयेगा। मैंने जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से यह मामला बयान किया, आपने फ़रमाया- वह बड़ा झूठा है मगर यह बात उसने सच कही है, वह आदमी नहीं शैतान था।

हदीस 485. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- शैतान तुम में से किसी के पास आता है और उससे कहता है (दिल में वस्वसा डालता है) कि यह किसने पैदा किया वह किसने पैदा किया? आख़िर में यह कहता है अच्छा अल्लाह तआ़ला को किसने पैदा किया? (अल्लाह तआ़ला तो सब का पैदा करने वाला और अपनी ज़ात से हमेशा से मौजूद है) जब वह किसी शख़्स को ऐसा वस्वसा (दिल में ख़्याल) डाले तो वह 'अऊ़ज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम' पढ़े और शैतानी ख़्याल को छोड़ दे।

वज़ाहतः- तफ़सील के लिये पढ़िये सूरः हिज्र 15, आयत 36-42। पूरी 'अऊ़ज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम' पढ़ें। यही इलाज नमाज़ में और नमाज़

के बाहर भी वस्वसा डालने का है, कुत्ते और गधे की आवाज़ सुनकर भी 'अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम' पढ़नी चाहिये। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 486. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब रात का अंधेरा होना शुरू हो जाये तो अपने बच्चों को (घर के अन्दर) रोक लो, घर से बाहर न जाने दो, क्योंकि उस वक़्त शैतान फैल जाते हैं। जब रात के वक़्त में से एक घड़ी गुज़र जाये उस वक़्त बच्चों को छोड़ दो (चलें फिरें) और (रात को सोने से पहले) दरवाज़ा बन्द करते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ो और 'बिस्मिल्लाह' पढ़कर चिराग़ बुझा दो, पानी का बर्तन (सुराही, घड़ा वग़ैरह) ढाँपते वक़्त भी 'बिस्मिल्लाह' कहो और ढाँपने को कुछ न मिले तो कोई चीज़ (लकड़ी वग़ैरह) उस पर आड़ी रख दो।

वज़ाहतः- ज़मीन पर फैलने वाले शैतानों से मुराद शरीर जिन्नात हैं जो शाम को निकलते हैं और बच्चों को नुक़सान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आप भी हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की आ़दत डालें, इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आयेगी। इन्शा-अल्लाहुल्-अ़ज़ीज़।

हदीस 487. हज़रत सुलैमान बिन सुरद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास बैठा था और दो आदमी गाली-गलौज कर रहे थे, एक का रंग सुर्ख़ हो गया, गर्दन की रगें फूल गई थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुझे एक दुआ़ मालूम है अगर यह शख़्स उसको पढ़े तो इसका ग़ुस्सा जाता रहेगा- 'अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम' पढ़ ले, यह हालत न रहेगी। लोगों ने उससे कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि शैतान से अल्लाह की पनाह माँग लो। वह कहने लगा क्या मैं कोई दीवाना हूँ?

वज़ाहतः- वह समझा कि शैतान से पनाह तब ही माँगते हैं जब आदमी दीवाना हो जाये, हालाँकि ग़ुस्सा भी इनसान को दीवाना (पागल) बना देता है।

हदीस 488. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जमाई (जंभाई) शैतान की

तरफ़ से है, जब तुम में से किसी को जमाई आये (जो सुस्ती की निशानी है) तो जहाँ तक हो सके उसको रोके (आवाज़ न निकलने दे), इसलिये कि जब कोई जमाई में हा-हा की आवाज़ निकालता है तो शैतान उस पर हंसता है।

वज़ाहतः- यह हुक्म नमाज़ के दौरान और नमाज़ के बाहर बराबर है। अगर जमाई न रुक सके तो अपने मुँह पर हाथ रख ले और आवाज़ न निकलने दे।

हदीस 489. हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- (अच्छा) ख़्वाब अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से होता है और बुरा (डरावना) ख़्वाब शैतान की तरफ़ से होता है, जब किसी को बुरा ख़्वाब (सपना) आये जिससे वह डर जाये तो अपनी बायीं तरफ़ थुतकार दे और उसकी बुराई से अल्लाह तआ़ला की पनाह माँगे, उसको कुछ नुक़सान न होगा (यानी 'अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम' पढ़े)।

वज़ाहतः- शैतान चाहता है कि बुरे ख़्वाब के ज़रिये मुसलमान को परेशान करके अल्लाह तआ़ला से उसको बदगुमान कर दे, इसलिये यह अ़मल करें।

हदीस 490. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स हर रोज़ सौ बार यह कलिमा पढ़े-

لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरी-क लहू लहुल्-मुल्कु व लहुल्-हम्दु व हु-व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर।

तो उसको दस ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा और सौ नेकियाँ उसके नामा-ए-आमाल में लिखी जायेंगी और उसकी सौ बुराईयाँ मिटा दी जायेंगी और वह सारा दिन शाम तक शैतान (के शर) से महफ़ूज़ रहेगा,

और कोई उससे बेहतर अ़मल लेकर न आयेगा मगर जो उससे भी ज़्यादा यह कलिमा पढ़े।

वज़ाहतः- बेहतर है कि यह कलिमा सुबह सौ और शाम सौ बार पढ़िये ताकि दिन और रात दोनों में शैतान के शर (बुराई) से महफ़ूज़ रहें।

हदीस 491. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब कोई तुम में से सोकर उठे और वुज़ू करने लगे तो तीन बार नाक सिनके (झाड़े), क्योंकि शैतान रात को नाक के बाँसे (नाक की हड्डी) पर बैठा रहता है।

वज़ाहतः- इसका तरीक़ा यह है कि उंगली से एक नाक का नथुना बन्द करके दूसरे नथुने से हवा ज़ोर से बाहर ख़ारिज करे, फिर इसी तरह दूसरे नथुने से भी यही अ़मल दोहराये।

हदीस 492. हज़रत उम्मे शुरैक रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने गिरगिट को मार डालने का हुक्म दिया।

वज़ाहतः- क्योंकि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो उसने फूँक मारकर आग भड़काने की कोशिश की थी। (फ़त्हुल्-बारी) और ज़्यादा तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर सूरः अम्बिया 21, आयत 69।

हदीस 493. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- दो धारी वाले साँप को मार डालो क्योंकि वह बीनाई (आँखों की रोशनी) को खो देता है और हामिला (गर्भवती) औ़रत का हमल गिरा देता है।

वज़ाहतः- उसमें ज़हरीला माद्दा इतना ज़्यादा होता है कि उसकी निगाह की तेज़ी अगर किसी की आँख से टकरा जाये तो बीनाई के ख़त्म होने का ख़तरा है, इसी तरह हामिला औ़रतों के हमल (गर्भ) गिरने के लिये भी उसकी तेज़ निगाह ख़तरनाक है।

अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम का बयान

हदीस 494. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम को 60 हाथ लम्बा बनाया था, फिर फ़रमाया- जाओ उन फ़रिश्तों के गिरोह को सलाम करो और वे आपको क्या जवाब देते हैं उसे सुनो, वही आपका और आपकी औलाद का सलाम व जवाब होगा। हज़रत आदम ने कहा- 'अस्सलामु अ़लैकुम' उन्होंने जवाब दिया- 'अस्सलामु अ़लै-क व रह्मतुल्लाहि'। उन्होंने 'व रह्मतुल्लाहि' का लफ़्ज़ बढ़ाया। जो लोग क़ियामत के दिन (जन्नत) में दाख़िल होंगे वे सब हज़रत आदम की सूरत पर होंगे, हज़रत आदम के बाद फिर अब तक क़द छोटे होते रहे।

वज़ाहतः- हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम बहुत ही ख़ूबसूरत थे और उन ही के हमशक्ल तमाम जन्नती होंगे। या अल्लाह पाक हमें भी उनमें शामिल फ़रमा। आमीन या रब्बल्-आ़लमीन।

हदीस 495. हज़रत उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! अल्लाह रब्बुल्-इ़ज़्ज़त तो हक़ में कोई शर्म नहीं करता तो क्या औ़रत को भी ग़ुस्ल करना चाहिये जब उसको एहतिलाम (सोते में नहाने की हाजत) हो? आपने फ़रमाया हाँ अगर वह नमी (गीला पन) देखे, यह सुनकर उम्मुल्-मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा हंस दीं और ताज्जुब से कहने लगीं- क्या औ़रत को भी एहतिलाम होता है? आपने फ़रमाया (अगर ऐसा नहीं है) तो फिर बच्चा उसके जैसा क्यों होता है।

हदीस 496. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अ़न्हु (यहूदियों के आ़लिम) को यह ख़बर पहुँची कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मदीना में तशरीफ़ लाये हैं, वह आपके पास हाज़िर होकर कहने लगे- मैं आप से तीन बातें पूछता हूँ पैग़म्बर के सिवा और कोई उनको नहीं बता सकता।

1. क़ियामत की पहली निशानी क्या है?

2. जन्नती लोग जन्नत में जाकर सबसे पहले क्या खायेंगे?

3. बच्चा अपने बाप के जैसा (शक्ल व सूरत में) क्यों होता है?

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अभी-अभी जब तुमने पूछा तो हज़रत जिब्राईल ने ये बातें (जवाब) मुझको बतला दीं। हज़रत अ़ब्दुल्लाह ने कहा यह फ़रिश्ता यहूदियों का दुश्मन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

1. क़ियामत की पहली निशानी एक आग है जो लोगों को पूरब से पश्चिम की तरफ़ ले जायेगी।

2. पहला खाना जन्नतियों का मछली की कलेजी पर जो टुकड़ा लटका रहता है वह होगा (यह बहुत ही मज़ेदार होता है)।

3. बच्चे का अपने बाप के जैसा होने की वजह यह है कि जब मर्द औ़रत से सोहबत करता है, अगर मर्द का पानी (वीर्य) आगे बढ़ जाता है (ग़ालिब आ जाता है) तो बच्चा बाप के जैसा होता है, और अगर औ़रत का पानी आगे बढ़ जाता है तो उसके जैसा हो जाता है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम ने यह जवाब सुनकर अ़र्ज़ किया- मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह तआ़ला के रसूल हैं। फिर उन्होंने अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! यहूदी बहुत बड़े झूठे फ़रेबी हैं, आप पहले उनसे (मेरा हाल पूछिये) अगर उनको मालूम हो गया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ तो वे मुझको झूठा कहेंगे। जब यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आये तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम (एक जगह) छुप गये, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनसे पूछा- अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम तुम में कैसे आदमी हैं? उन्होंने कहा बड़े आ़लिम, बड़े आ़लिम के बेटे, सबसे अफ़ज़ल, सबसे अफ़ज़ल के बेटे हैं। आपने फ़रमाया देखो अगर अ़ब्दुल्लाह मुसलमान हो जायें तो तुम भी मुसलमान हो जाओगे? उन्होंने कहा अल्लाह न करे, अल्लाह उनको मुसलमान होने से बचाये रखे। यह सुनकर हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु कमरे से बाहर निकले और कहने लगे:

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ.

अशहदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु व अशहदु अन्-न मुहम्मदर्रसूलुल्लाह

उस वक़्त यहूदी (शर्मिन्दा होकर) कहने लगे- अ़ब्दुल्लाह तो हम सब में बुरा आदमी है, सबसे बुरे शख़्स का बेटा है, और उनको बुरा कहने लगे।

हदीस 497. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरी नसीहत मानो, औ़रतों से भलाई करते रहना (उनको तंग न करना) क्योंकि औ़रत (टेढ़ी) पसली से पैदा हुई है और पसली का ऊपर का हिस्सा बहुत टेढ़ा होता है, अगर तुम उसको ताक़त से सीधा करना चाहोगे तो वह टूट जायेगी (सीधी न होगी) इसलिये यूँ ही छोड़ दो तो टेढ़ी ही रहेगी। मेरी नसीहत मानो, औ़रतों से हमेशा (अच्छा) सुलूक करो।

नोटः- औ़रतों से कोई काम ज़बरदस्ती न लें, न ही उन पर कोई सख़्ती करें, यह भी एक तरीक़ा तलाक़ से बचने का है। अधिक मालूमात के लिये पढ़िये हमारी किताब "तलाक़ से बचने के इस्लामी तरीक़े"।

हदीस 498. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला (क़ियामत के दिन) फ़रमायेंगे- आदम! वह अ़र्ज़ करेंगे हाज़िर हूँ सब भलाई आप ही के हाथ में है। इरशाद होगा दोज़ख़ के लिये लश्कर निकालो। वह पूछेंगे कितना लश्कर निकालूँ? अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा हर हज़ार आदमियों में से नौ सौ निन्नानवे। उस वक़्त (मारे घबराहट और दहशत के) बच्चा बूढ़ा हो जायेगा और हमल वाली का हमल गिर जायेगा, और तुम लोगों को देखोगे जैसे वे मदहोश हों हालाँकि वे मदहोश न होंगे लेकिन अल्लाह तआ़ला का अ़ज़ाब बड़ा ही सख़्त होगा (लोग ख़ौफ़ से बेहोश हो जायेंगे)। सहाबा ने अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! भला हज़ार में एक हम में से कौन होगा (अब क्या उम्मीद है कि हमको जन्नत मिलेगी)? आपने फ़रमाया (कुछ फ़िक्र न करो) ख़ुश हो जाओ तुम में से एक आदमी के मुक़ाबले में याजूज-माजूज (और दूसरे काफ़िरों) में से हज़ार आदमी बढ़ेंगे। फिर फ़रमाया- क़सम उस परवर्दिगार की जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे उम्मीद है कि तुम कुल जन्नतियों का एक तिहाई हिस्सा होगे। हमने (ख़ुशी

के मारे) 'अल्लाहु अकबर' कहा, फिर आपने फ़रमाया- मुझे उम्मीद है कि कुल जन्नतियों के आधे तुम होगे (आधे में दूसरी उम्मतें), हमने ख़ुशी के मारे फिर 'अल्लाहु अकबर' कहा, आपने फ़रमाया- तुम (तमाम दुनिया के) लोगों में ऐसे होगे जैसे सफ़ेद बैल की खाल में एक काला बाल या काले बैल की खाल में एक सफ़ेद बाल।

हदीस 499. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हज़रत इब्राहीम अपने वालिद आज़र को क़ियामत के दिन देखेंगे, मुँह पर सियाही और गर्द व गुबार होगा, हज़रत इब्राहीम कहेंगे क्या मैंने (दुनिया में) तुमसे नहीं कहा था कि मेरी नाफ़रमानी न करो। आज़र कहेंगे आज मैं तुम्हारी नाफ़रमानी नहीं करूँगा। उस वक़्त हज़रत इब्राहीम (अल्लाह तआ़ला से) अ़र्ज़ करेंगे- ऐ परवर्दिगार! आपने मुझसे वायदा फ़रमाया था कि क़ियामत के दिन तुझको रुस्वा नहीं करूँगा। आज इससे ज़्यादा कौनसी रुस्वाई होगी कि मेरा बाप रुस्वा हुआ है (तेरी रहमत से मेहरूम है)। अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा मैंने काफ़िरों पर जन्नत हराम कर दी है, फिर हज़रत इब्राहीम को तसल्ली देने के लिये कहा जायेगा कि ज़रा अपने पाँव के नीचे तो देखो। वह देखेंगे तो (उनके वालिद की जगह) एक "बिज्जू" नापाकी से लुथड़ा हुआ वहाँ पड़ा होगा, उसको पाँव से घसीटकर (फ़रिश्ते) दोज़ख़ में डाल देंगे।

वज़ाहतः- मालूम हुआ कि बाप अपने बेटे के काम न आ सकेगा और न ही बेटा (पैग़म्बर) बाप के काम आ सकेगा, तो फिर पीर, बुज़ुर्ग, वली और शैख़ किस तरह मरने के बाद हमारे काम आ सकते हैं? इस तरह का अ़क़ीदा रखना शिर्क है और मुश्रिक की बख़्शिश नहीं है। अधिक मालूमात के लिये पढ़िये तफ़सीर सूरः निसा 4, आयत 48, और सूरः मायदा 5, आयत 72।

हदीस 500. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हज़रत इब्राहीम ने अस्सी (80) बरस की उम्र में बिसोले (लकड़ी छीलने के औज़ार) से ख़ुद अपना ख़तना किया।

(80 साल की उम्र में आपको ख़तना का हुक्म मिला, उस्तरा पास न था इसलिये अल्लाह के हुक्म की तामील में जल्दी करते हुए ख़ुद ही बिसोले से अपना ख़तना कर लिया। फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 501. हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि हज़रत कअ़ब बिन अ़जरा मुझसे मिले और कहने लगे- मैं तुमको एक (हदीस) तोहफ़ा दूँ जो मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुनी है। मैंने कहा- ज़रूर दो। उन्होंने कहा- हम लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! हम आप पर और आपके अहले बैत (घर वालों) पर कैसे दुरूद भेजा करें? क्योंकि आपको सलाम करना तो हमको अल्लाह तआ़ला ने सिखला दिया है, यानी अत्तहिय्यात में "अस्सलामु अ़लै-क अय्युहन्नबिय्यु व रह्मतुल्लाहि व ब-रकातुहू" आपने फ़रमाया (दुरूद में) यूँ कहा करो-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ○

अल्लाहुम्-म सल्लि अ़ला मुहम्मदिंव्-व अ़ला आलि मुहम्मदिन् कमा सल्लै-त अ़ला इब्राही-म व अ़ला आलि इब्राही-म इन्न-क हमीदुम्-मजीद। अल्लाहुम्-म बारिक् अ़ला मुहम्मदिंव्-व अ़ला आलि मुहम्मदिन् कमा बारक्-त अ़ला इब्राही-म व अ़ला आलि इब्राही-म इन्न-क हमीदुम्-मजीद।

तर्जुमाः- या अल्लाह! रहम करें मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) और मुहम्मद की आल पर जैसे आपने रहम किया था (हज़रत) इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) और इब्राहीम की आल पर, बेशक आप ख़ूबियों वाले बड़ाई वाले हैं। या अल्लाह! अपनी बरकत उतारें मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) और मुहम्मद की आल पर जैसे आपने बरकत उतारी थी (हज़रत) इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) और इब्राहीम की आल पर, बेशक आप बड़ी ख़ूबियों वाले हैं।

वज़ाहतः- दुरूदे इब्राहीमी नमाज़ वाला दुरूद है, यही मस्नून और सबसे बेहतर दुरूद है।

हदीस 502. हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा के लिये इन कलिमात के ज़रीये पनाह तलब किया करते थे और फ़रमाते थे कि तुम्हारे बड़े दादा (पूर्वज) हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी (अपने दोनों बेटों) इस्माईल और इस्हाक़ अलैहिमस्सलाम के लिये इन्हीं कलिमात से पनाह तलब किया करते थे। वो कलिमात ये हैं-

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّـآمَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ.

अऊज़ु बि-कलिमातिल्लाहित्-ताम्मति मिन् कुल्लि शैतानिंव्-व हाम्मतिंव्-व मिन् कुल्लि ऐनिल्-लाम्मतिन्।

तर्जुमाः- मैं तुम दोनों को अल्लाह के पूरे कलिमों की पनाह में देता हूँ हर शैतान और ज़हरीले कीड़े से, और हर बुरी आँख से।

वज़ाहतः- मालूम हुआ कि क़ुरआन मजीद अल्लाह का कलाम है यानी मख़्लूक़ नहीं है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किसी भी मख़्लूक़ की पनाह नहीं लेते थे।

हदीस 503. हज़रत मसरूक़ ने कहा कि मैंने हज़रत उम्मे रोमान रज़ियल्लाहु अन्हा से (जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की वालिदा थीं) उस बोहतान का हाल पूछा जो हज़रत आयशा पर लगाया गया था, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों माँ-बेटी बैठी थीं इतने में एक अन्सारी औरत आई और कहने लगी कि अल्लाह तआला फ़ुलाँ शख़्स (मिस्तह बिन उसासा रज़ियल्लाहु अन्हु) को तबाह करे। मैंने कहा क्यों उसका क़सूर क्या है? उसने कहा उसी ने तो यह (झूठी) बात मशहूर की है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कौनसी बात? जब उसने बयान की तो हज़रत आयशा ने कहा क्या यह बात हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ और रसूलुल्लाह तक भी पहुँच गई है? उसने कहा- पहुँच गई है। यह सुनते ही हज़रत आयशा बेहोश होकर गिर गयीं। होश आया तो कपकपी के साथ बुख़ार चढ़ा हुआ था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये

और पूछा इस (हज़रत आयशा) को क्या हुआ है? मैंने कहा इसको (वह बात सुनकर जो इसके बारे में कही गई है) बुख़ार आ गया है। फिर हज़रत आयशा उठकर बैठीं, कहने लगीं अल्लाह की क़सम! अगर मैं क़सम उठाऊँ तब भी आप मुझको सच्चा नहीं समझेंगे और अगर मैं माज़िरत करूँ तो मेरा उज़्र नहीं मानेंगे। मेरी और आप लोगों की वही कैफ़ियत है जो हज़रत याक़ूब अ़लैहिस्सलाम और उनके बेटों पर गुज़र चुकी है (सब्र करना ही बेहतर है)। ख़ैर इन बातों पर अल्लाह तआ़ला ही मेरा मददगार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम यह गुफ़्तगू सुनकर तशरीफ़ ले गये। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआ़ला ने (सूरः नूर की छह आयतें 11 से 16 तक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की बराअत में) उतारीं, उस वक़्त हज़रत आयशा कहने लगीं- मैं अल्लाह तआ़ला का शुक्र करती हूँ और किसी का एहसान नहीं है।

हदीस 504. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मूसा अ़लैहिस्सलाम पैग़म्बर बड़े शर्म वाले बदन ढाँपने वाले थे। उनके बदन का कोई हिस्सा उस शर्म की वजह से कोई न देख सकता था। बनी इस्राईल के बाज़े लोगों ने उनको सताया, कहने लगे मूसा जो इस क़द्र अपना बदन छुपाते हैं तो इसमें ज़रूर कोई ऐब है या तो बरस (कोढ़) या फ़ितक़ (फ़ोते बढ़ जाना) या कोई और बीमारी है, और अल्लाह तआ़ला को यह मन्ज़ूर हुआ कि हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम का बेऐब होना ज़ाहिर हो जाये।

एक रोज़ हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम अकेले थे, उन्होंने अपने कपड़े एक पत्थर पर रखकर (नंगे) नहाना शुरू किया, जब नहा चुके और पत्थर पर से कपड़े लेने लगे तो पत्थर (अल्लाह की क़ुदरत से) उनके कपड़े लेकर भागा। मूसा अ़लैहिस्सलाम ने अपना अ़सा (डंडा) संभाला और (कहने लगे) ऐ पत्थर! मेरे कपड़े दे। वह पत्थर (रुका ही नहीं) बनी इस्राईल के लोग जहाँ थे वहाँ पहुँचकर (पत्थर) रुका। उन्होंने हज़रत मूसा को नंगे बदन देख लिया। अल्लाह तआ़ला की मख़्लूक़ में बहुत अच्छे थे। जो ऐब वे लोग लगाते थे उनसे पाक व साफ़ थे। हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने अपने कपड़े

लेकर पहने और पत्थर को अपनी लाठी से मारना शुरू किया। अल्लाह की कसम पत्थर में उनकी मार के निशान पड़ गये थे। इस आयत (सूरः अहज़ाब 33, आयत 69) का यही मतलब है-

तर्जुमाः- ऐ ईमान वालो! उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को सताया था, फिर अल्लाह तआ़ला ने उनकी बनाई हुई बातों से हज़रत मूसा को पाक कर दिया और हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाले थे।

हदीस 505. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जिसको पैदा होते वक़्त शैतान न छुए, शैतान के छूने ही से वह रोता है, मगर हज़रत मरियम और उनके बेटे (हज़रत ईसा) को शैतान न छू सका। यह हदीस बयान करके हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु यह आयत पढ़ते थे-

وَاِنِّيْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ○

व इन्नी उओ़ज़ुहा बि-क व ज़ुर्रिय्य-तहा मिनश्शैतानिर्रजीम।

(सूरः आले इमरान 3, आयत 36)

तर्जुमाः- और मैं इसे (मरियम) और इसकी औलाद (ईसा) को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ।

वज़ाहतः- यह दुआ़ हज़रत मरियम की वालिदा ने माँगी थी, यह बेहतरीन दुआ़ है, आप भी रोज़ाना माँगिये।

हदीस 506. हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- दज्जाल जब निकलेगा उसके साथ पानी और आग दोनों होंगे, लेकिन जिसको लोग आग समझेंगे वह हक़ीक़त में ठंडा पानी होगा और जिसको लोग ठंडा पानी समझेंगे वह जलाने वाली आग होगी। देखो तुम में से जो कोई वह ज़माना पाये तो ज़ाहिर में जो आग मालूम हो उसमें गिर पड़े, वह हक़ीक़त में मीठा ठंडा पानी होगा।

वज़ाहतः- दज्जाल की इस शोबदेबाज़ी (नज़र-बन्दी या जादूगरी) से अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों का इम्तिहान लेगा जिस तरह हज़रत मूसा और

जादूगरों के वाक़िए में अल्लाह रब्बुल्-इज़्ज़त ने देखने वालों का इम्तिहान लिया था। (और अधिक मालूमात के लिये पढ़िये सूरः आराफ़ 7, आयत 116-121 और सूरः तॉ-हा 20, आयत 65-70)

हदीस 507. हज़रत जुन्दुब बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हदीसे क़ुदसी है कि पहली उम्मतों में एक शख़्स था, उसको एक ज़ख़्म लगा, उसने छुरी लेकर अपना हाथ काट डाला, ख़ून बहता रहा, रुका ही नहीं, यहाँ तक कि वह मर गया। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया- इस शख़्स ने जल्दी करके जान दी (हराम मौत मरा) मैंने (यानी अल्लाह तआ़ला ने) भी जन्नत इस पर हराम कर दी है।

वज़ाहतः- हमारी जान एक अमानत है जो अल्लाह तआ़ला ने हमारे हवाले की है लिहाज़ा ख़ुदकुशी करने वाले पर जन्नत हराम है, इसलिये उसकी अमानत में ख़्यानत नहीं करनी चाहिये।

हदीस 508. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- पहली उम्मतों में ऐसे लोग गुज़रे हैं जिनको अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से इल्हाम होता था (अगरचे वे पैग़म्बर न थे) मेरी उम्मत में अगर कोई ऐसा हो तो उमर बिन ख़त्ताब होंगे।

हदीस 509. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बनी इस्राईल में एक शख़्स ने 99 आदमियों को मार डाला था, फिर (शर्मिन्दा होकर) मसला पूछने निकला। एक दुरवेश के पास आया, उससे पूछा क्या मेरी तौबा क़ुबूल होगी? उसने कहा नहीं, यह सुनते ही उसने उसको भी मार डाला (100 क़त्ल पूरे कर दिये)। फिर मसला पूछता-पूछता चला। एक दूसरे राहिब ने कहा (हाँ) "तू फ़ुलाँ बस्ती (नसरा) में चला जा, उस बस्ती में नेक लोग रहते हैं तौबा का कोई रास्ता बता देंगे। वह उस बस्ती की तरफ़ रवाना हो गया। रास्ते में उसकी मौत आ पहुँची (मरते-मरते) उसने अपना सीना उस बस्ती की तरफ़ झुका दिया। अब रहमत और अ़ज़ाब के फ़रिश्ते (उसे साथ ले जाने के लिये) झगड़ने लगे। अल्लाह तआ़ला ने नसरा बस्ती (जहाँ वह

तौबा के लिये जा रहा था) को यह हुक्म दिया कि उस शख़्स से नज़दीक हो जा, और दूसरी बस्ती को जहाँ से वह निकला था यह हुक्म दिया कि उससे दूर हो जा। फिर फ़रिश्तों से फ़रमाया- ऐसा करो जहाँ यह मरा है वहाँ से दोनों बस्तियाँ नापो, (नापा) तो देखा वह नसरा से एक बालिश्त ज़्यादा नज़दीक है, फिर वह बख़्श दिया गया।

वज़ाहतः- सही मुस्लिम की हदीस में इतना ज़्यादा है कि "रहमत के फ़रिश्तों ने कहा- यह शख़्स तौबा करके अल्लाह तआला की तरफ़ रुजू होकर निकला था। अज़ाब के फ़रिश्तों ने कहा- यह सारी उम्र ख़ून करता रहा, इसने कोई नेकी नहीं की, सच्ची तौबा करने से अल्लाह करीम बड़े-बड़े गुनाह भी (सिवाय शिर्क के) माफ़ फ़रमा देते हैं। नाहक़ ख़ून भी सच्ची तौबा से माफ़ हो सकता है। और अल्लाह तआला हक़दारों को ख़ुद अपनी तरफ़ से अच्छा बदला देकर उन्हें राज़ी कर देंगे इन्शा-अल्लाह।

हदीस 510. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- एक शख़्स ने दूसरे शख़्स से घर ख़रीदा, जिसने ख़रीदा था उसने उस घर में सोना भरा हुआ एक मटका पाया और बेचने वाले से कहने लगा- भाई यह ले जा, मैंने तुझसे घर ख़रीदा है सोना नहीं ख़रीदा। वह कहने लगा- मैंने घर बेचा है उसमें जो कुछ था वह भी बेचा। आख़िर दोनों झगड़ते हुए एक शख़्स (हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पैग़म्बर) के पास गये उन्होंने कहा "तुम्हारी कोई औलाद भी है?" एक ने कहा मेरा एक लड़का है, दूसरे ने कहा मेरी एक लड़की है, उन्होंने कहा- उन दोनों का आपस में निकाह कर दो, यह सोना उन दोनों पर ख़र्च कर दो और (कुछ) ख़ैरात भी करो।

वज़ाहतः- इस हदीस से साबित हुआ कि पैग़म्बरों को भी इल्मे-ग़ैब नहीं होता वरना हज़रत दाऊद यह सवाल न करते। पैग़म्बरों को भी सिर्फ़ उतना ही इल्म होता है जितना अल्लाह तआला उन्हें अता फ़रमा देते हैं।

हदीस 511. हज़रत आशया रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ताऊन (प्लेग) के बारे में पूछा। आपने फ़रमाया- ताऊन एक अज़ाब है, अल्लाह तआला जिन पर चाहता है यह

अ़ज़ाब भेजता है, लेकिन मुसलमानों के लिये यह रहमत है, जब कहीं ताऊन फैले और मुसलमान सब्र करके सवाब की नीयत से अपनी ही बस्ती में ठहरा रहे और उसका यह यक़ीन व एतिक़ाद हो कि अल्लाह तआ़ला ने जो मुसीबत क़िस्मत में लिख दी वही पेश आयेगी, तो उसको शहीद का सवाब मिलेगा।

हदीस 512. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि जब मख़्ज़ूमी औ़रत (फ़ातिमा बिन्ते असद रज़ियल्लाहु अ़न्हा) ने चोरी की तो क़ुरैश वालों को फ़िक्र लाहिक़ हुई। उन्होंने कहा इस मुक़द्दमे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ करने की जुर्रत उसामा बिन ज़ैद के सिवा (जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के महबूब थे) और कोई नहीं कर सकता। हज़रत उसामा ने आप से इस बारे में सिफ़ारिश की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उसामा! तुम अल्लाह तआ़ला की तय की हुई सज़ाओं में सिफ़ारिश करते हो? फिर आपने खड़े होकर (अल्लाह तआ़ला की तारीफ़ व सना के बाद) ख़ुतबा दिया- लोगो! देखो तुमसे पहले जो लोग थे वे इसी वजह से तबाह हुए। जब उनमें कोई शरीफ़ (या मालदार) चोरी करता उसको छोड़ देते थे और जब कोई ग़रीब चोरी करता उस पर हद (सज़ा) क़ायम करते थे। अल्लाह की क़सम! मैं तो अगर मुहम्मद की बेटी फ़ातिमा (रज़ियल्लाहु अ़न्हा) चोरी करे तो उसका भी हाथ काट डालूँगा।

वज़ाहतः- चोर का हाथ काट डालने का क़ुरआन शरीफ़ में साफ़ हुक्म मौजूद है। पढ़िये तफ़सीर (सूरः मायदा 5, आयत 38) चोर का हाथ काटना हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की शरीअ़त में भी था।

हदीस 513. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैंने एक शख़्स (अ़मर बिन आ़स रज़ियल्लाहु अ़न्हु) को सुना वह क़ुरआन और तरह पढ़ रहे थे यानी उसके ख़िलाफ़ जैसे मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को पढ़ते सुना था। मैं आपके पास हाज़िर हुआ और आप से बयान किया, मैंने देखा कि आपके चेहरे मुबारक पर नाराज़गी पाई गई। आपने फ़रमाया- तुम दोनों अच्छा पढ़ते हो (क़ुरआन सात

किराअत पर उतरा है) आपस में झगड़ा न करो। तुमसे पहले लोग इसी तरह झगड़ों से तबाह हो गये थे।

वज़ाहतः- आपस के झगड़ों से बचिये। कोई आपका हक़ मारे तो भी माफ़ कर दें या बरदाश्त करें, इसमें आपका आख़िरत का फ़ायदा ज़्यादा है। तफ़सील के लिये पढ़िये- आपस के झगड़ों से बचने का इस्लामी हल हमारी किताब "बीमारियाँ और उसका इलाज मय तिब्बे नबवी" भाग पाँच।

हदीस 514. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा- गोया मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को देख रहा हूँ कि आप नबियों में से एक नबी का हाल बयान कर रहे हैं। उन्हें क़ौम ने इतना मारा कि ख़ून से भर दिया मगर वह अपने चहरे से ख़ून साफ़ करते और कहते जाते थे- 'अल्लाहुम्मग़्फ़िर् लिक़ौमी फ़-इन्नहुम् ला यअ़्लमून' ऐ अल्लाह! मेरी क़ौम को बख़्श दे क्योंकि वे ला-इल्म (नादान और इल्म न रखने वाले) हैं।

वज़ाहतः- मालूम हुआ कि दावत व तब्लीग़ पर बुरी बातें सुनना और मारें खाना भी अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की सुन्नत है।

हदीस 515. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- पिछली उम्मतों में एक आदमी को अल्लाह तआ़ला ने ख़ूब दौलत अ़ता की थी। जब उसकी मौत का वक़्त आया तो उसने अपने बेटों से पूछा- मैं तुम्हारे हक़ में कैसा बाप साबित हुआ? बेटों ने कहा कि आप हमारे बेहतरीन बाप हैं। उस शख़्स ने कहा लेकिन मैंने उम्र भर कोई नेक काम नहीं किया, इसलिये जब मैं मर जाऊँ तो मुझे जला डालना, फिर मेरी हड्डियों को पीस डालना और (राख को) किसी सख़्त आँधी के दिन हवा में उड़ा देना। बेटों ने ऐसा ही किया, लेकिन अल्लाह पाक ने उसे जमा किया और पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया? उस शख़्स ने अ़र्ज़ किया कि परवर्दिगार तेरे ही ख़ौफ़ से। चुनाँचे अल्लाह तआ़ला ने उसे माफ़ कर दिया।

वज़ाहतः- अल्लाह तआ़ला के ख़ौफ़ की वजह से उसे माफ़ कर दिया गया। (फ़त्हुल्-बारी)

फ़ज़ीलतों का बयान

हदीस 516. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि लोगों ने अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! सब में ज़्यादा इज़्ज़त वाला कौन है? आपने फ़रमाया- जो ज़्यादा परहेज़गार हो। उन्होंने अ़र्ज़ किया- हम यह नहीं पूछते। आपने फ़रमाया- (नसब के एतिबार से पूछते हो) तो अल्लाह रब्बुल्-इज़्ज़त के नबी हज़रत यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम हैं।

हदीस 517. हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स (मुसीबत में) गालों पर (थप्पड़) मारे और गिरेबान फाड़ डाले और जाहिलीयत की बातें करे वह हम में से नहीं है।

हदीस 518. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ अ़ब्दे मुनाफ़ के बेटो! तुम अपनी जानों को (नेक अ़मल करके) अल्लाह तआ़ला के अ़ज़ाब से बच लो। ऐ अ़ब्दुल-मुत्तलिब के बेटो! तुम अपनी जानों को अल्लाह तआ़ला (के अ़ज़ाब) से बचा लो। जुबैर की माँ मेरी फूफी, फ़ातिमा मेरी बेटी तुम दोनों अपनी जानों को अल्लाह तआ़ला (के अ़ज़ाब) से बचा लो। मैं अल्लाह तआ़ला के सामने तुम्हारे लिये कुछ इख़्तियार नहीं रखता, हाँ मेरे माल में से जो तुम चाहो वह माँग लो।

वज़ाहतः- जब हमारे रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम किसी को नहीं बख़्शवा सकते तो फिर पीर, मुरीद, औलिया और मरहूम बुज़ुर्ग कैसे किसी की क़ियामत के दिन मदद कर सकेंगे? अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये सूरः शु-अ़रा-इ 26, आयत 215।

हदीस 519. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु मेरे पास आये उस वक़्त (अन्सार की) दो लड़कियाँ मिना (बक़र-ईद) के दिनों में गा रही थीं, दफ़ बजा रही थीं, अल्लाह तआ़ला के नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपना कपड़ा ओढ़े हुए थे। हज़रत अबू बक्र ने उनको डाँटा (उनकी आवाज़ सुनते ही) नबी

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुँह पर से कपड़ा हटाया और फ़रमाया- अबू बक्र! इनको गाने-बजाने दें (ये लड़कियाँ अच्छे शे'र गा रही थीं), ये ईद (ख़ुशी) के दिन हैं। और हज़रत आ़यशा ने मज़ीद कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मुझको (अपनी पीठ के पीछे) छुपाये हुए थे और मैं मस्जिद में हब्शियों का खेल (जंगी ट्रेनिंग और हथियारों की मश्क़) देख रही थी। हज़रत अबू बक्र ने डाँटा (मस्जिद में यह खेल कैसा?) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इनको छोड़ दो (खेलने के लिये), बनी अरफ़दा! तुम बेफ़िक्र होकर खेलो।

वज़ाहतः- 'अरफ़दा' हब्शियों के पूर्वज का नाम था। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 520. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरी और पिछले पैग़म्बरों की मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख़्स ने एक घर बनाया, उसको ख़ूब अच्छी तरह सजाया-संवारा मगर एक कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी। लोग उस घर में फिरते हैं, ताज्जुब करते हैं (कि ऐसा उम्दा तैयार सजा हुआ घर मगर) यह ईंट क्यों नहीं लगाई गई। तो वह ईंट मैं हूँ और मैं ख़ातमुन्नबिय्यीन हूँ।

वज़ाहतः- मतलब यह कि नुबुव्वत का महल आपकी ज़ात से मुकम्मल हुआ।

हदीस 521. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की जब वफ़ात हुई तो उस वक़्त आपकी उम्र 63 बरस थी।

वज़ाहतः- अहले किताब (यहूदी और ईसाई) के यहाँ आपकी तमाम सिफ़ात में से यह भी मशहूर था कि आख़िरी ज़माने के नबी की उम्र 63 बरस होगी। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 522. हज़रत अबू जुहैफ़ा रज़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को देखा था, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अ़न्हु आपके जैसे थे।

हदीस 523. हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है

कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हुस्न व ख़ूबसूरती में भी और आ़दत व अख़्लाक़ में भी सबसे बढ़कर थे। आपका क़द न बहुत लम्बा था और न ही छोटा।

हदीस 524. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम किसी दुआ़ में अपने दोनों हाथ (इतने ज़्यादा ऊँचे) नहीं उठाते थे जितने इस्तिस्क़ा (बारिश के लिये पढ़ी जाने वाली नमाज़) में। उसमें इतने हाथ उठाते कि आपकी बग़लों की सफ़ेदी दिखाई देती।

वज़ाहतः- इस दुआ़ में इतने हाथ ऊँचे करें कि आपकी दोनों हथेलियाँ आपके सर के सामने आ जायें और हाथ आँखों से तक़रीबन 12 इंच दूर रहें, और आ़म दुआ़ में थोड़ा कम ऊँचा करें, इतना कि हथेलियाँ आँखों से तक़रीबन 8 इंच दूर रहें और दोनों हथेलियों का सैन्टर (बीच का हिस्सा) आँखों के सामने हो।

हदीस 525. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ठहर-ठहरकर बातें करते, कोई गिनने वाला चाहता तो आख़िर तक उनको गिन लेता।

हदीस 526. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मदीना वालों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में क़हत (सूखा) पड़ा, आप जुमे का ख़ुतबा सुना रहे थे, इतने में एक शख़्स खड़ा हुआ, कहने लगा या रसूलल्लाह! घोड़े मर गये, बकरियाँ भी तबाह हो गयीं, अल्लाह तआ़ला से दुआ़ फ़रमाईये वह बारिश बरसाये। आपने दोनों हाथ लम्बे किये, दुआ़ फ़रमाई, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि उस वक़्त आसमान आईने की तरह साफ़ था, बादल का नाम तक न था, इतने में आँधी आई, उसने (हल्के-हल्के) बादलों को उठाया, फिर वो बादल मिल गये और आसमान ने गोया अपने दहाने खोल दिये। हम जो मस्जिद से निकले तो पानी में (पाँव) डुबोते हुए अपने घर पहुँचे। फिर उस जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक बारिश होती रही, दूसरे जुमे में फिर एक शख़्स खड़ा हुआ और कहने लगा- या रसूलल्लाह! घर गिर गये। अल्लाह तआ़ला से दुआ़ फ़रमाईये

कि पानी रोक दे। आप मुस्कुराये फिर आपने यूँ दुआ़ फ़रमाई- या अल्लाह! हमारे इर्द-गिर्द बरसाईये, हम पर न बरसाईये। हज़रत अनस ने कहा कि हमने देखा (उसी वक़्त) बादल छटकर मदीने के इर्द-गिर्द फैल गये और मदीना ताज की तरह निकल आया।

हदीस 527. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जुमे के दिन एक दरख़्त (यानी लकड़ी) से टेक लगाकर खड़े हुआ करते (जुमे का ख़ुतबा सुनाते), अन्सार की एक औ़रत ने अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! हम आपके लिये मिम्बर न बनवा दें? आपने फ़रमाया अच्छा तुम्हारी मर्ज़ी। फिर उन्होंने मिम्बर तैयार करवाया, जब जुमे का दिन हुआ तो आप मिम्बर पर तशरीफ़ ले गये। दरख़्त ने इस तरह फूट-फूटकर रोना शुरू किया जैसे बच्चा चिल्लाकर रोता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मिम्बर से उतर आये और उस दरख़्त को सीने से लगा लिया तब वह उस बच्चे की तरह बारीक आवाज़ करने लगा जिसको तसल्ली देते हैं। आपने फ़रमाया- यह दरख़्त इस बात पर रोता है कि पहले अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र सुना करता था (अब वह उससे मेहरूम हो गया)।

हदीस 528. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- यहूदी तुमसे लड़ेंगे (एक जंग होगी) तुम उन पर ग़ालिब होगे, (फिर क़ियामत के क़रीब जब ईसा अ़लैहिस्सलाम उतरेंगे) यह हाल होगा कि पत्थर बात करेगा, कहेगा ऐ मुसलमान! इधर आ यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है इसको क़त्ल कर दे।

वज़ाहतः- यह जंग हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के उतरने के बाद होगी। (फ़त्हुल-बारी)

हदीस 529. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है कि एक ज़माना लोगों पर ऐसा आयेगा उस वक़्त लोगों में मुसलमान के लिये बेहतर माल बकरियाँ होंगी, उसको लेकर पहाड़ों की चोटियों में (बस्ती से अलग) अपना दीन बचाता हुआ फ़ितनों से भागता फिरेगा।

वज़ाहतः- नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने के बाद से ही फ़ितने शुरू हो गये थे और यही आपकी भविष्यवाणी थी जो बिल्कुल पूरी तरह सही साबित हुई, और ये फ़ितने आईन्दा क़ियामत तक बरपा होते रहेंगे इसलिये यह हुक्म क़ियामत तक के लिये है।

हदीस 530. हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- वह ज़माना क़रीब है जब तुम्हारी हक़-तल्फ़ी होगी और ऐसी बातें होंगी जिनको तुम बुरा समझोगे, लोगों ने अर्ज़ किया- या रसूलल्लाह! ऐसे वक़्त के लिये आप हमें क्या हुक्म देते हैं? आपने फ़रमाया- जो हक़ दूसरों का तुम पर है वह अदा कर देना और अपना हक़ अल्लाह तआला से माँगना।

वज़ाहतः- ऐसे वक़्त में सब्र का दामन हाथ से न छोड़ना चाहिये।

हदीस 531. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि एक शख़्स ईसाई था वह मुसलमान हो गया और सूरः ब-क़रह और सूरः आले इमरान उसने पढ़ ली थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कातिब (वही लिखने वाला) बन गया, क़ुरआन लिखा करता था। फिर वह ईसाई हो गया और कहने लगा कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) क्या जानें, मैं जो उनको लिख देता वही जानते थे (नऊज़ु बिल्लाह)। आख़िर मर गया, लोगों ने उसको दफ़ना दिया, सुबह को क्या देखते हैं कि उसकी लाश ज़मीन के बाहर पड़ी है, उसके लोग (ईसाई) कहने लगे कि यह काम मुहम्मद और उनके साथियों का है, वह जब उनको छोड़कर भाग आया तो उन्होंने रात को आकर क़ब्र खोदकर हमारे साथी की लाश बाहर फेंक दी। आख़िर उन्होंने बहुत गहरी क़ब्र खोदी और उसकी लाश दोबारा दफ़ना दी, (दूसरी) सुबह को क्या देखते हैं फिर उसकी लाश बाहर पड़ी है। कहने लगे हो न हो यह मुहम्मद और उनके साथियों का काम है, यह उनमें से भागकर चला आया था इसलिये इसकी क़ब्र खोद डाली। फिर (तीसरी मर्तबा) और ज़्यादा गहरी क़ब्र खोदकर जहाँ तक गहरी कर सके उसको दफ़ना दिया सुबह को क्या देखते हैं कि उसकी लाश (फिर) बाहर पड़ी है। अब उनको यक़ीन हो गया कि यह आदमियों का काम नहीं है (बल्कि यह अल्लाह

तआला का ग़ज़ब है) तो उन्होंने उसको यूँ ही ज़मीन के ऊपर पड़ा छोड़ दिया।

वज़ाहतः- आजकल भी क़ब्र के अ़ज़ाब के वाक़िआ़त देखने-सुनने में आते रहते हैं, अल्लाह रब्बुल्-इज़्ज़त हमें उन देखे-सुने जाने वाले वाक़िआ़त से सबक़ लेने की तौफ़ीक़ दे, आमीन। क़ब्र में क्या होगा? पढ़िये क़ुरआनी आयत की तफ़सीर (सूरः मोमिन 40, आयत 46)।

हदीस 532. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अ़न्हा चलती हुई आईं उनकी चाल नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की चाल की तरह थी, आपने फ़रमाया- आओ बेटी मरहबा, फिर उनको अपनी दायीं जानिब बैठाया और चुपके से एक बात उनसे कही तो वह रोने लगीं। फिर आपने चुपके से एक और बात उनसे कही तो वह हंस दीं। मैंने (अपने दिल में कहा) ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि इतनी जल्दी आदमी रोये और उसके बाद हंस भी दे। मैंने उनसे पूछा- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने क्या फ़रमाया था? उन्होंने कहा मैं नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का राज़ खोलने वाली नहीं हूँ। जब आपकी वफ़ात हो गई उस वक़्त मैंने उनसे कहा अब तो बयान कर दो। तब उन्होंने कहा- पहले आपने चुपके से यह फ़रमाया था कि हर साल हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम एक बार क़ुरआन का दौर मेरे साथ किया करते थे इस साल दो बार दौर किया। मैं समझता हूँ मेरी मौत क़रीब आ पहुँची है और तुम मुझसे मेरे सब घर वालों से पहले मिलोगी। यह सुनकर मैं रो दी, फिर आपने (चुपके से) यह फ़रमाया क्या तुम इससे ख़ुश नहीं हो कि सारी जन्नत की औ़रतों की सरदार बनो, यह सुनकर मैं हंस दी थी।

वज़ाहतः- मालूम हुआ कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत (ऊँचा मक़ाम व मर्तबा) है।

हदीस 533. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैंने (ख़्वाब में) देखा कि लोग एक मैदान में जमा हो रहे हैं, उनमें से हज़रत अबू बक्र उठे और एक कुएँ से उन्होंने एक दो डोल पानी भरकर निकाले। पानी निकालने में

उनमें कुछ कमज़ोरी मालूम होती थी। अल्लाह तआला उनको बख़्शे, फिर वह डोल हज़रत उमर ने संभाला, उनके हाथ में जाते ही वह एक बड़ा डोल हो गया, मैंने लोगों में उन जैसा ताक़तवर पहलवान और बहादुर इनसान और उनकी तरह काम करने वाला नहीं देखा (उन्होंने इतने डोल खींचे) कि लोग अपने ऊँटों को पिला-पिलाकर उनके ठिकानों में ले गये।

वज़ाहतः- इस हदीस की ताबीर ख़िलाफ़त है, यानी पहले हज़रत अबू बक्र को ख़िलाफ़त मिलेगी, वह हुकूमत तो करेंगे लेकिन हज़रत उमर जैसी क़ुव्वत व शौकत उनको हासिल न होगी। हज़रत उमर की ख़िलाफ़त में मुसलमानों की शान व शौकत और इज़्ज़त बहुत बढ़ जायेगी। आपने जैसा ख़्वाब देखा था वैसा ही ज़ाहिर हुआ।

हदीस 534. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने ख़बर दी कि कुछ यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आये, उन्होंने यह बयान किया कि उनमें से एक मर्द और एक औ़रत ने ज़िना किया है, आप क्या हुक्म देते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनसे पूछा- तौरात में संगसार करने के बारे में तुम क्या पाते हो? उन्होंने कहा हम तो ज़ानी और ज़ानिया को फ़ज़ीहत (ज़लील व रुस्वा) करते हैं और उनको कोड़े लगाते हैं। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम (इस्लाम लाने से पहले आप यहूदियों के बहुत बड़े आ़लिम थे) ने यह सुनकर कहा- तुम झूठे हो, तौरात में संगसार (ज़िना करने वाला अगर शादीशुदा हो तो उसको पत्थरों से मार-मारकर हलाक) करने का हुक्म है। तौरात लाओ (वे लाये) जब उसको खोला तो एक यहूदी रज्म की आयत पर अपना हाथ रखकर उसके आगे और पीछे की आयत पढ़ने लगा। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा- ज़रा अपना हाथ तो ऊपर उठाओ, जब हाथ उठाया तो रज्म (संगसार करने) की आयत निकली। उस वक़्त वे कहने लगे- ऐ मुहम्मद! अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम ने सच कहा, बेशक तौरात में (भी) रज्म का हुक्म है। फिर आपने हुक्म दिया और वे दोनों यहूदी और यहूदन (जिन्होंने ज़िना किया था) रज्म किये गये। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैंने यहूदी मर्द को देखा वह (रज्म के वक़्त झुका हुआ था) उस (औ़रत) को

पत्थरों की मार से बचाता था।

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सहाबा की फ़ज़ीलत

हदीस 535. हज़रत जुबैर बिन मुतअ़िम रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि एक औ़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आई तो आपने उसे हुक्म दिया कि वह फिर आपके पास आये। उसने कहा अगर मैं फिर आऊँ और आपको न पाऊँ तो? इससे उसकी मुराद वफ़ात थी। आपने फ़रमाया- अगर मुझे न पाओ तो अबू बक्र के पास चली जाना।

वज़ाहतः- इस हदीस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बाद हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु के ख़लीफ़ा होने का इशारा मिलता है।

हदीस 536. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का जिस वक़्त इन्तिक़ाल हुआ हज़रत अबू बक्र उस वक़्त सुनह (मक़ाम) में थे (जो मस्जिदे नबवी से तक़रीबन एक मील पर है), हज़रत उमर आपके इन्तिक़ाल की ख़बर सुनकर खड़े हुए कहने लगे- अल्लाह की क़सम! रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़ौत नहीं हुए। हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा कहती हैं कि हज़रत उमर कहा करते थे कि अल्लाह की क़सम! उस वक़्त मेरे दिल में यही (ख़्याल) आया था (कि अल्लाह तआ़ला आपको ज़रूर इस बीमारी से अच्छा कर देंगे) और आप उन लोगों (मुनाफ़िक़ों) के हाथ और पाँव काट देंगे। फिर इतने में हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु आये और उन्होंने (अन्दर जाकर) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर से कपड़ा उठाया, आपको बोसा दिया और कहने लगे- मेरे माँ-बाप आप पर क़ुरबान हों आप ज़िन्दगी और मौत दोनों हाल में अच्छे और पाकीज़ा हैं। क़सम उस परवर्दिगार की जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह तआ़ला आपको दो बार मौत का मज़ा नहीं चखायेगा। फिर बाहर निकले और हज़रत उमर से कहने लगे क़सम खाने से ज़रा

परहेज़ किया करो।

जब हज़रत अबू बक्र ने बात करनी शुरू की तो हज़रत उमर (ख़ामोश होकर) बैठ गये और हज़रत अबू बक्र ने अल्लाह तआला की तारीफ़ बयान की, फिर कहा- (लोगो!) अगर कोई मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पूजता था (यह समझता था कि वह आदमी नहीं हैं कभी नहीं मरेंगे) तो मुहम्मद फ़ौत हो चुके हैं, और जो कोई अल्लाह तआला की इबादत करता था (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उसका बन्दा और रसूल समझता था) तो अल्लाह तआला हमेशा ज़िन्दा है, कभी मरने वाला नहीं। (हज़रत अबू बक्र ने सूरः ज़ुमर 39 की आयत 30 पढ़ी)-

तर्जुमाः- (ऐ पैग़म्बर!) तुम भी मरने वाले हो वे भी मरेंगे।

(और एक दूसरी आयत भी पढ़ी-)

तर्जुमाः- मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और कुछ नहीं मगर पैग़म्बर हैं, उनसे पहले कई पैग़म्बर गुज़र चुके हैं। क्या वह मर जायें या शहीद हो जायें तो तुम अपनी एड़ियों के बल (इस्लाम से) फिर जाओगे? और जो कोई एड़ियों के बल फिर जाये वह अल्लाह तआला को कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा और अल्लाह तआला शुक्र करने वालों को शुक्र का बदला बहुत जल्द देगा। (सूरः आले इमरान 3, आयत 144)

लोग चीख़ मारकर रोने लगे और सब अन्सार सअ़द बिन उबादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु के घर में इकट्ठे हुए और (मुहाजिरीन से) कहने लगे अब ऐसा करो एक अमीर हमारी क़ौम का रहे एक अमीर तुम्हारी क़ौम का (दोनों मिलकर हुकूमत करें)। हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह अन्सार की मजलिस में पहुँचे, हज़रत उमर ने बात करनी चाही लेकिन हज़रत अबू बक्र ने फ़रमाया ज़रा ख़ामोश रहो। हज़रत उमर कहा करते थे कि मैंने जो उस वक़्त (हज़रत अबू बक्र से पहले) बात करनी चाही थी उसकी वजह यह थी कि मैंने एक (उम्दा) तक़रीर सोच रखी थी, मैं डरता था कहीं हज़रत अबू बक्र उसको बयान न कर सकें, लेकिन हज़रत अबू बक्र ने बातें शुरू कीं तो बहुत ही उम्दा और दिलनशीं अन्दाज़ में मौक़े के मुनासिब। उन्होंने (अन्सार से) यह कहा- अमीर तो हम ही रहेंगे

तुम लोग वज़ीर और मुशीर (सलाहकार) होगे। हज़रत हुबाब बिन मुन्ज़िर कहने लगे- हरगिज़ नहीं, अल्लाह की क़सम यह नहीं हो सकता। एक अमीर हम में से होगा और एक तुम में से। हज़रत अबू बक्र ने फ़रमाया कि (वजह यह है) कि क़ुरैश के लोग सारे अ़रब में शरीफ़ ख़ानदान शुमार किये जाते हैं और उनका मुल्क (यानी मक्का) अ़रब के बीच में है, इसलिये उमर से बैअ़त कर लो या अबू उबैदा बिन जर्राह से। हज़रत उमर ने यह सुनकर कहा आपके होते हुए हम तो आप ही से बैअ़त करेंगे, आप हमारे सरदार हैं और हम सब में अफ़ज़ल हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को आपसे ज़्यादा मुहब्बत थी। हज़रत उमर नें हज़रत अबू बक्र का हाथ थामा, उनसे बैअ़त की और दूसरे लोगों ने भी बैअ़त कर ली।

वज़ाहतः- हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु के इस अ़ज़ीम ख़ुतबे ने उम्मते मुहम्मदिया को बिखरने से बचा लिया और इस तरह ख़िलाफ़त-ए-राशिदा की बुनियाद रखी गई। दुआ है अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त आज भी मुसलमानों को आपसी इत्तिफ़ाक़ नसीब फ़रमाये और एक दफ़ा फिर मुसलमानों को एकजुट कर दे। आमीन

हदीस 537. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरे सहाबा को बुरा-भला मत कहो, अगर कोई शख़्स उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना (अल्लाह की राह में) ख़र्च कर डाले तो उनके एक मुद (तकरीबन अढ़ाई पाव) ग़ल्ले के बराबर भी नहीं हो सकता, और न ही उनके आधे मुद के बराबर।

वज़ाहतः- इस्लाम की ख़िदमत में सहाबा किराम की माली क़ुरबानियों को इसलिये फ़ज़ीलत हासिल है कि उन्होंने ऐसे वक़्त में ख़र्च किया जब इस्लाम को माल की सख़्त ज़रूरत थी, काफ़िरों का ग़लबा था और मुसलमान मोहताज (सख़्त ज़रूरत मन्द) थे।

हदीस 538. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उहुद पहाड़ पर चढ़े, आपके साथ हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु

अन्हुम भी चढ़े। इतने में पहाड़ को जुंबिश (हरकत) हुई, आपने फ़रमाया- उहुद पहाड़ ठहरा रह, तुझ पर और कोई नहीं एक पैग़म्बर, एक सिद्दीक़ और दो शहीद हैं।

वज़ाहतः- यह आपका मोजिज़ा था, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान दोनों शहीद हुए। इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त की हर-हर मख़्लूक़ अपने अन्दर शऊर व समझ रखती है। बेजान चीज़ों (पत्थर वग़ैरह) और पेड़-पौधों के अन्दर भी एक ख़ास क़िस्म का शऊर व एहसास मौजूद है। अल्लाह तआला ने सच फ़रमाया है-

तर्जुमाः- सातों आसमान और ज़मीन और जो भी इनमें है उस (अल्लाह) की तस्बीह कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसे (अल्लाह तआला को) पाकीज़गी और तारीफ़ के साथ याद न करती हो, हाँ यह सही है तुम उसकी तस्बीह समझ नहीं सकते। वह बड़ा बुर्दबार और बख़्शने वाला है। (सूरः बनी इस्राईल 17, आयत 44)

हदीस 539. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- एक बार मैं सो रहा था, (ख़्वाब देखा कि) मैंने दूध पिया, इतना कि में दूध की ताज़गी देखने लगा जो मैंने नाख़ुनों पर महसूस की। फिर मैंने अपना बचा हुआ दूध उमर को दे दिया। सहाबा ने पूछा इसकी ताबीर क्या है या रसूलल्लाह! आपने फ़रमाया इल्म।

हदीस 540. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- एक बार मैं सो रहा था, मैंने ख़्वाब में देखा कि कुछ लोग मेरे सामने लाये गये, कुछ लोगों की क़मीज़ तो इतनी ऊँची थी कि छाती तक पहुँचती थी, कुछ के यहाँ तक भी नहीं पहुँचती, और उमर जो सामने लाये गये उनकी क़मीज़ इतनी लम्बी थी जिसको वह खींच रहे थे। लोगों ने अर्ज़ किया- इसकी ताबीर क्या है? आपने फ़रमाया- दीन।

हदीस 541. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक बाग़ में दाख़िल हुए मुझको यह हुक्म दिया

कि बाग़ के दरवाज़े पर पहरा दो, इतने में एक शख़्स आया उसने इजाज़त माँगी, आपने फ़रमाया- उसको इजाज़त दे दो और उसको जन्नत की ख़ुशख़बरी भी दे दो। मैंने खोला तो हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु हैं। फिर दूसरा शख़्स आया, इजाज़त मागँने लगा, आपने फ़रमाया- इजाज़त दे दो और उसको भी जन्नत की ख़ुशख़बरी दे दो। मैंने खोला देखा तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु हैं। फिर एक और आया, इजाज़त माँगने लगा, आप थोड़ी देर ख़ामोश रहे। बाद में फ़रमाया- इजाज़त दे दो और उसको भी जन्नत की ख़ुशख़बरी दे दो मगर एक मुसीबत के बाद। मैंने खोला तो देखा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अ़न्हु हैं।

हदीस 542. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे अपने सीने से लगाया और फ़रमाया- या अल्लाह! इसको हिक्मत (क़ुरआन) सिखला दीजिये।

वज़ाहतः- इस दुआ की बरकत से हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु क़ुरआनी उलूम के माहिर थे।

अन्सार (सहाबा) की फ़ज़ीलत का बयान

हदीस 543. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा (मुहाजिर) हम लोगों के पास आये जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सअ़द बिन रबीअ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु (अन्सारी) का भाई बना दिया था, जो बहुत मालदार थे। वह हज़रत अ़ब्दुर्रहमान से कहने लगे- सब अन्सार जानते हैं कि मैं बहुत मालदार हूँ तुम ऐसा करो हम सारे माल के दो हिस्से करके आधों-आध में बाँट लें और मेरी दो बीवियाँ हैं तुम देखो जो पसन्द करो मैं उसको तलाक़ दे देता हूँ जब उसकी इद्दत गुज़र जाये तुम उसको निकाह में ले आओ। हज़रत अ़ब्दुर्रहमान ने कहा- अल्लाह तआ़ला तुम्हारी बीवियों और माल व दौलत में बरकत दे। फिर वह (बाज़ार गये कारोबार करके) लौटे तो कुछ घी कुछ खोया नफ़े में कमाकर लाये, थोड़े ही दिन गुज़रे थे

कि हज़रत अब्दुर्रहमान नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आये, उन (के कपड़ों) पर ज़र्द रंग के निशान थे। आपने पूछा- यह क्या है? उन्होंने अ़र्ज़ किया- मैंने एक अन्सारी औ़रत से निकाह किया है। आपने पूछा- मेहर क्या दिया? कहने लगे- गुठली के बराबर सोना, आपने फ़रमाया- अच्छा अब वलीमा तो करो, एक बकरी का ही सही।

हदीस 544. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा- ऐ अल्लाह के रसूल! खजूर के बाग़ हमारे और मुहाजिरीन के दरमियान तक़सीम फ़रमा दें, आपने फ़रमाया- मैं ऐसा नहीं करूँगा। इस पर अन्सार ने (मुहाजिरीन से) कहा फिर आप ऐसा कर लें कि काम हमारी तरफ़ से आप अन्जाम दिया करें और खजूरों में आप हमारे साथी हो जायें, मुहाजिरीन ने कहा हमने आप लोगों की यह बात सुनी और हम ऐसा ही करेंगे। (इन्शा-अल्लाह तआ़ला)

वज़ाहतः- यानी इसमें हर्ज नहीं, बाग़ तुम्हारे ही रहें हम मेहनत करेंगे, उसकी उजरत में आधा मेवा लेंगे। इस्लाम ऐसी शिर्कत (जिसमें एक आदमी की मिल्कियत हो दूसरे की मेहनत हो) की इजाज़त देता है।

हदीस 545. हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़राते अन्सार (रज़ियल्लाहु अ़न्हुम) ने कहा- या रसूलल्लाह! हर पैग़म्बर के ताबेदार लोग होते हैं और हम आपके ताबेदार हैं। अब जो लोग हमारे (साथी हमारी पैरवी करने वाले) हैं उनके लिये दुआ़ फ़रमाईये कि अल्लाह तआ़ला उनको भी हम में शरीक फ़रमा दे। आपने दुआ़ की।

वज़ाहतः- हज़राते अन्सार रज़ियल्लाहु अ़न्हुम का मलतब यह था कि जैसे हमारा मुक़ाम है इसी तरह हमारे ग़ुलाम और हमसे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भी यही मर्तबा हासिल हो जाये।

हदीस 546. हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अन्सार से वही मुहब्बत रखेगा जो मोमिन होगा, और उनसे दुश्मनी वही रखेगा जो मुनाफ़िक़ होगा। इस बिना पर जो शख़्स उनसे मुहब्बत रखेगा उससे अल्लाह रब्बुल्-इज़्ज़त भी दोस्ती रखेगा और जो शख़्स उनसे बुग़ज़ (नफ़रत व कीना) रखेगा अल्लाह रब्बुल्-इज़्ज़त भी उस से अ़दावत (दुश्मनी) रखेगा।

वज़ाहतः- मालूम हुआ कि अन्सार से मुहब्बत रखना ईमान की निशानी है और अन्सार से बुग़्ज़ रखना निफ़ाक़ की अ़लामत है, इसलिये हमें चाहिये कि जब भी उनका नाम आये उनको दुआ़एँ दें (यानी रज़ियल्लाहु अ़न्हुम कहें)।

हदीस 547. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अन्सार से फ़रमाया- तुम मेरे बाद (दुनियावी मामलात में) हक़-तल्फ़ी देखो तो सब्र किये रहना यहाँ तक कि तुम मुझसे मिल जाओ और तुम्हारे मिलने का मुक़ाम हौज़-ए-कौसर होगा।

वज़ाहतः- अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है- सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब दिया जायेगा। (सूरः जुमर 39, आयत 10)

हदीस 548. हज़रत सहल रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाये उस वक़्त हम (मदीने के गिर्द जंगे-अहज़ाब जिसको जंगे-ख़न्दक़ भी कहते हैं के मौक़े पर) ख़न्दक़ें खोद रहे थे, मिट्टी अपनी पीठ पर उठाकर ला रहे थे, आपने फ़रमाया- या अल्लाह! ज़िन्दगी तो असल आख़िरत ही की ज़िन्दगी है तू अन्सार और मुहाजिरीन को बख़्श दे।

हदीस 549. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आया (वह भूखा था) आपने अपनी बीवियों से मालूम करवाया (कि कुछ खाने को है?) उन्होंने कहा हमारे पास तो पानी के सिवा कुछ नहीं। आख़िर आपने (सहाबा से) फ़रमाया- इसको कौन अपने साथ ले जाता है? एक अन्सारी सहाबी ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! मैं (ले जाता हूँ) फिर वह (उसको लेकर गये) अपनी बीवी से कहने लगे यह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का मेहमान है इसकी ख़िदमत करो। उसने कहा कि हमारे पास तो सिर्फ़ इतना ही खाना है जो बच्चों को काफ़ी होगा (मेहमान को कहाँ से खिलायें)। उसने कहा ऐसा करो खाना निकाल दो, चिराग़ जलाओ और बच्चों को जब वे खाना माँगें (कुछ बहाना करके) सुला दो। उसने ऐसा ही किया, खाना निकाला चिराग़ जलाया और बच्चों को सुला दिया (वह खाना

मेहमान के सामने रख दिया) ख़ुद इस तरह उठी जैसे चिराग़ दुरुस्त करती हो मगर चिराग़ बुझा दिया। मेहमान को यह दिखलाया जैसे मियाँ-बीवी दोनों खा रहे हैं और मियाँ-बीवी रात भर फ़ाक़े से रहे, जब सुबह हुई तो यह (अन्सारी) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आये। आपने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला रात को तुम मियाँ-बीवी के काम पर हंस दिये, ताज्जुब किया। उसके बाद अल्लाह करीम ने (सूरः हश्र की) यह आयत उतारी-

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ○

(यानी सूरः हश्र की आयत नम्बर 9)

तर्जुमाः- और वे दूसरों की ज़रूरत पूरी करने को अपनी ज़रूरत पूरी करने पर आगे रखते हैं अगरचे ख़ुद अपने आपको तंगी हो, और जो लोग अपने दिल के लालच से बचे रहे वही कामयाब होंगे।

वज़ाहतः- सुब्हानल्लाह! उन्होंने जो काम किया शायद हम कभी न कर सकें। आदमी बच्चों को अपनी जान से ज़्यादा चाहता है, उन्होंने बच्चों का भी ख़्याल न किया। (हम कहते हैं कि मरने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा? अ़क्लमन्द कहते हैं कि बच्चों के मरने के बाद बच्चों का क्या होगा? सोचिये कौन बेहतर है? बच्चों को क़ुरआन व हदीस की तालीम देना बच्चों का हक़ और हमारा फ़र्ज़ है।

हदीस 550. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मक्का के काफ़िरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कोई निशानी (मोजिज़ा) माँगी तो आपने उनको चाँद के दो टुकड़े होना दिखलाया, अल्लाह तआ़ला के हुक्म से, यहाँ तक कि उन्होंने हिरा पहाड़ को उन दोनों टुकड़ों के बीच में देखा (एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ़ दूसरा दूसरी तरफ़)।

वज़ाहतः- यह मोजिज़ा कुछ देर के लिये अल्लाह रब्बुल्-इ़ज़्ज़त ने किया था, बाद में चाँद दोबारा अपनी असली हालत पर आ गया था जिस तरह हज़रत सालेह अ़लैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह रब्बुल्-इ़ज़्ज़त ने काफ़िरों

के मुतालबे पर पहाड़ से हामिला (गर्भवती) ऊँटनी को निकालकर दिखाया और ऊँटनी ने उन काफ़िरों के सामने बच्चा भी जना। (तफ़सील के लिये पढ़िये सूरः हूद 11, आयत 64 और 'चाँद के टुकड़े होने' की तफ़सील के लिये पढ़िये सूरः क़मर 54, आयत 1)

हदीस 551. हज़रत मालिक बिन सअ़्सअ़ह् रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सहाबा से मेराज की रात का क़िस्सा बयान किया। फ़रमाया- मैं हतीम में लेटा हुआ था, इतने में एक आने वाला (हज़रत जिब्राईल) आया, उन्होंने मेरा सीना चीर डाला, हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैंने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से सुना, वह कहते थे कि यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने हज़रत जारूद (इब्ने अबी सीरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु) से पूछा जिन्होंने (हज़रत अनस से सुना) वह कहते थे कि सीने के सिरे से नाफ़ तक, मेरा दिल निकाला, फिर एक सोने का तश्त लाये जो ईमान से भरा हुआ था, उससे मेरा दिल धोया, फिर अपनी जगह रख दिया गया।

उसके बाद एक जानवर लाया गया (सफ़ेद) जो ख़च्चर से ज़रा नीचा और गधे से कुछ ऊँचा था। हज़रत जारूद ने हज़रत अनस से पूछा- "अबू हमज़ा! यह जानवर बुराक़ (बिजली की तरह चलने वाला) था? उन्होंने कहा- हाँ, वह क़दम वहाँ डालता जहाँ तक उसकी निगाह पहुँचती थी। मैं उस पर सवार किया गया और हज़रत जिब्राईल मुझको ले चले यहाँ तक कि नज़दीक वाले (पहले) आसमान पर पहुँचा, हज़रत जिब्राईल ने कहा- दरवाज़ा खोलो (अन्दर से) पूछा गया- कौन है? हज़रत जिब्राईल ने कहा- मैं हूँ जिब्राईल। पूछा- तुम्हारे साथ और कौन है? उन्होंने कहा- मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम। पूछा- क्या यह बुलाये गये हैं? उन्होंने कहा- हाँ। तब अन्दर वाले फ़रिश्ते ने कहा- मरहबा ख़ूब आये और दरवाज़ा खोला गया। मैं अन्दर गया देखा तो हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम बैठे हैं। हज़रत जिब्राईल ने कहा- यह तुम्हारे बाप आदम हैं, इनको सलाम कीजिये। मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। फिर कहने लगे- मरहबा क्या अच्छा बेटा और क्या अच्छा पैग़म्बर है।

फिर हज़रत जिब्राईल (मुझको लेकर और) ऊपर चढ़े यहाँ तक कि दूसरे आसमान पर पहुँचे, वहाँ भी कहा- दरवाज़ा खोलो। पूछा कौन है? हज़रत जिब्राईल ने कहा- मैं हूँ जिब्राईल, पूछा तुम्हारे साथ और कौन है? उन्होंने कहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम। पूछा- क्या वह बुलाये गये हैं? उन्होंने कहा- हाँ। उस वक़्त (अन्दर वाला फ़रिश्ता) कहने लगा- मरहबा ख़ूब आये। फिर दरवाज़ा खोला गया, मैं अन्दर पहुँचा। क्या देखता हूँ कि हज़रत यहया और हज़रत ईसा अ़लैहिमस्सलाम दोनों ख़ालाज़ाद भाई बैठे हैं। हज़रत जिब्राईल ने कहा- यह यहया और ईसा हैं इनको सलाम कीजिये। मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, फिर दोनों कहने लगे- मरहबा क्या अच्छा भाई है, क्या अच्छा पैग़म्बर है।

फिर हज़रत जिब्राईल मुझको लेकर ऊपर चढ़े तीसरे आसमान पर पहुँचे, दरवाज़ा खुलवाया वहाँ भी पूछा गया- कौन है? उन्होंने कहा- जिब्राईल। उसने पूछा- तुम्हारे साथ और कौन है? उन्होंने कहा- मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम। पूछा- क्या वह बुलाये गये हैं? उन्होंने कहा- हाँ। अन्दर से फ़रिश्ता कहने लगा- मरहबा ख़ूब आये, और दरवाज़ा खोला गया। मैं अन्दर पहुँचा क्या देखता हूँ कि हज़रत यूसुफ़ बैठे हैं, हज़रत जिब्राईल ने कहा- यह यूसुफ़ पैग़म्बर हैं इनको सलाम कीजिये। मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया फिर कहने लगे- मरहबा क्या अच्छा पैग़म्बर है। फिर जिब्राईल मुझको लेकर और ऊपर चढ़े यहाँ तक कि चौथे आसमान पर। वहाँ भी दरवाज़ा खुलवाया, अन्दर से पूछा गया- कौन? हज़रत जिब्राईल ने जवाब दिया- जिब्राईल। पूछा- तुम्हारे साथ और कौन है? उन्होंने कहा- मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम। पूछा- क्या वह बुलाये गये हैं? उन्होंने कहा- हाँ। कहने लगे- मरहबा ख़ूब आये, और दरवाज़ा खुला। मैं अन्दर गया तो हज़रत इदरीस पैग़म्बर को देखा, हज़रत जिब्राईल ने कहा- यह इदरीस हैं इनको सलाम कीजिये। मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और कहने लगे- मरहबा क्या अच्छा भाई क्या अच्छा पैग़म्बर है।

फिर हज़रत जिब्राईल मुझको लेकर और ऊपर चढ़े यहाँ तक कि पाँचवें आसमान पर पहुँचे, वहाँ भी दरवाज़ा खुलवाया अन्दर से पूछा गया- कौन?

हज़रत जिब्राईल ने जवाब दिया- मैं हूँ जिब्राईल। पूछा- तुम्हारे साथ और कौन है? उन्होंने कहा- मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम। पूछा- क्या वह बुलाये गये हैं? उन्होंने कहा- हाँ। तब तो कहने लगे- मरहबा ख़ूब आये। जब मैं अन्दर पहुँचा तो हज़रत हारून पैग़म्बर को देखा, हज़रत जिब्राईल ने कहा- यह हज़रत हारून हैं इनको सलाम कीजिये। मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और कहने लगे- मरहबा क्या अच्छा भाई क्या अच्छा पैग़म्बर है। फिर हज़रत जिब्राईल मुझको लेकर और ऊपर चढ़े यहाँ तक कि छठे आसमान पर पहुँचे, दरवाज़ा खुलवाया, अन्दर से पूछा गया कौन? जवाब दिया- जिब्राईल। पूछा- तुम्हारे साथ और कौन है? उन्होंने कहा- मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम। पूछा- क्या वह बुलाये गये हैं? उन्होंने कहा- हाँ, तब कहने लगे- मरहबा ख़ूब आये। जब मैं अन्दर पहुँचा तो हज़रत मूसा पैग़म्बर को देखा, हज़रत जिब्राईल ने कहा- यह हज़रत मूसा हैं इनको सलाम कीजिये। मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और कहने लगे- मरहबा क्या अच्छा भाई क्या अच्छा पैग़म्बर है।

जब मैं वहाँ से आगे बढ़ा तो वह रोने लगे, वजह पूछी तो कहने लगे- मैं इसलिये रोता हूँ कि यह लड़का (दुनिया में) मेरे बाद पैग़म्बर बनाकर भेजा गया और इसकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज़्यादा जन्नत में जायेंगे। हज़रत जिब्राईल मुझको लेकर और ऊपर चढ़े (सातवें आसमान पर) दरवाज़ा खुलवाया (अन्दर से) पूछा गया- कौन? उन्होंने कहा- जिब्राईल। पूछा- तुम्हारे साथ और कौन है? कहने लगे- मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम। पूछा- क्या वह बुलाये गये हैं? उन्होंने कहा- हाँ। तब तो कहने लगे- मरहबा ख़ूब ही आये हैं। जब मैं अन्दर पहुँचा, हज़रत इब्राहीम को देखा, जिब्राईल ने कहा- यह हज़रत इब्राहीम हैं इनको सलाम कीजिये। मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, फिर कहने लगे- मरहबा क्या अच्छा बेटा है क्या अच्छा पैग़म्बर है। फिर सिद्रतुल्-मुन्तहा मुझको दिखलाई गई, क्या देखता हूँ कि उसके बेर (हिज्र बस्ती के) मटकों के बराबर हैं (यानी बहुत बड़े-बड़े बेर हैं) और उसके पत्ते हाथी के कान की तरह हैं। हज़रत जिब्राईल ने कहा- यह सिद्रतुल्-मुन्तहा है, वहाँ (उसकी जड़) से चार नहरें फूटती हैं,

दो तो बन्द (ढाँपी हुई) हैं और दो खुली हैं। मैंने पूछा- जिब्राईल! ये कैसी नहरें हैं? उन्होंने कहा- बन्द नहरें तो जन्नत में गई हैं, वहाँ बह रही हैं, और खुली नहरें (दुनिया में) नील और फ़ुरात हैं। फिर मुझको बैतुल्-मामूर दिखाया गया।

फिर मेरे सामने एक प्याला शराब का और एक प्याला दूध का और प्याला शहद का लाया गया, मैंने दूध का प्याला ले लिया (उसको पी गया)। हज़रत जिब्राईल ने कहा- यह प्याला क्या है, इस्लाम की फ़ितरत है जिस पर आप हैं, और आपकी उम्मत है। फिर मुझ पर हर दिन रात में पचास नमाज़ें फ़र्ज़ की गयीं। मैं लौटकर आया, जब हज़रत मूसा के सामने से गुज़रा, उन्होंने पूछा- कहो आपको क्या हुक्म मिला? मैंने कहा- हर दिन रात में पचास नमाज़ें फ़र्ज़ हुई हैं। उन्होंने कहा- आपकी उम्मत पचास नमाज़ें हर दिन-रात में नहीं पढ़ सकती, और मुझे अल्लाह की क़सम! लोगों का बहुत तजुर्बा है और मैं बनी इस्राईल पर बहुत कोशिश कर चुका हूँ, आप ऐसा करें अपने परवर्दिगार के पास फिर जायें और अपनी उम्मत के लिये कमी चाहें, यह सुनकर मैं लौटा और अल्लाह तआ़ला ने पचास में से दस नमाज़ें मुझको माफ़ कर दीं। लौटकर आया तो फिर हज़रत मूसा मिले, उन्होंने वही कहा, फिर गया दस नमाज़ें और माफ़ हो गयीं, फिर लौटकर हज़रत मूसा के पास आया, उन्होंने फिर वही कहा, मैं फिर गया, दस और माफ़ हो गयीं, फिर लौटकर आया, हज़रत मूसा ने फिर वही कहा, फिर गया, दस और माफ़ हो गयीं दस नमाज़ें फ़र्ज़ रहीं, फिर लौटकर आया तो हज़रत मूसा ने फिर वही कहा फिर गया तो पाँच (और माफ़ हो गयीं) पाँच नमाज़ें हर दिन-रात में फ़र्ज़ रहीं, फिर लौटकर हज़रत मूसा के पास आया, उन्होंने पूछा- कहो क्या हुक्म हुआ? मैंने कहा- पाँच नमाज़ों का हर दिन और रात में, उन्होंने कहा- देखो आपकी उम्मत से हर रोज़ पाँच नमाज़ें भी नहीं हो सकेंगी, मैं आप से पहले लोगों का बख़ूबी तजुर्बा कर चुका हूँ और बनी इस्राईल पर बहुत ज़ोर डाल चुका हूँ। आप ऐसा करें फिर अपने परवर्दिगार के पास जायें, अपनी उम्मत पर तख़्फ़ीफ़ (कमी) करायें, मैंने कहा- मैं अपने परवर्दिगार से अ़र्ज़ करते-करते शर्मिन्दा हो गया हूँ अब मैं इस पर राज़ी हो

जाता हूँ। जब मैं आगे बढ़ा तो पुकारने वाले (यानी ख़ुद परवर्दिगार) ने पुकारा- मेरा जो फ़रीज़ा था वह मैंने जारी कर दिया और अपने बन्दों पर कमी भी कर दी है।

वज़ाहतः- मगर सवाब में कमी नहीं की, यानी पाँच नमाज़ें पढ़ने का सवाब पचास नमाज़ों के बराबर है। उलेमा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि 'इसरा' (जिसके मायने सैर कराने के हैं) और मेराज (ऊपर चढ़ना) एक ही रात में जिस्म और रूह दोनों के साथ जागने की हालत में हुई है।

(फ़त्हुल्-बारी)

नोटः- बैतुल्लाह से बैतुल्-मुक़द्दस तक का सफ़र 'इसरा' कहलाता है और बैतुल्-मुक़द्दस से आसमानों तक के सफ़र को मेराज कहते हैं। अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये सूरः बनी इस्राईल और सूरः नज्म की तफ़सीर। इसके अ़लावा यह भी मालूम हुआ कि दूध पीना सुन्नत है, आप भी रोज़ाना दूध पीजिये।

हदीस 552. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना- (नेक) अ़मलों का सवाब नीयत ही से मिलता है, फिर जिसने दुनिया कमाने या किसी औ़रत से शादी के लिये हिजरत की उसकी हिजरत उसी के लिये होगी (आख़िरत का सवाब नहीं मिलेगा), और जिसने अल्लाह तआ़ला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की रज़ामन्दी के लिये हिजरत की उसकी हिजरत अल्लाह और रसूल के लिये होगी (सवाब मिलेगा)।

हदीस 553. हज़रत अ़ता बिन अबी रबाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैं हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से मिलने गया, मेरे साथ उबैद बिन अ़मर लैसी भी थे, हमने उनसे हिजरत का मसला पूछा (जब मक्का फ़तह हो चुका), उन्होंने कहा कि हिजरत कहाँ से रही (पहले) यह हाल था कि आदमी अपना दीन बचाने के लिये अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल की तरफ़ भाग आता था, उसको फ़ितनों का डर होता था, आज अल्लाह तआ़ला ने इस्लाम को ग़ालिब कर दिया है, मुसलमान अपने परवर्दिगार की

इबादत जहाँ चाहे कर सकता है, लेकिन जिहाद और जिहाद की नीयत का सवाब बाक़ी है।

वज़ाहतः- जब दीन में ख़लल पड़ने का डर हो तो दारुल्-कुफ़्र से दारुल्-इस्लाम की तरफ़ हिजरत वाजिब है, यह हुक्म क़ियामत तक बाक़ी है। हज़रत आ़यशा के क़ौल से यह निकलता है कि हिजरत उसी मुल्क से वाजिब है जहाँ पर अल्लाह तआ़ला की इबादत आज़ादी के साथ न हो सके, महज़ पैसे कमाने के लिये दारुल्-कुफ़्र में रहना मुनासिब नहीं है, हाँ उसके साथ-साथ वहाँ के लोगों को अल्लाह रब्बुल्-इज़्ज़त की तौहीद की तरफ़ दावत देता रहे तो उस वक़्त रह सकता है।

हदीस 554. हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते थे कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम (ग़ारे-सौर से निकलकर मदीना जा रहे थे तो) सुराक़ा बिन मालिक बिन जाशम (यह उस वक़्त तक ईमान नहीं लाये थे) ने आपका पीछा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उसके लिये बददुआ़ की, उसका घोड़ा ज़मीन में धंस गया तो वह कहने लगा- आप दुआ़ करके इस बला से छुड़ाईये मैं आपको नहीं सताऊँगा। आपने दुआ़ की (उसका घोड़ा ज़मीन से निकल गया) फिर रास्ते में आपको प्यास लगी, एक चरवाहा मिला, हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं कि मैंने एक प्याला लिया उसमें थोड़ा-सा दूध दूहा और आपके पास लाया। आपने इतना पिया कि मैं खुश हो गया।

वज़ाहतः- हज़रत सुराक़ा बिन मालिक बाद में मुसलमान हो गये थे और ऊँचे दर्जे के शायर थे।

हदीस 555. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि इस्लाम के ज़माने में (हिजरत के बाद मुहाजिरीन का) जो पहला बच्चा पैदा हुआ वह अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अ़न्हु थे, लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास उसको लेकर आये, आपने एक खजूर ली और चबाकर उसके मुँह में डाली। पहले पहल जो उसके मुँह में गया वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मुँह का लुआ़ब (पानी) था।

हदीस 556. हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैं ग़ार

(गुफा) में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ था, मैंने सर उठाया तो मुश्रिकों के पाँव देखे (वह हमारे सर पर खड़े हमको ढूँढ रहे थे) मैंने कहा- या रसूलल्लाह! अगर उनमें से किसी ने अपनी निगाह नीचे की तो हमको देख लेंगे। आपने फ़रमाया- अबू बक्र ख़ामोश रहो, हम दो आदमियों के साथ तीसरा अल्लाह रब्बुल्-इ़ज़्ज़त है।

वज़ाहत:- जब अल्लाह तआ़ला किसी के साथ हो तो फिर सारी दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर सूरः तौबा 9, आयत 40।

हदीस 557. हज़रत सहल बिन सअ़द साअ़िदी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मुसलमानों की तारीख़ (कलैण्डर) आपकी हिजरत से शुरू होती है, न नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत से और न ही आपकी वफ़ात से, बल्कि आपके मदीना में शरीफ़ लाने से।

हदीस 558. हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दरमियान 600 साल की मुद्दत है (इस दरमियानी मुद्दत में कोई पैग़म्बर नहीं गुज़रा)।

रसूले पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ग़ज़वात (जिहाद) का बयान

हदीस 559. हज़रत अबू इस्हाक़ रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने कहा कि मैंने ज़ैद बिन अरक़म सहाबी से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कितने ग़ज़वे किये थे? तो उन्होंने कहा कि उन्नीस। मैंने पूछा आप रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ कितने ग़ज़वात (जंगों) में शरीक रहे? तो उन्होंने कहा कि सत्रह में। मैंने पूछा आपका सबसे पहला ग़ज़वा कौनसा था? (उन्होंने) कहा- "अ़शीरा"।

वज़ाहत:- 'ग़ज़वा' उस जिहाद को कहा जाता है जिसमें हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ख़ुद शिर्कत की हो, और 'सरिय्या' उस

जिहाद को कहते हैं जिसमें आपने खुद शिर्कत न की हो।

हदीस 560. हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि (जंगे) बदर के दिन मैं सफ़ में खड़ा था, मैंने निगाह फेरी तो देखा कि मेरे दायें-बायें दो नौजवान (अन्सारी) लड़के हैं। मुझे उन लड़कों को देखकर (डर पैदा हुआ) उनके दायें-बायें रहने से इत्मीनान जाता रहा। इतने में उनमें से एक चुपके से जिसकी ख़बर उसके साथी को न हो मुझसे पूछने लगा- "चाचा! अबू जहल को मुझको दिखा दो (वह कौन शख़्स है?" मैंने कहा- भतीजे! तुझको अबू जहल से क्या मतलब तू क्या करेगा? वह कहने लगा- मैंने अल्लाह तआ़ला से यह अ़हद किया है कि अगर मैं अबू जहल को देखूँ तो उसको मार डालूँगा या खुद मारा जाऊँगा। फिर दूसरे ने भी इसी तरह चुपके से जिसकी ख़बर उसके साथी को न हो मुझसे यही पूछा। फिर तो मुझको उनके बदले में दूसरे लोगों के बीच रहने की आरज़ू न रही। आख़िर मैंने उनको इशारे से बतला दिया कि यही अबू जहल है। यह सुनते ही वे दोनों लड़के बाज़ की तरह उस पर झपटे और उसका काम तमाम हो गया। वे दोनों अ़फ़रा के बेटे थे।

हदीस 561. हज़रत रिफ़ाआ बिन राफ़ेअ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आये, कहने लगे- आप बदर वालों को क्या समझते हैं? आपने फ़रमाया- सब मुसलमानों में अफ़ज़ल हैं। हज़रत जिब्राईल ने कहा- इसी तरह वे फ़रिश्ते जो जंगे बदर में हाज़िर हुए थे दूसरे फ़रिश्तों से अफ़ज़ल हैं।

वज़ाहतः- इस हदीस से मालूम हुआ और क़ुरआन में भी (सूरः आले इमरान 3, आयत 124 और सूरः अनफ़ाल 8, आयत 9 में) इसका ज़िक्र है कि मुजाहिदीन की मदद के लिये अल्लाह तआ़ला ने फ़रिश्ते भेजे थे और आज भी मुजाहिदीन की अल्लाह तआ़ला मुख़्तलिफ़ तरीक़ों से मदद फ़रमाते रहते हैं जिसको अब भी बार-बार देखा और अनुभव किया जाता रहता है।

हदीस 562. हज़रत अबू मसऊद बदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सूरः ब-क़रह की

आख़िर की दो आयतें (आमनर्रसूलु..... से सूरत के आख़िर तक) जो कोई रात को पढ़ ले ये उसको (रात भर में जिन्नात व इनसानों शर से) महफ़ूज़ करती हैं।

वज़ाहतः- जिहाद में भी हिफ़ाज़त की ज़्यादा ज़रूरत होती है और दूसरे ख़तरनाक हालात में भी यह अ़मल रोज़ाना करना बहुत बेहतर है।

हदीस 563. हज़रत मिक़दाद बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया- अगर मैं किसी काफ़िर से लड़ूँ और लड़ाई में यह मेरा एक हाथ तलवार से उड़ा दे, फिर मुझसे ख़ौफ़ज़दा होकर एक दरख़्त की पनाह लेकर मुझसे कहे कि मैं तो अल्लाह तआ़ला के लिये मुसलमान हो गया हूँ। क्या अब मैं उसे क़त्ल करूँ जब वह ऐसा कहता है? आपने फ़रमाया- उसे क़त्ल न करो। मैंने अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! उसने मेरा हाथ काट दिया, फिर काटने के बाद यह कलिमा कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उसे हरगिज़ क़त्ल न करो वरना उसको वह दर्जा हासिल होगा जो तुझे उसके क़त्ल से पहले हासिल था, और तेरा वह हाल हो जायेगा जो इस्लाम का कलिमा पढ़ने से पहले उसका था।

वज़ाहतः- इससे मालूम हुआ कि जो इनसान कलिमा-ए-शहादत अदा करके मुसलमान हो जाता है उसका ख़ून और माल महफ़ूज़ हो जाता है, उसके अन्दरूनी हालात कुरेदने के हम मुकल्लफ़ (ज़िम्मेदार) नहीं हैं। चुनाँचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ऐसे हालात में फ़रमाया कि क्या तूने उसके दिल को फाड़कर देखा था कि उसमें कुफ़्र छुपा है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 564. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि हम ख़न्दक़ के दिन ज़मीन खोद रहे थे कि अचानक एक सख़्त चट्टान ज़ाहिर हुई। सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास हाज़िर हुए और अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! ख़न्दक़ में एक सख़्त चट्टान निकल आई है? आपने फ़रमाया- मैं ख़ुद उतरकर उसे दूर करता हूँ। चुनाँचे आप खड़े हुए तो भूख की वजह से आपके पेट पर पत्थर बंधे हुए थे और हम भी तीन दिन से भूखे-प्यासे थे। आपने कुदाल हाथ में ली और उस चट्टान पर

मारी तो मारते ही वह रेत की तरह रेज़ा-रेज़ा हो गई।

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर जब कुदाल मारी तो चट्टान का एक तिहाई हिस्सा टूट गया, आपने 'अल्लाहु अकबर' कहा और फ़रमाया- अब मैं शाम के इलाक़े के सुर्ख़ महल देख रहा हूँ और मुझे उसकी चाबियाँ सौंप दी गई हैं। फिर दूसरी चोट लगाई तो फ़रमाया- अब मैं ईरान के सफ़ेद महलों को देख रहा हूँ और मुझे उनकी भी चाबियाँ दे दी गई हैं, इसी तरह आपने तीसरी चोट मारी तो यमन के बारे में भी ऐसा ही फ़रमाया। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 565. हज़रत सुलैमान बिन सुरद रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते थे कि जब जंगे अहज़ाब में काफ़िर भाग गये तो आपने फ़रमाया- अब आज से हम उन पर (चढ़कर) जायेंगे, वह हम पर चढ़ाई नहीं कर सकते।

वज़ाहतः- यह आपका एक मोजिज़ा था, आपने जैसा फ़रमाया वैसा ही हुआ। जंगे ख़न्दक़ के बाद काफ़िरों का हौसला टूट गया, उन्होंने फिर मुसलमानों पर चढ़ाई नहीं की। जंगे अहज़ाब का दूसरा नाम जंगे ख़न्दक़ भी है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 566. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम (जंगे) ख़न्दक़ से मदीना वापस हुए और हथियार उतारकर ग़ुस्ल किया तो जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम आपके पास आये और कहा- आपने हथियार उतार दिये? अल्लाह की क़सम हमने अभी हथियार नहीं उतारे। चलिये उन पर हमला कीजिये। आपने पूछा किन पर? उन्होंने जवाब में बनू क़ुरैज़ा (यहूदियों के एक क़बीले) की तरफ़ इशारा किया, चुनाँचे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उनसे लड़ने के लिये निकले।

हदीस 567. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जिहाद की हालत में (फ़र्ज़) नमाज़ (जमाअ़त के साथ) पहले एक गिरोह के साथ शुरू की दूसरा गिरोह दुश्मन की तरफ़ मुँह किये हुए खड़ा रहा, फिर (एक रक्अ़त पढ़कर) यह गिरोह लौट गया और दूसरे गिरोह की जगह (पर जो दुश्मन के मुक़ाबिल

था) खड़ा हो गया, अब वे आये उनके साथ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक रक्अ़त पढ़ी, फिर आपने सलाम फेर दिया और यह गिरोह खड़ा हुआ, इसने एक रक्अ़त (जो बाक़ी रही थी) अदा की और (बाद में) दूसरा गिरोह खड़ा हुआ उसने भी एक रक्अ़त जो बाक़ी थी अदा की।

वज़ाहतः- यह फ़र्ज़ नमाज़ थी जो जिहाद के मैदान में पढ़ी गई थी, इससे जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ने की अहमियत वाज़ेह होती है कि नमाज़ हर हाल में वक़्त पर ही अदा करनी है।

हदीस 568. हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि ग़ज़्वा-ए-हुदैबिया के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ (तक़रीबन) 1400 आदमी थे, एक कुँए पर उतरे उसका सारा पानी खींच डाला, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आये (आप से अ़र्ज़ किया कि पानी नहीं रहा अब क्या करें?) आप कुँए पर तशरीफ़ लाकर उसकी मुंडेर पर बैठे, फ़रमाया- इसके पानी का एक डोल लाओ, लोग लाये। आपने अपना लुआ़ब मुबारक (मुँह का पानी) उसमें डाल दिया और अल्लाह तआ़ला से दुआ़ की, फिर फ़रमाया एक घड़ी ख़ामोश रहो उसके बाद उस कुएँ के पानी से तमाम आदमियों ने और जानवरों ने अपने आपको सैराब कर लिया, फिर वहाँ से चल खड़े हुए।

हदीस 569. हज़रत यज़ीद बिन अबी उबैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं कि मैंने सलमा बिन अकवा से कहा- तुमने सुलह हुदैबिया के वक़्त किस बात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से बैअ़त की थी? उन्होंने कहा "मौत पर"।

हदीस 570. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जब उमरा किया तो हम भी आपके साथ थे, आपने तवाफ़ किया हमने भी आपके साथ तवाफ़ किया, आपने नमाज़ पढ़ी हमने भी आपके साथ नमाज़ पढ़ी, आप सफ़ा-मरवा के दरमियान में चले हम आप पर आड़ किये हुए थे (कि कहीं) ऐसा न हो कि मक्का का कोई मुशरिक आप पर हमला कर दे।

हदीस 571. हज़रत यज़ीद बिन अबी उबैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा

कि मैंने हज़रत सलमा बिन अकवा की पिंडली में एक ज़ख़्म का निशान देखा, मैंने पूछा- अबू मुस्लिम (हज़रत सलमा की कुन्नियत है) यह निशान कैसा? उन्होंने कहा यह मुझे ग़ज़्वा-ए-ख़ैबर के दिन लगा था, लोग कहने लगे सलमा मारे गये (ऐसी सख़्त मार लगी) फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आया, आपने तीन बार इस पर दम किया उसके बाद मुझे आज तक इसकी तकलीफ़ नहीं हुई।

हदीस 572. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने रमज़ान में सफ़र शुरू किया और रोज़े रखते रहे, जब अ़सफ़ान के मक़ाम पर पहुँचे तो दिन के वक़्त पानी मंगवाया और पी लिया ताकि लोग देख लें (कि आपने रोज़ा खोल लिया है)। फिर मक्का पहुँचने तक आपने रोज़ा नहीं रखा। हज़रत इब्ने अ़ब्बास कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सफ़र में रोज़ा रखा भी है और रोज़ा नहीं भी रखा है, जिसका जी चाहे रोज़ा रखे जिसका जी चाहे न रखे।

वज़ाहतः- आपने (फ़त्हे-मक्का) के उस सफ़र की सख़्ती की वजह से रोज़ा इफ़्तार कर लिया था ताकि तमाम सहाबा किराम इस तकलीफ़ से बच जायें, बहुत ही तकलीफ़ में फ़र्ज़ रोज़ा भी खोला जा सकता है बाद में उसकी क़ज़ा कर लें क्योंकि जान की हिफ़ाज़त भी फ़र्ज़ है।

हदीस 573. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि जिस दिन मक्का फ़तह हुआ उस दिन आप मक्का में दाख़िल हुए उस वक़्त ख़ाना काबा के चारों तरफ़ तीन सौ साठ बुत रखे हुए थे। आप हाथ की छड़ी से एक-एक को गिराते जाते और फ़रमाते 'जाअल्-हक़्क़ु व ज़-हक़ल्-बातिलु' हक़ आया बातिल मिट गया। (सूरः बनी इस्राईल 17, आयत 81) 'क़ुल् जाअल्-हक़्क़ु व मा युब्दिउल्-बातिलु व मा युईद' हक़ आया और बातिल से न शुरू में कुछ हो सका और न आईन्दा कुछ हो सकता है। (सूरः सबा 34, आयत 49)

वज़ाहतः- हक़ से मुराद 'दीन इस्लाम' और बातिल से मुराद बुत और शैतान हैं। बैतुल्लाह के अन्दर उस वक़्त हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल,

हज़रत ईसा और हज़रत मरियम की तस्वीरें भी थीं। बैतुल्लाह के बाहर बेशुमार मूर्तियाँ फिट कर रखी थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तमाम तस्वीरें और मूर्तियाँ ध्वस्त कर दी थीं। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 574. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने नज्द की तरफ़ एक लश्कर (जिहाद के लिये) रवाना किया, मैं भी उसमें शरीक था। उसमें हमारा हिस्सा (माले ग़नीमत) बारह-बारह ऊँट का पड़ा, और फिर एक-एक ऊँट हमें अतिरिक्त दिया गया, इस तरह हम तेरह-तेरह ऊँट साथ लेकर वापस हुए।

हदीस 575. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते थे कि हम पत्तों वाली फ़ौज़ में शरीक थे (उस मौक़े पर भूख की वजह से लोग पत्ते तक खा गये, इसलिये उसका नाम पत्ते वाली फ़ौज पड़ गया)। हज़रत अबू उबैदा सरदार थे, हमको बहुत ज़्यादा भूख लगी, आख़िर समन्दर ने एक मुर्दा मछली किनारे पर फेंकी। वैसी मछली हमने पहले कभी नहीं देखी थी, उसको अ़म्बर कहते हैं। आधे महीने बराबर उसमें से खाते रहे। फिर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने उसकी एक हड्डी ली, खड़ी कराई तो ऊँट का सवार उसके नीचे से निकल गया। जब हम मदीना लौटकर आये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने जो रोज़ी तुम्हारे लिये निकाली थी उसको खाओ अगर कुछ तुम्हारे पास हो तो मुझको भी खिलाओ, यह सुनकर कुछ लोग उसका बचा हुआ गोश्त लेकर आये और आपने भी खाया।

हदीस 576. हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब बीमार होते तो 'मुअ़व्वज़तैन' (यानी सूरः फ़लक़ और सूरः नास) पढ़कर हाथ पर दम करते और हाथ अपने बदन पर फेरते थे। जब आप मौत की बीमारी में मुब्तला हुए तो मैंने ये सूरतें पढ़कर आप पर दम करना शुरू किया और आपका हाथ लेकर आपके बदन पर फेरती।

वज़ाहतः- रोज़ाना रात को सोते वक़्त और बीमारी में भी यह अ़मल करना मस्नून है। दम करने का तरीक़ा यह है कि ये सूरतें पढ़कर दोनों हाथों

पर दम करें और फिर दोनों हाथ अपने चहरे और सारे बदन पर फेर लें।

क़ुरआन की तफ़सीर का बयान

सूरः फ़ातिहा को 'उम्मुल्-किताब' भी कहते हैं। क्योंकि क़ुरआन में सब सूरतों से पहले लिखी जाती है और नमाज़ में भी क़िराअत इसी से शुरू की जाती है। इसके बहुत से नाम हैं मसलन- सूरः शिफ़ा, उम्मुल-किताब, उम्मुल-कुरआन, अल्-कुरआनुल्-अज़ीम, अर्रक़िय्यतु, अल्-असासु, अल्-काफ़ियतु वग़ैरह।

हदीस 577. हज़रत अबू सईद बिन मुअ़ल्ला रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मस्जिद से बाहर जाने से पहले मैं तुमको एक सूरत बतलाऊँगा, जो सारी सूरतों से (अज्र और सवाब में) बढ़कर है और मेरा हाथ थाम लिया। जब आप मस्जिद से निकलने लगे तो मैंने अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! आपने फ़रमाया था कि मैं तुमको एक सूरत बतलाऊँगा जो क़ुरआन में सब सूरतों से अ़ज़ीम है। आपने फ़रमाया- यह 'अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्-आ़लमीन' (पूरी सूरत) है, इसमें सात आयतें हैं जो हर रकअ़त में पढ़ी जाती हैं और यही सूरत वह अ़ज़ीम क़ुरआन है जो मुझको दिया गया है।

हदीस 578. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि जब से सूरः नस्र (इज़ा जा-अ नस्रुल्लाहि) उतरी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हर नमाज़ (रुकूअ़ और सज्दे) में यह भी पढ़ा करते थे-

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ.

सुब्हानकल्लाहुम्-म रब्बना व बि-हम्दि-क अल्लाहुम्मग़्फ़िर् ली।

तर्जुमाः- पाक है तेरी ज़ात ऐ हमारे रब! और तेरे ही लिये तारीफ़ है। ऐ अल्लाह! मेरी मग़फ़िरत फ़रमा दे।

वज़ाहतः- रुकूअ़ और सज्दे में दूसरी मस्नून दुआ़एँ भी माँग सकते हैं।

हदीस 579. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बतहा (मक्का के पथरीले मैदान) की

तरफ़ निकले और पहाड़ पर चढ़ गये, आपने पुकारा- ऐ लोगो! होशियार हो जाओ। यह सुनकर क़ुरैश के लोग आपके पास जमा हो गये। आपने फ़रमाया- बतलाओ अगर मैं तुमसे कहूँ कि दुश्मन सुबह को या शाम को तुम पर हमला करने वाला है तो तुम मेरी बात सच समझोगे? उन्होंने कहा बेशक। आपने फ़रमाया- तो मैं तुमको पहले ही से सख़्त अ़ज़ाब से डराता हूँ जो तुम्हारे सामने है। इस पर अबू लहब कहने लगा- तुम्हारी ख़राबी हो, क्या तुमने हमको इसी काम के लिये जमा किया था? उस वक़्त अल्लाह तआ़ला ने यह सूरत उतारी 'तब्बत् यदा अबी लहब्' आख़िर तक।

हदीस 580. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला इरशाद फ़रमाता है कि आदम के बेटे ने मुझको झुठलाया, उसको यह लाज़िम न था कि मुझको गाली दे। झुठलाना यह है वह कहता है कि मैं उसको दोबारा पैदा नहीं करूँगा हालाँकि दोबारा पैदा करना पहली बार पैदा करने से ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और गाली देना यह है कि (अल्लाह की पनाह) कहता है कि अल्लाह की औलाद है और मैं तो अकेला हूँ बेनियाज़ हूँ, न मुझको किसी ने पैदा किया है न मेरी कोई औलाद है, और मेरे जोड़ का कोई दूसरा है ही नहीं।

हदीस 581. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम यह दुआ़ फ़रमाया करते थे-

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

अल्लाहुम्-म रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या ह-स-नतंव्-व फ़िल्-आख़ि-रति ह-स-नतंव्-व क़िना अ़ज़ाबन्नार।

तर्जुमाः- ऐ हमारे परवर्दिगार! हमें दुनिया और आख़िरत में अच्छाईयाँ अ़ता फ़रमा और हमें आग के अ़ज़ाब से महफ़ूज़ रख।

वज़ाहतः- यह जामे दुआ़ दुनिया और आख़िरत की तमाम नेमतों को शामिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अक्सर वक़्तों में यह दुआ़ किया करते थे। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 582. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मिस्कीन (ग़रीब व ज़रूरत मन्द) वह नहीं है जिसे एक दो खजूरें या एक दो लुक़्मे दर-बदर फिरने पर मजबूर करते हों, बल्कि मिस्कीन वह शख़्स है जो किसी से सवाल न करे। अगर तुम मतलब समझना चाहो तो इस आयत को पढ़ो-

तर्जुमाः- वे लोगों से चिमटकर सवाल नहीं करते।

(सूरः ब-क़रह 2, आयत 273)

वज़ाहतः- मख़्लूक़ से सवाल करने के बजाय अल्लाह तआ़ला से सवाल करना चाहिये, और हमें ऐसे लोगों को तलाश करके ज़कात व ख़ैरात देना चाहिये।

हदीस 583. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि उनके पास दो औ़रतें एक मुक़द्दमा लाईं जो एक मकान में सिलाई करती थीं। उनमें से एक इस हालत में बाहर निकली कि सुवा (बड़ी और मोटी सूई) उसके हाथ में चुभा हुआ था। उसने दूसरी के ख़िलाफ़ (इसका) दावा कर दिया, दोनों का मुक़द्दमा हज़रत इब्ने अ़ब्बास के पास लाया गया। उन्होंने कहा कि (जब आप से मैंने इसके बारे में पूछा तो) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि महज़ लोगों के दावे की बिना पर उनके हक़ में अगर फ़ैसला कर दिया जाये तो लोगों की जान और माल बरबाद हो जायेंगे, लिहाज़ा उस दूसरी औ़रत को अल्लाह की याद दिलाओ और यह आयत पढ़कर सुनाओ-

तर्जुमाः- बेशक जो लोग अल्लाह तआ़ला के अ़हद व पैमान और अपने क़ौल व इक़रार को थोड़ी-सी क़ीमत के बदले फ़रोख़्त कर देते हैं ऐसे लोगों का आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं है। (सूरः आले इमरान 3, आयत 77)

जब लोगों ने उसको नसीहत की तो उसने अपने जुर्म को क़ुबूल कर लिया, तब हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि क़सम उस पर है जिस पर दावा किया जाये।

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि दावेदार के ज़िम्मे अपने दावे के सुबूत के लिये दलील मुहैया करना है, और अगर वह शख़्स जिस पर दावा किया

गया है इनकार करता है तो उसके ज़िम्मे क़सम आती है, अलबत्ता लिआ़न वाले मसले में दावेदार को दलील के बजाय क़सम खानी होती है।

(फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 584. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है उन्होंने फ़रमाया- हमें अल्लाह काफ़ी है जो बेहतरीन कारसाज़ है। हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने भी उस वक़्त यही कहा था जब उनको आग में डाला गया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने भी उस वक़्त यही कहा था जब मुनाफ़िक़ लोगों ने अफ़वाह फैलाई कि काफ़िरों ने आपके साथ लड़ने के लिये बहुत सारे लोग जमा किये हैं, लिहाज़ा उनसे डरते रहो। यह ख़बर सुनकर सहाबा का ईमान और बढ़ गया, उन्होंने भी यही कहा कि हमें अल्लाह तआ़ला ही काफ़ी है जो अच्छा काम करने वाला है।

वज़ाहतः- एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद है कि जब तुम किसी ख़तरनाक मामले से दोचार हो जाओ तो 'हस्बुनल्लाहु व निअ़्मल्-वकील' (सूरः आले इमरान 3, आयत 173) "हमें (हर मुश्किल और परेशानी में) अल्लाह तआ़ला ही काफ़ी है जो अच्छा है।" पढ़ा करो। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 585. हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि इस आयते करीमा 'ख़ुज़िल्-अ़फ़्-व वअ़्मुर् बिल्-उर्फ़ि' (सूरः आराफ़ 7, आयत 199) "माफ़ कर दीजिये और नेकी का हुक्म दीजिये।" इस आयत में अल्लाह तआ़ला ने पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को माफ़ करने और दरगुज़र कर देने का हुक्म दिया है।

वज़ाहतः- आप भी यही दोनों काम कीजिये, यह अल्लाह करीम का हुक्म है।

हदीस 586. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ज़ालिम को कुछ मोहलत देता है लेकिन जब पकड़ लेता है तो उसे छोड़ता नहीं। हज़रत अबू मूसा कहते हैं कि फिर आपने इस आयत की तिलावत फ़रमाई-

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌO

तर्जुमाः- और तुम्हारा परवर्दिगार जब नाफ़रमान बस्तियों को पकड़ता है तो उसकी पकड़ इसी तरह की होती है यक़ीनन उसकी पकड़ बड़ी सख़्त है।

वज़ाहतः- आज भी अल्लाह रब्बुल्-इज़्ज़त ज़ालिमों और ज़ालिम क़ौमों को मोहलत देता है। इसका मतलब यह न समझना चाहिये कि ज़ालिम दुनिया में ऐश कर रहे हैं, यह सिर्फ़ एक थोड़े से समय के लिये है फिर अल्लाह का सख़्त अज़ाब है।

हदीस 587. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यूँ दुआ फ़रमाया करते थे-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسْلِ وَاَرْذَلِ الْعُمُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अऊज़ु बि-क मिनल्-बुख़्लि वल्-कस्लि व अर्ज़लिल्-उमुरि व अज़ाबिल्-क़ब्रि व फ़ित्नतिद्दज्जालि व फ़ित्नतिल् -महया वल्-ममाति।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह करीम! मैं बुख़्ल, सुस्ती, बुढ़ापे, क़ब्र के अज़ाब, दज्जाल के फ़ितने और मौत व ज़िन्दगी के फ़ितने से आपकी पनाह चाहता हूँ। (तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर सूरः आले इमरान 3, आयत 180 और सूरः मोमिन 40, आयत 45-46)

वज़ाहतः- हर नमाज़ के बाद यह दुआ ज़रूर माँगिये। ज़िन्दगी का फ़ितना यह है कि इनसान दुनिया में ऐसा मसरूफ़ हो कि वह अल्लाह तआला ही को भूल जाये। मौत का फ़ितना रूह निकलने के वक़्त से शुरू हो जाता है, उस वक़्त शैतान इनसान का ईमान बिगाड़ना चाहता है।

(फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 588. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया— कियामत के दिन मौत

को एक चितकबरे मेंढे की सूरत में लाया जायेगा। फिर एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा- ऐ जन्नत वालो! तो वे ऊपर नज़र उठाकर देखेंगे। वह कहेगा क्या तुम इसको पहचानते हो? वे कहेंगे हाँ यह मौत है और सब ने (मरते वक़्त) इसे देखा है। फिर वह आवाज़ देगा- ऐ दोज़ख़ वालो! तो वे भी अपनी गर्दन उठाकर देखेंगे। फिर वह कहेगा क्या तुम इसको पहचानते हो? वे कहेंगे हाँ सब ने (मरते वक़्त) इसे देखा है। फिर मेंढे को ज़िबह कर दिया जायेगा और आवाज़ देने वाला कहेगा- ऐ जन्नत वालो! तुम्हें हमेशा यहाँ रहना है अब किसी को मौत नहीं आयेगी। ऐ जहन्नम वालो! तुम्हें भी हमेशा यहाँ रहना है अब किसी को मौत नहीं आयेगी। फिर आपने यह आयत तिलावत फ़रमाई-

तर्जुमाः- ऐ मुहम्मद! काफ़िरों को उस अफ़सोसनाक दिन से डराईये जब आख़िरी फ़ैसला कर दिया जायेगा और इस वक़्त दुनिया में ये लोग ग़फ़लत में पड़े हुए हैं और ईमान नहीं लाये हैं। (सूरः मरियम 19, आयत 39)

वज़ाहतः- एक रिवायत में है कि मौत को ज़िबह करने का मन्ज़र जन्नत वालों की ख़ुशी व मुसर्रत में इज़ाफ़ा करेगा जबकि जहन्नम वालों के ग़म व मुसीबत में इज़ाफ़ा का सबब होगा।

हदीस 589. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि एक शख़्स ने अर्ज़ किया- या रसूलल्लाह! क़ियामत के दिन काफ़िर अपने सर के बल कैसे चलाये जायेंगे? आपने फ़रमाया कि जिस परवर्दिगार ने आदमी को दो पाँव पर चलाया है क्या वह इसको क़ियामत के दिन मुँह के बल नहीं चला सकता?

वज़ाहतः- हदीस में है कि मैदाने मेहशर में तीन तरह के लोग होंगे- कुछ सवारियों पर होंगे, कुछ पैदल चलेंगे जबकि कुछ मुँह के बल चलकर अल्लाह रब्बुल्-इज़्ज़त के हुज़ूर पेश होंगे। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 590. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आपने फ़रमाया- अल्लाह तआला का पाक इरशाद है- मैंने अपने नेक बन्दों के लिये ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिन्हें किसी आँख ने देखा नहीं और किसी कान ने सुना नहीं और किसी आदमी के दिल पर उनका ख़्याल तक

भी नहीं गुज़रा, और कई तरह की नेमतें मैंने तुम्हारे लिये ज़ख़ीरा कर रखी हैं जो दुनिया की नेमतों से अफ़ज़ल और आला हैं, तुम इनका ज़िक्र छोड़ दोगे (क्योंकि ये तो उनके मुक़ाबले में बेहक़ीक़त हैं) फिर आपने यह आयत तिलावत फ़रमाई-

तर्जुमाः- फिर जो कुछ (अल्लाह तआ़ला ने) आँखों की ठंडक का सामान उनके आमाल की जज़ा में उनके लिये छुपाकर रखा है उसकी किसी शख़्स को ख़बर तक नहीं है। (सूरः अस्सज्दा 32, आयत 17)

हदीस 591. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है उन्होंने फ़रमाया- मुझे उन औ़रतों के ख़िलाफ़ बहुत ग़ैरत आती थी जो अपने आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये हिबा कर देती थीं और मैं कहा करती थी- क्या औ़रत भी अपने आपको हिबा कर सकती है? फिर जब अल्लाह तआ़ला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई-

तर्जुमाः- ऐ मुहम्मद! आपको यह भी इख़्तियार है कि जिस बीवी को चाहो अलग रखो और जिसे चाहो अपने पास रखो, और जिसको आपने अलग कर दिया हो अगर उसको फिर अपने पास तलब करो तो आप पर कोई गुनाह नहीं। (सूरः अहज़ाब 33, आयत 51) उस वक़्त मैंने अपने दिल में कहा- मैं देखती हूँ कि अल्लाह तआ़ला आपकी ख़्वाहिश के मुवाफ़िक़ जल्द ही हुक्म जारी फ़रमा देते हैं।

वज़ाहतः- जिन औ़रतों ने अपने आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को हिबा करने की पेशकश की वे एक से ज़्यादा (यानी अनेक) हैं, उनमें ख़ौला बिन्ते हकीम, उम्मे शुरैक, फ़ातिमा बिन्ते शुरैक और ज़ैनब बिन्ते ख़ुज़ैमा रज़ियल्लाहु अ़न्हुन्-न भी शामिल हैं। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 592. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि पर्दे का हुक्म उतरने के बाद अबू क़ुऐ़स के भाई अफ़्लह ने मेरे पास आने की इजाज़त तलब की तो मैंने कहा कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इजाज़त न देंगे मैं इजाज़त न दूँगी, क्योंकि उनके भाई अबू क़ुऐ़स ने मुझे दूध नहीं पिलाया है बल्कि उसकी बीवी ने मुझे दूध पिलाया है। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मेरे

पास तशरीफ़ लाये तो मैंने अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! अबू क़ओ़ीस के भाई अफ़्लह ने मुझसे अन्दर आने की इजाज़त माँगी थी तो मैंने आपकी इजाज़त के बग़ैर उसे इजाज़त देने से इनकार कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुमने अपने चचा को अन्दर आने की इजाज़त क्यों न दी? मैंने अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! मर्द ने तो मुझे दूध नहीं पिलाया बल्कि अबू क़ओ़ीस की बीवी ने पिलाया है। आपने फ़रमाया- तुम्हारे हाथ ख़ाक में भर जायें उनको आने की इजाज़त दो, क्योंकि वह तुम्हारे चचा हैं।

वज़ाहतः- जितने रिश्ते ख़ून की वजह से हराम हैं वो दूध की वजह से भी हराम हैं, मसलन दूध के रिश्ते का चचा और दूध के रिश्ते का मामूँ सब मेहरम हैं और उनसे पर्दा नहीं है।

हदीस 593. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि कुछ मुश्रिक लोगों ने ज़िना और क़त्ल व ग़ारत बहुत ज़्यादा किया फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आये और कहने लगे- आप जो कुछ कहते हैं और जिसकी दावत देते हैं वह बहुत अच्छा है अगर आप यह बतला दें कि जो गुनाह हम कर चुके हैं वे (इस्लाम लाने से) माफ़ हो जायेंगे? उस वक़्त यह आयत नाज़िल हुई-

तर्जुमाः- वे लोग जो अल्लाह तआ़ला के साथ किसी और को माबूद बनाकर नहीं पुकारते और हक़ के अ़लावा किसी नफ़्स (जान) को क़त्ल नहीं करते जिसे अल्लाह ने हराम किया है, और न ही ज़िना करते हैं।

(सूरः शु-अ़रा-इ 26, आयत 68)

और यह आयत भी नाज़िल हुई-

तर्जुमाः- ऐ पैग़म्बर! मेरी तरफ़ से लोगों को बता दो कि ऐ मेरे बन्दो! जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है अल्लाह तआ़ला की रहमत से मायूस न हों, बेशक अल्लाह तआ़ला तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है, बेशक वह बड़ा माफ़ करने वाला बेहद मेहरबान है।

(सूरः जुमर 39, आयत 53)

वज़ाहतः- इस आयत में है कि सच्ची तौबा करने से तमाम गुनाह माफ़

हो जाते हैं। जो शख़्स सच्चे दिल से तौबा कर ले और अपने किरदार को सुधार ले तो उसकी तमाम बुराईयाँ नेकियों में बदल दी जायेंगी। (फ़त्हुल्-बारी) अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर (सूरः शु-अरा-इ 26, आयत 70-71)

हदीस 594. हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि यहूदियों के उलेमा में से एक आ़लिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा- ऐ मुहम्मद! हम तौरात में लिखा हुआ पाते हैं कि अल्लाह तआ़ला तमाम आसमानों को एक उंगली पर रख लेंगे और एक पर तमाम ज़मीनों को और एक पर दरख़्तों को और एक पर पानी और गीली मिट्टी को और एक पर दूसरी मख़्लूक़ात को और फ़रमायेंगे- मैं ही बादशाह हूँ। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इस क़द्र मुस्कुराये कि आपकी कुचलियाँ खुल गयीं, आपने उस आ़लिम की तस्दीक़ (पुष्टि) की, फिर यह आयत पढ़ी-

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ

तर्जुमाः- उन लोगों ने अल्लाह तआ़ला की क़द्र न की जैसा कि उसकी क़द्र करने का हक़ था। (सूरः अन्आ़म 6, आयत 91)

हदीस 595. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना कि अल्लाह तआ़ला ज़मीन को एक मुट्ठी में ले लेंगे और आसमानों को दायें हाथ में लपेटकर फ़रमायेंगे- मैं बादशाह हूँ ज़मीन के दूसरे बादशाह कहाँ हैं?

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला आसमानों को लपेटकर दायें हाथ में और ज़मीन को लपेटकर बायें हाथ में पकड़ेंगे और फ़रमायेंगे- मैं बादशाह हूँ दुनिया के हुक्मराँ कहाँ हैं? अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर सूरः ज़ुमर 39, आयत 67।

(फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 596. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब जहन्नम वाले जहन्नम में डाल दियें जायेंगे तो जहन्नम यही कहते रहेगी कि और कुछ है?

यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला अपना क़दम (मुबारक) उस पर रखेंगे तब दोज़ख़ कहेगी- "बस, बस"।

हदीस 597. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन कैस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- दो जन्नतें सोने की हैं और उनके बर्तन और तमाम सामान भी सोने का है, और दो जन्नतें चाँदी की हैं, उनके बर्तन और तमाम सामान भी चाँदी का है। और 'जन्नते अ़दन' (यह एक जन्नत का नाम है) में उसके रहने वालों और उनके परवर्दिगार के दरमियान सिर्फ़ जलाल की एक चादर रुकावट होगी जो अल्लाह तआ़ला के पाक चेहरे पर पड़ी होगी।

हदीस 598. हज़रत उम्मे अ़तीया रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बैअ़त की तो आपने हमें यह आयत सुनाई-

तर्जुमाः- अल्लाह तआ़ला के साथ किसी को शरीक न करें। (सूरः सफ़्फ़ 61, आयत 12) और नौहा करने से मना फ़रमाया तो इस पर एक औ़रत ने बैअ़त करने से अपना हाथ खींच लिया और अ़र्ज़ करने लगी कि फ़ुलाँ औ़रत ने मुसीबत के वक़्त मेरा साथ दिया था, पहले मैं उसका बदला चुका दूँ। उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कुछ न फ़रमाया, चुनाँचे वह गई और (बदला चुकाकर) वापस आई तो आपने उससे बैअ़त फ़रमाई।

वज़ाहतः- एक हदीस के मुताबिक़ हाथ खींचने वाली ख़ुद हज़रत उम्मे अ़तीया रज़ियल्लाहु अ़न्हा थीं, उन्होंने नौहा करने (मुर्दों पर बयान करके रोने) से मुताल्लिक़ पहले अपना क़र्ज़ चुकाया फिर बैअ़त की, उसके बाद नौहा करना पूरी तरह हराम कर दिया गया। (फ़त्हुल्-बारी)

क़ुरआन मजीद के फ़ज़ाईल का बयान

हदीस 599. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जितने अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाये हैं उनमें से हर एक को ऐसे मोजिज़े दिये गये

जिन्हें देखकर लोग ईमान ला सकें (बाद के ज़माने में उनका कोई असर न रहा), मुझे क़ुरआन की शक्ल में अल्लाह जल्ल शानुहू ने 'वही' के ज़रिये मोजिज़ा अता फ़रमाया (कि जिसका असर क़ियामत तक बाक़ी रहेगा), इसलिये मुझे उम्मीद है कि मेरी पैरवी करने वाले दूसरे नबियों से ज़्यादा होंगे।

वज़ाहतः- अल्लाह रब्बुल्-इज़्ज़त ने हर रसूल को उसके ज़माने की ज़रूरत को सामने रखते हुए मोजिज़ा अता फ़रमाया मसलन- हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू का बहुत चर्चा था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब्बे यूनानी (यूनानी चिकित्सा) का ज़ोर था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में 'फ़साहत व बलाग़त' (अरबी भाषा में आला और उम्दा कलाम पेश करने) का बहुत चर्चा था, लिहाज़ा क़ुरआनी मोजिज़े ने उन्हें ला-जवाब (ख़ामोश) कर दिया। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 600. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक ज़िन्दगी के आख़िरी दौर में अल्लाह तआला ने एक के बाद एक और लगातार 'वही' नाज़िल फ़रमाई और आपकी वफ़ात के क़रीब तो आप पर बहुत ज़्यादा 'वही' उतरी। उसके बाद आप वफ़ात पा गये।

वज़ाहतः- दर असल हज़रत अनस से किसी ने सवाल किया था कि क्या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात से कुछ अरसे पहले 'वही' का सिलसिला बन्द हो गया था? हज़रत अनस ने वही जवाब दिया जो हदीस में है। 'वही' के बहुत ज़्यादा आने की वजह यह थी कि इस्लामी फ़ुतूहात का दायरा बढ़ने के बाद मामलात और मुक़द्दमात भी बढ़ गये तो उन्हें निपटाने के लिये 'वही' आना शुरू हो गई थी। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 601. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक दौर में हज़रत हिशाम बिन हकीम रज़ियल्लाहु अन्हु को सूरः फ़ुरक़ान पढ़ते सुना, जब मैंने उसके पढ़ने पर ग़ौर किया तो मालूम हुआ कि उसका पढ़ने का अन्दाज़ उससे कुछ

अलग था जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमें तालीम फ़रमाई थी। मैंने इरादा किया कि नमाज़ में ही उसे पकड़कर ले जाऊँ लेकिन मैंने बरदाश्त से काम लिया, जब उन्होंने नमाज़ से सलाम फेरा तो मैंने उनके गले में चादर डालकर पूछा कि क़ुरआन पढ़ने का यह अन्दाज़ आपको किसने सिखाया? उन्होंने फ़रमाया- मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने पढ़ाया। मैंने कहा आप झूठे हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तो खुद मुझे यह सूरत एक और अन्दाज़ से पढ़ाई है जो आपके अन्दाज़ के ख़िलाफ़ है, फिर मैं अन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास लाया और अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! यह हज़रत सूरः फ़ुरक़ान को एक अलग ही तर्ज़ पर पढ़ते हैं जो आपने हमें नहीं पढ़ाया। आपने फ़रमाया- हिशाम को छोड़ दो, उसके बाद आपने हज़रत हिशाम से कहा- पढ़ो, उन्होंने उसी तरह पढ़ा जिस तरह मैंने उनसे सुना था तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- यह सूरत इसी तरह नाज़िल हुई है। फिर फ़रमाया- ऐ उमर! तुम पढ़ो तो मैंने उसे उस तरीक़े के मुताबिक़ पढ़ा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे तालीम दी थी, तो आपने फ़रमाया- यह सूरत इसी तरह उतरी हुई है। यह क़ुरआन सात मुहावरों (क़िराअत) पर उतरा है, उनमें से जो क़िराअत तुम पर आसान हो उसके मुताबिक़ पढ़ लो।

हदीस 602. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि हज़रत फ़ातिमा ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे आहिस्ता से इरशाद फ़रमाया कि जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम हमेशा मुझसे एक मर्तबा क़ुरआने करीम का दौर किया करते थे इस साल दो मर्तबा किया है, मैं समझता हूँ कि मेरी वफ़ात क़रीब है।

हदीस 603. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने किसी दूसरे शख़्स को 'क़ुल् हुवल्लाहु अहद्' बार-बार पढ़ते सुना, जब सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आये और आप से उसके बार-बार पढ़ने का ज़िक्र किया, गोया उसने समझा कि इसमें कुछ बड़ा सवाब न होगा, इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व

सल्लम ने फ़रमाया- क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, सूरः इख़्लास एक तिहाई क़ुरआन के बराबर है।

हदीस 604. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से फ़रमाया- क्या तुम में से कोई रात भर में तिहाई क़ुरआन पढ़ सकता है? सहाबा किराम को यह दुश्वार मालूम हुआ। अर्ज़ किया या- रसूलल्लाह! ऐसी ताक़त कौन रखता है? आपने फ़रमाया- सूरः इख़्लास जिसमें "अल्लाहुल्-वाहिदुस्-समद्" (अकेले बेनियाज़) की सिफ़ात बयान हुई हैं तिहाई क़ुरआन के बराबर है।

हदीस 605. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम करने आते तो हर रात अपने दोनों हाथों को इकट्ठा करके उन पर "क़ुल् हुवल्लाहु अहद्" "क़ुल् अऊज़ु बि-रब्बिल्-फ़लक़्" और "क़ुल् अऊज़ु बि-रब्बिन्नास" पढ़कर दम करते, फिर उन्हें तमाम बदन पर जहाँ तक मुम्किन होता फेर लेते, लेकिन हाथ फेरने की शुरूआत सर, चेहरे और जिस्म के अगले हिस्से से होती। तीन मर्तबा यह अमल किया करते थे।

वज़ाहतः- सही बुख़ारी ही की एक दूसरी हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब बीमार होते तो सूरः नास, सूरः फ़लक़ और सूरः इख़्लास पढ़कर अपने आप पर दम किया करते थे, और जब आप ज़्यादा बीमार हो गये तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बरकत के ख़्याल से ये सूरतें पढ़कर आपके हाथों पर फूँककर आपके हाथों को आपके बदन पर फेरतीं।

हदीस 606. हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक रात वह सूरः ब-क़रह पढ़ रहे थे कि उनका घोड़ा जो क़रीब ही बंधा हुआ था बिदकने लगा, यह ख़ामोश हो गये तो घोड़ा भी (बिदकने से) ठहर गया। वह फिर पढ़ने लगे तो घोड़ा फिर बिदकने लगा, वह फिर ख़ामोश हो गये तो घोड़ा फिर ठहर गया। वह फिर तिलावत करने लगे तो घोड़ा फिर बिदका। उसके बाद हज़रत उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ना छोड़

दिया क्योंकि उनका बेटा यहया घोड़े के क़रीब (सोया हुआ) था, इसलिये उन्हें अन्देशा हुआ कि कहीं घोड़ा उसे कुचल न दे। उन्होंने सलाम फेरकर अपने बेटे को अपने पास खींच लिया, फिर उन्होंने जब सर उठाकर देखा तो आसमान नज़र न आया (बल्कि एक बादल सा नज़र आया जिस पर चिराग़ जल रहे थे)। सुबह को उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर सारा वाक़िआ़ बयान किया तो आपने फ़रमाया- ऐ इब्ने हुज़ैर! तुम पढ़ते रहते, ऐ इब्ने हुज़ैर! तुम पढ़ते रहते। उन्होंने अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! मुझे अपने बेटे यहया के बारे में ख़तरा महसूस हुआ था कि कहीं घोड़ा उसे कुचल न दे, क्योंकि यहया घोड़े के बिल्कुल क़रीब (सोया हुआ) था, इसलिये सर उठाकर मैंने उधर ख़्याल किया और फिर आसमान की तरफ़ सर उठाया तो देखा कि एक अ़जीब क़िस्म की छतरी है जिसमें चिराग़ रोशन हैं, फिर में बाहर आ गया तो फिर मैं वह बादल का साया न देख सका। आपने फ़रमाया तुम जानते हो वह बादल का साया क्या था? हज़रत उसैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा- नहीं। आपने फ़रमाया- वे फ़रिश्ते थे जो तुम्हारी आवाज़ सुनकर क़रीब आ गये थे, और अगर तुम पढ़ते रहते तो सुबह लोग उन्हें देखते और वे उनकी नज़रों से ओझल न होते।

हदीस 607. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ाबिले रश्क दो आदमी हैं- एक वह जिसे अल्लाह तआ़ला ने क़ुरआन दिया और वह दिन-रात उसे पढ़ता हो, सो उसका पड़ोसी इस तरह रश्क कर सकता है कि काश इस शख़्स की तरह मुझे भी क़ुरआन दिया जाता तो मैं भी उसे पढ़कर इसी तरह अ़मल करता जिस तरह फ़ुलाँ ने किया है। दूसरा वह शख़्स जिसे अल्लाह तआ़ला ने हलाल रिज़्क़ दिया हो और वह उसे हक़ के रास्ते में ख़र्च करता है तो उस पर कोई आदमी इस तरह रश्क कर सकता है कि काश मुझे भी ऐसी ही दौलत मिलती तो मैं भी इसी तरह ख़र्च करता जिस तरह फ़ुलाँ ख़र्च करता है।

वज़ाहतः- 'रश्क' करना इस तरह जायज़ है कि दूसरे को जो अल्लाह

तआला ने नेमत दी हो उसकी आरज़ू करे जबकि दूसरे की नेमत का ज़वाल (ख़त्म होना और छिन जाना) चाहना हसद (जलन) है जो बहुत बड़ा गुनाह है।

हदीस 608. हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से बेहतर वह शख़्स है जो क़ुरआन सीखता और सिखाता है।

वज़ाहतः- इस हदीस की वजह से हज़रत अबू अब्दुर्रहमान असलमी अपनी बाक़ी तमाम ज़िन्दगी (तक़रीबन) ख़िदमते क़ुरआन में मसरूफ़ रहे।

हदीस 609. हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुई और कहा कि उन्होंने अपने आपको अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिये हिबा कर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अब मुझे औरतों से निकाह की कोई हाजत नहीं है। एक सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! इनका निकाह मुझसे कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- फिर इन्हें (मेहर में) एक कपड़ा लाकर दे दो। उन्होंने कहा कि मुझे तो यह भी मयस्सर नहीं है। आपने फ़रमाया- फिर इन्हें कुछ तो दो चाहे एक लोहे की अँगूठी ही सही। वह इस पर परेशान हुए (क्योंकि उनके पास यह भी न थी) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अच्छा तुमको क़ुरआन कितना याद है? उन्होंने अर्ज़ किया कि फ़ुलाँ-फ़ुलाँ सूरतें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया फिर मैंने तुम्हारा इनसे क़ुरआन की उन सूरतों पर निकाह किया जो तुम्हें याद हैं।

वज़ाहतः- आपने क़ुरआन की अज़मत (बड़ाई) इस तरह से ज़ाहिर की कि वह दुनिया में माल व दौलत से भी अफ़ज़ल है और आख़िरत की अज़मत तो ज़ाहिर ही है।

हदीस 610. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हाफ़िज़े क़ुरआन उस शख़्स की तरह है जिसने अपने ऊँट की टाँग को बाँध रखा हो, अगर

उसकी निगरानी करता रहेगा तो उसे रोके रखेगा और अगर आज़ाद छोड़ देगा तो वह कहीं चला जायेगा।

वज़ाहतः- क़ुरआने करीम की तिलावत अगर हम छोड़ दें तो भूल जायेंगे इसलिये कुछ न कुछ क़ुरआन रोज़ाना पढ़ते रहना ज़रूरी है।

हदीस 611. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आपने फ़रमाया- क़ुरआन को हमेशा पढ़ते रहो इसलिये कि उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, क़ुरआन निकलकर भागने में उन ऊँटों से ज़्यादा तेज़ है जिनके पाँव की रस्सी खुल चुकी हो।

हदीस 612. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को मक्का फ़तह होने के दिन देखा कि आप सवारी पर 'सूरः फ़तह'' की तिलावत फ़रमा रहे थे।

वज़ाहतः- क़ुरआन पाक की तिलावत भी अल्लाह का ज़िक्र है। आयत-

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ

तर्जुमाः- वे लोग जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं खड़े हुए और बैठे हुए और अपनी करवटों के बल (लेटे हुए)। (सूरः 3, आयत 191)

के तहत सवारी पर भी अल्लाह का ज़िक्र (यानी क़ुरआन पाक की तिलावत) करना जायज़ है।

हदीस 613. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा (जब वह बच्चे थे) कि मैंने मोहकम सूरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में सब याद कर ली थीं, मैंने (सईद बिन जुबैर से) पूछा कि मोहकम सूरतें कौनसी हैं? कहा कि मुफ़स्सल।

वज़ाहतः- सूरः 'हुजुरात' से क़ुरआन के आख़िर तक की सूरतें मुफ़स्सल सूरतें कहलातीं हैं। इससे मालूम हुआ कि बच्चों को बचपन ही से दीन का इल्म सिखाना चाहिये क्योंकि ऐसा बच्चा माँ-बाप के लिये सदक़ा-ए-जारिया होता है।

हदीस 614. हज़रत अबू मसऊद अन्सारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने बयान

किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सूरः ब-क़रह की आख़िरी दो आयतें जो शख़्स रात को सोते वक़्त पढ़ लेगा तो वे उसके लिये काफ़ी हो जायेंगी।

हदीस 615. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम किस तरह क़िराअत करते थे तो उन्होंने जवाब दिया कि ख़ूब खींचकर पढ़ते थे फिर 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' पढ़कर सुनाई कि 'बिस्मिल्लाहि' और 'अर्रह्मानि' और 'अर्रहीमि' खींचकर पढ़ा।

वज़ाहत:- 'बिस्मिल्लाहि' में लाम को, 'रह्मान' में मीम को और 'रहीम' में (हा) को खींचकर पढ़ते थे।

हदीस 616. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझसे मुख़ातिब होकर फ़रमाया- ऐ अबू मूसा! आपको हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम की उम्दा और अच्छी आवाज़ से हिस्सा दिया गया है।

वज़ाहत:- हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु बड़ी अच्छी आवाज़ वाले थे। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने रात को गुज़रते वक़्त हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु को क़ुरआन पढ़ते हुए सुना तो सुबह मुलाक़ात के वक़्त आपने उनकी हौसला-अफ़ज़ाई फ़रमाई।

(फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 617. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुझे क़ुरआन मजीद पढ़कर सुनाओ। मैंने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! मैं आपको पढ़कर सुनाऊँ? आप पर क़ुरआन मजीद नाज़िल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हाँ सुनाओ, चुनाँचे मैंने सूरः निसा पढ़ी, जब मैं आयत-

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا

तर्जुमा:- पस क्या [illegible]लत होगी जब हम हर उम्मत से गवाह लायेंगे और आपको उन सब पर गवाह बनायेंगे। (सूरः निसा 4, आयत 41) पर पहुँचा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बस करो।

मैंने आपकी तरफ़ देखा तो आपकी आँखों से आँसू जारी थे।

वज़ाहतः- ऊपर बयान हुई आयते शरीफ़ा को सुनकर उसमें ज़िक्र हुआ क़ियामत का मन्ज़र आँखों में समा गया जिससे आपकी आँखों में आँसू आ गये। क़ुरआने करीम की तिलावत का यही तक़ाज़ा है कि मौक़े व महल के लिहाज़ से क़ुरआन की आयतों का पूरा-पूरा असर लिया जाये। अल्लाह पाक हमको ऐसी ही तौफ़ीक़ बख़्शे (आमीन)। और यह भी मालूम हुआ कि दूसरों से क़ुरआन मजीद की तिलावत सुनना भी मस्नून है।

हदीस 618. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उस मोमिन की मिसाल जो क़ुरआन की तिलावत करता है और उस पर अ़मल में लगा रहता है नारंगी के जैसी है जिसकी ख़ुशबू भी उम्दा और ज़ायक़ा भी उम्दा है, और उस मोमिन की मिसाल जो क़ुरआन की तिलावत नहीं करता मगर उस पर अ़मल करता है खजूर के जैसी है कि उसका ज़ायक़ा तो अच्छा है लेकिन ख़ुशबू नहीं है, और जो मुनाफ़िक़ क़ुरआन पढ़ता है उसकी मिसाल गुले बाबूना (बाबूना के फूल) के जैसी है जिसकी ख़ुशबू तो अच्छी है लेकिन मज़ा कड़वा है, और उस मुनाफ़िक़ की मिसाल जो क़ुरआन भी नहीं पढ़ता इन्द्राईन के फल की तरह है जिसमें ख़ुशबू भी नहीं और मज़ा भी कड़वा है।

हदीस 619. हज़रत जुन्दुब बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ुरआन मजीद को उस वक़्त तक पढ़ो जब तक तुम्हारा दिल और ज़बान एक दूसरे के मुताबिक़ हों, और जब दिल और ज़बान में इख़्तिलाफ़ (एक दूसरे से भिन्न होना, जैसे नींद का ग़लबा होना) हो जाये (उस वक़्त) पढ़ना छोड़ दो।

वज़ाहतः- जब दिल में उकताहट पैदा हो जाये तो क़ुरआने करीम को नहीं पढ़ना चाहिये, बाद में आराम करके किसी दूसरे वक़्त में पढ़ लें।

निकाह का बयान

हदीस 620. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि तीन आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पाक बीवियों के घर

पर आये, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की इबादत के मुताल्लिक़ मालूम किया, जब उन्हें बताया गया तो उन्होंने आपकी इबादत को बहुत कम ख़्याल किया, फिर कहने लगे हम आपकी कब बराबरी कर सकते हैं क्योंकि आपके तो अगले-पिछले सब गुनाह माफ़ कर दिये गये हैं, चुनाँचे उनमें से एक कहने लगा मैं तो उम्र भर पूरी-पूरी रात नमाज़ पढ़ता रहूँगा, दूसरे ने कहा कि मैं हमेशा रोज़ेदार रहूँगा और कभी नाग़ा नहीं करूँगा, और तीसरे ने कहा मैं तमाम उम्र औ़रतों से अलग रहूँगा और कभी शादी नहीं करूँगा। इस गुफ़्तगू की इत्तिला जब आपको मिली तो आप उनके पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाया- तुम लोगों ने ऐसी-ऐसी बातें की हैं। अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हारे मुक़ाबले में अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला और तक़्वा इख़्तियार करने वाला हूँ लेकिन मैं रोज़े रखता भी हूँ और नहीं भी रखता। रात को नमाज़ भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ तथा औ़रतों से निकाह भी करता हूँ। आगाह रहो- जो शख़्स मेरे तरीक़े से मुँह मोड़ेगा वह मुझसे नहीं।

वज़ाहतः- इस हदीस में सुन्नत से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का तरीक़ा है जो उससे मुँह मोड़ता है वह इस्लाम के दायरे से ख़ारिज है। मतलब यह है कि जो इनसान निकाह के मुताल्लिक़ नबी पाक के तरीक़े को नज़र-अन्दाज़ करके बिना निकाह की ज़िन्दगी बसर करता है और संन्यास लेना चाहता है वह हम में से नहीं है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 621. हज़रत सअ़्द बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अ़न्हु को निकाह न करने (अकेले ज़िन्दगी गुज़ारने) से मना फ़रमाया था, अगर आप उसे निकाह के बग़ैर रहने की इजाज़त दे देते तो हम (शायद) ख़स्सी होना पसन्द करते।

वज़ाहतः- ख़स्सी होना इनसानों के लिये हराम है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 622. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि मैंने अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! अगर आप किसी जंगल में तशरीफ़ ले जायें और वहाँ एक दरख़्त ऐसा हो कि उससे किसी जानवर ने कुछ खा लिया हो और

एक ऐसा दरख़्त हो जिसको किसी ने छेड़ा तक न हो तो आप अपना ऊँट किस दरख़्त से चरायेंगे। आपने फ़रमाया उस दरख़्त से जिसमें से कुछ न खाया गया हो। हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा का मक़सद यह था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मेरे अ़लावा किसी कुंवारी औ़रत से निकाह नहीं किया।

हदीस 623. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं कि मैंने शादी की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझसे पूछा कि किससे शादी की है? मैंने अ़र्ज़ किया एक बेवा औ़रत से, तो आपने फ़रमाया- कुंवारी से शादी क्यों न की कि तुम उसके साथ खेलखूद करते और वह तुम्हारे साथ खेलती।

वज़ाहतः- एक दूसरी रिवायत में है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि ऐ अल्लाह के पैग़म्बर! मेरे वालिद उहुद की लड़ाई में शहीद हो गये थे और नौ बेटियाँ छोड़ीं पस मेरी नौ बहनें मौजूद हैं, इसी लिये मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उन्हीं जैसी नातजुर्बेकार लड़की उनके पास लाकर बैठा दूँ बल्कि एक ऐसी औ़रत लाऊँ जो उनकी देख-भाल कर सके और उनकी सफ़ाई-सुथराई का ख़्याल रखे। आपने फ़रमाया तुमने अच्छा किया है।

हदीस 624. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु को उनके बारे में निकाह का पैग़ाम दिया तो अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! मैं तो आपका भाई हूँ। आपने जवाब दिया कि आप तो मेरे भाई अल्लाह के दीन और उसकी किताब की रू से हैं, लिहाज़ा आ़यशा मेरे लिये हलाल है।

वज़ाहतः- हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु के ख़्याल के मुताबिक़ दीनी भाईचारा शायद निकाह के लिये रुकावट हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने वज़ाहत फ़रमाई कि ख़ूनी और नसबी भाई होना तो निकाह के लिये रुकावट बन सकता है लेकिन इस्लामी भाई होना रुकावट का सबब नहीं है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 625. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि हज़रत

हुज़ैफ़ा बिन उतबा बिन रबीआ बिन अ़ब्दुश्शम्स रज़ियल्लाहु अ़न्हु जो जंगे-बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ शरीक थे, उन्होंने हज़रत सालिम रज़ियल्लाहु अ़न्हु को अपना मुँह बोला बेटा बनाया था और उससे अपनी भतीजी हिन्दा दुख़्तर वलीद बिन उतबा बिन रबीआ का निकाह कर दिया था जबकि हज़रत सालिम रज़ियल्लाहु अ़न्हु एक अन्सारी औ़रत के ग़ुलाम थे जैसे हज़रत ज़ैद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपना मुँह बोला बेटा बना लिया था। जाहिलीयत (इस्लाम से पहले) के ज़माने का यह दस्तूर था कि अगर कोई किसी को अपना बेटा बनाता तो लोग उसकी तरफ़ मन्सूब करके पुकारते और उसके मरने के बाद वारिस भी वही होता था, यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला ने यह आयत उतारी-

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ .... وَمَوَالِيْكُمْ.

(यानी सूरः अहज़ाब 33, की आयत 5)

तर्जुमाः- हर शख़्स को उसके असल बाप के नाम से पुकारो और अल्लाह के नज़दीक यही बेहतर है अगर तुम्हें किसी की असली बाप का इल्म न हो तो वह तुम्हारे दीनी भाई और मौला (दोस्त) हैं।

उसके बाद तमाम लेपालक (मुँह बोले बेटे) अपने असली बापों के नाम से पुकारे जाने लगे, अगर किसी का बाप मालूम न होता तो उसे मौला और दीनी भाई कहा जाता था।

वज़ाहतः- हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु की बीवी हज़रत सहला रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सवाल किया कि क्या अब हम सालिम से पर्दा करें? आपने फ़रमाया- उसे पाँच मर्तबा दूध पिला दो फिर वह तुम्हारे बेटे की तरह होगा, जिससे पर्दा नहीं। यह हुक्म उन्हीं के साथ ख़ास था, अब दूध पिलाना वही मोतबर है जिसमें ग़िज़ा के तौर पर दूध पिया जाये (यानी दो साल की उम्र के दौरान)। (फ़त्हुल-बारी)

हदीस 626. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हज़रत ज़ुबाआ बिन्ते ज़ुबैर

रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गये और पूछा- तुम्हारा हज को जाने का इरादा है? उन्होंने कहा- जी हाँ लेकिन मैं अपने आपको बीमार महसूस करती हूँ। आपने फ़रमाया कि हज का एहराम बाँध लो और एहराम के वक़्त यह शर्त कर लो कि अल्लाह मुझे जहाँ रोक देंगे मैं वही एहराम खोल दूँगी। यह क़ुरैशी औरत हज़रत मिक़्दाद बिन अस्वद के निकाह में थीं।

हदीस 627. हज़रत सहल रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि एक मालदार शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास से गुज़रा तो आपने पूछा- तुम लोग उसे कैसा जानते हो? उन्होंने कहा अगर यह किसी से रिश्ता माँगे तो निकाह हो जाये, अगर किसी की सिफ़ारिश करे तो फ़ौरन मन्ज़ूर हो जाये, अगर बात करे तो ग़ौर से सुनी जाये। आप ख़ामोश हो गये। इतने में मुसलमानों में से एक फ़क़ीर और ग़रीब वहाँ से गुज़रा तो आपने पूछा कि इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा यह अगर रिश्ता माँगे तो इनकार हो, सिफ़ारिश करे तो मन्ज़ूर न हो और अगर बात कहे तो कोई कान न धरे। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तमाम रू-ए-ज़मीन के ऐसे अमीरों से यह फ़क़ीर बेहतर है।

वज़ाहतः- एक दूसरी हदीस में है कि मुसलमानों में ग़रीब लोग मालदारों से पाँच सौ बरस पहले जन्नत में जायेंगे।

हदीस 628. हज़रत सहल बिन सअ़द साअ़िदी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर (नहूसत) किसी चीज़ में होती तो घोड़े, औरत और घर में होती।

वज़ाहतः- यानी नहूसत न घोड़े में होती है न ही औरत में और न ही घर में होती है। सही हदीस में आ चुका है कि बुरा शगुन लेना शिर्क है। मसलन बाहर जाते वक़्त कोई काना आदमी सामने आ गया या औरत या बिल्ली गुज़र गई या छींक आ गई तो यह समझना कि अब काम न होगा, यह एक जाहिलाना ख़्याल है जिसकी दलील अ़क़्ल या शरीअ़त से बिल्कुल नहीं मिलती है।

हदीस 629. हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा गया- आप हज़रत

हमज़ा की बेटी से शादी क्यों नहीं कर लेते? आपने फ़रमाया- वह दूध के रिश्ते में मेरी भजीती है।

हदीस 630. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में नौजवान थे और हमें कोई चीज़ मयस्सर नहीं थी, आपने हमसे फ़रमाया- ऐ नौजवानों की जमाअ़त! तुम में से जिसे भी निकाह करने के लिये माली गुंजाईश हो उसे निकाह कर लेना चाहिये, क्योंकि यह नज़र को नीची रखने वाला और शर्मगाह की हिफ़ाज़त करने वाला अ़मल है, और जो कोई ग़रीब होने की वजह से निकाह की ताक़त न रखता हो उसे चाहिये कि रोज़ा रखे क्योंकि रोज़ा उसकी नफ़्सानी इच्छाओं को तोड़ देगा।

हदीस 631. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने एक शख़्स की आवाज़ सुनी जो हज़रत हफ़्सा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के घर में आने की इजाज़त माँग रहा था, हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा- या रसूलल्लाह! यह शख़्स आपके घर में आने की इजाज़त माँग रहा है। आपने कहा- मैं जानता हूँ कि यह फ़ुलाँ शख़्स है जो हफ़्सा का दूध के रिश्ते का चचा है। हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने पूछा कि फ़ुलाँ शख़्स ज़िन्दा होता जो दूध के रिश्ते में मेरा चचा है तो क्या वह मेरे पास यूँ आ सकता था? आपने फ़रमाया हाँ, जो रिश्ते नसब से हराम हैं वो दूध पीने से भी हराम हो जाते हैं।

वज़ाहतः- रज़ाअ़त (दूध पीने) के बारे में क़ायदा यह है कि दूध पिलाने वाली के तमाम रिश्तेदार दूध पीने वाले के भी मेहरम हो जाते हैं।

(फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 632. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस बात से मना फ़रमाया कि किसी औ़रत को उसकी फूफी या ख़ाला के साथ निकाह में जमा किया जाये।

वज़ाहतः- दो बहनों या फूफी-भतीजी और ख़ाला-भानजी का निकाह में जमा करना मना है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 633. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि आपने

फ़रमाया- औरत से मालदार, ख़ानदानी बड़ाई, हुस्न व ख़ूबसूरती और दीनदारी के सबब निकाह किया जाता है, तेरे दोनों हाथ मिट्टी से भर जायें तुझे कोई दीनदार औरत हासिल करनी चाहिये।

वज़ाहतः- औरत से सिर्फ़ हुस्न (सुन्दरता) की बिना पर निकाह नहीं करना चाहिये, मुम्किन है हुस्न उसके लिये तबाही का ज़रिया हो, और न ही सिर्फ़ मालदार देखकर किसी औरत से शादी की जाये क्योंकि माल व दौलत से दिमाग़ ख़राब भी हो जाता है, दीनदारी को बुनियाद बनाकर निकाह किया जाये। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 634. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने निकाहे शिग़ार (बट्टा-सट्टा) से मना फ़रमाया है। 'निकाहे शिग़ार' यह है कि एक शख़्स अपनी बेटी (या बहन) का निकाह इस शर्त पर दूसरे से करे कि वह भी अपनी बेटी (या बहन) का निकाह उससे कर दे, और दरमियान में कोई चीज़ मेहर के हक़ के तौर पर न हो।

हदीस 635. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने निकाहे मुता और पालतू गधे के गोश्त से जंगे ख़ैबर के ज़माने में मना फ़रमा दिया था।

हदीस 636. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बेवा का निकाह उसकी इजाज़त के बग़ैर न किया जाये, इसी तरह कुंवारी का निकाह भी उसकी इजाज़त के बग़ैर न किया जाये। सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! कुंवारी इजाज़त कैसे देगी? आपने फ़रमाया- उसकी इजाज़त बस यही है कि वह सुनकर ख़ामोश हो जाये।

वज़ाहतः- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बेवा या तलाक़ पाई हुई औरत के लिये 'अमूर' और कुंवारी के लिये 'इज़्न' का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है। 'अमूर' से मुराद यह है कि वह ज़बान से स्पष्ट तौर पर अपनी रज़ामन्दी का इज़हार करे, जबकि 'इज़्न' में ज़बान से कहना ज़रूरी

नहीं बल्कि उसकी ख़ामोशी को ही रज़ा के बराबर करार दिया गया है।
(फ़तुहुल्-बारी)

हदीस 637. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया- या रसूलल्लाह! कुंवारी लड़की तो शर्म करती है, आपने फ़रमाया उसका ख़ामोश हो जाना ही रज़ामन्दी है।

वज़ाहतः- कुंवारा अगर मालूम करने पर ख़ामोश न रहे बल्कि खुले तौर पर इनकार कर दे तो निकाह जायज़ न होगा। कुछ हज़रात ने यह भी कहा कि कुंवारी को इल्म होना चाहिये कि उसकी ख़ामोशी ही उसकी इजाज़त है। (फ़तुहुल्-बारी)

हदीस 638. हज़रत ख़नसा बिन्ते ख़िदाम रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि उनके बाप ने उनका निकाह कर दिया और वह बेवा थीं और यह दूसरा निकाह उसे नापसन्द था, आख़िरकार वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आयीं तो आपने उनके बाप का किया हुआ निकाह ख़त्म करने का उसे इख़्तियार दे दिया।

वज़ाहतः- अगरचे हदीस में बेवा औरत का ज़िक्र है फिर भी हुक्म आम है कि औरत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ निकाह जायज़ नहीं है।
(फ़तुहुल्-बारी)

हदीस 639. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस बात से मना फ़रमाया है कि कोई शख़्स किसी दूसरे शख़्स के सौदे पर सौदा करे, इसी तरह कोई शख़्स अपने मुसलमान भाई के निकाह के पैग़ाम पर अपने लिये निकाह का पैग़ाम दे, यहाँ तक कि पहला शख़्स निकाह का इरादा छोड़ दे या उसे पैग़ाम देने की इजाज़त दे।

हदीस 640. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बदगुमानी से बचते रहो क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है, और लोगों के राज़ों की कुरेद न किया करो और न लोगों की निजी गुफ़्तगू को कान लगाकर सुनो, आपस में दुश्मनी पैदा न करो बल्कि भाई-भाई बनकर रहो।

वज़ाहतः- सामाजिक सुधार और एक स्वस्थ समाज बनाने के लिये इन अच्छे गुणों और ख़ूबियों का होना ज़रूरी है। बदगुमानी, ऐब ढूँढना, चुग़ली न करना सब इसमें दाख़िल हैं। इस्लाम का मंशा सारे इनसानों को बहुत ही मुख़्लिस भाईयों की तरह ज़िन्दगी गुज़ारने का पैग़ाम देना है।

हदीस 641. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- किसी औ़रत के लिये जायज़ नहीं कि वह अपनी बहन के लिये तलाक़ का सवाल करे ताकि उसके हिस्से का प्याला भी ख़ुद उंडेल ले, क्योंकि उसकी तक़दीर में जो होगा वही मिलेगा।

वज़ाहतः- निकाह के वक़्त ग़ैर-शरई शर्तें (मसलन पहली बीवी को तलाक़ दो तब निकाह होगा वग़ैरह-वग़ैरह) लगाना दुरुस्त नहीं।

(फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 642. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपनी किसी बीवी का ऐसा वलीमा नहीं किया जैसा उम्मुल्-मोमिनीन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा का किया था, उनकी दावते वलीमा में एक बकरी ज़िबह की थी।

वज़ाहतः- यही सबसे उम्दा वलीमा था। इसके अ़लावा दूसरे वलीमे आपने बहुत ही सादगी और मामूली खाने पर किये। मालूम हुआ कि शादी पर कम से कम ख़र्च करना सुन्नत है।

हदीस 643. हज़रत सफ़िया बिन्ते शैबा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपनी कुछ बीवियों का वलीमा दो मुद जौ से किया था।

वज़ाहतः- हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने भी बड़ी सादगी से वलीमा किया था। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 644. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर किसी को वलीमे की दावत पर बुलाया जाये तो उसमें ज़रूर शरीक होना चाहिये।

वज़ाहतः- मुख़्तलिफ़ दोस्त व अहबाब को मुख़्तलिफ़ दिनों में वलीमे का खाना खिलाया जा सकता है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 645. हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कैदी को छुड़ाओ, दावत करने वाले की दावत क़ुबूल करो और बीमार की बीमारी का हाल पूछो।

वज़ाहतः- कोई मुसलमान नाहक़ क़ैद व बन्द में फंस जाये तो उसकी रिहाई के लिये ज़कात के माल से भी ख़र्च किया जा सकता है। आजकल ऐसे वाक़िआत बहुत ज़्यादा होते हैं मगर मुसलमानों की कोई तवज्जोह नहीं है "इल्ला मा शाअल्लाह"। दावत क़ुबूल करना, बीमार की इयादत करना ये भी मस्नून काम हैं।

हदीस 646. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि वलीमे का वह खाना बहुत बुरा है जिसमें सिर्फ मालदारों को दावत दी जाये और मोहताजों (ग़रीबों और ज़रूरत मन्दों) को न बुलाया जाये, और जिसने वलीमे की दावत क़ुबूल करने से इनकार किया उसने अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल की नाफ़रमानी की।

वज़ाहतः- हदिये और दावत से मेलजोल पैदा होता है और दीन व दुनिया की भलाईयाँ मेलजोल और इत्तिफ़ाक़ में निहित हैं। जिन लोगों ने तक़्वा इसे समझा कि लोगों से दूर रहा जाये और किसी की भी दावत क़ुबूल न की जाये यह तक़्वा नहीं है बल्कि ख़िलाफ़े सुन्नत है।

हदीस 647. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर मुझे बकरी के खुर (पाये) की दावत दी जाये तो मैं उसे भी क़ुबूल करूँगा, और अगर मुझे खुर (पाये) हदिये में दिये जायें तो मैं उसे भी क़ुबूल करूँगा।

वज़ाहतः- जितना भी मामूली तोहफ़ा हो मैं ले लूँगा, किसी मुसलमान का दिल न तोड़ूँगा। यही वो उम्दा और अच्छे अख़्लाक़ थे जिनकी बिना पर अल्लाह तआ़ला ने आपको "इन्न-क ल-अ़ला ख़ुलुक़िन् अ़ज़ीम" (सूरः क़लम 68, आयत 4) से नवाज़ा। ग़रीबों की दावत में न जाना, ग़रीबों से नफ़रत करना यह तकब्बुर है, घमण्डी लोग अल्लाह तआ़ला के नज़दीक मच्छर से भी ज़्यादा ज़लील हैं।

हदीस 648. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने औ़रतों और बच्चों को किसी शादी से आते हुए देखा तो आप ख़ुशी के मारे जल्दी से खड़े हो गये और फ़रमाया- या अल्लाह! (आप गवाह रहिये) तुम लोग सब लोगों से ज़्यादा मुझे महबूब हो।

वज़ाहतः- इस हदीस से मालूम हुआ कि औ़रतें और बच्चे भी अगर वलीमे की दावतों में बुलाये जायें तो उनको भी जाना चाहिये, शर्त यह है कि किसी फ़ितने का डर न हो, लेकिन औ़रतों का दावत में अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर जाना ठीक नहीं है।

हदीस 649. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स अल्लाह और क़ियामत पर ईमान रखता है उसे चाहिये कि अपने पड़ोसी को तकलीफ़ न दे, तथा औ़रतों से अच्छा सुलूक करते रहो क्योंकि औ़रतों की पैदाईश पस्ली से हुई है और पस्ली का सबसे टेढ़ा हिस्सा ऊपर होता है। अगर तुम उसे सीधा करना चाहोगे तो उसे तोड़ डालोगे, और अगर ऐसे ही रहने दोगे तो वैसी ही टेढ़ी रहेगी, इसलिये औ़रतों की हमदर्दी और भला चाहने के सिलसिले में (मेरी) वसीयत मानो।

वज़ाहतः- यहाँ टेढ़ी पस्ली को तोड़ने से मुराद उसे तलाक़ देना है।

हदीस 650. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के वक़्त में हम अपनी बीवियों के साथ गुफ़्तगू और बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी से इस डर की वजह से परहेज़ करते थे कि कहीं कोई बे-एतिदाली (बेउसूली) न हो जाये और हमारी बुराई में कोई हुक्म न नाज़िल हो जाये। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की वफ़ात हो गई तो हमने उनसे ख़ूब खुलकर गुफ़्तगू की और ख़ूब बेतकल्लुफ़ी करने लगे।

हदीस 651. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- औ़रतों के लिये जायज़ नहीं कि अपने शौहर की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बग़ैर (नफ़्ली) रोज़ा रखें और न ही उसकी मर्ज़ी के बग़ैर किसी (अजनबी) को घर में आने दें,

और जो औरत अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर शौहर के माल में से ख़र्च करती है तो उसका आधा सवाब शौहर को भी मिलता है।

वज़ाहतः- रमज़ान के रोज़ों के लिये शौहर की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 652. हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैंने (आसमानों की सैर के मौक़े पर) जन्नत के दरवाज़े पर खड़े होकर देखा कि उसमें ज़्यादातर मोहताज और ग़रीब लोग थे और मालदारों को दरवाज़े पर रोक दिया गया है, लेकिन दोज़ख़ी मालदारों को तो पहले ही जहन्नम में भेजने का हुक्म दे दिया गया था, फिर मैंने दोज़ख़ के दरवाज़े पर खड़े होकर देखा तो उसमें ज़्यादा औरतें थीं।

वज़ाहतः- अहकामात की ख़िलाफ़वर्ज़ी की वजह से क़ियामत के दिन यह सज़ा औरतों को दी जायेगी। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 653. हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़मआ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में कोई शख़्स अपनी बीवी को ग़ुलामों की तरह न मारे कि फिर दूसरे दिन उससे हमबिस्तर होगा।

हदीस 654. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि अन्सार की एक औरत ने अपनी बेटी की शादी की। उसके बाद लड़की के सर के बाल बीमारी की वजह से उड़ गये। वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुई और आप से इसका ज़िक्र किया और कहा कि उसके शौहर ने उससे कहा है कि अपने बालों के साथ (दूसरे नक़ली बाल) जोड़ ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐसा तू हरगिज़ न कर क्योंकि नक़ली बाल जोड़ने वालों पर लानत की गई है।

वज़ाहतः- मालूम हुआ कि अगर शौहर शरीअत के हुक्म के ख़िलाफ़ कोई बात कहे और बीवी उसका हुक्म न माने तो उस पर गुनाह न होगा। नक़ली बाल मर्दों को लगाना भी बड़ा गुनाह और लानत का सबब है।

हदीस 655. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि सुन्नत यह

है अगर कोई शख़्स पहली बीवी की मौजूदगी में कुंवारी से शादी करे तो उसके पास सात दिन लगातार ठहरे, और अगर कुंवारी की मौजूदगी में बेवा से शादी करे तो उसके पास तीन दिन लगातार ठहरे।

वज़ाहतः- बुख़ारी की एक दूसरी हदीस में है कि उसके बाद दिनों की बंटवारे की बराबर तौर पर शुरूआत करे।

हदीस 656. हज़रत असमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि एक औ़रत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! मेरी एक सौतन है, अगर मैं उसके सामने किसी चीज़ के मिलने का इज़हार करूँ जो मुझे मेरे शौहर ने न दी हो तो क्या मुझ पर गुनाह है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- न दी हुई चीज़ को ज़ाहिर करने वाला ऐसा ही है जैसे किसी ने धोखा देने का जोड़ा पहना हुआ हो।

वज़ाहतः- धोखा देने का जोड़ा पहनने का मतलब है कि झूठा और धोकेबाज़ है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 657. हज़रत उक़बा बिन आ़मिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- औ़रतों के पास तन्हाई में जाने से परहेज़ करो। एक अन्सारी मर्द ने कहा- देवर के मुताल्लिक़ बतलायें क्या हुक्म है? आपने फ़रमाया- देवर तो मौत है।

वज़ाहतः- देवर से मुराद शौहर के वे रिश्तेदार हैं जिनका उसकी औ़रत से निकाह हो सकता है, मसलन शौहर का भाई, भतीजा, चचा और मामूँ वग़ैरह से तन्हाई में न मिलना चाहिये, लेकिन वह रिश्तेदार जो मेहरम हैं जैसे शौहर का बाप और बेटा वग़ैरह उनसे मिलने में कोई हर्ज नहीं।

हदीस 658. हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कोई औ़रत दूसरी औ़रत से मिलने के बाद उसकी तारीफ़ अपने शौहर से इस तरह न करे गोया वह उस औ़रत को (उसकी ख़ूबसूरती वग़ैरह को) सामने देख रहा है।

वज़ाहतः- ऐसा करने से शौहर फ़ितने में पड़ सकता है, इसलिये मना फ़रमा दिया।

हदीस 659. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा

कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम्हें घर से ग़ायब रहते लम्बा समय गुज़र जाये तो रात को घर न आया करो।

वज़ाहत:- सफ़र के बाद अचानक घर आने से इसलिये मना फ़रमाया कि हो सकता है (अल्लाह न करे) घर वालों में कोई ऐब या कमी देखने का मौक़ा पैदा हो जाये, इसलिये बताकर या दिन में आना बेहतर है।

हदीस 660. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर तुम रात के वक़्त (सफ़र से) घर वापस आओ तो घर में उस वक़्त तक दाख़िल न हो जब तक कि वह औ़रत जिसका शौहर ग़ायब था नाफ़ के नीचे के बालों की सफ़ाई कर सके, और जिसके बाल बिखरे हुए हैं वह कंघी करके उन्हें संवार सके।

वज़ाहत:- बेहतर है कि आने से पहले आने का दिन और वक़्त बता दिया जाये।

तलाक़ का बयान

हदीस 661. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मुबारक दौर में अपनी बीवी को हैज़ (माहवारी) की हालत में तलाक़ दी तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से उसके बारे में हुक्म मालूम किया। आपने फ़रमाया- उसे हुक्म दो कि उससे रुजू करे, फिर पाक होने तक उसको रोके रखे, फिर जब हैज़ आये और पाक हो जाये तो उस वक़्त उसे इख़्तियार है चाहे तो उसे रोके रखे और चाहे तो मसास (यानी उससे मिलने) से पहले तलाक़ दे दे, यही तोहर (पाकी की हालत) की वह मुद्दत है जिसमें अल्लाह तआ़ला ने औ़रतों को तलाक़ देने के बारे में फ़रमाया है।

वज़ाहत:- माहवारी के दौरान दी हुई तलाक़ के बारे में इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है कि वह पड़ेगी या नहीं। चारों इमामों और अक्सर फ़ुक़हा के नज़दीक यह तलाक़ शुमार होगी। इमाम इब्ने तैमिया और इमाम इब्ने

क़यिम के नज़दीक शुमार न होगी। लेकिन हज़रत इब्ने उमर ने ख़ुद माना है कि माहवारी के दौरान दी हुई तलाक़ को शुमार किया गया। क़ुरआन की आयत "फ़-तल्लिक़ूहुन्-न लि-अिद्दतिहिन्-न......" की तफ़सीर यह है-

"तलाक़े सुन्नत ऐसे तोहर (औरत की पाकी की हालत) में दी जाये जिसमें शौहर ने बीवी से सोहबत न की हो, या औरत हामिला (गर्भवती) हो जिसका हमल ज़ाहिर हो चुका हो। माहवारी की हालत में और ऐसे तोहर (पाकी के ज़माने) में जिसमें शौहर ने बीवी के साथ सोहबत की हो तलाक़ देना जायज़ नहीं है, लेकिन यह तलाक़े बिद्अत (अगर दे दी तो) हो जायेगी। (फ़त्हुल्-बारी किताबुत्-तलाक़ हदीस नम्बर 51 और 52। अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर सूरः तलाक़ 65, आयत 1)

हदीस 662. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि जो तलाक़ मैंने माहवारी की हालत में दी वह शुमार की गई थी।

हदीस 663. हज़रत सहल बिन सअ्द रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने शहादत की उंगली और बीच की उंगली से इशारा करके फ़रमाया- मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह (क़रीब) होंगे। आपने दोनों उंगलियों के बीच थोड़ा-सा फ़ासला भी रखा था।

हदीस 664. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि एक शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया और कहने लगा- या रसूलल्लाह! मेरे यहाँ काले रंग का लड़का पैदा हुआ है। आपने फ़रमाया- तेरे पास ऊँट हैं? उसने कहा- हाँ। आपने फ़रमाया- उनका रंग कैसा है? उसने कहा- उनका रंग सुर्ख़ है। आपने फ़रमाया उनमें कोई मटियाले रंग का भी है? उसने कहा- हाँ। आपने फ़रमाया- यह कहाँ से आ गया? कहने लगा शायद किसी रग ने यह रंग खींच लिया हो। आपने फ़रमाया तेरे बेटे का रंग भी किसी रग ने खींच लिया होगा।

वज़ाहतः- महज़ शक व शुब्हे की वजह से बच्चे का इनकार करना अक़्लमन्दी नहीं है जब तक यह बात सुबूत के दर्जे तक न पहुँच जाये,

मसलन बीवी को ज़िना करते देखा हो या कोई और सुबूत मिला हो मसलन निकाह के बाद छह महीने से पहले बच्चा पैदा हो (छह महीने के बाद पैदा होने वाला बच्चा भी हलाल है), छह महीने बाद भी बच्चा पैदा हो सकता है और यह बच्चा हलाल होगा, यानी नाजायज़ नहीं होगा। अधिक मालूमात के लिये क़ुरआनी आयत की तफ़सीर पढ़िये (सूरः अहक़ाफ़ 46, आयत 15)।

हदीस 665. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने 'लिआ़न' करने वालों से फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला तुम दोनों से हिसाब लेने वाला है, तुम में से एक ज़रूर झूठा है। फिर मर्द से मुख़ातिब होकर आपने फ़रमाया- अब तेरा ताल्लुक़ औ़रत से नहीं रहा। उसने कहा मेरा माल मुझे वापस मिलना चाहिये, आपने फ़रमाया वह मेहर का हक़ था, अब तेरा माल नहीं रहा, क्योंकि अगर तू सच्चा है तब भी उससे फ़ायदा उठा चुका है और अगर तू झूठा है तब तो माल बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिये।

वज़ाहतः- एक रिवायत में है कि 'लिआ़न' करते वक़्त पाँचवीं क़सम के मौक़े पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक आदमी को हुक्म दिया कि वह उसके मुँह पर हाथ रखे, इसी तरह औ़रत के मुँह पर भी हाथ रखा गया लेकिन उसने आख़िरी क़सम भी खा डाली और कहा कि मैं अपनी बिरादरी को रुस्वा नहीं करना चाहती। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 666. हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि एक औ़रत का शौहर वफ़ात पा गया, उसकी आँखों के मुताल्लिक़ घर वालों ने (बीमारी की वजह से) ख़तरा महसूस किया, वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आये और आप से सुर्मा लगाने की इजाज़त तलब की। आपने फ़रमाया- वह सुर्मा नहीं लगा सकती। उससे पहले (अफ़सोस और सोग के तौर पर इद्दत के दौरान) औ़रत एक साल तक ख़राब से ख़राब कपड़े पहने हुए बुरे से बुरे झोंपड़े में पड़ी रहती थी, जब साल पूरा हो जाता तो भी कुत्ता गुज़रने पर उसे मैंगनी मारती (तब इद्दत से फ़ारिग़ होती), लिहाज़ा अब सुर्मा जायज़ नहीं जब तक कि चार महीने दस दिन न हो जायें।

वज़ाहतः- बहुत सख़्त ज़रूरत में रात को सुर्मा लगाया जाये और दिन में उसे साफ़ कर दिया जाये, बेहतर है कि दूसरी दवाईयों से इलाज किया जाये और सुर्मे से परहेज़ किया जाये। (फ़त्हुल्-बारी)

नोटः- सुर्मा लगाने की इजाज़त इसलिये नहीं दी गई कि सुर्मे से औ़रत की ख़ूबसूरती में इज़ाफ़ा होता है जो मर्दों के लिये कशिश और उसकी तरफ़ आकर्षण का सबब बन सकता है।

हदीस 667. हज़रत अबू मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कुत्ते की क़ीमत, काहिन (नजूमी) की कमाई और बदकार औ़रत के ज़िना की कमाई खाने से मना फ़रमाया है।

हदीस 668. हज़रत अबू जुहैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने गूदने वाली और गुदवाने वाली, सूद खाने वाले और खिलाने वाले पर लानत भेजी, और आपने कुत्ते की क़ीमत और ज़िनाकार औ़रत की कमाई खाने से मना फ़रमाया, और तस्वीर बनाने वालों पर लानत की।

वज़ाहतः- गूदने वाली यानी खाल में सूई चुभूकर ख़ून निकालकर उस जगह सुर्मा या नील वग़ैरह भर देना ताकि वह जगह सियाह या नीली हो जाये, को गूदना कहते हैं। यह अल्लाह तआ़ला की तख़्लीक़ (बनाई हुई हालत) में तब्दीली करना है इसलिये गूदने वाले और गुदवाने वाले सब मलऊन (लानत वाले) हैं।

ख़र्चों का बयान

हदीस 669. हज़रत अबू मसऊद अन्सारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब मुसलमान आदमी अपने अहल व अ़याल (बाल-बच्चों और घर वालों) पर अल्लाह तआ़ला का हुक्म पूरा करने की नीयत से ख़र्च करे तो उसे सदक़े का सवाब मिलता है।

वज़ाहतः- सवाब की नीयत से अगर कोई अपनी बीवी के मुँह में लुक़मा डाले तो भी सवाब है।

हदीस 670. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि ऐ आदम के बेटे! तू ख़र्च करता जा मैं तुझको दिये जाऊँगा।

वज़ाहतः- पहले घर वालों पर ख़र्च करना फिर ग़रीब रिश्तेदारों पर फिर दूसरे ग़रीबों को तरतीबवार देना बेहतर है।

हदीस 671. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स बेवाओं और मोहताजों के लिये कोशिश (उनकी मदद) करता हो उसका सवाब इतना है जैसे कोई अल्लाह की राह में जिहाद कर रहा हो, या जैसे कोई रात को तहज्जुद-गुज़ार और दिन के वक़्त रोज़ेदार हो।

हदीस 672. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बेहतरीन ख़ैरात वह है जिसे देने पर आदमी मालदार ही रहे और शुरूआ़त उनसे करो जो तुम्हारी निगरानी में हैं।

वज़ाहतः- यानी अपने घर वालों और अपने दूसरे रिश्तेदारों या नौकरों पर ख़र्च करना अफ़ज़ल है।

हदीस 673. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर औ़रत अपने शौहर की कमाई में से उसके हुक्म के बग़ैर (मामूली रक़म या माल) अल्लाह तआ़ला के रास्ते में ख़र्च कर दे तो उसे भी आधा सवाब मिलता है।

वज़ाहतः- यह उस वक़्त है जब औ़रत को मर्द की रज़ामन्दी मालूम हो।

हदीस 674. हज़रत अस्वद बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम क्या किया करते थे? उन्होंने कहा कि आप घर के काम किया करते थे, फिर आप जब अज़ान की आवाज़ सुनते तो बाहर चले जाते थे।

वज़ाहतः- घर के काम-काज और अपने घर वालों की मदद करना हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सुन्नत है।

हदीस 675. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि हिन्दा बिन्ते उतबा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! अबू सुफ़ियान (मेरा शौहर) बख़ील है और मुझे इतना नहीं देता जो मेरे और मेरे बच्चों के लिये काफ़ी हो। क्या मैं उसकी जानकारी के बग़ैर उसके माल में से ले लूँ? आपने फ़रमाया- तुम दस्तूर के मुताबिक़ इतना ले सकती हो जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिये काफ़ी हो।

वज़ाहतः- बख़ील (कन्जूस) मर्द की बीवी को जायज़ ज़रूरत के मुताबिक़ उसकी इजाज़त के बग़ैर उसके माल में से ले लेना जायज़ है।

हदीस 676. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में एक साहिब आये और कहा कि मैं तो हलाक हो गया। आपने फ़रमाया- आख़िर क्या हुआ? उसने कहा- मैंने अपनी बीवी से रमज़ान में हमबिस्तरी कर ली। आपने फ़रमाया- फिर एक ग़ुलाम आज़ाद कर दो (यह कफ़्फ़ारा हो जायेगा)। उसने कहा- मेरे पास कुछ नहीं है। आपने फ़रमाया- फिर दो महीने लगातार रोज़े रख लो, उसने कहा- मुझमें इसकी भी ताक़त नहीं है। आपने फ़रमाया- फिर साठ मिस्कीनों को खाना खिलाओ। उसने कहा- इतना भी मेरे पास नहीं है। उसके बाद एक टोकरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास लाया गया जिसमें खजूरें थीं। आपने मालूम किया कि मसला पूछने वाला कहाँ है? उसने अ़र्ज़ किया- मैं यहाँ हाज़िर हूँ। आपने फ़रमाया- इसे (अपनी तरफ़ से) सदक़ा कर देना। उसने कहा- (क्या) मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरत मन्द पर? या रसूलल्लाह! उस ज़ात की क़सम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है इन दोनों पथरीले मैदानों के दरमियान कोई घराना हमसे ज़्यादा मोहताज नहीं है। इस पर आप हंसे, आपके मुबारक दाँत नज़र आये और फ़रमाया- फिर तुम ही इसके ज़्यादा हक़दार (पात्र) हो।

हदीस 677. हज़रत ज़ैनब बिन्ते अबू सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि उम्मे सलमा ने अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! क्या मुझे अबू सलमा (उनके पहले शौहर) के लड़कों के बारे में सवाब मिलेगा अगर मैं उन पर ख़र्च करूँ? मैं उन्हें इस ग़ुर्बत व तंगदस्ती में नहीं देख सकती, वे मेरे बेटे ही तो

हैं। आपने फ़रमाया- हाँ, तुम्हें हर उस चीज़ का सवाब मिलेगा जो तुम उन पर ख़र्च करोगी।

खाने के अहकाम

हदीस 678. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि एक मर्तबा मुझे सख़्त भूख लगी हुई थी, उस हालत में हज़रत उमर से मेरी मुलाक़ात हुई तो मैंने उनसे क़ुरआन पाक की एक आयत पढ़ने की फ़रमाईश की, उन्होंने मुझे वह आयत पढ़कर सुनाई (और उस आयत का मतलब भी समझाया), फिर वह अपने घर में दाख़िल हो गये। मैं वहाँ से थोड़ी दूर चला तो मारे मशक़्क़त और भूख के मुँह के बल गिर पड़ा, इतने में क्या देखता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मेरे सिरहाने तशरीफ़ फ़रमा हैं। आपने फ़रमाया- ऐ अबू हुरैरह! मैंने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं हाज़िर हूँ। फिर आपने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया, आप पहचान गये कि भूख के मारे मेरी यह हालत हो रही है, लिहाज़ा मुझे आप अपने घर ले गये, फिर दूध का प्याला पीने के लिये इनायत फ़रमाया। मैंने उसमें से कुछ पिया, आपने फ़रमाया और पियो, मैंने और पिया यहाँ तक कि मेरा पेट फूलकर प्याले जैसा हो गया। हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं कि उसके बाद मैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मिला और उनसे अपना सारा मामला बयान किया और उनसे यह भी कहा कि अल्लाह तआ़ला ने मेरी भूख दूर करने के लिये ऐसे शख़्स को भेज दिया जो आप से ज़्यादा इस बात के लायक़ थे। अल्लाह तआ़ला की क़सम! मैंने जो आयत आप से पढ़ने की फ़रमाईश की थी वह मुझे आप से बेहतर आती थी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहने लगे- अल्लाह तआ़ला की क़सम! अगर मैं समझ लेता तो इतनी ख़ुशी मुझे सुर्ख़ ऊँटों के मिलने से न होती जितनी तुम्हें खाना खिलाने से होती।

हदीस 679. हज़रत उमर बिन अबू सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैं अभी नाबालिग़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की परवरिश में था। खाना खाते वक़्त मेरा हाथ प्लेट के चारों तरफ़ घूमता, मुझे

इस तरह देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बरख़ूर्दार 'बिस्मिल्लाह' पढ़कर दायें हाथ से खाओ और अपने आगे से खाओ, फिर उसके बाद मेरे खाने का यही तरीक़ा रहा।

वज़ाहतः- अगर शुरू में 'बिस्मिल्लाह' पढ़ना भूल जाये तो दरमियान में 'बिस्मिल्लाहि अव्व-लहू व आख़ि-रहू' पढ़ ले, और बायें हाथ से शैतान खाता है इसलिये हमें दायें हाथ से खाने का हुक्म है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 680. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने बयान किया कि एक दर्ज़ी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को खाने की दावत दी। आपके साथ मैं भी गया, मैंने देखा कि आप प्याले में चारों तरफ़ कद्दू के क़त्ले तलाश करते थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु बयान करते हैं कि उसी दिन से कद्दू मुझे भी अच्छा लगने लगा।

वज़ाहतः- ईमान की यही निशानी है कि जो चीज़ भी आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पसन्द फ़रमायें उसे मुसलमान भी पसन्द करें।

हदीस 681. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जहाँ तक मुम्किन होता पाकी हासिल करने में जूता पहनने और कंघी करने में दाहिनी तरफ़ से शुरू करते थे।

हदीस 682. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया- जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की वफ़ात हुई तो उस वक़्त हमें खजूर और पानी काफ़ी (ज़्यादा) मात्रा में मिलने लगा था।

नोटः- हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा का मतलब यह था कि पहले तो खाना कई-कई दिन तक नहीं मिलता था, आपकी वफ़ात के बाद ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मुसलमानों को बड़ी मात्रा में खाना मौजूद होने के बावजूद भी कम से कम सिर्फ़ ज़िन्दा रहने के लिये खाना खाना चाहिये, न कि खाने के लिये ज़िन्दा रहा जाये।

हदीस 683. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपनी वफ़ात तक कभी चपाती और भुनी हुई बकरी का गोश्त नहीं खाया।

वज़ाहतः- हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु के सामने एक दफ़ा

चपाती रखी गई तो उसे देखकर रोने लगे और फ़रमाया– रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस क़िस्म की चपाती ज़िन्दगी भर कभी न (देखी) थी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ग़ुर्बत का खाना खाया करते रहे। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 684. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मुझे मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कहीं प्लेट में खाना खाया हो या आपके लिये चपाती का एहतिमाम किया गया हो या ऊँचे दस्तरख़्वान (मेज़) पर बैठकर कभी खाना खाया हो।

वज़ाहतः- आप ज़मीन पर बैठकर दस्तरख़्वान पर खाना रखकर खाते थे।

हदीस 685. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- दो आदमियों का खाना तीन के लिये और तीन का चार के लिये काफ़ी हो जाता है।

वज़ाहतः- इकट्ठे खाने में बरकत होती है।

हदीस 686. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि उनकी आ़दत थी जब तक वह किसी मिस्कीन को बुलाकर साथ न खिलाते ख़ुद भी न खाते थे, एक दिन एक शख़्स लाया गया ताकि वह आपके साथ खाना खाये तो उसने बहुत खाया, तब उन्होंने अपने ख़ादिम से कहा कि आईन्दा इसे मेरे पास न लाना क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है कि मोमिन तो एक आँत में खाता है जबकि काफ़िर सात आँतों में खाता है।

वज़ाहतः- इसका मतलब यह है कि मोमिन को दुनिया की इस क़द्र हिर्स नहीं होती इसलिये उसे थोड़ा-सा खाना ही काफ़ी हो जाता है, जबकि इसके उलट काफ़िर दुनिया का बड़ा हरीस और लालची होता है, लिहाज़ा दुनिया जमा करना ही उसकी ज़िन्दगी का मक़सद होता है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 687. हज़रत अबू जुहैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर था, आपने अपने पास मौजूद एक शख़्स से फ़रमाया- मैं तकिया लगाकर नहीं खाता।

वज़ाहत:- बेहतर है कि घुटनों के बल बैठकर खाना खाया जाये या उकड़ूँ बैठकर या दायाँ पाँव खड़ा करके और बायें पाँव पर बैठकर। टेक लगाकर खाने से पेट बढ़ जाता है इसलिये मना है (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 688. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कभी किसी खाने को बुरा नहीं कहा, अगर दिल चाहता तो खा लेते वरना छोड़ देते।

वज़ाहत:- खाने के आदाब में है कि उसमें ऐब न निकाला जाये, यानी यह न कहना चाहिये कि इसमें नमक थोड़ा या ज़्यादा है या इसका शोरबा बहुत पतला या गाढ़ा है, या अच्छी तरह पका हुआ नहीं है, क्योंकि इससे पकाने वाले का हौसला टूटता है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 689. हज़रत सहल रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मालूम किया गया कि तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में मेदा देखा था? उन्होंने कहा नहीं, उनसे फिर पूछा गया- क्या तुम जौ के आटे को छानते थे? उन्होंने कहा नहीं, बल्कि फूँक मारकर भूसा उड़ा देते थे।

वज़ाहत:- एक रिवायत में है कि किसी ने हज़रत सहल बिन सअ़द से पूछा- क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मुबारक ज़माने में छलनियाँ होती थीं? उन्होंने जवाब दिया कि पैदाईश से वफ़ात तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने छलनी को देखा तक नहीं।

हदीस 690. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम में खजूरें तक़सीम कीं तो हर एक को सात-सात खजूरें दीं, चुनाँचे मुझे भी सात खजूरें इनायत फ़रमायीं, उनमें एक सख़्त भी थी, उनमें कोई खजूर मुझे उससे ज़्यादा पसन्द न थी क्योंकि मैं उसे देर तक चबाता रहा।

वज़ाहत:- उस वक़्त मुसलमानों पर ऐसी तंगी थी कि एक आदमी को खाने के लिये सिर्फ़ सात खजूरें मिलीं जिनमें सख़्त खजूरें भी थीं।

हदीस 691. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मेरा एक ऐसी जमाअ़त के पास से गुज़र हुआ जिसके पास भुनी हुई बकरी थी। उन्होंने मुझे भी खाने की दावत दी मगर मैंने इनकार कर दिया और कहा

कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गये लेकिन कभी जौ की भी रोटी पेट भरकर न खाई।

वज़ाहतः- आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़िन्दगी गुज़ारने को याद करके यह खाना गवारा न किया। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 692. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मदीना तशरीफ़ लाये आपके घर वालों ने तीन दिन तक लगातार कभी गेहूँ की रोटी पेट भरकर नहीं खाई, यहाँ तक कि आप दुनिया से तशरीफ़ ले गये।

वज़ाहतः- आपकी आर्थिक और माली हालत यह थी कि कभी गेहूँ की रोटी मिलती तो अगले दिन जौ की रोटी खाने को मिलती, और कभी जौ की रोटी भी न मिलती तो पानी और खजूरों पर ही गुज़ारा करते।

हदीस 693. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि जब किसी के घर में किसी की वफ़ात हो जाती और उसकी वजह से औ़रतें जमा होतीं, और फिर वे चली जातीं सिर्फ़ घर वाले और ख़ास-ख़ास औ़रतें रह जातीं तो आप तलबीना पकाने का हुक्म देतीं। वह पकाया जाता और फिर सरीद बनाया जाता और तलबीना उस पर डाला जाता। फिर हज़रत आ़यशा फ़रमातीं- इसे खाओ क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते थे कि तलबीना मरीज़ के दिल को सुकून देता है और उसके ग़म को दूर करता है।

वज़ाहतः- 'तलबीना' जौ के दलिये और दूध से बनाया जाता है, उसमें शहद भी डालते हैं। गोश्त के शोरबे में रोटी के टुकड़े डालें तो उसे 'सरीद' कहते हैं।

हदीस 694. हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मर्दों में तो बहुत से कामिल (फ़ज़ीलत वाले) हुए लेकिन औ़रतों में हज़रत मरियम बिन्ते इमरान अ़लैहस्सलाम और फ़िरऔ़न की बीवी आसिया अ़लैहस्सलाम के सिवा और कोई कामिल नहीं हुई, और हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की फ़ज़ीलत तमाम औ़रतों में ऐसी है जैसे तमाम खानों पर सरीद को फ़ज़ीलत

हासिल है।

हदीस 695. हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना कि लोगो! रेशम और दीबाज न पहनो, सोने चाँदी के बर्तन में न पियो और न ही उनसे बनी हुई प्लेटों में खाना खाओ, क्योंकि ये सामान काफ़िरों के लिये दुनिया में हैं और हमारे लिये आख़िरत में होंगे।

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि जो सोने, चाँदी या उनसे बने हुए बर्तनों में खाता पीता है यह गोया अपने पेट में आग उंडेल रहा है।

(फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 696. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मीठी चीज़ और शहद पसन्द फ़रमाया करते थे।

वज़ाहतः- सुन्नत समझकर मीठी चीज़ और शहद खाना भी ऐन सवाब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मुहब्बत का तक़ाज़ा भी यही है कि जो चीज़ आपने पसन्द फ़रमाई हम भी उसे पसन्द करें।

हदीस 697. हज़रत अबू मसऊद अन्सारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि अन्सार में एक शख़्स अबू शुऐब थे, उनका एक ग़ुलाम क़स्साब था। उन्होंने उससे कहा कि मेरे लिये खाना तैयार करो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की चार आदमियों के साथ दावत करना चाहता हूँ। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम समेत पाँच आदमियों को दावत दी लेकिन एक और शख़्स भी उनके पीछे चला आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अबू शुऐब! तुमने पाँच आदमियों को दावत दी थी लेकिन यह (छठा) शख़्स भी चला आया है, लिहाज़ा तुम्हें इख़्तियार है कि इसे इजाज़त दो या वापस कर दो। हज़रत अबू शुऐब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैं इसे भी इजाज़त देता हूँ।

वज़ाहतः- मालूम हुआ कि मेज़बान को इख़्तियार है कि जो बिन बुलाये चला आये उसे इजाज़त दे या न दे। बिन बुलाये दावत में जाना नाजायज़ है, लेकिन अगर यह यक़ीन हो कि मेज़बान उसके जाने से ख़ुश होगा और

दोनों में बेतकल्लुफ़ी हो तो दुरुस्त है। इसी तरह अगर आ़म दावत है तो उसमें भी जाना जायज़ है।

हदीस 698. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जाफ़र बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को देखा कि आप खजूरें ककड़ी के साथ खा रहे थे।

वज़ाहतः- खजूर गरम और ककड़ी ठंडी है, ये दोनों एक दूसरे का तोड़ हैं और मिलाने की सूरत में मोतदिल (दरमियानी दर्जे की) हो जाती हैं।

(फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 699. हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कोई सुबह के वक़्त सात अ़जवा खजूरें खा ले तो उस दिन कोई ज़हर या जादू उस पर असर नहीं करेगा।

वज़ाहतः- "अ़जवा" एक खजूर है जो मदीना में पाई जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उसे जन्नत का फल क़रार दिया है, और निहार-मुँह खाने से ज़हर, जादू तथा दूसरी बीमारियों (ख़ास तौर पर दिल की बीमारी) से हिफ़ाज़त हो जाती है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 700. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ मर्रुज़्ज़हरान (के स्थान) में थे, हम पीलू तोड़ रहे थे, आपने फ़रमाया- जो ख़ूब काला हो वह तोड़ो क्योंकि वह ज़्यादा मज़ेदार होता है। हज़रत जाबिर ने अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! आपने बकरियाँ चराई हैं? आपने फ़रमाया- हाँ, और कोई नबी ऐसा नहीं जिसने बकरियाँ न चराई हों।

वज़ाहतः- इसमें बड़ी-बड़ी हिक्मतें थीं मसलन ग़ुरूर का न आना, दिल में शफ़्क़त का पैदा होना, आदमियों का नेतृत्व करने की क़ाबलियत पैदा करना वग़ैरह। दर असल हर नबी और रसूल अपनी उम्मत का राओ़ी (चरवाहा, निगराँ) होता है।

हदीस 701. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से कोई

खाना खाये तो उस वक़्त तक हाथों को साफ़ न करे जब तक उंगलियों को चाट न ले या किसी दूसरे को चटा न दे।

वज़ाहतः- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तीन उंगलियों से खाना खाते और फ़रागत के बाद उन्हें चाटते। इसकी वजह भी बयान की गई है कि खाने वाले को क्या मालूम कि बरकत (खाने के) किस हिस्से में है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 702. हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का जब दस्तरख़्वान उठाया जाता तो आप यह दुआ पढ़ते-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَّلَا مُوَدَّعٍ وَّلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا.

अल्हम्दु लिल्लाहि कसीरन् तय्यिबन् मुबारकन् फीहि ग़ै-र मक्फिय्यिंव्-व ला मुवद्दअिंव्-व ला मुस्तग़्नन् अन्हु रब्बना।

तर्जुमाः- सारी की सारी तारीफ़ें, बहुत ज़्यादा, उम्दा और बरकत से भरपूर सिर्फ़ अल्लाह तआला के लिये हैं जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं हैं, और न ही उनको छोड़ा जा सकता है और न ही उसे बेनियाज़ी दिखाई जा सकती है। ऐ हमारे परवर्दिगार।

वज़ाहतः- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से खाने के बाद कई और दुआएँ पढ़ना भी साबित है, अगर वो भी याद हों तो वो भी पढ़ लेनी चाहियें। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 703. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में किसी शख़्स का ख़ादिम उसका खाना लाये तो अगर वह उसे अपने साथ नहीं बैठा सकता तो कम से कम एक या दो लुक़्मे उसे खिला दे (क्योंकि) उसने (पकाते वक़्त) उसकी गर्मी और पकाने की मशक़्क़त बरदाश्त की है।

वज़ाहतः- कुछ न कुछ ख़ादिम को दे देना चाहिये।

हदीस 704. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि नबी करीम

सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब नमाज़ खड़ी हो जाये और रात (या दिन) का खाना सामने रखा हो तो पहले खाना खा लो।

वज़ाहत:- खाना सामने हो और भूख भी लगी हो तो पहले खाना खा लेना चाहिये ताकि बाद में नमाज़ सुकून से अदा की जा सके।

अ़क़ीक़े का बयान

'अ़क़ीक़ा' वह क़ुरबानी है जो सातवें दिन बच्चे का सर मुंडाने के वक़्त की जाती है। सातवें दिन अ़क़ीक़े के साथ बच्चे का नाम रखना, सर मुंडाना और उसके बालों के वज़न के बराबर चाँदी ख़ैरात करना सुन्नत है।

हदीस 705. हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मेरे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ तो मैं उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में ले आया। आपने उसका नाम इब्राहीम रखा और खजूर चबाकर उसके तालू (मुँह) में लगाई और उसके लिये बरकत की दुआ़ फ़रमाई, फिर वह बच्चा मुझे दे दिया।

हदीस 706. हज़रत सलमान आ़मिर ज़ब्बी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना- लड़के के साथ उसका अ़क़ीक़ा लगा हुआ है (यानी अ़क़ीक़ा ज़रूरी है) लिहाज़ा उसकी तरफ़ से अ़क़ीक़ा करो और ख़ून बहाओ, तथा उसकी तकलीफ़ (बीमारी, हादसा वग़ैरह) दूर करो।

वज़ाहत:- एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम लड़के की तरफ़ से दो और लड़की की तरफ़ से एक जानवर (बकरी या बकरा वग़ैरह) ज़िबह करो। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 707. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- 'फ़रअ़' और 'अ़तीरह' कोई चीज़ नहीं है। फ़रअ़ ऊँट के पहले बच्चे को कहते हैं जिसे मुश्रिक लोग अपने बुतों के नाम पर ज़िबह करते थे। अ़तीरह उस बकरी को कहते हैं जिसकी रजब के महीने में क़ुरबानी की जाती थी।

वज़ाहत:- अल्लाह तआ़ला के लिये ज़िबह करने पर कोई पाबन्दी नहीं,

हाँ पहले बच्चे या रजब महीने को ख़ास करना दुरुस्त नहीं।

ज़बीहे और शिकार का बयान

हदीस 708. हज़रत अ़दी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से उस शिकार के बारे में दरियाफ़्त किया जो तीर से किया जाये? आपने फ़रमाया- अगर तीर नुकीली तरफ़ से लगे तो उस शिकार को खाओ और अगर तिरछा लगे (और शिकार मर जाये) तो उसे मत खाओ, क्योंकि वह मौक़ूज़ा (चोट से मरा हुआ) है (जिसे क़ुरआन ने हराम कहा है)। फिर मैंने कुत्ते के मारे हुए शिकार के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया- जिस शिकार को कुत्ता तुम्हारे लिये रोके रखे उसे तो खाओ, क्योंकि कुत्ते का शिकार को पकड़ना ज़िबह के बराबर है, और अगर अपने कुत्ते या कुत्तों के साथ और कुत्ता भी मौजूद हो और तुम्हें अन्देशा हो कि दूसरे कुत्ते ने भी उसके साथ शिकार को पकड़कर मारा होगा तो उसे न खाओ, क्योंकि तुमने अपना कुत्ता छोड़ते वक़्त 'बिस्मिल्लाह' पढ़ी थी दूसरे कुत्ते पर नहीं पढ़ी थी।

वज़ाहतः- 'बाज़' वग़ैरह के शिकार के लिये भी यही हुक्म है कि वह सधाया हुआ (प्रशिक्षित) हो और बिस्मिल्लाह पढ़कर छोड़ा जाये और वह उस शिकार से खुद न खाये। इसके अ़लावा कारतूस और छर्रे वाली बन्दूक़ से शिकार करना भी दुरुस्त है बशर्ते कि बिस्मिल्लाह पढ़कर चलाई जाये। अधिक जानकारी के लिये पढ़िये तफ़सीर (सूरः मायदा 5, आयत 3-4)।

हदीस 709. हज़रत अबू सालबा ख़ुशनी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह! हम अहले किताब के इलाक़े में रहते हैं तो क्या उनके बर्तनों में खा-पी लें? हम उस सरज़मीन में रहते हैं जहाँ शिकार बहुत होता है, मैं वहाँ तीर-कमान से और सधाये और बग़ैर सधाये कुत्ते से शिकार करता हूँ तो उनमें से कौनसा तरीक़ा मेरे लिये जायज़ है? आपने फ़रमाया- अगर अहले किताब के अ़लावा दूसरे बर्तन मिल सकें तो उन अहले किताब के बर्तनों में न खाओ, अगर बर्तन न मिलें तो फिर उन्हें धोने के बाद उनमें खा सकते हो, और जो शिकार अपने तीर-कमान से बिस्मिल्लाह पढ़कर करो

तो उसे खाओ और जो सधाये हुए कुत्ते से बिस्मिल्लाह पढ़कर शिकार करो उसे भी खाओ, और अगर बग़ैर सधाये कुत्ते से शिकार करो और उसे ज़िबह कर सको तो उसे भी खाओ।

हदीस 710. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने एक शख़्स को देखा कि उंगली से छोटे-छोटे संगरेज़े (कंकरियाँ) फेंक रहा है तो उसे कहा- ऐसा मत करो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इससे मना फ़रमाया है। और फ़रमाया- न तो इस संगरेज़ी (कंकरी मारने) से शिकार होता है और न ही दुश्मन ज़ख़्मी होता है, अलबत्ता कभी दाँत टूट जाता है या आँख फूट जाती है। उसके बाद हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने उस शख़्स को फिर कंकर मारते देखा तो उसे फ़रमाया- मैंने तुमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की हदीस बयान की थी कि आपने इस तरह कंकर फेंकने से मना फ़रमाया है लेकिन तुम बाज़ आने के बजाय वही काम किये जा रहे हो, मैं तुमसे इतने समय तक किसी क़िस्म की गुफ़्तगू नहीं करूँगा।

वज़ाहतः- गुलेल से भी शिकार करना दुरुस्त है बशर्ते कि जानवर को ज़िबह कर लिया जाये, अगर गुलेल (पत्थर) लगने से परिन्दा मर जाये तो उसका खाना जायज़ नहीं क्योंकि वह चोट लगने से मरा है जिसे मौक़ूज़ा कहते हैं। और बग़ैर किसी शरई उज़्र के तीन दिन से ज़्यादा तक गुफ़्तगू की मनाही है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 711. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नें फ़रमाया- जो शख़्स ऐसा कुत्ता रखे जो न मवेशियों की हिफ़ाज़त के लिये हो और न ही शिकारी हो तो उसके सवाब से दो क़ीरात रोज़ाना कमी होती रहती है।

वज़ाहतः- बाग़ और खेत की हिफ़ाज़त के लिये रखा हुआ कुत्ता इस हुक्म से बाहर है।

हदीस 712. हज़रत इब्ने अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ छह या सात ग़ज़वात (इस्लामी जंगों) में शिर्कत की और आपके साथ रहते हुए जराद (टिड्डी)

खाते रहे।

वज़ाहतः- टिड्डी को ज़िबह करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हमारे लिये दो मुर्दार यानी टिड्डी और मछली और दो ख़ून यानी हलाल जानवर की कलेजी (जिगर) और तिल्ली हलाल कर दिये गये हैं। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 713. हज़रत असमा बिन्ते अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मुबारक ज़माने में एक घोड़ा ज़िबह किया और उसका गोश्त खाया, और हम उस वक़्त मदीना मुनव्वरा में थे।

वज़ाहतः- इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि घोड़ा हलाल है।

हदीस 714. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु चन्द लोगों के पास से गुज़रे जो एक मुर्ग़ी को बाँधकर उस पर तीर चला रहे थे। जब उन्होंने इन्हें देखा तो इधर-उधर चले गये। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने पूछा- यह किसने किया है? ऐसा करने वाले पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने लानत फ़रमाई है।

वज़ाहतः- यही हुक्म हर जानदार के लिये है ताकि जानवरों को तकलीफ़ न दी जाये।

हदीस 715. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हैवान का मुसला करने (ज़िन्दा जानवर के बदनी अंग काटने) यानी शक्ल बिगाड़ने वाले पर लानत फ़रमाई है।

वज़ाहतः- एक रिवायत में है कि जिसने किसी जानदार का मुसला बनाया (यानी ज़िन्दा जानवर के अंग वग़ैरह काटे) फिर तौबा किये बग़ैर मर गया तो क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला उसका मुसला करेंगे।

(फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 716. हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को मुर्ग़ी का गोश्त खाते देखा है।

हदीस 717. हज़रत अबू सालबा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हर कुचली वाले दरिन्दे (जिसके दाँत हों और वह गोश्त खाता हो, मसलन शेर चीता वग़ैरह) को खाने से मना फ़रमाया है।

वज़ाहत:- एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हर नेशदार (लम्बे और नुकीले नाखुनों वाले) दरिन्दे और हर चुंगल वाले परिन्दे (जैसे बाज़) को खाने से मना फ़रमाया है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 718. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अच्छे और बुरे हमनशीन (दोस्त और साथी) की मिसाल मुश्क (ख़ुशबू) वाले और भट्टी धोंकने वाले लुहार के जैसी है क्योंकि मुश्क वाला (इत्र बेचने वाला) तोहफ़े के तौर पर कुछ ख़ुशबू दे देगा या तुम उससे ख़ुशबू ख़रीद लोगे, अगर ये दोनों काम न भी हुए तो उम्दा ख़ुशबू तो सूँघ ही लोगे, और भट्टी धोंकने वाला लुहार या तो आग उठाकर तुम्हारे कपड़े जला देगा या उससे सख़्त बदबू ज़रूर सूँघोगे।

वज़ाहत:- इस हदीस की ज़बीहे और शिकार के बयान से यह मुनासबत (जोड़) है कि इसमें मुश्क का तज़किरा है जो हिरन का शिकार करके उसके नाफ़े से हासिल की जाती है, यानी हलाल जानवरों की हर चीज़ से फ़ायदा हासिल करना जायज़ है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 719. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने चहरे पर मारने से मना फ़रमाया है।

वज़ाहत:- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जानवर के चेहरे को दाग़ने और उसको मारने से मना फ़रमाया है, इसे लानत का सबब क़रार दिया है, इनसान के चेहरे पर मारने पर भी वईद (डाँट और सज़ा की धमकी) आई है। बच्चों को तालीम देने वालों को भी चेहरे पर नहीं मारना चाहिये।

क़ुरबानी का बयान

हदीस 720. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम (क़ुरबानी) ज़िबह और नहर ईदगाह में किया करते थे।

वज़ाहतः- नहर के मायने ऊँट को ज़िबह करने के हैं।

हदीस 721. हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से जो क़ुरबानी करे उसे चाहिये कि तीन दिन के बाद तक उसका गोश्त न रखे, फिर दूसरा साल आया तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया- या रसूलल्लाह! क्या पिछले साल ही की तरह सब गोश्त तक़सीम कर दें? आपने फ़रमाया- खाओ, खिलाओ और जमा करो। उस साल चूँकि लोगों पर तंगी थी इसलिये मैंने चाहा कि तुम इस तरह से ग़रीबों की मदद करो।

वज़ाहतः- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ुरबानी का गोश्त खुद खाओ, खिलाओ और सदक़ा करो। इससे मालूम हुआ कि क़ुरबानी के तीन हिस्से कर लिये जायें- अपने लिये, दोस्त व अहबाब के लिये और ग़रीबों व मिस्कीनों के लिये। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 722. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने पहले ईद की नमाज़ पढ़ाई, फिर ख़ुतबा इरशाद फ़रमाया- ऐ लोगो! रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इन दोनों ईदों (ईदुल्-फ़ित्र और ईदुल्-अज़्हा) में रोज़ा रखने से मना फ़रमाया है, क्योंकि ईदुल्-फ़ित्र तो तुम्हारे रोज़ों के इफ़्तार का दिन है और ईदुल्-अज़्हा तुम्हारे लिये क़ुरबानी का गोश्त खाने का दिन है।

पीने की चीज़ों का बयान

हदीस 723. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसने दुनिया में शराब पी और तौबा न की तो उसे आख़िरत की शराब से मेहरूम रखा

जायेगा।

हदीस 724. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जिस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मेराज कराई गई तो आपको ईलिया (बैतुल्-मुक़द्दस के मौजूदा शहर येरोशलम) में शराब और दूध के दो प्याले पेश किये गये, आपने देखा फिर दूध का प्याला ले लिया। इस पर हज़रत जिब्राईल ने कहा- अल्लाह तआला के लिये तमाम तारीफ़ें हैं जिसने आपको दीने फ़ितरत की तरफ़ चलने की हिदायत फ़रमाई। अगर आपने शराब का प्याला ले लिया होता तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती।

वज़ाहतः- दूध इनसान की फ़ितरी ग़िज़ा है और शराब तमाम बुराईयों की जड़ है।

हदीस 725. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब कोई ज़िना करता है तो ऐन ज़िना के वक़्त वह मोमिन नहीं होता, इसी तरह जब कोई शराब पीता है तो ऐन शराब पीते वक़्त वह मोमिन नहीं रहता, इसी तरह जब कोई चोरी करता है तो उस वक़्त वह मोमिन नहीं रहता।

वज़ाहतः- शराब पीने वग़ैरह के वक़्त इनसान ईमान से मेहरूम हो जाता है। एक हदीस में है कि शराब और ईमान मोमिन के दिल में जमा नहीं हो सकते। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 726. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब कोई डाका डाले और लोग उसकी तरफ़ नज़रें उठा-उठाकर देखते हों तो वह लूट-मार के वक़्त मोमिन नहीं रहता।

हदीस 727. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 'बित्अ' जो शहद का नबीज़ (निचोड़ा हुआ रस) होता है (और यमन वाले इसे पीते थे) के मुताल्लिक़ पूछा गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शराब नशा लाये वह हराम है।

वज़ाहतः- एक दूसरी हदीस में है कि जिस चीज़ का ज़्यादा पीना नशा लाये उसका थोड़ा पीना भी हराम है। (फ़त्हुल्-बारी)

नोटः- जिस चीज़ के पहली बार इस्तेमाल से इनसान को नशा आ जाये (सर चकरा जाये) वह हराम है, इसी लिये कुछ उलेमा-ए-किराम ने तम्बाकू, सिग्रेट, गुटखा और हीरोईन वग़ैरह को भी हराम कहा है। पढ़िये हमारा इश्तिहार "तम्बाकू और नसवार का इस्तेमाल हराम है"।

हदीस 728. हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने गदरी (कच्ची) खजूर और पक्की खजूर तथा खजूर और अंगूर को नबीज़ बनाने के लिये मिलाकर भिगोने से मना किया है। नबीज़ बनाने के लिये इनमें से हर एक को अलग-अलग भिगोया जाये।

वज़ाहतः- कच्ची और पक्की खजूर या खजूर और अंगूर को मिलाकर नबीज़ बनाने की मनाही इसलिये है कि ऐसा करने से उसमें नशा पैदा हो जाता है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 729. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत अबू हुमैद साअ़िदी रज़ियल्लाहु अ़न्हु "नक़ीअ़" के मक़ाम से एक बर्तन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये दूध लाये तो आपने फ़रमाया- तुम इसे ढाँक कर क्यों न लाये चाहे इस पर लकड़ी का टुकड़ा ही रख देते।

वज़ाहतः- दूध या पानी वग़ैरह के बर्तन को ढाँक कर रखना चाहिये क्योंकि खुला रखने से मिट्टी या कीड़े-मकोड़े के गिरने की संभावना होती है।

हदीस 730. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बेहतरीन सदक़ा यह है कि दूध देने वाली ऊँटनी या उम्दा बकरी दी जाये जो सुबह व शाम दूध का एक बर्तन भर दे।

हदीस 731. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ज़मज़म का पानी खड़े होकर पिया था।

वज़ाहतः- वुज़ू से बचा हुआ पानी और ज़मज़म का पानी खड़े होकर पीने से मुताल्लिक़ अनेक रिवायतें हैं, और आबे ज़मज़म पीने से पहले यह

दुआ पढ़नी चाहिये-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अस्अलु-क इल्मन् नाफिअंव्-व रिज़्कंव्-वासिअंव्-व-शिफ़ाअम् मिन् कुल्लि दाइन्।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह मैं आप से फ़ायदेमन्द इल्म, फैली हुई रोज़ी और हर बीमारी से शिफ़ा का सवाल करता हूँ।

हदीस 732. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मश्कीज़े को उल्टा करके उसके मुँह से मुँह लगाकर पानी पीने से मना फ़रमाया है।

वज़ाहतः- एक आदमी मश्कीज़े के मुँह से पानी पीने लगा तो अन्दर से साँप निकला, इसी तरह का एक और वाक़िआ मनाही के बाद पेश आया। (फ़त्हुल्-बारी)

नोटः- खाने और पीने की हर चीज़ को पहले ध्यान से देखें और फिर इस्तेमाल करें।

हदीस 733. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मश्कीज़े और मुश्क के मुँह से पानी पीने की मनाही फ़रमाई है और इससे भी मना फ़रमाया कि कोई अपने पड़ोसी को अपनी दीवार में खूँटी न गाड़ने दे।

हदीस 734. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पीनी पीते वक़्त तीन बार साँस लिया करते थे।

वज़ाहतः- बर्तन के अन्दर साँस न लिया जाये और न ही उसमें फूँक मारी जाये, बल्कि मुँह को बर्तन से अलग करके साँस लेना चाहिये। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब बर्तन को मुँह से क़रीब करते तो "बिस्मिल्लाह" कहते और बर्तन को मुँह से हटाते वक़्त "अल्हम्दु लिल्लाह" कहते थे। (फ़त्हुल्-बारी)

मरीज़ों का बयान

हदीस 735. हज़रत अबू सईद और हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुसलमान को जो परेशानी, ग़म, रंज, तकलीफ़ और दुख पहुँचता है यहाँ तक कि उसको कोई काँटा भी चुभता है तो अल्लाह तआला उस तकलीफ़ को उसके गुनाहों का कफ़्फ़ारा बना देते हैं।

हदीस 736. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मोमिन की मिसाल खेत के पौधे की तरह है, हवा आई तो झुक गया जो हवा रुक गई तो सीधा हो गया। इस तरह मुसलमान मुसीबत में आने से झुक जाता है। और गुनाहगार व बदकार की मिसाल सनोबर के दरख़्त की तरह है जो सख़्त और सीधा रहता है, लेकिन जब अल्लाह तआला चाहता है उसे जड़ से उखाड़ फेंकता है।

वज़ाहतः- मोमिन को दुनिया में तरह-तरह की मुसीबतों से वास्ता पड़ता है, वह ऐसे हालात में सब्र और मज़बूती का मुज़ाहरा (प्रदर्शन) करता है, उनके ख़त्म होने पर अल्लाह तआला का शुक्र अदा करता है, जबकि मुनाफ़िक़ या काफ़िर ख़ूब आराम में रहता है यहाँ तक कि मौत से उसे ख़त्म कर दिया जाता है। (फ़त्हुल-बारी)

हदीस 737. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे मुसीबत में मुब्तला कर देता है।

वज़ाहतः- एक और हदीस में है कि जिस मोमिन को अल्लाह तआला एक बुलन्द मक़ाम देना चाहता है लेकिन वह उसे नेक आमाल के ज़रिये हासिल नहीं कर पाता है तो अल्लाह तआला उसे किसी बीमारी में मुब्तला करके वह मक़ाम दे देते हैं। इसलिये बीमारी में सब्र करना चाहिये। अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर सूरः ब-क़रह 2, आयत 155।

हदीस 738. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि मैंने बीमारी की सख़्ती इस क़द्र किसी पर नहीं देखी जितनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि

व सल्लम पर वाके (ज़ाहिर) हुई थी।

हदीस 739. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास गया, आप सख़्त बुख़ार में मुब्तला थे, मैंने अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! आपको तो सख़्त बुख़ार है इसलिये आपको अज्र भी दोहरा मिलेगा? आपने फ़रमाया- हाँ बेशक, मुसलमान को कोई भी तकलीफ़ नहीं पहुँचती मगर उसकी वजह से अल्लाह तआ़ला उसके गुनाह इस तरह झाड़ देता है जैसे पेड़ से ख़ुश्क पत्ते झड़ जाते हैं।

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि मोमिन पर तकलीफ़ आने की वजह से उसकी नेकियों में इज़ाफ़ा और दर्जों में बुलन्दी होती है, और उसकी बुराईयों को भी दूर कर दिया जाता है। (फ़त्हुल्-बारी)

नोटः- सब्र शर्त है, हर हालत में बार-बार "अल्हम्दु लिल्लाह" कहते रहना चाहिये।

हदीस 740. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है उन्होंने आपने कुछ साथियों से फ़रमाया- क्या मैं तुम्हें एक जन्नती औ़रत न दिखाऊँ? उन्होंने कहा ज़रूर। फ़रमाया- एक काली औ़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुई और अ़र्ज़ किया कि मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है और उस हालत में मेरा सतर (छुपाने की जगह) भी खुल जाता है, इसलिये आप अल्लाह तआ़ला से मेरे लिये दुआ़ कीजिये। आपने फ़रमाया तुम चाहो तो सब्र करो और उसके बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी, और अगर चाहो तो तुम्हारे लिये दुआ़ करूँ कि अल्लाह तआ़ला तुम्हें इस तकलीफ़ से निजात दे। वह कहने लगी मैं सब्र करूँगी, फिर कहने लगी मेरा सतर खुल जाता है इसलिये अल्लाह तआ़ला से दुआ़ कीजिये कि मेरा सतर न खुला करे, तो आपने उसके लिये दुआ़ फ़रमाई।

वज़ाहतः- हकीमों ने मिर्गी के दो सबब बयान किये हैं- एक ख़ून गाढ़ा होने की वजह से दिमाग़ी सन्तुलन बरक़रार नहीं रहता, इसकी निशानी यह है कि मरीज़ के मुँह से झाग निकलते हैं। दूसरी यह कि ख़बीस जिन्नों की ख़बीस हरकतें मिर्गी का सबब होती हैं जिनका असर इनसान पर पड़ सकता

है।

हदीस 741. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना कि अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है- मैं जिस बन्दे की दो प्यारी चीज़ें यानी दो आँखें ले लेता हूँ और वह सब्र करता है तो मैं उसके बदले में उसे जन्नत अ़ता करूँगा।

नोटः- यह हदीसे क़ुदसी है।

वज़ाहतः- शर्त यह है कि सदमा पहुँचते ही सब्र करे और अल्लाह तआ़ला से अच्छे बदले की उम्मीद रखे, शिकवा शिकायत न करे।

हदीस 742. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि एक यहूदी लड़का नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत किया करता था, वह बीमार हुआ तो आप उसका मिज़ाज पूछने के लिये उसके घर तशरीफ़ ले गये। आपने फ़रमाया कि इस्लाम क़ुबूल कर ले, चुनाँचे उसने इस्लाम क़ुबूल कर लिया।

वज़ाहतः- नौकरों और ग़ुलामों की इयादत करना और आख़िरी वक़्त तक इस्लाम की दावत देना भी सुन्नत है।

हदीस 743. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मेरी तीमारदारी के लिये तशरीफ़ लाये, न ख़च्चर पर सवार थे न घोड़े पर (बल्कि पैदल तशरीफ़ लाये)।

वज़ाहतः- मरीज़ को तीमारदारी के वक़्त तसल्ली देना चाहिये और उसके लिये दुआ भी करनी चाहिये, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब किसी बीमार की तीमारदारी करते तो फ़रमाते-

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

ला बाअ्-स तुहूरुन् इन्शा-अल्लाहु।

तर्जुमाः- कोई ख़तरा नहीं, अगर अल्लाह तआ़ला ने चाहा तो यह बीमारी गुनाहों का कफ़्फ़ारा होगी। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 744. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से किसी को रंज व मुसीबत की वजह से मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिये, अगर कोई

ऐसी ही मजबूरी हो तो यूँ कहे-

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّىْ وَ تَوَفَّنِىْ مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ.

अल्लाहुम्-म अह्यिनी मा कानतिल्-हयातु ख़ैरल्-ली व तवफ़्फ़नी मा कानतिल्-वफ़ातु ख़ैरल्-ली।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! जब तक मेरे लिये ज़िन्दगी बेहतर है मुझे ज़िन्दा रख, अगर मेरे लिये मरना बेहतर है तो मुझे उठा ले।

वज़ाहतः- अगर मौत की निशानियाँ व आसार ज़ाहिर न हों तो मौत की तमन्ना दुरुस्त नहीं, हाँ अगर मौत सामने नज़र आ जाये तो अच्छी मौत (ईमान पर मौत) की तमन्ना जायज़ है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 745. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना कि किसी शख़्स को उसका अमल जन्नत में नहीं लेजा सकेगा (बल्कि अल्लाह की रहमत दरकार है)। लोगों ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! आपको भी नहीं? आपने फ़रमाया- मुझे भी नहीं, मगर यह कि अल्लाह तआ़ला मुझे अपनी रहमत के दामन में छुपा ले। लिहाज़ा इख़्लास से अमल करो, दरमियानी राह इख़्तियार करो और (दीन के) क़रीब-क़रीब होकर चलो, लेकिन किसी सूरत में मौत की तमन्ना न करो, क्योंकि अगर नेक आदमी है तो और नेकियाँ करेगा और अगर गुनाहगार है तो शायद तौबा की तौफ़ीक़ नसीब हो जाये।

वज़ाहतः- जन्नत में दाख़िला सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला की रहमत ही से होगा जबकि क़ुरआनी आयत (सूरः नहल 16, आयत 32) से मालूम होता है कि नेक आमाल जन्नत में दाख़िल होने का सबब होंगे, इनमें जोड़ और मुवाफ़क़त इस तरह है कि बेशक जन्नत का हासिल होना अल्लाह की रहमत की बिना पर ही होगा, अलबत्ता जन्नत में दरजात का हासिल होना नेक आमाल के सबब से होगा, तथा नेक आमाल भी तो अल्लाह तआ़ला की रहमत और उसकी तौफ़ीक़ से ही होते हैं। दूसरे अलफ़ाज़ में यह कि अल्लाह की रहमत को जोश दिलाने के लिये नेक आमाल ज़रूरी हैं।

(फ़त्हुल्-बारी किताबुर्रिक़ाक़, मफ़्हूम हदीस नम्बर- 6423)

हदीस 746. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब किसी मरीज़ के पास तशरीफ़ ले जाते या कोई मरीज़ आपके पास लाया जाता तो आप यह दुआ़ पढ़ते-

اَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَاشِفَآءَ اِلَّا شِفَآءُكَ شِفَآءً لَّايُغَادِرُ سَقَمًا.

अज़्हबिल्-बअ्-स रब्बन्नासि वश्फ़ि अन्तश्शाफ़ी ला शिफ़ा-अ इल्ला शिफ़ाउ-क शिफ़ाअल्-ला युग़ादिरु स-क-मन्।

तर्जुमाः- ऐ लोगों के रब! इस बीमारी को दूर फ़रमा, तू ही शिफ़ा देने वाला है लिहाज़ा शिफ़ा अ़ता फ़रमा, शिफ़ा सिर्फ़ तेरी ही तरफ़ से है, ऐसी शिफ़ा अ़ता फ़रमा जो किसी क़िस्म की बीमारी न छोड़े।

वज़ाहतः- ऊपर गुज़री हदीसों से मालूम हुआ कि बीमारी गुनाहों का कफ़्फ़ारा और सवाब का ज़रिया है। दुआ़ एक इबादत है इस पर भी हमें सवाब मिलता है और बीमारी गुनाहों का कफ़्फ़ारा है बशर्ते कि उस पर सब्र का मामला किया जाये, शिकायत का कोई हर्फ़ ज़बान पर न लाया जाये।

(फ़त्हुल्-बारी)

इलाज का बयान

हदीस 747. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसकी शिफ़ा पैदा न की हो।

वज़ाहतः- मौत और बुढ़ापे का कोई इलाज मौजूद नहीं है, और हराम चीज़ों में शिफ़ा नहीं इसलिये हराम चीज़ बतौर दवा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिये। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 748. हज़रत रबीअ़ बिन्ते मुअ़व्वज़ बिन अ़फ़रा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ ग़ज़वात (इस्लामी जंगों) में शरीक होती थीं और मुसलमान मुजाहिदों को पानी पिलातीं उनकी ख़िदमत करतीं और क़त्ल होने वाले व ज़ख़्मियों को

मदीना मुनव्वरा लाया करती थीं।

वज़ाहतः- औरतें जिहाद में शरीक होकर ज़ख़्मी लोगों की तीमारदारी और मरहम-पट्टी वग़ैरह की ख़िदमत अन्जाम देती थीं, मगर उस हालत में भी पर्दे के बदनी हिस्सों का पर्दा ज़रूरी है। मुजाहिदीन के काम-काज ख़िदमत वग़ैरह इलाज व मुआलजे में नर्स का काम किया करती थीं। ज़रूरत होती तो हथियार लेकर काफ़िरों से मुक़ाबला भी करती थीं। हज़रत ख़ौला बिन्त अज़ूर रज़ियल्लाहु अन्हा की बहादुरी मशहूर है कि किस क़द्र ईसाईयों को उन्होंने तीर और तलवार से मारा, हज़रत सफ़िया बिन्ते अब्दुल्-मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हा गुरुज़ लेकर बनू क़ुरैज़ा के यहूदियों को मारने के लिये मुस्तैद हो गयीं। शरई पर्दा सिर्फ़ इस क़द्र है कि औरत अपने बदनी अंग जिनका छुपाना नामेहरम से फ़र्ज़ है उनको छुपाये रखे, यह नहीं कि घर से बाहर ही न निकले। मशहूर इमाम क़ुस्तुलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा कि औरत जब मर्द का इलाज करेगी तो अगर मेहरम है तो कोई इश्काल ही नहीं है अगर नामेहरम है तो उसे ज़रूरत के वक़्त छूना या देखना दुरुस्त है।

हदीस 749. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि एक शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया- मेरे भाई को पेट की तकलीफ़ है (दस्त आ रहे हैं), आपने फ़रमाया- उसे शहद पिलाओ, वह फिर आया तो आपने फ़रमाया और शहद पिलाओ, वह फिर लौटकर आया और अर्ज़ किया मैं शहद पिला चुका हूँ लेकिन आराम नहीं हुआ। आपने फ़रमाया अल्लाह तआला ने सच फ़रमाया है शहद में शिफ़ा है लेकिन तुम्हारे भाई का पेट झूठा है, उसे शहद ही पिलाओ, चुनाँचे उसने फिर शहद पिलाया तो वह तन्दुरुस्त हो गया।

वज़ाहतः- इलाज की दो क़िस्में हैं- एक मुवाफ़िक़ चीज़ से इलाज और दूसरी मुख़ालिफ़ और विपरीत चीज़ से इलाज। हदीस में मुवाफ़िक़ चीज़ से इलाज है, इसमें अगरचे शुरू में रोग बढ़ता नज़र आता है लेकिन फ़ासिद माद्दे के निकल जाने के बाद मरीज़ तन्दुरुस्त हो जाता है।

हदीस 750. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि कुछ लोगों को बीमारी थी, उन्होंने कहा- या रसूलल्लाह! हमें यहाँ ठहरने की जगह इनायत

फ़रमा दें और हमारे खाने का इन्तिज़ाम कर दें। फिर जब वे लोग कुछ तन्दुरुस्त हो गये तो उन्होंने कहा कि मदीना की हवा पानी ख़राब है, चुनाँचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हर्रा के स्थान के ऊँटों के पास उनके ठहरने का इन्तिज़ाम कर दिया और फ़रमाया कि उनका दूध और पेशाब मिलाकर पियो। जब वे बिल्कुल तन्दुरुस्त हो गये तो उन्होंने आपके चरवाहे को क़त्ल कर दिया और ऊँटों को हाँक कर ले गये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनके पीछे आदमी दौड़ाये और वे पकड़े गये (जैसा कि उन्होंने चरवाहे के साथ किया था) आपने भी वैसा ही किया। उनके हाथ-पाँव कटवा दिये और उनकी आँखों में सिलाई फिरवा दी। मैंने उनमें से एक शख़्स को देखा कि ज़बान से ज़मीन चाटता था और उसी हालत में वह मर गया।

वज़ाहतः- उन डाकुओं ने मुसलमान चरवाहे के साथ यही ज़ुल्म किया था, लिहाज़ा क़ुरआनी आयतों (सूरः मायदा 5, आयत 33) और (सूरः मायदा 5, आयत 45) के तहत उनके साथ यही सुलूक किया गया। यह बहुत सख़्त सज़ा उनको क़िसास (क़त्ल के बदले) में दी गई थी।

हदीस 751. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना- कलौंजी हर रोग का इलाज है मगर साम का नहीं, मैंने अ़र्ज़ किया कि साम क्या चीज़ है? आपने फ़रमाया- मौत।

वज़ाहतः- हज़रत ग़ालिब बिन अबहर रज़ियल्लाहु अ़न्हु सफ़र के दौरान (सख़्त ज़ुकाम की वजह से) बीमार हो गये, उनके लिये यह इलाज तजवीज़ हुआ कि कलौंजी को ज़ैतून के तेल में पीसकर नाक में टपकाया जाये, बिला शुब्हा कलौंजी में बहुत से फ़ायदे हैं। (फ़त्हुल्-बारी)

नोटः- सुबह व शाम तक़रीबन सात दाने पानी के साथ निगल लें इन्शा-अल्लाह सेहत और हाफ़िज़ा (याददाश्त) बेहतरीन रहेगा।

हदीस 752. हज़रत उम्मे कैस बिन मोहसिन रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना- तुम ऊदे हिन्दी (एक क़ुदरती बूटी) का इस्तेमाल ज़रूर किया करो, यह सात बीमारियों में

मुफ़ीद है (जिनमें से दो ये हैं) हलक़ के वरम के लिये इसे नाक में डाला जाये और पस्ली के दर्द के लिये इसे हलक़ में डाला जाये।

वज़ाहत:- ऊदे हिन्दी सीने से ग़लीज़ और फ़ासिद रियाह के निकालने के लिये मुफ़ीद है।

हदीस 753. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- छूत लगना, अपशगुन लेना, उल्लू का मन्हूस होना और सफ़र के (इस्लामी वर्ष के दूसरे) महीने को बेबरकत ख़्याल करना सब फ़ुज़ूल ख़्यालात हैं। अलबत्ता कोढ़ वाले शख़्स से इस तरह भागो जैसे शेर से भागते हो।

वज़ाहत:- एक दूसरी हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक कोढ़ी के साथ खाना खाया। कमज़ोर अ़क़ीदे वाले लोगों को कोढ़ी से दूर रहना चाहिये ताकि किसी ग़लत अ़क़ीदे का शिकार न हो जायें, अलबत्ता पुख़्ता ईमान वाले को उनसे क़रीब रहने में कोई हर्ज नहीं।

(फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 754. हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- खुमबी मन्न में से है और उसका पानी आँख के लिये शिफ़ा है।

वज़ाहत:- 'मन्न' वह तुरन्जबीन या मीठा पानी है जो बग़ैर मेहनत के बनी इस्राईल को मिलता था। ऐसे ही खुमबी भी ख़ुद-ब-ख़ुद उगती है जो एक बूटी है। आँख में उसका अ़र्क़ टपकाना मुफ़ीद है, उसको साँप की छतरी भी कहते हैं। यह आ़म तौर पर खेतों में और बारिश के इलाक़ों में पैदा होती है।

हदीस 755. हज़रत असमा बिन्ते अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि जब उनके पास कोई बुख़ार वाली औ़रत लाई जाती तो वह पानी मंगवाकर उसके गिरेबान में डाल देतीं और फ़रमाया करतीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमें इसी तरह बताया है कि बुख़ार की हरारत (गर्मी) को पानी से ठंडा करो।

वज़ाहत:- हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु को जब बुख़ार

होता तो फ़रमाते- ऐ अल्लाह! हमसे इस अज़ाब को दूर कर दे। मालूम हुआ कि बीमारी या हादसा गुनाहों की सज़ा है या फिर नेक लोगों के लिये आज़माईश। नेक लोग सब्र करते हैं जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल्- इज़्ज़त उनके दर्जे और ज़्यादा बुलन्द फ़रमा देते हैं, और अगर यह सज़ा है तो गुनाहगारों को तौबा करनी चाहिये। दुनिया की सज़ा आख़िरत के अज़ाब से बेहतर है।

हदीस 756. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ताऊन (से मौत) हर मुसलमान के लिये शहादत का सबब है।

वज़ाहतः- हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस में इसके बारे में तीन शर्तें बयान हुई हैं- एक यह कि जहाँ ताऊन फैला हो वहाँ से किसी दूसरी जगह मुन्तक़िल न हों, दूसरी यह कि सब्र व हिम्मत का मुज़ाहरा करें, तीसरी यह कि तक़दीर पर ईमान और यक़ीन रखें।

हदीस 757. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब बुरी नज़र लग जाये तो दम कर लेना जायज़ है।

वज़ाहतः- बुरी नज़र का लग जाना हक़ है। बुरी नज़र के लिये (सूरः क़लम 68, आयत 51-52 पढ़कर) दम किया जाये।

हदीस 758. हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनके घर एक बच्ची देखी जिसके चेहरे पर काला निशान था, आपने फ़रमाया- इस पर किसी से दम कराओ क्योंकि इसे नज़र हो गई है।

वज़ाहतः- इस हदीस से उन लोगों की तरदीद होती है जो बुरी नज़र के असरात का इनकार करते हैं। अल्लाह तआला ने बुरी नज़र में बहुत (बुरी) तासीर रखी है, देखने वाले की आँखों से ज़हर निकलकर नज़र लगने वाले के जिस्म में फैल जाता है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 759. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बुरी नज़र लगना हक़ है

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जिस्म पर गूदने से मना फ़रमाया है।

वज़ाहतः- गूदने के मायने हैं जिस्म में ज़ख़्म करके उसमें सुर्मा भर देना।

हदीस 760. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हर ज़हरीले जानवर के काटने पर दम करने की इजाज़त दी है।

वज़ाहतः- तमाम मख़्लूक़ और बिच्छू वग़ैरह से बचाव के लिये एक मस्नून दुआ़-

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

अऊज़ु बि-कलिमातिल्लाहित्-ताम्माति मिन् शर्रि मा ख़-ल-क़।

तर्जुमाः- मैं अल्लाह तआ़ला के मुकम्मल कलिमात से अल्लाह तआ़ला की मख़्लूक़ के शर से पनाह चाहता हूँ। सुबह व शाम पढ़ लिया जाये तो इनसान अल्लाह तआ़ला के फ़ज़्ल से तकलीफ़ से महफ़ूज़ रहता है।

हदीस 761. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मरीज़ के लिये यूँ दम किया करते थे-

بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا.

बिस्मिल्लाहि तुर्बतु अर्ज़िना बिरीक़ति बअ़्ज़िना यश्फ़ी सक़ीमना बि-इज़्नि रब्बिना।

तर्जुमाः- अल्लाह के नाम की बरकत से हमारी ज़मीन की मिट्टी बाज़ों के थूक के साथ अल्लाह ही के हुक्म से बीमार को शिफ़ा देती है।

वज़ाहतः- आप अपना थूक मुबारक (शहादत की) उंगली पर लगाकर उसको ज़मीन पर रखते फिर ऊपर दर्ज हुई दुआ़ पढ़कर वह मिट्टी ज़ख़्म या दर्द के स्थान पर लगाते। अल्लाह तआ़ला के हुक्म से शिफ़ा हो जाती थी। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 762. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना कि

बदशगूनी (बुरा शगुन लेना) कोई चीज़ नहीं है, बेहतरीन तरीक़ा उम्दा फ़ाल है, लोगों ने अ़र्ज़ किया फ़ाल क्या चीज़ है? आपने फ़रमाया- फ़ाल वह अच्छा कलिमा है जो तुम किसी शख़्स से सुनो।

वज़ाहतः- अगर कोई नापसन्दीदा बात सुने या देखे तो यह दुआ़ पढ़े-

اَللّٰهُمَّ لَا يَاْتِىْ بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّاٰتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

अल्लाहुम्-म ला यअ्ती बिल्-ह-सनाति इल्ला अन्-त व ला यद्फ़अुस्सय्यिआति इल्ला अन्-त व ला हौ-ल व ला क़ुव्व-त इल्ला बिल्लाहि।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह करीम! आपके सिवा कोई भी भलाईयाँ नहीं ला सकता और आपके सिवा कोई भी बुराईयाँ दूर नहीं कर सकता, और नेकी करने और गुनाह से बचने की ताक़त सिर्फ़ अल्लाह ही की मदद से है।

(फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 763. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने क़बीला हुज़ैल की दो औ़रतों के झगड़े पर फ़ैसला सादिर फ़रमाया। एक औ़रत ने दूसरी हामिला (गर्भवती) औ़रत के पेट पर पत्थर मारा जिससे उसके पेट का बच्चा मर गया। उन्होंने अपना झगड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने पेश किया तो आपने फ़रमाया कि उस बच्चे की दियत में एक ग़ुलाम या बाँदी दी जाये, यह सुनकर दियत (ख़ून का मुआ़वज़ा) देने वाली औ़रत के सरपरस्त ने कहा- या रसूलल्लाह! मैं उसकी दियत कैसे अदा करूँ जिसने न खाया न पिया और न वह बोला न चीख़ा, उस पर तो कुछ नहीं होना चाहिये बल्कि यह क़ाबिले माफ़ी है। इस पर रसूले पाक ने फ़रमाया- यह तो काहिनों (नजूमियों और ज्योतिषियों) का भाई मालूम होता है।

हदीस 764. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बीमार ऊँट को तन्दुरुस्त ऊँटों के पास न लाया जाये।

वज़ाहतः- हज़रत अबू हुरैरह ही से एक दूसरी हदीस में मज़कूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कोई बीमारी फैलने वाली नहीं होती। ऊपर बयान हुई हदीस का मतलब यह है कि कहीं ऐसा न हो कि तन्दुरुस्त ऊँट वाले का अ़क़ीदा बिगड़ जाये कि मेरे ऊँट को बीमार ऊँट की वजह से बीमारी लगी है, यानी वहम-परस्त (अंधविश्वासी) लोगों का ईमान बचाने के लिये आपने यह इरशाद फ़रमाया। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 765. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसने जान-बूझकर पहाड़ से गिराकर अपने आपको मार डाला वह हमेशा दोज़ख़ में यही अ़ज़ाब पायेगा कि पहाड़ से गिराया जायेगा, और जिसने ज़हर पीकर ख़ुदकुशी की तो दोज़ख़ में हमेशा उसे यही अ़ज़ाब दिया जायेगा कि उसके हाथ में ज़हर होगा और वह पीता रहेगा, और जिसने अपने आपको किसी हथियार से हलाक किया होगा उसको दोज़ख़ में भी हमेशा ऐसा अ़ज़ाब होगा कि वही हथियार अपने हाथ में लेकर ख़ुद को मारता रहेगा।

हदीस 766. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर तुम्हारे खाने के बर्तन में मक्खी गिर जाये तो उसे डुबोकर फेंक दो, क्योंकि उसके एक पंख में शिफ़ा है और दूसरे में बीमारी होती है।

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि उसके एक पंख में ज़हर और दूसरे में उसका तिर्याक़ (तोड़ और बचाव) होता है।

लिबास का बयान

हदीस 767. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसने अपने तहबन्द को टख़्नों से नीचे किया वह आग में जलेगा।

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि जिसने तकब्बुर (घमण्ड) की वजह से अपने टख़्नों से नीचे कपड़ा लटकाया वह क़ियामत के दिन रहमत की नज़र से मेहरूम होगा। इस धमकी व डाँट से चार क़िस्म के लोग अलग हैं-

1. औरतें। 2. बेख़्याली में कपड़ा टख़्नों से नीचे हो जाये। 3. किसी की तोंद (पेट) बड़ी हो या कमर पतली हो कि कोशिश के बावजूद कई बार कपड़ा टख़्नों से नीचे हो जाये। 4. पाँव पर ज़ख़्म हों तो गर्द व ग़ुबार और मक्खियों से हिफ़ाज़त के पेशे नज़र कपड़ा नीचे कर सकता है (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 768. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि अबुल्-क़ासिम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- (बनी इस्राईल में) एक शख़्स एक जोड़ा पहनकर ग़ुरूर में मदहोश सर के बालों में कंघी किये हुए अकड़कर इतराता जा रहा था कि अल्लाह तआ़ला ने उसे ज़मीन में धंसा दिया, अब वह क़ियामत तक उसमें धंसता रहेगा।

हदीस 769. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को कपड़ों में ज़्यादा सब्ज़ यमनी चादर पसन्द थी।

वज़ाहतः- कुछ इमामों ने बयान किया है कि सब्ज़ (हरा) रंग जन्नत वालों का होगा इसलिये आप इस रंग को पसन्द फ़रमाते थे। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 770. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की वफ़ात हुई तो एक सब्ज़ (हरी) यमनी चादर आपकी मय्यित पर डाली गई थी।

हदीस 771. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दो तरह के कपड़े पहनने से मना फ़रमाया- एक यह कि कोई शख़्स एक ही कपड़े से अपनी कमर और पिंडली को मिलाकर बाँध ले और शर्मगाह पर कोई दूसरा कपड़ा न हो, और दूसरा यह कि कोई शख़्स एक कपड़े को इस तरह जिस्म पर लपेटे कि एक तरफ़ कपड़े का कोई हिस्सा न हो।

हदीस 772. हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आप सफ़ेद कपड़े ओढ़े सो रहे थे, फिर दोबारा आया तो आप जागे हुए थे उस वक़्त आपने फ़रमाया- जिसने कलिमा "ला इला-ह इल्लल्लाहु" पढ़ा फिर इसी तौहीद के अ़क़ीदे पर उसका ख़ातमा हुआ तो वह ज़रूर जन्नत में दाख़िल

होगा। मैंने अ़र्ज़ किया- अगरचे उसने ज़िना और चोरी की हो? आपने फ़रमाया- अगरचे वह ज़िना और चोरी का मुजरिम हो। मैंने फिर अ़र्ज़ किया- अगरचे उसने ज़िना और चोरी की हो? आपने फ़रमाया- हाँ अगरचे वह ज़िना और चोरी का जुर्म करे। मैंने फिर अ़र्ज़ किया- अगरचे उसने बदकारी और चोरी का अपराध किया हो? आपने फ़रमाया हाँ- अगरचे उसने ज़िना और चोरी का जुर्म किया हो, अगरचे अबूज़र को यह नापसन्द हो। हज़रत अबूज़र (रज़ियल्लाहु अ़न्हु) जब यह हदीस बयान करते तो ये अलफ़ाज़ ज़रूर बयान करते कि अगरचे अबूज़र को यह नापसन्द हो।

वज़ाहतः- जो शख़्स मरते वक़्त या उससे पहले तमाम गुनाहों से तौबा कर ले और शर्मिन्दा हो फिर "ला इला-ह इल्लल्लाहु" कहे तो अल्लाह तआ़ला उसे माफ़ फ़रमा देंगे। इन्शा-अल्लाहुल्-अ़ज़ीज़।

हदीस 773. हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमें सोने-चाँदी के बर्तन में खाने-पीने और (मर्दों को) रेशम व दीबाज पहनने, ओढ़ने और उसके ऊपर बैठने से मना फ़रमाया था।

हदीस 774. हज़रत सईद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने हज़रत अनस से पूछा- क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपनी जूतियाँ पहनकर नमाज़ पढ़ लिया करते थे? तो उन्होंने कहा कि हाँ।

वज़ाहतः- पाक व साफ़ जूतियों में नमाज़ पढ़ना जायज़ और मस्नून है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 775. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से कोई एक जूता पहनकर न चले। दोनों उतारकर या दोनों पहनकर चले।

वज़ाहतः- ऐसा करना देखने में भी बुरा है और पाँव की तकलीफ़ का अन्देशा भी है।

हदीस 776. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से कोई जूता पहने तो पहले दायाँ पाँव डाले और जब उतारे तो पहले बायाँ पाँव निकाले

ताकि दायाँ पाँव पहनने में अव्वल और उतारने में आख़िर हो।

वज़ाहतः- आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ज़ीनत और इ़ज़्ज़त के काम दाईं जानिब से शुरू फ़रमाते और दूसरे काम उनके विपरीत बाईं जानिब से शुरू करते। मसलन बैतुलख़ला (लैट्रीन) में दाख़िल होना, इस्तिन्जा करना और जूता उतारना वग़ैरह। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 777. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने चाँदी की एक अगूँठी बनवाई और उसमें "मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह" के अलफ़ाज़ खुदवाये, फिर फ़रमाया- मैंने चाँदी की एक अगूँठी बनवाकर उसमें "मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह" खुदवाया है लिहाज़ा तुम में से कोई यह नक़्श न खुदवाये।

हदीस 778. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ज़नाने मर्द और मर्दानी औ़रत पर लानत फ़रमाई है, और फ़रमाया कि उन्हें घरों से निकाल दो। और हज़रत इब्ने अ़ब्बास का क़ौल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक ज़नाने मर्द को (घर से) निकाल दिया था, इसी तरह हज़रत उमर ने भी एक ज़नाने मर्द को (घर से) निकाल दिया था।

वज़ाहतः- ज़नाने मर्द से मुराद वह मर्द है जो लिबास वग़ैरह में औ़रतों की तरह रहता हो और मर्दानी औ़रत से मुराद वह औ़रत है जो मर्दों की तरह रहती हो।

हदीस 779. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मूँछ के बाल कतरवाना सुन्नत है।

हदीस 780. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- नाफ़ के नीचे के बाल मूँडना, नाख़ुन काटना और मूँछ कतरवाना सुन्नतें हैं।

हदीस 781. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुश्रिक लोगों की मुख़ालफ़त करो, दाढ़ियाँ बढ़ाओ और मूँछें कतरवाओ।

हदीस 782. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- यहूदी व ईसाई ख़िज़ाब नहीं लगाते तुम उनकी मुख़ालफ़त करो (यानी मेहंदी वग़ैरह लगाओ)।

वज़ाहतः- दाढ़ी और सर के बालों को ख़िज़ाब लगाते वक़्त काले रंग से बचना चाहिये, क्योंकि काला रंग इख़्तियार करने की मनाही है। बालों पर मेहंदी लगाना सुन्नत है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 783. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बाल न बिल्कुल सीधे और न बहुत घुंघरियाले थे बल्कि उनके दरमियान में थे जो कंधे और कानों के बीच रहते थे।

हदीस 784. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हाथ-पाँव पर ख़ूब गोश्त था, मैंने ऐसा ख़ूबसूरत न आप से पहले किसी को देखा और न आपके बाद, और आपकी हथेलियाँ चौड़ी और खुली हुई थीं।

हदीस 785. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना, आप 'क़ज़अ़' से मना फ़रमाते थे।

वज़ाहतः- 'क़ज़अ़' के मायने हैं सर की दोनों ओर बाल छोड़कर बाक़ी दरमियान से सर मुंडवा दिया जाये, इसमें मर्द, औ़रत और बच्चे तमाम शामिल हैं, मनाही की वजह यहूदियों जैसी शक्ल व सूरत बनाने से बचना है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 786. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को उम्दा से उम्दा ख़ुशबू जो मयस्सर होती लगाया करती थी यहाँ तक कि मैं ख़ुशबू की चमक आपके सर और दाढ़ी मुबारक में देखती।

वज़ाहतः- मर्द की ख़ुशबू रंग के बजाय महक और औ़रत की ख़ुशबू महक के बजाय रंग है, जो मर्द के लिये जायज़ नहीं। औ़रत को जायज़ है कि ख़ुशबू (शौहर के लिये घर में) लगाये। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 787. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो लोग तस्वीरें बनाते हैं कियामत के दिन उन्हें अ़ज़ाब दिया जायेगा और कहा जायेगा- जिसको तुमने बनाया है उसे ज़िन्दा भी तुम ही करो।

वज़ाहतः- बग़ैर किसी शरई उज़्र के तस्वीर बनाना हराम है चाहे हाथ से बनाई जाये या कैमरे से। सिर्फ़ ग़ैर-जानदार मसलन पहाड़, दरख़्त वग़ैरह की बनाना जायज़ है। शादी-विवाह और पार्टियों के मौक़े पर वीडियो फ़िल्म तैयार करना भी गुनाह है।

हदीस 788. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना- अल्लाह तआ़ला का पाक इरशाद है कि उस शख़्स से ज़्यादा ज़ालिम कौन हो सकता है जो पैदा करने में मेरी नक़ल उतारता है, एक दाना या एक चींटी तो पैदा कर दें।

वज़ाहतः- एक हदीस में इतना और इज़ाफ़ा है कि एक जौ का दाना ही पैदा करके दिखायें। (फ़त्हुल्-बारी)

आदाब का बयान

हदीस 789. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि एक शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में आया और अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! मेरे अच्छे सुलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है? आपने फ़रमाया- तेरी माँ। पूछा फिर कौन? फ़रमाया- तेरी माँ। अ़र्ज़ किया उसके बाद कौन? फ़रमाया- तेरी माँ। फिर अ़र्ज़ किया उसके बाद? तब फ़रमाया कि तेरा बाप।

वज़ाहतः- माँ के तीन दर्जे और बाप का एक दर्जा है, क्योंकि माँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाती है, मसलन नौ महीने तक पेट में रखती है फिर पैदाईश के वक़्त तकलीफ़ उठाती है, दूध पिलाती है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 790. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा कि मैं भी

जिहाद में शरीक हो जाऊँ? आपने मालूम फ़रमाया- क्या तुम्हारे माँ-बाप मौजूद हैं? उसने कहा हाँ मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- फिर उन्हीं में जिहाद करो।

वज़ाहत:- उन्हीं की ख़िदमत में कोशिश करते रहो। आपको उसी ख़िदमत की वजह से जिहाद का सवाब मिलेगा। यानी वही उसका जिहाद है। जिहाद आ़म तौर पर फ़र्ज़े किफ़ाया होता है, क्योंकि फ़र्ज़े किफ़ाया दूसरों के अदा करने से अदा हो जायेगा मगर उसके माँ-बाप की ख़िदमत उसके सिवा कौन करेगा। अगर जिहाद फ़र्ज़े ऐन हो जाये तो उस वक़्त माँ-बाप से इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं, जिहाद फ़र्ज़े ऐन (लाज़िमी फ़र्ज़) उस वक़्त होता है जब ख़लीफ़ा-ए-वक़्त (मुसलमानों का हाकिम व अमीर) इस तरह के जिहाद का ऐलान करे जैसा कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कई बार किया। तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर (सूरः तौबा 9, आयत 118), वाक़िआ़ उन चन्द सहाबा का जिनको अल्लाह तआ़ला ने उनसे बातचीत न करने की सज़ा दी।

हदीस 791. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सबसे बड़ा गुनाह यह है कि आदमी अपने माँ-बाप पर लानत करे। लोगों ने अ़र्ज़ किया कि माँ-बाप पर कोई कैसे लानत कर सकता है? आपने फ़रमाया- वह किसी के बाप को गाली देगा जवाब में वह उसके बाप को गाली देगा, और वह किसी की माँ को गाली दे तो वह उसके बदले में उसकी माँ को गाली देगा।

वज़ाहत:- जो माँ-बाप को गाली दिलवाने का सबब बना गोया उसने ख़ुद अपने माँ-बाप को गाली दी। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 792. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तीन आदमी जा रहे थे कि बारिश ने उन्हें घेर लिया और उन्होंने वापस होकर एक पहाड़ के ग़ार (खोह) में पनाह ली। उसके बाद उनके ग़ार के मुँह पर पहाड़ की एक चट्टान गिरी और उसका मुँह बन्द हो गया। उन्होंने आपस में कहा कि हमने जो नेक काम किये हैं उनमें से ऐसे काम को ज़ेहन में लाओ जो हमने ख़ालिस

अल्लाह तआला के लिये किया हो ताकि उसके ज़रिये अल्लाह तआला से दुआ करें, मुम्किन है वह ग़ार को खोल दे। इस पर उनमें से एक ने कहा- ऐ अल्लाह तआला! मेरे माँ-बाप बहुत बूढ़े थे और मेरे छोटे-छोटे बच्चे भी थे। मैं उनके लिये बकरियाँ चराता था और वापस आकर दूध निकालता तो सबसे पहले यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी पहले अपने माँ-बाप को पिलाता था।

एक दिन चारे की तलाश मुझे बहुत दूर ले गई चुनाँचे में रात गये वापस आया। मैंने देखा कि मेरे माँ-बाप सो चुके हैं। मैंने मामूल के मुताबिक़ दूध निकाला, फिर मैं दूध लेकर आया और उनके सिरहाने खड़ा हो गया, मैं यह गवारा नहीं कर सकता था कि उन्हें नींद से जगाऊँ, और यह भी मुझसे नहीं हो सकता था कि माँ-बाप से पहले बच्चों को पिलाऊँ। बच्चे भूख के मारे मेरे क़दमों में लौट रहे थे और इसी कश्मकश में सुबह हो गई। पस ऐ अल्लाह तआला! अगर आपके इल्म में भी यह काम मैंने सिर्फ़ आपकी रज़ा हासिल करने के लिये किया था तो हमारे लिये राह खोल दे कि हम आसमान देख सकें। अल्लाह तआला ने (दुआ क़ुबूल की) उनके लिये इतनी जगह खोल दी कि वे आसमान देख सकते थे।

दूसरे शख़्स ने कहा ऐ अल्लाह तआला! मेरी एक चचाज़ाद बहन थी और मैं उससे मुहब्बत करता था, वह बहुत ही ज़्यादा मुहब्बत जो एक मर्द एक औरत से कर सकता है। मैंने उससे उसे माँगा (यानी ग़लत काम का तक़ाज़ा किया) तो उसने इनकार किया और सिर्फ़ इस शर्त पर राज़ी हुई कि मैं उसे सौ दीनार दूँ। मैंने दौड़-धूप की और सौ दीनार जमा कर लाया, फिर उसके पास उन्हें लेकर गया। फिर जब मैं उसके दोनों पाँव के दरमियान बैठ गया तो उसने कहा- ऐ अल्लाह के बन्दे! अल्लाह तआला से डर और एक कुंवारी का पर्दा मत तोड़। मैं यह सुनकर खड़ा हो गया (और ज़िना से रुक गया)। पस अगर आपके इल्म में भी मैंने यह काम आपकी रज़ा व ख़ुशनूदी हासिल करने के लिये किया था तो हमारे लिये कुछ और कुशादगी (चट्टान को हटाकर) पैदा कर दे। चुनाँचे उनके लिये थोड़ी-सी और कुशादगी हो गई (यानी वह बड़ा पत्थर खिसक गया)।

तीसरे शख़्स ने कहा ऐ अल्लाह! मैंने एक मज़दूर को चावल की मज़दूरी पर रखा था, उसने अपना काम पूरा करके कहा कि मेरी मज़दूरी दो। मैंने उसकी मज़दूरी दे दी लेकिन वह छोड़कर चला गया और उसकी परवाह न की। मैं उसके उस बचे हुए माल से खेती बाड़ी करता रहा और इस तरह मैंने उससे एक गाय और उसका चरवाहा ख़रीद लिया और (फिर जब वह आया) मैंने उससे कहा यह गाय और चरवाहा ले जाओ। उसने कहा अल्लाह तआ़ला से डरो और मुझसे मज़ाक़ न करो। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ मज़ाक़ नहीं करता, इस गाय और चरवाहे को ले जाओ। चुनाँचे वह उन्हें लेकर चला गया। पस अगर आपके इल्म में भी मैंने वह काम आपकी रज़ा व ख़ुशनूदी हासिल करने के लिये किया था तो (चट्टान की वजह से ग़ार से निकलने में) जो रुकावट बाक़ी रह गई है उसे भी खोल दे, चुनाँचे अल्लाह तआ़ला ने उनके लिये पूरी तरह कुशादगी कर दी (रास्ता खोल दिया)।

वज़ाहतः- इस हदीस से अपने नेक कामों को दुआ़ के वक़्त वसीले के तौर पर पेश करना जायज़ साबित हुआ। आयत "वब्तग़ू इलैहिल्-वसी-ल-त" (सूरः मायदा 5, आयत 35 तर्जुमाः- और उसी यानी अल्लाह की तरफ़ वसीला तलाश करो) का यही मतलब है। नेक लोगों का वसीला यह है कि अगर वे ज़िन्दा हों तो उनसे दुआ़ कराई जाये, मुर्दों का वसीला बिल्कुल ग़ैर-शरई है जिस से परहेज़ करना फ़र्ज़ है।

हदीस 795. हज़रत जुबैर बिन मुतअ़िम रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना- क़ता-रहमी (रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ना) करने वाला जन्नत में दाख़िल नहीं होगा।

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि जिस क़ौम में क़ता-रहमी करने वाला मौजूद हो और वे उसकी हौसला अफ़ज़ाई करें तो इस नहूसत की बिना पर पूरी क़ौम अल्लाह तआ़ला की रहमत से मेहरूम कर दी जाती है।

(फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 794. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो यह चाहता है कि उसकी रोज़ी में फ़राख़ी (वुस्अ़त व ज़्यादती) हो और उसकी उम्र लम्बी की जाये तो वह सिला-रहमी करे।

वज़ाहतः- रिश्तेदारों की नेक दुआएँ, (रिज़्क़ में) बरकत का सबब बनती हैं और उम्र में भी बरकत होती है।

हदीस 795. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- 'रहम' रहमान से बना है, अल्लाह तआ़ला ने रहम से फ़रमाया- जो तुझे जोड़ेगा मैं भी उसे जोडूँगा और जो तुझसे जुदा होगा मैं भी उससे जुदा होऊँगा।

वज़ाहतः- इसलिये हर इनसान से रहम (मेहरबानी) से पेश आना चाहिये।

हदीस 796. हज़रत अ़मर बिन आ़स रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ऐलान फ़रमा रहे थे कि फ़ुलाँ की औलाद मेरे अ़ज़ीज़ों (रिश्तेदारों) में से नहीं, मेरा दोस्त तो अल्लाह और नेक लोग हैं, अलबत्ता उनसे रहम का रिश्ता है अगर वे मिलाये रखेंगे तो मैं भी मिलाये रखूँगा।

वज़ाहतः- सिला-रहमी से रिज़्क़ में कुशादगी और उम्र में बरकत पैदा होती है, लोगों में इज़्ज़त और वक़ार में भी इज़ाफ़ा होता है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 797. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि एक देहाती नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा- आप तो बच्चों का बोसा लेते (यानी उन्हें प्यार करते) हैं, हम तो उनसे ऐसा नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैं क्या करूँ जब अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे दिल से रहम को निकाल दिया है।

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि आपने फ़रमाया- जो किसी पर शफ़क़त नहीं करता अल्लाह तआ़ला उस पर मेहरबानी नहीं करेगा। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 798. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सिला-रहमी करने वाला वह नहीं जो सिर्फ़ बदला चुकाये बल्कि सिला-रहमी करने वाला वह है जो अपने टूटे हुए रिश्ते को जोड़े।

वज़ाहतः- अगर कोई रिश्तेदार आप से न मिले या ताल्लुक़ात को ख़त्म कर दे तो भी उसके ताल्लुक़ तोड़ने के बावजूद सिला-रहमी करते रहें, इस अ़मल में बहुत बड़ा सवाब है।

हदीस 799. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने कुछ क़ैदी लाये गये जिनमें एक औ़रत भी थी जिसकी छातियों से दूध टपक रहा था और वह दौड़ रही थी, इतने में उसे एक बच्चा क़ैदियों में से मिला, उसने झट उसे सीने से चिमटाया और दूध पिलाने लगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमसे फ़रमाया- तुम्हारा क्या ख़्याल है क्या यह औ़रत अपने बच्चे को आग में झोंक देगी? हमने कहा हरगिज़ नहीं, जब तक इसे क़ुदरत होगी वह अपने बच्चे को आग में नहीं डालेगी। इस पर आपने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों पर इससे ज़्यादा मेहरबान है जितनी यह औ़रत अपने बच्चे पर मेहरबान है।

हदीस 800. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने रहमत के सौ हिस्से बनाये हैं, उनमें से निन्नानवे हिस्से अपने पास रखे हैं और एक हिस्सा ज़मीन पर उतारा है, उस एक हिस्से की वजह से मख़्लूक़ एक दूसरे पर रहम करती है, यहाँ तक कि घोड़ा भी अपने बच्चे पर से पाँव उठा लेता है ताकि बच्चे को तकलीफ़ न पहुँचे।

वज़ाहतः- एक हदीस में उस एक रहमत की मिक़्दार बयान की गई है कि वह ज़मीन व आसमान के दरमियान ख़ाली जगह को भरने के लिये काफ़ी है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 801. हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैं जब बच्चा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मुझे पकड़कर एक रान पर बैठाते और दूसरी पर हज़रत हसन को, फिर दोनों को चिमटा लेते

और दुआ फ़रमाते- ऐ अल्लाह! इन दोनों पर रहम फ़रमा, क्योंकि मैं भी इन पर शफ़क़त करता हूँ।

वज़ाहतः- आप बच्चों के साथ ख़ुसूसी शफ़क़त फ़रमाया करते थे, किसी बच्चे को अपनी गोद में बैठा लेते, अगर वह पेशाब भी कर देता तो भी किसी क़िस्म की नागवारी का इज़हार न करते। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 802. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बेवाओं और यतीमों के लिये कोशिश करने वाला अल्लाह तआ़ला के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह है।

हदीस 803. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नमाज़ के लिये खड़े हुए तो हम भी आपके साथ खड़े हो गये, इतने में एक देहाती नमाज़ में ही दुआ माँगने लगा- ऐ अल्लाह! मुझ पर और मुहम्मद पर रहम कर और हमारे अ़लावा किसी और पर रहम न कर। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सलाम फेरा तो देहाती से कहा- तुमने खुली हुई चीज़ (अल्लाह की रहमत) को तंग कर दिया।

वज़ाहतः- आपने उस देहाती पर इसलिये एतिराज़ किया कि उसने अल्लाह तआ़ला से तमाम लोगों के लिये रहम व करम माँगने में कन्जूसी से काम लिया था। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 804. हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम मुसलमानों को एक दूसरे पर रहम करने, दोस्ती क़ायम रखने में और मेहरबानी का बर्ताव करने में एक जिस्म की तरह देखोगे, अगर जिस्म का एक हिस्सा (अंग) बीमार हो जाता है तो तमाम हिस्से (अंग) बुख़ार और जागने में उसके शरीक होते हैं।

वज़ाहतः- मुस्लिम समाज में एक मुसलमान को कोई तकलीफ़ है तो दुनिया भर के मुसलमान उस वक़्त तक बेक़रार और बेचैन रहें जब तक उसकी तकलीफ़ दूर न हो जाये। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 805. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस मुसलमान ने कोई दरख़्त (पेड़) लगाया और उसका फल इनसानों और जानवरों ने खाया तो लगाने वाले को सदक़े का सवाब मिलेगा।

वज़ाहत:- अगर हमारे दरख़्तों (पेड़ों) में से कोई खाये तो उसे मना नहीं करना चाहिये बल्कि इजाज़त दे देनी चाहिये, कोशिश कीजिये कि जहाँ भी जगह मिले ज़्यादा से ज़्यादा फलदार पेड़ लगायें।

हदीस 806. हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो किसी पर रहम नहीं करेगा तो उस पर भी रहम नहीं किया जायेगा।

वज़ाहत:- इसमें अल्लाह तआ़ला की तमाम मख़्लूक़ (इनसान, जानवर, पेड़-पौधे वग़ैरह) पर रहम करने की तालीम व हिदायत की गई है।

(फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 807. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम ने मुझे पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक करने की इस क़द्र ताकीद की कि मुझे ख़्याल गुज़रा शायद उसे मेरा वारिस क़रार दे देंगे।

वज़ाहत:- पड़ोसी का ख़्याल रखने की बहुत ताकीद की गई है। आपका एक यहूदी पड़ोसी था, जब आप कोई जानवर ज़िबह करते तो उसके घर भी हदिया (तोहफ़ा) भेजते। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 808. हज़रत अबू शुरैह रज़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह की क़सम! मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की क़सम! मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की क़सम! मोमिन नहीं हो सकता। मालूम किया गया- या रसूलल्लाह! ऐसा कौन शख़्स है? आपने फ़रमाया- जिसके पड़ोसी को (बजाय आराम के) उसके सताने और तकलीफ़ देने का अन्देशा हो।

हदीस 809. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ मुसलमान औ़रतो! तुम में से कोई औ़रत अपनी पड़ोसन के लिये किसी भी चीज़ को (हदिये

में) देने के लिये हक़ीर न समझे चाहे बकरी का पाया ही क्यों न हो।

हदीस 810. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो अल्लाह पर ईमान और क़ियामत पर यक़ीन रखता है उसे अपने पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिये। जो शख़्स अल्लाह और क़ियामत पर ईमान रखता हो उसे अपने मेहमान की ख़ातिर-तवाज़ो करनी चाहिये और जिसको अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान है उसे चाहिये कि अच्छी बात कहे या ख़ामोश रहे।

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि ज़रूरत के वक़्त उसे क़र्ज़ दिया जाये और उसकी मदद की जाये, तीमारदारी की जाये, ख़ुशी के मौक़े पर मुबारकबाद दी जाये, ग़मी के वक़्त उसको तसल्ली दी जाये और उसकी तमाम ज़रूरतों का ख़्याल रखा जाये। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 811. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- किसी को कोई अच्छी बात बताने का सवाब सदक़ा देने के बराबर है।

हदीस 812. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे इरशाद फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला हर काम में नर्मी को पसन्द करता है।

हदीस 813. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिये इमारत की तरह है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को थामे रखता है, फिर अपनी उंगलियों को एक दूसरी में डाला (कि इस तरह एक दूसरे से मिलकर ताक़त व मज़बूती देते हैं)। और एक दफ़ा आप तशरीफ़ फ़रमा थे, इतने में एक ज़रूरत मन्द शख़्स आया और सवाल करने लगा, उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हमारी तरफ़ मुतव्वजह हुए और फ़रमाया- ज़रूरत मन्दों की सिफ़ारिश किया करो तुम्हें सिफ़ारिश करने का सवाब मिलेगा। अल्लाह तआ़ला तो अपने नबी की ज़बान से वही फ़ैसला करायेगा जो वह चाहेगा।

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि अल्लाह तआ़ला उस वक़्त तक अपने

बन्दे की मदद फ़रमाते हैं जब तक वह दूसरे भाई की मदद के लिये कोशिशें करता है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 814. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम गाली देने वाले, सख़्त बात कहने वाले, बद-ज़ुबान और लानत भेजने वाले न थे, अगर कभी किसी पर नाराज़ होते तो इतना फ़रमाते कि उसको क्या हो गया है, उसकी पेशानी मिट्टी से भर जाये।

हदीस 815. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कभी कोई चीज़ माँगी गई हो तो आपने "नहीं" में जवाब दिया हो।

वज़ाहतः- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का यह हाल था कि अगर आपके पास कोई चीज़ होती तो माँगने वाले को उसी वक़्त दे देते थे, अगर न होती तो वादा फ़रमाते या ख़ामोश रहते, दोटूक जवाब देकर साईल का हौसला नहीं तोड़ते थे। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 816. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की दस बरस तक ख़िदमत की, आपने उस दौरान मुझे कभी उफ़ तक भी न कहा, और न यह फ़रमाया तूने यह काम क्यों किया या यह काम क्यों नहीं किया?

हदीस 817. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब अल्लाह तआ़ला किसी बन्दे से मुहब्बत करते हैं तो जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम को आवाज़ देते हैं कि मैं फ़ुलाँ से मुहब्बत करता हूँ लिहाज़ा तुम भी उससे मुहब्बत करो। जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम भी उससे मुहब्बत करने लगते हैं। फिर वह (यानी जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम) तमाम आसमान वालों में ऐलान करते हैं कि अल्लाह तआ़ला फ़ुलाँ बन्दे से मुहब्बत करते हैं, तुम भी उससे मुहब्बत करो। फिर तमाम आसमान वाले उससे मुहब्बत करने लगते हैं। उसके बाद वह ज़मीन में भी (अल्लाह के बन्दों का) मक़बूल और महबूब बन जाता है।

हदीस 818. हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम

सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो कोई किसी मुसलमान को फ़ासिक़ (बुरा और गुनाहगार) या काफ़िर कहे और वह हक़ीक़त में फ़ासिक़ या काफ़िर न हो तो वह ख़ुद कहने वाला फ़ासिक़ या काफ़िर हो जायेगा।

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि जब इनसान किसी पर लानत करता है तो वह सीधी आसमान की तरफ़ जाती है, फिर ज़मीन की तरफ़ लौट आती है, अगर उसे कहीं पनाह नहीं मिलती है तो जिस पर लानत की गई हो उसकी तरफ़ रुजू करती है, अगर वह उसके लायक़ है तो ठीक वरना लानत करने वाले पर लौट आती है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 819. हज़रत साबित बिन ज़ह्हाक रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसने इस्लाम के अ़लावा किसी और मज़हब की झूठी क़सम उठाई (कि अगर मैंने फ़ुलाँ काम किया तो मैं यहूदी या ईसाई हो जाऊँ) तो वह वैसा ही हो जाता है जैसा कि उसने कहा। और आदम के बेटे पर उस नज़्र (क़सम) का पूरा करना फ़र्ज़ नहीं जो उसके लिये जायज़ नहीं है या उसके इख़्तियार में न हो, और जिसने दुनिया में किसी चीज़ से ख़ुदकुशी की तो उसे क़ियामत के दिन तक उसी चीज़ से सज़ा दी जाती रहेगी, और जिसने मोमिन पर लानत की वह उसको क़त्ल करने के जैसा है, और जिसने किसी मोमिन पर कुफ़्र की तोहमत लगाई वह भी उसके क़त्ल के बराबर है।

वज़ाहतः- कलिमा पढ़ने वाले (यानी मोमिन) को काफ़िर क़रार देना बहुत बड़ा जुर्म है चाहे उसका ताल्लुक़ इस्लाम के किसी फ़िर्क़े से हो।

हदीस 820. हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना वह फ़रमा रहे थे कि चुग़लख़ोर जन्नत में दाख़िल नहीं होगा।

वज़ाहतः- चुग़ली यह है कि किसी दूसरे की बात को फ़साद (बुराई और ख़राबी) की नीयत से दूसरों तक पहुँचाना, और ग़ीबत यह है कि किसी की अनुपस्थिति में उसके ऐब और कमियाँ दूसरों से बयान करना (जबकि वो बातें उसमें मौजूद हों, और अगर वो ऐब व कमी उसमें मौजूद न हों तब यह बोहतान (इल्ज़ाम) है जो ग़ीबत से भी बड़ा जुर्म है। चुग़ली और ग़ीबत

दोनों संगीन जुर्म हैं। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 821. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत के दिन तुम अल्लाह तआ़ला के यहाँ उस शख़्स को सबसे बदतर (बुरा) पाओगे जो कुछ लोगों के सामने एक रुख़ से आता है और दूसरों के सामने दूसरे रुख़ से जाता है।

वज़ाहतः- हर जगह दोग़ली बात कहता है। दोज़ख़ी आदमी वह है जो हर फ़रीक़ से मिला रहे, जिनके पास जाये उनके जैसी कहे। आदमी को हर एक से हक़ बात कहनी चाहिये।

हदीस 822. हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने एक शख़्स का ज़िक्र हुआ तो एक दूसरे शख़्स ने उसकी बहुत तारीफ़ की (और ग़ैर-ज़रूरी बढ़ा-चढ़ाकर बात की), उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अफ़सोस! तूने उसकी गर्दन उड़ा दी। यह जुमला आपने कई मर्तबा दोहराया फिर फ़रमाया- अगर तुम में से कोई शख़्स दूसरे की तारीफ़ करना चाहे तो इस तरह कहे- मैं उसको ऐसा-ऐसा समझता हूँ बाक़ी सही इल्म तो अल्लाह ही के पास है, और अल्लाह तआ़ला की तारीफ़ के अलावा किसी इनसान की तारीफ़ में मुबालग़े (हद से ज़्यादा आगे बढ़ना) नहीं करना चाहिये।

वज़ाहतः- किसी की तारीफ़ में मुबालग़ा नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से जिसकी तारीफ़ की जाये वह मग़रूर (घमण्ड का शिकार) हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि जो शख़्स मुँह पर तारीफ़ करता है उसके मुँह में मिट्टी डालनी चाहिये। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 823. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- आपस में बुग़ज़ और हसद न करो, मुलाक़ात बन्द न करो। अल्लाह के बन्दो! भाई-भाई बनकर रहो, किसी मुसलमान को मुनासिब और जायज़ नहीं कि वह अपने मुसलमान भाई से तीन दिन से ज़्यादा बातचीत बन्द करे।

हदीस 824. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बदगुमानी से बचते रहो क्योंकि बदगुमानी सख़्त झूठी बात है, किसी के ऐबों की तलाश और जुस्तजू न करो, और न ही आपसी मुख़ालफ़त व रन्जिश रखो। हसद व बुग़ज़ और बातचीत बन्द करने से भी गुरेज़ करो। अल्लाह तआ़ला के बन्दे और भाई-भाई बनकर रहो।

हदीस 825. हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- किसी मुसलमान को यह बात हलाल नहीं कि वह तीन रात से ज़्यादा अपने मुसलमान भाई से ताल्लुक़ ख़त्म करे यानी एक दूसरे को देखकर मुँह फेर लें, उन दोनों में बेहतर वह है जो सलाम करने में पहल करे।

हदीस 826. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैं गुमान करता हूँ कि फ़ुलाँ और फ़ुलाँ शख़्स हमारे दीन की कोई बात नहीं जानते। एक दूसरी हदीस में है कि जिस दीन पर हम अ़मल करते हैं वे उसे नहीं पहचानते।

वज़ाहतः- अगर दूसरों को किसी के बुरे किरदार से आगाह करना हो तो उसका इज़हार जुर्म नहीं, अलबत्ता किसी की बेइज़्ज़ती और अपमान करने के लिये बुरा गुमान नापसन्दीदा है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 827. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना कि अल्लाह तआ़ला मेरी उम्मत के तमाम लोगों को माफ़ कर देंगे मगर खुल्लम-खुल्ला और सब के सामने गुनाह करने वाले को माफ़ नहीं किया जायेगा, और यह बेहयाई की बात है कि आदमी रात के वक़्त एक गुनाह करे जिसे अल्लाह तआ़ला ने छुपा रखा हो लेकिन वह सुबह एक-एक से कहता फिरे कि मैंने आज रात यह काम किया, यह काम किया, हालाँकि अल्लाह तआ़ला ने रात भर उसके ऐब को छुपाये रखा मगर उसने सुबह को अपने ऊपर से अल्लाह तआ़ला के पर्दे को उतार फेंका।

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि जो गुनाहगार अल्लाह तआ़ला की इस पर्दापोशी को बरक़रार रखेंगे क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला फ़रमायेंगे कि

मैंने दुनिया में तेरा पर्दा रखा और तुझे बदनाम न किया, लिहाज़ा मैं आज भी तुझे माफ़ करता हूँ। इसलिये जब भूल या ग़लती से कोई गुनाह हो जाये तो दूसरों से अपने गुनाह का तज़किरा न करे बल्कि फ़ौरन शर्मिन्दा हो और अल्लाह तआ़ला के सामने गुनाह का इक़रार करे और फिर तौबा करे। यही तौबा करने का सही तरीक़ा है।

हदीस 828. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सच्चाई इनसान को नेकी की तरफ़ ले जाती है और नेकी जन्नत में ले जाती है, और आदमी सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वह सिद्दीक़ का मर्तबा हासिल कर लेता है। झूठ इनसान को बुरे कामों की तरफ़ ले जाता है और बुरे काम आदमी को जहन्नम की तरफ़ ले जाते हैं, और आदमी झूठ बोलता रहता है आख़िरकार अल्लाह तआ़ला के यहाँ उसे झूठा लिख दिया जाता है।

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि आदमी जब झूठ बोलता है और हर वक़्त झूठ के लिये कोशिश करता है तो उसके दिल पर सियाह नुकता (काला धब्बा) लगने से दिल बिल्कुल सियाह हो जाता है, फिर उसे मुस्तक़िल तौर पर झूठ बोलने वालों में लिख दिया जाता है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 829. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तकलीफ़ देने वाली बात सुनकर अल्लाह तआ़ला से ज़्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं। (अल्लाह की पनाह) मुश्रिक लोग कहते हैं कि उसकी औलाद है मगर वह उनसे दरगुज़र फ़रमाकर उन्हें रोज़ी दिये जाता है।

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि अल्लाह तआ़ला बन्दों के शिर्क के बावजूद उन्हें रिज़्क़ देता है और फ़ौरन सज़ा नहीं देता। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 830. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- पहलवान वह नहीं जो कुश्ती में दूसरे को गिरा दे, हाँ पहलवान वह है जो ग़ुस्से के वक़्त अपने आपको क़ाबू में रखे।

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि सख़्त ग़ुस्से के वक़्त 'अऊज़ु बिल्लाहि

मिनश्शैतानिर्रजीम" पढ़ लिया जाये तो ग़ुस्सा ख़त्म हो जाता है।

हदीस 831. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया कि मुझे कुछ वसीयत फ़रमायें, आपने फ़रमाया- ग़ुस्सा न करो। उसने कई मर्तबा यही मालूम किया, आपने यही फ़रमाया कि ग़ुस्सा न करो।

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि पूछने वाले ने अ़र्ज़ किया- मुझे कोई मुख़्तसर सी नसीहत फ़रमायें ताकि मैं उस पर अ़मल करके जन्नत हासिल कर सकूँ तो आपने फ़रमाया कि ग़ुस्सा न किया करो, इससे तुझे जन्नत मिल जायेगी। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 832. हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- शर्म व हया से हमेशा ख़ैर ही मिलती है।

वज़ाहतः- हया की दो क़िस्में हैं- एक शरई यानी अल्लाह तआ़ला की हदों को पामाल (ज़ाया और बेक़द्री) करने से शर्म करे, इस हया को ईमान का हिस्सा क़रार दिया है, दूसरी क़िस्म तबई हया है जो शरई हया के लिये मददगार साबित होती है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 833. हज़रत अबू मसऊद अन्सारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- पहले अम्बिया के कलामे नुबुव्वत की जो बात लोगों ने पाई वह यह है कि अगर तुम बेहया हो जाओ तो जो जी चाहे करते रहो।

वज़ाहतः- हया इनसान को गुनाहों से रोकती है।

हदीस 834. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हम बच्चों से भी हंसी मज़ाक़ किया करते थे, यहाँ तक कि मेरा एक छोटा भाई था उससे फ़रमाया करते थे- ऐ अबू उमैर! तुम्हारी चिड़िया नुग़ैर (चिड़िया का नाम) तो ख़ैरियत से है।

हदीस 835. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मोमिन एक बिल (सुराख़) से दो मर्तबा नहीं डसा जाता।

वज़ाहतः- मुसलमानों का मज़ाक़ उड़ाने वाला एक शायर बदर के मौक़े पर क़ैद हुआ और आईन्दा मज़ाक़ न उड़ाने का अ़हद करके आज़ादी हासिल की। मक्का जाकर दोबारा मुसलमानों के ख़िलाफ़ शायरी शुरू कर दी। जंगे उहुद के मौक़े पर दोबारा क़ैदी बना और अपनी तंगदस्ती (ग़ुर्बत) का बहाना बनाकर दोबारा आज़ादी चाही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उपरोक्त अलफ़ाज़ उस मौक़े पर इरशाद फ़रमाये थे। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 836. हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कुछ अश्आ़र तो हिक्मत से भरे होते हैं।

वज़ाहतः- जो अश्आ़र दीने इस्लाम की रक्षा और उसकी सरबुलन्दी में कहे जायें वो क़ाबिले तारीफ़ हैं, और इसके उलट (विपरीत) अगर हद से ज़्यादा और हक़ीक़त के ख़िलाफ़ बढ़ा-चढ़ाकर कहे गये हों और झूठ पर आधारित हों तो निंदा के लायक़ हैं। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 837. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर तुम में से किसी का पेट पीप से भर जाये तो यह बेहतर है कि उसे गन्दे अश्आ़र से भरे।

हदीस 838. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत के दिन ग़द्दारों के लिये झण्डा गाड़ा जायेगा और कहा जायेगा- यह फ़ुलाँ पुत्र फ़ुलाँ की ग़द्दारी का निशान है।

हदीस 839. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा का नाम पहले बिर्रा रखा गया था, इस पर कहा गया कि वह अपने नफ़्स की पाकी ज़ाहिर करती हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनका नाम ज़ैनब रख दिया।

वज़ाहतः- उम्मुल्-मोमिनीन हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु अ़न्हा का नाम भी पहले बिर्रा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनका नाम भी बदलकर जुवैरिया रखा और पहले नाम को नापसन्द फ़रमाया।

(फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 840. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला के नज़दीक नापसन्दीदा नाम वालों में वह शख़्स है जिसका नाम शहंशाह हो।

वज़ाहत:- 'शहंशाह' नाम रखना बहुत ही बुरा है। 'ख़ालिक़ुल्-ख़ल्क़, अह्कमुल्-हाकिमीन, सुल्तानुस्सलातीन और अमीरुल्-उमरा जैसे नाम रखने भी जायज़ नहीं। मर्दों का बेहतरीन नाम 'अ़ब्दुल्लाह' है जैसे कि हदीस में वारिद हुआ है, इसी तरह औ़रत का नाम 'अमतुल्लाह' रखा जा सकता है।

(फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 841. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने दो आदमियों को छींक आई, एक के जवाब में आपने "यर्हमुकल्लाह" फ़रमाया, दूसरे के लिये कुछ न फ़रमाया। इस पर अ़र्ज़ किया गया तो आपने फ़रमाया- उसने "अल्हम्दु लिल्लाह" कहा था जबकि दूसरे ने "अल्हम्दु लिल्लाह" नहीं कहा था।

वज़ाहत:- छींकते वक़्त आवाज़ को पस्त रखे और अपने मुँह पर कोई कपड़ा रख ले ताकि पास बैठने वाले को कोई तकलीफ़ न पहुँचे, और फिर "अल्हम्दु लिल्लाह" बुलन्द आवाज़ से कहे। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 842. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला छींक को पसन्द फ़रमाता है और जमाई (जंभाई) को नापसन्द फ़रमाता है, सो जब तुम में से किसी को छींक आये तो वह "अल्हम्दु लिल्लाह" कहे तो सुनने वाले मुसलमान पर ज़रूरी है कि वह "यर्हमुकल्लाह" कहे, लेकिन जमाई चूँकि शैतान की तरफ़ से है इसलिये जहाँ तक मुम्किन हो उसे रोका जाये, क्योंकि तुम में से जब कोई जमाई लेता है तो शैतान हंसता है।

वज़ाहत:- जब जमाई (जंभाई) आये तो अपने मुँह पर हाथ रखकर उसे रोका जाये, अगर न रुके तो जमाई के वक़्त आवाज़ न निकाली जाये।

(फ़त्हुल्-बारी)

इजाज़त लेने का बयान

हदीस 843. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- छोटा बड़े को, चलने वाला बैठे हुए को और थोड़े आदमी ज़्यादा को सलाम करें।

वज़ाहतः- जमाअत को एक आदमी की तरफ़ से सलाम करना काफ़ी है और अगर जमाअत की तरफ़ से एक आदमी जवाब दे दे तो कोई हर्ज नहीं, और अगर तमाम जमाअत वाले जवाब दें तो भी ठीक है।

(फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 844. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सवार पैदल को, चलने वाला बैठे हुए को और थोड़े आदमी ज़्यादा को सलाम करें।

हदीस 845. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से एक शख़्स ने मालूम किया कि इस्लाम में कौनसा काम बेहतर है? आपने फ़रमाया- मोहताजों को खाना खिलाना और वाक़िफ़ व नावाक़िफ़ सब को सलाम करना।

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि क़ियामत की निशानियों में है कि इनसान सिर्फ़ अपने जान-पहचान वाले को सलाम करेगा, इसलिये चाहिये कि वाक़िफ़ व नावाक़िफ़ सब को ही सलाम करे। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 846. हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने घर में एक कंघे से सर मुबारक खुजला रहे थे कि एक शख़्स ने आपके हुजरे में किसी सुराख़ से झाँका, आपने फ़रमाया- अगर मुझे मालूम होता कि तुम झाँक रहे हो तो मैं तुम्हारी आँख में यह कंघा चुभो देता।

वज़ाहतः- अन्दर दाख़िल होने से पहले इजाज़त माँगना ज़रूरी है।

हदीस 847. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु लड़कों के पास से गुज़रे तो उन्हें सलाम किया और फ़रमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी ऐसा ही किया करते थे।

वज़ाहतः- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब अन्सार की ज़ियारत के लिये जाते तो उनके बच्चों को सलाम करते, उनके सर पर हाथ फेरते और उनके लिये ख़ैर व बरकत की दुआ फ़रमाते। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 848. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ ताकि अपने वालिद के क़र्ज़ के बारे में कुछ गुज़ारिश करूँ। मैंने दरवाज़े पर दस्तक दी तो आपने पूछा कौन है? मैंने कहा मैं हूँ। आपने फ़रमाया- मैं तो मैं भी हूँ (नाम क्यों नहीं बताते), आपने सिर्फ़ मैं हूँ कहने को बुरा ख़्याल किया।

हदीस 849. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कोई शख़्स दूसरे को उसकी जगह से उठाकर वहाँ न बैठे बल्कि खुल जाओ और दूसरों को जगह दो।

हदीस 850. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को काबे के सेहन में ऐसे बैठे हुए देखा कि आप अपने दोनों हाथों का पिंडलियों के गिर्द हल्क़ा (घेरा) बनाये हुए थे।

वज़ाहतः- कुछ हदीसों में वज़ाहत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने दोनों पाँव मिलाये, घुटनों को खड़ा किया, फिर दोनों हाथों से पिंडलियों का हल्क़ा (घेरा और दायरा) बनाया। (फ़त्हुल्-बारी)

नोटः- एक दूसरी हदीस में आपने जुमा के ख़ुतबे के दौरान इस तरह बैठने से मना फ़रमाया है, यानी आ़म हालत में इस तरह बैठ सकते हैं लेकिन जुमा के ख़ुतबे के दौरान इस तरह बैठने की मनाही आई है। इस तरह बैठने में ऊँघ और सुस्ती आने की संभावना है।

हदीस 851. हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब कहीं तुम सिर्फ़ तीन आदमी हों तो तीसरे को अलग करके दो मिलकर सरगोशी (कानाफूसी) न

करें, क्योंकि ऐसा करना तीसरे के लिये परेशानी का सबब है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि- हाँ जब और लोग शामिल हो जायें तो सरगोशी (चुपके-चुपके कान में बातें) करने में हर्ज नहीं है।

हदीस 852. हज़रत अबू मूसा ने कहा कि एक मर्तबा मदीना में रात के वक़्त किसी के घर में आग लग गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को उसका हाल बताया गया, आपने फ़रमाया- यह आग तो तुम्हारी दुश्मन है, जब तुम सोने लगो तो इसे बुझा दिया करो।

हदीस 853. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में ख़ुद अपने हाथों से एक घर बनाया था जो बारिश से बचाता और धूप में साया करता था, उसके बनाने में अल्लाह तआ़ला की मख़्लूक़ में से किसी ने इस काम में मेरी मदद न की थी।

वज़ाहतः- ज़रूरत से ज़्यादा तामीरात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने नापसन्द फ़रमाया। एक हदीस में है कि जब अल्लाह तआ़ला किसी बन्दे के साथ ख़ैरख़्वाही (भलाई) नहीं चाहते तो वह अपना माल तामीरात में ख़र्च करना शुरू कर देता है। (फ़त्हुल्-बारी)

दुआ़ओं का बयान

हदीस 854. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हर नबी के लिये एक मक़बूल दुआ़ होती है, जो वह माँगता है (उसे मिलता है) और मैं यह चाहता हूँ कि अपनी मक़बूल दुआ़ को आख़िरत में अपनी उम्मत की शफ़ाअ़त के लिये महफ़ूज़ रखूँ।

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि मैंने जो दुआ़ आख़िरत के लिये महफ़ूज़ रखी है उससे वह शख़्स ज़रूर लाभान्वित होगा जिसने मरते दम तक अल्लाह तआ़ला के साथ किसी को शरीक न किया था। इसका मतलब यह है कि शिर्क के अ़लावा दूसरे जराईम का करने वाला आख़िरकार जन्नत में पहुँच जायेगा। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 855. हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सय्यिदुल्-इस्तिग़फ़ार यह दुआ़ है-

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ لَآ اِلٰـهَ اِلَّآ اَنْتَ خَلَقْتَنِیْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰی عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْٓءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَیَّ وَاَبُوْٓءُ بِذَنْبِیْ فَاغْفِرْلِیْ فَاِنَّهٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ.

अल्लाहुम्-म अन्-त रब्बी ला इल्ला-ह इल्ला अन्-त ख़लक़्तनी व अ-न अ़ब्दु-क व अ-न अ़ला अ़हदि-क व वअ़्दि-क मस्ततअ़्तु अऊ़ज़ु बि-का मिन् शर्रि मा सनअ़्तु अबू-उ ल-क बिनिअ़्-मति-क अ़लय्-य व अबू-उ बिज़म्बी फ़ग़्फ़िर् ली फ़-इन्नहू ला यग़्फ़िरुज़्ज़ुनू-ब इल्ला अन्-त।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! आप मेरे मालिक हैं आपके अ़लावा कोई असली माबूद नहीं, आपने मुझे पैदा किया है मैं आपका बन्दा हूँ और अपनी हिम्मत के मुताबिक़ आप से किये हुए वादे और अ़हद पर क़ायम हूँ। मैंने जो बुरे काम किये हैं उनसे आपकी पनाह चाहता हूँ, मैं आपके एहसान और अपने गुनाह का इक़रार करता हूँ। मेरी ख़तायें बख़्श दीजिये आपके अ़लावा कोई गुनाह बख़्शने वाला नहीं।

आपने फ़रमाया- जिसने यह दुआ़ सच्चे दिल से दिन के वक़्त पढ़ी और वह उसी दिन शाम से पहले मर गया तो जन्नती है, और जिसने इसे रात के वक़्त ख़ालिस नीयत से पढ़ा और सुबह होने से पहले मर गया तो वह जन्नत वालों में से है।

वज़ाहतः- यह फ़ज़ीलत उस वक़्त हासिल होगी जब दिल में इख़्लास हो और पूरी तव्वजोह से इसे पढ़ा जाये, और यक़ीन भी हो। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 856. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमा रहे थे- अल्लाह की क़सम मैं तो हर रोज़ सत्तर बार से ज़्यादा अल्लाह तआ़ला से तौबा व इस्तिग़फ़ार करता हूँ।

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हर रोज़ कम से कम सौ मर्तबा इस्तिग़फ़ार करते थे। कुछ हदीसों में ये अलफ़ाज़ नकल किये गये हैं-

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَالْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ.

अस्तग़्फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इला-ह इल्ला हुवल्-हय्युल्-कय्यूमु व अतूबु इलैहि।

तर्जुमाः- मैं अल्लाह तआ़ला से माफ़ी माँगता हूँ जिसके अ़लावा कोई (सच्चा) माबूदे हक़ीक़ी नहीं है, वह ज़िन्दा और क़ायम है, और मैं उसी के हुज़ूर में तौबा करता हूँ। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 857. हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम सोने लगो तो नमाज़ के वुज़ू की तरह वुज़ू करो, फिर दाईं करवट पर लेट जाओ और यह दुआ़ पढ़ो-

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَ فَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَهْبَةً وَّرَغْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَاَ وَلَا مَنْجٰى مِنْكَ اِلَّآ اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ.

अल्लाहुम्-म अस्लम्तु नफ़्सी इलै-क व फ़व्वज़्तु अम्री इलै-क व अल्जअ्तु ज़ह्री इलै-क रह्बतंवू-व रग़्बतन् इलै-क ला मल्ज-अ व ला मन्ज-अ मिन्क इल्ला इलै-क, आमन्तु बिकिताबिकल्लज़ी अन्ज़ल्-त व बि-नबिय्यिकल्लज़ी अर्सल्-त।

तर्जुमा- ऐ अल्लाह! मैंने अपने आपको आपकी इताअ़त (फ़रमाँबरदारी) में दे दिया। अपना सब कुछ आपके सुपुर्द कर दिया। अपने मामलात आपके हवाले कर दिये, ख़ौफ़ की वजह से और आपकी (रहमत व सवाब की) उम्मीद में कोई पनाह की जगह आपके सिवा नहीं। मैं आपकी किताब पर ईमान लाया जो आपने नाज़िल की है और आपके नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) पर जिनको आपने भेजा है।

इसके बाद अगर तुम मर गये तो फ़ितरत (यानी दीने इस्लाम) पर मरोगे। पस इन कलिमात को (रात की) सबसे आख़िरी बात बनाओ जिन्हें तुम अपनी ज़बान से अदा करो।

हदीस 858. हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब रात को बिस्तर पर लेटते तो अपना दायाँ हाथ अपने दायें गाल के नीचे रख लेते और यह दुआ पढ़ते-

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَ اَحْيَا.

अल्लाहुम्-म बि-इस्मि-क अमूतु व अह्या।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! आपके ही नाम से मैं सोता और जागता हूँ।

और जब नींद से जागते तो यह दुआ पढ़ते-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُه

अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अह्याना बअ्-द मा अमातना व इलैहिन्नुशूर।

तर्जुमाः- उस अल्लाह तआ़ला का शुक्र है जिसने हमें मौत के बाद ज़िन्दा किया (सोने के बाद बेदार किया) और उसी की तरफ़ जाना है।

वज़ाहतः- इस हदीस में नींद को मौत कहा गया है क्योंकि इसमें भी ज़ाहिरी तौर पर रूह का बदन से ताल्लुक़ टूट जाता है। इसी वजह से नींद को मौत की बहन कहा जाता है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 859. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हमारा रब तआ़ला हर रात दुनिया के आसमान की तरफ़ नाज़िल होता (यानी अपनी ख़ास तवज्जोह फ़रमाता) है उस वक़्त जब रात का आख़िरी तिहाई हिस्सा बाक़ी रह जाता है तो फ़रमाता है- कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ क़ुबूल करूँ, कौन है जो मुझसे माँगे मैं उसे दूँ, कौन है जो मुझसे बख़्शिश तलब करे तो मैं उसकी बख़्शिश करूँ।

हदीस 860. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से कोई अपने

बिस्तर पर जाये तो कपड़े से बिस्तर झाड़े, क्योंकि उसे क्या मालूम है कि उसके पीछे उसमें क्या घुस गया है, और यह दुआ पढ़े-

بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ اَرْفَعُهُ. اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ.

बि-इस्मि-क रब्बी वज़अ्तु जम्बी व बि-क अर्फ़-उहू इन् अमसक्-त नफ़्सी फ़र्हम्हा व इन् अर्सल्-तहा फ़ह्फ़ज़्हा बिमा तह्फ़ज़ु बिही अिबादकस्सालिहीन।

तर्जुमाः- ऐ मेरे परवर्दिगार! मैं आपका मुबारक नाम लेकर अपना पहलू बिस्तर पर रखता हूँ और आपके ही मुबारक नाम से उसे उठाऊँगा। अगर आप मेरी जान रोक लें तो उस पर रहम फ़रमाना और अगर छोड़ दें तो उसकी हिफ़ाज़त फ़रमाना जैसे आप अपने नेक बन्दों की हिफ़ाज़त करते हैं।

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सोते वक़्त दायाँ हाथ गाल के नीचे रखकर यह दुआ तीन मर्तबा पढ़ते थे-

اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

अल्लाहुम्-म किनी अ़ज़ाब-क यौ-म तब्अ़सु अ़िबाद-क।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह करीम! जिस दिन आप अपने बन्दों को ज़िन्दा करके उठायेंगे उस दिन मुझे अपने अ़ज़ाब से बचाना।

हदीस 861. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कोई तुम में से यूँ दुआ न करे कि या अल्लाह! अगर आप चाहें तो मुझे बख़्श दीजिये, अगर चाहें तो मुझ पर रहम फ़रमाईये, बल्कि यकीन के साथ दुआ करे, इसलिये कि उस पर किसी का दबाव नहीं है।

वज़ाहतः- दुआ करने वाला दुआ करते वक़्त अपने मालिक का दामन न छोड़े, बहुत ही आजिज़ी से क़ुबूलियत की उम्मीद रखते हुए दुआ करे। मायूसी अपने क़रीब न आने दे। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 862. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से हर एक की दुआ क़ुबूल

होती है शर्त यह है कि वह जल्दबाज़ी का मामला न करे। यूँ न कहे कि मैंने दुआ की थी मगर क़ुबूल नहीं हुई।

वज़ाहतः- मुसलमान की दुआ ज़ाया (बेकार) नहीं होती, उसकी क़ुबूलियत की चन्द सूरतें है- जो चीज़ माँगी है वही फ़ौरन मिल जाती है या उसके बदले में किसी बुराई को उससे दूर कर दिया जाता है या फिर आख़िरत के लिये ज़ख़ीरा बन जाती है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 863. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मुसीबत के वक़्त यह दुआ किया करते थे-

لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ. لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

ला इला-ह इल्लल्लाहुल्-अ़ज़ीमुल्-हलीमु ला इला-ह इल्लल्लाहु रब्बुल्-अ़ज़ीम। ला इला-ह इल्लल्लाहु रब्बुस्समावाति व रब्बुल्-अर्ज़ि व रब्बुल्-अ़र्शिल्-करीम।

तर्जुमाः- अल्लाह तआ़ला बड़ी अ़ज़मत और हिल्म (बरदाश्त) वाले के अ़लावा कोई माबूदे हक़ीक़ी नहीं है, अल्लाह तआ़ला बड़े तख़्त के मालिक के अ़लावा कोई माबूदे हक़ीक़ी नहीं है, अल्लाह तआ़ला ज़मीन व आसमान और अ़र्शे करीम के मालिक के अ़लावा कोई माबूदे हक़ीक़ी नहीं है।

हदीस 864. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते थे- ऐ अल्लाह! जिस मोमिन को मैंने बुरा कहा हो उसके लिये मेरा यह बुरा कहना क़ियामत के दिन अपनी निकटता का ज़रिया बना दे।

वज़ाहतः- आप भी यही अ़मल बार-बार करें।

हदीस 865. हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इन कलिमात को पढ़ने का हुक्म फ़रमाया करते थे-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اُرَدَّ اِلٰی اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अऊज़ु बि-क मिनल्-बुख़्लि व अऊज़ु बि-क मिनल्-जुब्नि व अऊज़ु बि-क मिन् अन् उरद्-द इला अर्ज़लिल्-अुमुरि व अऊज़ु बि-क मिन् फ़ित्नतिद्दुन्या व अऊज़ु बि-क मिन् अज़ाबिल्-क़ब्रि।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैं बुख़्ल (कन्जूसी), बुज़दिली (कायरता), नकम्मी उम्र तक ज़िन्दा रहने, दुनिया के फ़ितने और अज़ाबे क़ब्र से आपकी पनाह चाहता हूँ।

हदीस 866. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अक्सर यूँ दुआ फ़रमाया करते थे-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیٓ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسْلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰی وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ. اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ عَنِّیْ خَطَايَایَ بِمَآءِ الثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّ قَلْبِیْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِیْ وَبَيْنَ خَطَايَایَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अऊज़ु बि-क मिनल्-कस्लि वल्-ह-रमि वल्-मअ्समि वल्-मग़्रमि व मिन् फ़ित्नतिल्-क़ब्रि व अज़ाबिल्-क़ब्रि व मिन् फ़ित्नतिन्नारि व अज़ाबिन्नारि व मिन् शर्रि फ़ित्नतिल्-ग़िना व अऊज़ु बि-क मिन् फ़ित्नतिल्-फ़क़्रि व अऊज़ु बि-क मिन् फ़ित्नतिल् -मसीहिद्दज्जालि, अल्लाहुम्मग़्सिल् अन्नी ख़ताया-य बिमाइस्सल्जि वल्-बर्दि व नक़्क़ि क़ल्बी मिनल्-ख़ताया कमा नक़्क़ैतस्सौबल्-अब्य-ज़ मिनद्द-नसि व बाअिद् बैनी व बै-न ख़ताया-य कमा बाअद्-त बैनल्-मश्रिक़ि वल्-मग़्रिबि।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैं सुस्ती, बुढ़ापे, गुनाह, क़र्ज़, क़ब्र के फ़ितने और

अज़ाबे जहन्नम के फ़ितने और आग के अज़ाब और मालदारी के फ़ितने के शर (बुराई) से और मोहताजी व दज्जाल के फ़ितने से आपकी पनाह चाहता हूँ। ऐ अल्लाह! मेरे गुनाहों को बर्फ़ और ओलों के पानी से धो दे और मेरा दिल गुनाहों से ऐसा साफ़ कर दे जैसे कि सफ़ेद कपड़े को मैल-कुचैल से साफ़ किया जाता है, और मुझ में और मेरे गुनाहों में पूरब व पश्चिम जितना फ़ासला कर दे।

वज़ाहतः- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अक्सर वक़्तों में क़र्ज़ और गुनाह से पनाह माँगा करते थे। हज़रत आ़यशा ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! आप ऐसा क्यों करते हैं? आपने फ़रमाया- आदमी जब क़र्ज़दार हो जाता है तो बात-बात पर झूठ बोलता है और वादा-ख़िलाफ़ी करता है।

(फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 867. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अक्सर यूँ दुआ़ किया करते थे-

اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या ह-स-नतंव्-व फ़िल्-आख़िरति ह-स-नतंव्-व क़िना अ़ज़ाबन्नार।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! हमें दुनिया में नेकियों की तौफ़ीक़ और आख़िरत में नेकियों की जज़ा अ़ता फ़रमाईये और हमें जहन्नम के अ़ज़ाब से बचा दीजिये।

वज़ाहतः- हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु यह दुआ़ बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे और फ़रमाते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम भी इसे बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। यह दुआ़ दुनिया और आख़िरत की तमाम भलाईयों पर मुश्तमिल (आधारित) है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 868. हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम यूँ दुआ़ किया करते थे-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِىْ وَجَهْلِىْ وَاِسْرَافِىْ فِىْ اَمْرِىْ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ هَزْلِىْ وَجِدِّىْ وَخَطَئِىْ وَعَمَدِىْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِىْ.

अल्लाहुम्मग़्फ़िर् ली ख़ती-अती व जह्ली व इस्राफ़ी फ़ी अम्री व मा अन्-त अअ्लमु बिही मिन्नी, अल्लाहुम्मग़्फ़िर् ली हज़्ली व जद्दी व ख़ता-ई व अ-मदी व कुल्लु ज़ालि-क ज़िन्दी।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मेरी ख़ता और जहालत माफ़ कर दें और जो ज़्यादती मैंने तमाम कामों में की उसे माफ़ कर दें जिसे आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं उसे भी माफ़ कर दें। ऐ अल्लाह! मेरी भूल-चूक, जान-बूझकर और अनजाने में किये गये बुरे काम, मेरी नादानी और मेरी किसी मामले में ज़्यादती को माफ़ कर दें और (मुझे इक़रार है कि) ये सब मेरे अन्दर मौजूद हैं।

वज़ाहतः- एक दूसरी हदीस में इस दुआ के आख़िर में ये कलिमात भी नक़ल किये गये हैं-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ مَا قَدَّمْتُ وَمَآ اَخَّرْتُ وَمَآ اَسْرَرْتُ وَمَآ اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَاَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ

अल्लाहुम्मग़्फ़िर् ली मा क़द्दम्तु व मा अख़्ख़र्तु व मा अस्रर्तु व मा अअ्लन्तु अन्तल्-मुक़द्दिमु व अन्तल्-मुअख़्ख़िरु व अन्-त अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! आप मुझे माफ़ कर दें जो कुछ मैंने पहले किया और जो कुछ मैंने बाद में किया, जो कुछ मैंने छुपकर किया और जो कुछ खुल्लम-खुल्ला किया, आप ही आगे ले जाने वाले हैं और आप ही पीछे करने वाले हैं, और आप हर चीज़ पर क़ादिर हैं।

वज़ाहतः- आप यह दुआ नमाज़ के दौरान सलाम से पहले और कभी सलाम के बाद पढ़ते थे। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 869. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो कोई इस दुआ को दिन में सौ बार पढ़े तो उसे दस गुलामों के आज़ाद करने का सवाब मिलेगा और उसके लिये सौ नेकियाँ लिखी जायेंगी, सौ बुराईयाँ ख़त्म कर दी जायेंगी और वह तमाम दिन शैतान के शर से महफ़ूज़ रहेगा और उससे कोई शख़्स

बेहतर न होगा मगर वह जो उससे भी ज़्यादा पढ़े। दुआ यह है-

لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ وَحْـدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरी-क लहू लहुल्-मुल्कु व लहुल्-हम्दु व हु-व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर।

तर्जुमाः- अल्लाह तआ़ला के अ़लावा कोई माबूदे हक़ीक़ी नहीं, वह अकेला है उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिये तारीफ़ है वही हर चीज़ पर क़ादिर है।

वज़ाहतः- बुख़ारी की एक दूसरी हदीस में है कि आपने फ़रमाया- जिसने (ऊपर ज़िक्र हुई दुआ को) दस मर्तबा पढ़ा वह उस शख़्स की तरह होगा जिसने हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम की औलाद में से कोई ग़ुलाम आज़ाद किया हो। एक और रिवायत में फ़जर की नमाज़ के बाद किसी से गुफ़्तगू करने से पहले पढ़ने का ज़िक्र है, यह कलिमा गुनाहगारों के लिये बहुत काम की चीज़ है। (फ़त्हुल-बारी)

हदीस 870. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसने-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ.

सुब्हानल्लाहि व बि-हम्दिही

तर्जुमाः- मैं अल्लाह की तारीफ़ के साथ-साथ उसकी पाकीज़गी बयान करता हूँ।

दिन में सौ मर्तबा पढ़ा उसके तमाम (छोटे) गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे अगरचे वो समन्दर के झाग के बराब ही क्यों न हों।

हदीस 871. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र करे और जो न करे उनकी मिसाल ज़िन्दा और मुर्दा जैसी है।

नरम-दिली का बयान

हदीस 872. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सेहत और फ़रागत दो ऐसी नेमतें हैं जिनकी लोग क़द्र नहीं करते।

वज़ाहतः- जो लोग तन्दुरुस्ती और फ़रागत को सिर्फ़ दुनियावी फ़ायदे के हासिल करने में ख़र्च करते हैं वे नुक़सान उठाते हैं, बल्कि सेहत और फ़रागत में आख़िरत के लिये ज़्यादा से ज़्यादा काम करने चाहियें।

हदीस 873. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मेरे दोनों कन्धों को पकड़कर फ़रमाया- दुनिया में इस तरह रहो जिस तरह कोई मुसाफ़िर रहता है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाया करते थे कि जब शाम हो तो सुबह का इन्तिज़ार न करो और जब सुबह हो तो शाम के मुन्तज़िर न रहो, बल्कि तन्दुरुस्ती में बीमारी का सामान कर लो और ज़िन्दगी में अपनी मौत का सामान कर लो।

वज़ाहतः- जिस तरह कोई मुसाफ़िर परदेस को अपना असली वतन नहीं समझता इसी तरह मोमिन को चाहिये कि वह दुनिया को अपना असली वतन न समझे। एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- दुनिया में ख़ुद को क़ब्र वालों में से शुमार करो। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 874. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक मुरब्बा ख़त (चौकोर लकीर) खींचा और उस ख़त के दोनों तरफ़ कुछ और छोटे-छोटे ख़ुतूत (लकीरें) बनाये और फ़रमाया- यह दरमियानी ख़त इनसान है और यह मुरब्बा ख़त उसकी अजल (मौत) है जो उसे घेरे हुए है, और यह बाहर निकला हुआ ख़त उसकी आरज़ू व उम्मीद है और ये छोटे-छोटे ख़ुतूत आफ़तें व हादसे हैं, अगर इससे इनसान बचा तो उसमें फंस गया अगर उससे बचा तो इसमें मुब्तला हो गया।

वज़ाहतः- इनसान ऐसी-ऐसी इच्छायें रखता है जो उम्र भर पूरी नहीं हो

सकतीं। इसलिये ऐसी इच्छायें आख़िरत से इनसान को ग़ाफ़िल कर देती हैं, उनसे बचना चाहिये। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 875. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ज़मीन पर चन्द ख़ुतूत (लकीरें और दायरे) खींचे फिर फ़रमाया- यह आदमी की आरज़ू है और यह उसकी उम्र है, इनसान लम्बी आरज़ू के चक्कर में रहता है इतने में क़रीब वाला ख़त उसे आ पहुँचता है यानी मौत आ जाती है।

वज़ाहतः- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुझे इच्छाओं की पैरवी और लम्बी तमन्नाओं का ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि इच्छा की पैरवी (यानी उसको पूरा करने की कोशिश में लगा रहना) इनसान को हक़ से रोक देती है और लम्बी तमन्नायें आख़िरत से ग़ाफ़िल कर देती हैं।

(फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 876. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने उस शख़्स के तमाम उज़्र (बहाने) ख़त्म कर दिये जिसे लम्बी उम्र दी, यहाँ तक कि वह साठ बरस को पहुँच गया।

वज़ाहतः- जब काफ़िर चीख़-चीख़कर जहन्नम से निकलने का मुतालबा करेंगे तो अल्लाह तआ़ला फ़रमायेंगे- क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र न दी थी जिसमें अगर तुम सबक़ लेना चाहते तो ले सकते थे, और तुम्हारे पास सचेत करने वाला भी आ चुका था। अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये क़ुरआन की आयत की तफ़सीर। (सूरः फ़ातिर 35, आयत 37)

हदीस 877. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बूढ़े आदमी का दिल दो चीज़ों के बारे में जवान रहता है- दुनिया की मुहब्बत (दौलत के लालच) और लम्बी उम्र की इच्छा में।

हदीस 878. हज़रत इतबान बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत के दिन जो शख़्स इस हालत में हाज़िर हो कि दुनिया में उसने ख़ालिस अल्लाह की रज़ा

के लिये "ला इला-ह इल्लल्लाहु" कहा हो तो अल्लाह तआ़ला उस पर जहन्नम को हराम कर देंगे।

हदीस 879. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला इरशाद फ़रमाते हैं कि जिस मोमिन बन्दे की महबूब चीज़ हम दुनिया से उठा लें और वह उस पर सब्र करे तो उसकी जज़ा हमारे यहाँ सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं है।

वज़ाहतः- यानी उसका बेटा, भाई या और कोई चीज़ जिस से वह मुहब्बत करता है, अगर वह सब्र का प्रदर्शन करे और शिकायत का हर्फ़ ज़बान पर न लाये तो उसे अल्लाह तआ़ला के फ़ज़्ल व करम से जन्नत में ठिकाना मिलेगा। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 880. हज़रत मिरदास असलमी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- (क़ियामत के नज़दीक) नेक लोग दुनिया से एक के बाद एक उठा लिये जायेंगे, बाक़ी जौ के भूसे और खजूर के कचरे की तरह कुछ लोग रह जायेंगे जिनकी अल्लाह तआ़ला को ज़र्रा भर परवाह न होगी।

वज़ाहतः- नेक लोगों का दुनिया से रुख़सत होना क़ियामत की एक निशानी है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 881. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर आदम के बेटे (यानी इनसान) को दो वादियाँ माल से भरी मिल जायें तो यह तीसरी वादी (जंगल) की तलाश में परेशान होगा, और आदम के बेटे का पेट तो मिट्टी ही भरेगी, लेकिन जो अल्लाह तआ़ला की तरफ़ झुकता है अल्लाह तआ़ला भी उस पर मेहरबान हो जाता है।

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि हर उम्मत को एक फ़ितना पेश आता था और मेरी उम्मत के लिये ख़तरनाक फ़ितना माल व दौलत की फ़रावानी (ज़्यादती व अधिकता) है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 882. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा

कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से कौन ऐसा है जिसको अपने वारिस का माल ख़ुद अपने माल से ज़्यादा प्यारा हो? सब ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! हम सब को अपना ही माल महबूब (प्यारा) है। फ़रमाया- अपना माल तो वह है जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करके आगे भेज दिया, जो छोड़कर मरे वह तो वारिसों का माल है।

हदीस 883. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम यूँ दुआ़ किया करते थे-

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْ اٰلَ مُحَمَّدٍ قُوْتًا.

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मुहम्मद की आल को ज़रूरत के मुताबिक़ रिज़्क़ अ़ता फ़रमा।

वज़ाहतः- आप अगर पेट भरकर खजूर खाते तो जौ की रोटी मयस्सर न आती थी, ज़िन्दगी गुज़ारने के इस तरीक़े से अमीरी की आफ़त और फ़क्र व फ़ाक़े के फ़ितने दोनों से निजात मिल गई थी। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 884. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से किसी को उसके आमाल निजात न देंगे, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! आपके आमाल भी नहीं? आपने फ़रमाया मुझे भी मेरे आमाल निजात नहीं देंगे मगर यह कि अल्लाह तआ़ला मुझे अपनी रहमत में ढाँप ले। तुम्हें चाहिये कि सही तरीक़े से अ़मल करते रहो, दरमियानी रास्ते पर हमेशगी इख़्तियार करो, हर सुबह और रात के पिछले हिस्से में कुछ इबादत करो। एतिदाल (दरमियानी चाल) इख़्तियार करो। उस एतिदाल से तुम अपनी मन्ज़िले मक़सूद तक पहुँच जाओगे।

वज़ाहतः- जन्नत में दाख़िल होना तो अल्लाह की रहमत से ही मुम्किन होगा, फिर जन्नत के दर्जे आमाल के मुताबिक़ तक़सीम होंगे और नेक आमाल ही अल्लाह की रहमत का ज़रिया हैं। इसलिये अल्लाह की रहमत को जोश दिलाने के लिये नेक आमाल ज़रूरी हैं।

हदीस 885. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सवाल किया गया कि अल्लाह तआ़ला को

कौनसा अमल ज़्यादा महबूब है? फ़रमाया- जो हमेशा किया जाये चाहे थोड़ी मिक़्दार में हो।

वज़ाहतः- नेकी करने में इतनी तकलीफ़ उठाओ जितनी ताक़त हो। पसन्दीदा अमल वही है जिस पर हमेशगी की जाये, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपनी सेहत से ज़्यादा काम शुरू कर दो फिर उक्ताकर उसे छोड़ दो। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 886. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर काफ़िर को अल्लाह तआला के यहाँ की तमाम रहमतों का पता चल जाये तो कभी जन्नत से मायूस न हो, और अगर मोमिन को अल्लाह तआला के यहाँ के हर क़िस्म के अज़ाब का मालूम हो जाये तो वह कभी जहन्नम से बेख़ौफ़ न हो।

वज़ाहतः- उम्मीद और ख़ौफ़ की दरमियानी कैफ़ियत का नाम ईमान है। अल्लाह तआला की रहमत से मायूस होना भी कुफ़्र है और अपने आमाल पर पूरी तरह भरोसा और तकिया करना भी तबाही का सबब है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 887. हज़रत सहल बिन सअ़द रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो मुझे अपने जबड़ों के दरमियान (यानी ज़बान) और अपनी टाँगों के दरमियान (यानी शर्मगाह) की ज़मानत दे दे तो मैं उसके लिये जन्नत का ज़ामिन (गारंटर) हूँ।

वज़ाहतः- अगर इन दोनों के शर (बुराई) से अपने आपको बचा लें तो बेशुमार गुनाहों से बच सकते हैं। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 888. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- आदमी कभी ऐसी बात मुँह से निकालता है जिसमें अल्लाह तआला की रज़ामन्दी होती है हालाँकि वह उसको कुछ अहमियत नहीं देता, तो उसकी वजह से अल्लाह तआला उसके दर्जे बुलन्द कर देते हैं, और कभी बन्दा अल्लाह तआला की नाराज़गी की कोई बात ग़ैर-शऊरी तौर पर (बिना सोचे-समझे) मुँह से निकाल बैठता है लेकिन उसकी वजह से अल्लाह तआला उसे जहन्नम में डाल देते हैं।

वज़ाहतः- ज़बान की हिफ़ाज़त करनी चाहिये। इसके लिये ज़रूरी है कि गुफ़्तगू से पहले उसका वज़न कर लिया जाये, अगर उसमें कोई मस्लेहत है तो बात करे वरना बस ख़ामोश रहे। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 889. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैं और जो अल्लाह तआला ने मुझे देकर भेजा है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख़्स ने अपनी क़ौम से कहा कि मैंने दुश्मन का लश्कर अपनी आँखों से देखा है और मैं तुम्हें खुले और स्पष्ट तौर पर डराने वाला हूँ। भागो और उससे बचो। एक जमाअत ने उसका कहा माना और रात ही रात में इत्मीनान से निकल गया, उन्होंने तो अपनी जान बचा ली, और कुछ लोगों ने उसकी बात न मानी यहाँ तक कि सुबह के वक़्त वह लश्कर आ पहुँचा, फिर उसने उन्हें तबाह कर डाला।

वज़ाहतः- अल्लाह तआला का अज़ाब बिल्कुल तैयार है, सच्चे दिल से तौबा करके अपने आपको बचाओ।

हदीस 890. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जहन्नम नफ़्सानी इच्छाओं से ढाँप दी गई है, और जन्नत मुश्किलों और दुश्वारियों से ढाँपी हुई है।

वज़ाहतः- अल्लाह तआला का फ़रमान है-

तर्जुमाः- जिसने सरकशी (अल्लाह व रसूल की नाफ़रमानी) करते हुए दुनियावी ज़िन्दगी को तरजीह दी तो दोज़ख़ ही उसका ठिकाना होगा, और जिसने अपने रब के सामने पेश होने का ख़ौफ़ किया और नफ़्स को बुरी इच्छाओं से बाज़ रखा उसका ठिकाना जन्नत में होगा।

(सूरः नाज़िआत 79, आयत 37-41)

हदीस 891. हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जन्नत तुम्हारी जूती के तस्मे से ज़्यादा क़रीब है, इसी तरह जहन्नम भी बेहद क़रीब है।

वज़ाहतः- इनसान सवाब की बात को हक़ीर (मामूली और बेक़ीमत) ख़्याल न करे शायद अल्लाह तआला को वही पसन्द आ जाये और उसकी निजात का ज़रिया बन जाये, इसी तरह गुनाह की बात को मामूली ख़्याल न

करे शायद अल्लाह तआ़ला नाराज़ होकर उसे जहन्नम में डाल दे।

(फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 892. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से किसी की नज़र ऐसे शख़्स पर पड़े जो माल व ख़ूबसूरती में तुम से बढ़कर हो तो उसे उन लोगों को भी देखना चाहिये जो इन बातों में उससे कम हों।

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि जो शख़्स दुनियावी लिहाज़ से अपने से कमतर को देखकर अल्लाह तआ़ला का शुक्र अदा करता है और दीनी लिहाज़ से अपने से बेहतर को देखकर उसकी पैरवी करता (यानी उसकी तरह अ़मल में आगे बढ़ने की कोशिश करता) है तो अल्लाह तआ़ला के यहाँ साबिर व शाकिर लिखा जाता है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 893. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने परवर्दिगार से नक़ल करते हुए फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने नेकियाँ और बुराईयाँ सब लिख दी हैं। फिर इसकी तफ़सील यूँ बयान की कि जिसने सिर्फ़ नेकी का इरादा किया उस पर अ़मल न कर सका तब भी अल्लाह तआ़ला उसके लिये पूरी नेकी लिख देते हैं, और जिसने नेकी का इरादा किया और उस पर अ़मल भी किया तो उसके नामा-ए-आमाल में दस से लेकर सात सौ तक बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा नेकियाँ लिख देंगे, लेकिन जिसने बुराई का इरादा किया फिर वह बुराई न की तो उसके लिये भी अल्लाह तआ़ला एक पूरी नेकी लिख देते हैं, लेकिन जिसने इरादा करके बुराई कर डाली तो उसके लिये अल्लाह तआ़ला एक ही बुराई लिख देते हैं।

अधिक मालूमात के लिये पढ़िये तफ़सीर (सूरः ब-क़रह 2, आयत 261)

हदीस 894. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना, आप फ़रमा रहे थे- इनसानों का हाल तो ऊँटों की तरह है कि सौ ऊँटों में एक ऊँट भी तेज़ सवारी के क़ाबिल नहीं मिलता।

वज़ाहतः- ऐसे लोग बहुत कम हैं जो ईमानदार और मामले को समझने

वाले हों जो अपने दोस्तों के मुताल्लिक़ नरम-मिज़ाजी का मामला करने वाले हों। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 895. हज़रत जुन्दुब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसने सुनाने (यानी शोहरत पाने) के लिये नेक काम किया अल्लाह तआ़ला (क़ियामत के दिन) उसकी बुरी नीयत का हाल सब को सुना देंगे, जिसने दिखलावे के लिये काम किया अल्लाह तआ़ला उसका दिखलावा ज़ाहिर कर देंगे।

वज़ाहतः- नेक आमाल को पोशीदा रखना चाहिये लेकिन जिनकी लोग इक़्तिदा (पैरवी) करते हैं अगर वे अपने अ़मल ज़ाहिर कर दें तो हर्ज नहीं, क्योंकि उससे लोगों की इस्लाह (सुधार) मक़सद होती है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 896. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला का इरशाद है कि जिसने हमारे दोस्त से दुश्मनी की हम उसे ख़बरदार कर देते हैं कि हम उससे लड़ेंगे और हमारा बन्दा जिन-जिन इबादतों से हमारी निकटता हासिल करता है उनमें कोई इबादत हमें उस इबादत से ज़्यादा पसन्द नहीं जो हमने उस पर फ़र्ज़ की है, और हमारा बन्दा नवाफ़िल की अदायेगी से हमारे इतने क़रीब हो जाता है कि हम उस से मुहब्बत करने लगते हैं, और जब हम उससे मुहब्बत करते हैं तो हम उसका कान बन जाते हैं जिससे वह सुनता है और उसकी आँख बन जाते हैं जिससे वह देखता है और उसका हाथ बन जाते हैं जिससे वह पकड़ता है और उसके पाँव बन जाते हैं जिससे वह चलता है, वह अगर हम से माँगता है तो हम उसे देते हैं, वह अगर पनाह तलब करता है तो उसे पनाह देते हैं, और हमें किसी काम में जिसे करना चाहते हैं इतनी पसोपेश नहीं होती जितनी अपने मुसलमान बन्दे की जान निकालने में होती है, वह तो मौत को (जिस्मानी तकलीफ़ के सबब) बुरा समझता है और हमें भी उसे तकलीफ़ देना नागवार गुज़रता है।

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि हम अपने बन्दे का दिल बन जाते हैं जिससे वह समझता है और उसकी ज़बान बन जाते हैं जिससे वह गुफ़्तगू करता है, यानी जब बन्दा अल्लाह तआ़ला की इबादत में डूब जाता है और

महबूबियत के मर्तबे पर पहुँचता है तो उसके ज़ाहिरी और बातिनी हवास सब शरीअ़त के ताबे हो जाते हैं। वह हाथ-पाँव, कान-आँख, ज़ुबान और दिल व दिमाग़ से वही काम लेता है जिसमें अल्लाह तआ़ला की मर्ज़ी होती है, उससे शरीअ़त के ख़िलाफ़ कोई काम सर्ज़द नहीं होता। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 897. हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स अल्लाह तआ़ला से मिलने को पसन्द करता है तो अल्लाह तआ़ला भी उससे मुलाक़ात को पसन्द करते हैं और जो अल्लाह तआ़ला से मिलने को बुरा समझता है तो अल्लाह तआ़ला भी उससे मिलने को बुरा जानते हैं। हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! हम सब मौत को नापसन्द करते हैं। आपने फ़रमाया- इसका मतलब यह नहीं है बल्कि बात यह है कि मोमिन के पास जब मौत आ रही होती है तो उसे अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से रज़ामन्दी और उसकी कामयाबी की ख़ुशख़बरी दी जाती है। वह उस वक़्त उन इनामात से ज़्यादा जो उसे आगे मिलने होते हैं किसी दूसरी चीज़ को पसन्द नहीं करता, इसलिये वह अल्लाह तआ़ला से जल्द मिलने की आरज़ू करता है और अल्लाह तआ़ला भी उसकी मुलाक़ात को पसन्द करते हैं। और जब काफ़िर की मौत का वक़्त आता है और उसे अल्लाह तआ़ला के अ़ज़ाब की ख़बर दी जाती है जो उसे आगे मिलने वाला होता है तो वह उसे पसन्द नहीं करता, इसलिये वह अल्लाह तआ़ला से मिलना नापसन्द करता है और अल्लाह तआ़ला भी उससे मिलना पसन्द नहीं करते।

वज़ाहतः- जो शख़्स दुनिया से नफ़रत करता है वह गोया अल्लाह तआ़ला से मुलाक़ात का इच्छुक है, और जो दुनिया को चाहता है वह गोया अल्लाह तआ़ला से मुलाक़ात करना नहीं चाहता। जिस शख़्स को अल्लाह तआ़ला से मुलाक़ात का शौक़ होगा वह उसकी तैयारी करेगा, और जिसे अल्लाह तआ़ला के सामने पेश होने का ख़ौफ़ होगा वह भी दुनिया में एहतियात से क़दम रखेगा। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 898. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में कुछ देहाती लोग आये और पूछा कि क़ियामत कब आयेगी? आपने उनमें से एक छोटी उम्र वाले की तरफ़ देखकर फ़रमाया इसका बुढ़ापा आने से पहले-पहले तुम पर क़ियामत क़ायम हो जायेगी, यानी तुम्हें मौत आ जायेगी।

वज़ाहत:- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मौत को क़ियामत क़रार दिया है। चूँकि क़ियामत के दिन सब बेहोश हो जायेंगे और मौत में भी बेहोशी होती है जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम वफ़ात के वक़्त अपना हाथ पानी में डालते और अपने मुँह पर फेरते, फिर फ़रमाते- ला इला-ह इल्लल्लाहु मौत में बड़ी सख़्तियाँ हैं। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 899. हज़रत सहल बिन सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत के दिन लोगों का हश्र सफ़ेद गेहूँ की रोटी जैसी साफ़ और सफ़ेद ज़मीन पर किया जायेगा। हज़रत सहल ने कहा कि यह ज़मीन बेनिशान होगी।

वज़ाहत:- ज़मीन की मौजूदा शक्ल बदल दी जायेगी, क़ुरआने करीम में इसको स्पष्ट रूप से बयान किया गया है देखिये (सूरः इब्राहीम 14, आयत 48) इस पर कोई मकान या पहाड़ या दरख़्त वग़ैरह नहीं रहेंगे और इसे मैदाने मेहशर बना दिया जायेगा। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 900. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत के दिन लोगों के तीन गिरोह बनेंगे जो (मुल्क शाम की जानिब मैदाने) हश्र (में जमा) किये जायेंगे। एक गिरोह रहमत की उम्मीद रखे हुए अपने अन्जाम से डरता होगा। दूसरा गिरोह एक ऊँट पर दो-दो, तीन-तीन, चार-चार बल्कि दस-दस आदमी बैठकर निकलेंगे, और तीसरे गिरोह को आग लेकर चलेगी, जहाँ पर ये लोग दोपहर के वक़्त आराम के लिये ठहरेंगे वहाँ वह आग भी ठहर जायेगी और जहाँ रात को ठहर जायेंगे वह आग भी ठहर जायेगी। जहाँ वे सुबह को ठहरेंगे वहाँ वह आग भी उनके साथ ठहरेगी और जहाँ वे शाम करेंगे वहाँ वह आग भी शाम करेगी।

वज़ाहत:- हश्र की तीन मन्ज़िलें हैं-

1. पूरब की तरफ़ से आग निकलेगी जो लोगों को पश्चिम की तरफ़ हाँक कर लायेगी।

2. जब लोग क़ब्रों से मैदाने मेहशर में इकट्ठे होंगे। 3.

जब फ़ैसले के बाद जन्नत या जहन्नम की तरफ़ उन्हें रवाना किया जायेगा। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 901. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम क़ियामत के दिन नंगे पाँव, नंगे बदन और बग़ैर ख़तना हुए उठाये जाओगे। हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! मर्द और औ़रतें सब एक दूसरे के सतर को देखेंगे? आपने फ़रमाया- वह वक़्त तो मौत से भी ज़्यादा सख़्त और ख़तरनाक होगा, वे ऐसा इरादा भी न कर सकेंगे।

वज़ाहतः- हज़रत आ़यशा ने अपनी तबई शर्म व हया का इज़्हार किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि उस दिन हर इनसान को अपनी पड़ी होगी, मर्द औ़रतों की तरफ़ और औ़रतें मर्दों की तरफ़ नहीं देखेंगी। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 902. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत के दिन लोगों को इतना पसीना आयेगा कि ज़मीन में सत्तर गज़ तक फैल जायेगा, पसीना उनके मुँह बल्कि कानों तक पहुँच जायेगा।

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि काफ़िर क़ियामत की सख़्ती की वजह से अपने पसीने में डूब रहे होंगे, अलबत्ता ईमान वाले हज़रात मस्नदों पर होंगे और उन पर बादलों का साया होगा। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 903. हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत के दिन सबसे पहले लोगों में ख़ून (क़त्ल) का फ़ैसला किया जायेगा।

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि सबसे पहले नमाज़ का हिसाब होगा। मतलब यह है कि अल्लाह के हुक़ूक़ में सबसे पहले नमाज़ का और बन्दों के हुक़ूक़ में सबसे पहले ख़ूने नाहक़ का फ़ैसला किया जायेगा।

(फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 904. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब जन्नत वाले जन्नत में और जहन्नम वाले जहन्नम में पहुँच जायेंगे तो मौत को (मेंढे की शक्ल में) जन्नत और दोज़ख़ के दरमियान लाकर ज़िबह कर दिया जायेगा। फिर एक पुकारने वाला पुकारेगा- ऐ जन्नत वालो! तुमको मौत नहीं आयेगी, और ऐ जहन्नम वालो! तुमको भी मौत नहीं आयेगी। यह ऐलान सुनने के बाद जन्नत वालों को ख़ुशी पर ख़ुशी होगी और जहन्नम वालों के रंज व ग़म में और ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जायेगा।

हदीस 905. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआला जन्नत वालों से फ़रमायेंगे- ऐ जन्नत वालो! वे अर्ज़ करेंगे परवर्दिगार हम हाज़िर हैं, इरशाद हो। अल्लाह तआला फ़रमायेंगे अब तुम राज़ी हो? वे अर्ज़ करेंगे अब भी ख़ुश न होंगे जबकि आपने हमें ऐसी-ऐसी नेमतें अता फ़रमाई हैं जो अपनी सारी मख़्लूक़ में से किसी को नहीं दीं। फिर अल्लाह तआला इरशाद फ़रमायेंगे- हम इससे बढ़कर एक चीज़ तुम्हें इनायत करते हैं। वे अर्ज़ करेंगे या अल्लाह तआला! वह क्या चीज़ है जो इससे बेहतर है? तब अल्लाह तआला फ़रमायेंगे- हमने अपनी रज़ा तुम्हें अता कर दी, अब हम तुमसे (कभी भी) नाराज़ नहीं होंगे।

वज़ाहत:- अल्लाह तआला जन्नत वालों से एक और अन्दाज़ से भी गुफ़्तगू करेंगे, फिर उन्हें अपनी ज़ियारत से सम्मानित करेंगे। अल्लाह तआला का दीदार ऐसी नेमत होगी कि उससे बढ़कर जन्नत वालों को और कोई नेमत महबूब (प्यारी) न होगी। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 906. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत के दिन काफ़िर के दोनों कन्धों के बीच का फ़ासला तेज़-रफ़्तार सवार के तीन दिन के चलने के बराबर होगा।

वज़ाहत:- मैदाने मेहशर में फ़ख़्र व ग़ुरूर में मुब्तला काफ़िरों को

ज़लील व ख़्वार करने के लिये चींटियों की शक्ल में लाया जायेगा, फिर जहन्नम में उनके जिस्मों का आकार बढ़ा दिया जायेगा ताकि अ़ज़ाब की शिद्दत में इज़ाफ़ा हो। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 907. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कुछ लोग जहन्नम में जलकर काले-पीले होने के बाद वहाँ से निकलेंगे, जब जन्नत में दाख़िल होंगे तो जन्नत वाले उनका नाम "जहन्नम वाले" रखेंगे।

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि उनकी गर्दनों पर "अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से आज़ाद किये हुए" के अलफ़ाज़ लिखे होंगे। फिर वे अल्लाह तआ़ला से दुआ़ करेंगे तो यह नाम भी ख़त्म कर दिया जायेगा।

(फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 908. हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत के दिन सबसे हल्के अ़ज़ाब वाला वह शख़्स होगा जिसके दोनों पाँव के नीचे दो अंगारे रखे जायेंगे जिसकी वजह से उसका दिमाग़ इस तरह उबलेगा जिस तरह हाँडी जोश मारती है।

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि देखने वाला उस अ़ज़ाब को बहुत बड़ा ख़्याल करेगा हालाँकि उसे बहुत ही हल्का अ़ज़ाब दिया जा रहा होगा। "अल्लाह तआ़ला हमें उससे अपनी पनाह में रखे।" (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 909. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कोई शख़्स जन्नत में दाख़िल नहीं होगा जब तक उसे जहन्नम में उसका ठिकाना न दिखा दिया जायेगा, कि अगर नाफ़रमानी की होती (तो उसे दोज़ख़ में यह जगह मिलती) ताकि वह और ज़्यादा शुक्र अदा करे। इसी तरह कोई शख़्स जहन्नम में दाख़िल नहीं होगा जब तक उसे जन्नत में उसका ठिकाना नहीं दिखा दिया जायेगा, कि अगर वह नेक अ़मल करता होता (तो जन्नत में उसे यह जगह मिलती) ताकि उसके रंज व अफ़सोस में और इज़ाफ़ा हो।

हदीस 910. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरा हौज़ एक महीने की मुसाफ़त (दूरी और सफ़र) के बराबर होगा (यानी बहुत लम्बा होगा)। उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और उसकी ख़ुशबू मुश्क से ज़्यादा अच्छी होगी। उस पर आसमानी सितारों की तरह आबख़ोरे (जाम) रखे हुए होंगे, जिसने एक दफ़ा उसमें से पानी पी लिया तो वह फिर कभी प्यासा नहीं होगा।

वज़ाहत:- एक हदीस में है कि हौज़-ए-कौसर का पानी शहद से ज़्यादा मीठा, मक्खन से ज़्यादा नरम और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा होगा। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 911. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- (क़ियामत के दिन) तुम्हारे सामने मेरा हौज़ होगा, वह इतना बड़ा है कि जिस क़द्र 'जरबा' से 'अज़रह' का दरमियानी इलाक़ा है।

वज़ाहत:- 'जरबा' और 'अज़रह' दो बस्तियों के नाम हैं।

हदीस 912. हज़रत हारिसा बिन वहब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जब हौज़-ए-कौसर का ज़िक्र किया तो फ़रमाया- उसकी लम्बाई-चौड़ाई इतनी है जितना मदीना से सनआ़ तक का फ़ासला।

वज़ाहत:- सनआ़ नाम का शहर यमन में है। (आजकल यमन की राजधानी 'सनआ़' ही है। मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी)

तक़्दीर का बयान

वज़ाहत:- तक़्दीर के मायने हैं मिक़्दार मुक़र्रर करना। शरीअ़त की इस्तिलाह (परिभाषा) में मख़्लूक़ के अच्छे या बुरे कामों के बारे में ज़मीन व आसमान के मालिक ने जो कुछ लिखा है वह तक़्दीर कहलाता है। दूसरे अलफ़ाज़ में तक़्दीर अल्लाह रब्बुल्-इज़्ज़त का वह इल्म है जो भविष्य से संबन्धित है जो कभी ग़लत नहीं हो सकता। तक़्दीर के बारे में पाई जाने वाली उलझनों का सबब उसके सही मफ़्हूम से जानकारी न होना है। मायने व मफ़्हूम समझ लेने के बाद इसके बारे में कोई शक व शुब्हा बाक़ी नहीं

रहता है।

यह बात रोज़ाना हमारे देखने में आती है कि इनसान अपने इल्म और तजुर्बे की बुनियाद पर किसी चीज़ के बारे में कोई राय क़ायम कर लेता है और उसके बहुत ही ज़्यादा सीमित इल्म के बावजूद कई बार उसकी राय और अन्दाज़ा सौ फ़ीसद दुरुस्त साबित हो जाता है। इनसान के उलट अल्लाह तआ़ला का इल्म इस क़द्र वसीअ़ और न ख़त्म होने वाला है कि उसके लिये अतीत, वर्तमान और भविष्य, ग़ायब और हाज़िर, दिन और रात, रोशनी और अंधेरा जैसी परिभाषायें बिल्कुल बेमायने होकर रह जाती हैं, उसके सामने हर चीज़ खुली किताब की तरह है। इस वसीअ़ और असीमित इल्म की बदौलत मख़्लूक़ के बारे में उसकी लिखी हुई तक़दीर कभी ग़लत नहीं हो सकती, अपने उसी वसीअ़ (बेइन्तिहा) इल्म की रोशनी में अल्लाह तआ़ला ने इनसान के अ़मल करने से पहले ही उसके हिसाब (खाते) में लिख दिया है कि यह इनसान अच्छे या बुरे और क्या-क्या काम करेगा और इसकी जज़ा या सज़ा क्या होगी।

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का फ़रमान है- एक शख़्स लगातार नेक काम करता है यहाँ तक कि बिल्कुल जन्नत के क़रीब पहुँच जाता है, फिर अचानक वही शख़्स तक़दीर के मुताबिक़ बुरे काम करने लगता है यहाँ तक कि वह दोज़ख़ में चला जाता है। इसी तरह एक शख़्स बुरे काम करता है और दोज़ख़ के बिल्कुल क़रीब पहुँच जाता है, फिर वह अचानक तक़दीर के मुताबिक़ अच्छे अ़मल करने लगता है, यहाँ तक कि वह जन्नत में चला जाता है। (सही बुख़ारी किताबुल्-क़द्र)

इस हदीस का मतलब यह है कि अल्लाह तआ़ला पहले से जानते हैं कि कौन कब और क्या अ़मल करेगा, वह अपने असीमित इल्म की बदौलत यह भी जानते हैं कि यह गुनाहगार इनसान आख़िरकार तौबा कर लेगा और नेक अ़मल करने लगेगा और उसी (अच्छे अ़मल) पर इसका ख़ात्मा होगा। या यह नेकी करने वाला आख़िरकार नेकी का दामन छोड़कर गुनाहों की तरफ़ राग़िब हो जायेगा और उसी बुराई की हालत में इसका ख़ात्मा होगा। तक़दीर के बारे में यह धारणा और सोच बहुत ही गुमराह करने वाली है कि

इनसान तक़दीर के हाथों मजबूर है और वह अपनी मर्ज़ी और इख़्तियार से कुछ नहीं कर सकता, हालाँकि नेकी और बुराई की राह इख़्तियार करना इनसान का अपना फ़ेल है (तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर सूरः कहफ़ 18, आयत 29 और सूरः दहर 76, आयत 3)। अल्लाह तआ़ला का कोई जबर नहीं है।

इसकी मिसाल यूँ समझें कि एक उस्ताद इम्तिहान से पहले अपने शगिर्दों के बारे में अन्दाज़ा लगाता है कि फ़ुलाँ पास होगा फ़ुलाँ फ़ेल होगा, और अगर उसका अन्दाज़ा दुरुस्त साबित हो जाये तो यह हरगिज़ नहीं कहा जा सकेगा कि यह उस्ताद के अन्दाज़े की वजह से पास या फ़ेल हुए हैं। पास या फ़ेल होना उनके अपने अ़मल की वजह से है, जिस तरह उस्ताद का अन्दाज़ा लगाना शगिर्दों को पास या फ़ेल होने पर मजबूर नहीं करता इसी तरह अल्लाह तआ़ला का मख़्लूक़ के बारे में अपने भविष्य के इल्म की वजह से तक़दीर लिखना इनसानों को किसी काम पर हरगिज़ मजबूर नहीं करता है।

कई बार कुछ लोग तक़दीर की आड़ में अपनी ज़िम्मेदारियों से दामन छुड़ाने की कोशिश करते हैं, अगर उनसे कहा जाये कि आप कारोबार और रोज़गार के लिये भाग-दौड़ छोड़ दें, जो मुक़द्दर में लिखा हुआ है वह मिलकर ही रहेगा, तो उनका जवाब यह होता है कि उसके लिये तक़दीर के साथ-साथ भाग-दौड़ और कोशिश भी ज़रूरी है, जिस तरह यहाँ तक़दीर इनसान पर दबाव डालकर उसे कोशिश और भाग-दौड़ से नहीं रोकती बल्कि वह अ़मल के लिये आज़ाद है इसी तरह किसी भी मामले में उस पर तक़दीर का जबर (ज़बरदस्ती और दबाव) नहीं होता, बल्कि वह हर अ़मल के लिये आज़ाद व खुद-मुख़्तार है। अल्लाह तआ़ला का इरशाद है-

तर्जुमाः- और इनसान के लिये वही कुछ होगा जिसकी उसने कोशिश की होगी। (सूरः नज्म 53, आयत 40)

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तक़दीर को दुआ़ के अ़लावा कोई चीज़ नहीं बदल सकती और उम्र में इज़ाफ़ा सिला-रहमी (रिश्तेदारी निभाने) के अ़लावा कोई चीज़ नहीं कर सकती। (तिर्मिज़ी शरीफ़,

हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से) इसलिये हर नमाज़ के बाद यह दुआ माँगिये- या अल्लाह! मरते वक़्त मेरी ज़बान पर "ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह" हो और मुझे सिर्फ़ अपनी रहमत व फ़ज़्ल से जन्नतुल्-फ़िरदौस अता फ़रमाईये। आमीन

तक़दीर की यह क़िस्म जो ऊपर बयान की गई है इसको "तक़दीर-ए-मुअल्लक़" कहते हैं। तक़दीर की एक दूसरी क़िस्म भी है जिसको "तक़दीर-ए-मुब्रम" कहते हैं। तक़दीर-ए-मुब्रम वह है जिसके होने या न होने पर इनसान को न तो जज़ा मिलेगी और न ही सज़ा, सिर्फ़ इसलिये कि उस पर न तो उसका इख़्तियार है और न ही वह अमल करने के लिये आज़ाद है। मसलन मौत, मरने की जगह, पैदाईश की जगह, रिज़्क़ वग़ैरह। तक़दीर पर ईमान लाने और मज़बूत यक़ीन से मुसलमान की ज़िन्दगी पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, जब यह यक़ीन हो जाये कि मौत न मुक़र्ररा वक़्त से टल सकती है और न ही उससे पहले आ सकती है तो दिल से मौत का ख़ौफ़ निकल जाता है।

जब यह यक़ीन हो जाये कि अल्लाह तआ़ला की मर्ज़ी के बग़ैर न कोई मुसीबत आ सकती है और न ही जा सकती है तो फिर दिल से अल्लाह तआ़ला की मख़्लूक़ का ख़ौफ़ निकल जाता है और सिर्फ़ अल्लाह करीम की रज़ा रह जाती है और यह ईमान बन जाता है कि हमारी हर कामयाबी अल्लाह तआ़ला के सिर्फ़ फ़ज़्ल व करम का ही नतीजा होती है, और जो नाकामी होती है उसमें भी अल्लाह रहीम की कोई न कोई मस्लेहत शामिल होती है, या ख़ुद हमारे गुनाहों का नतीजा होती है जिसमें सब्र की सूरत में हमारे गुनाह माफ़ होते हैं जो कि ख़ुद एक बहुत बड़ी मस्लेहत (बेहतरी) है। बहुत सी बार इस बात को देखा गया है कि जिस बात या नतीजे को हम अपने लिये बुरा समझ रहे थे बाद में मालूम होता है कि वह बुरा न था बल्कि बहुत अच्छा था।

(तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर सूरः ब-क़रह 2, आयत 216)

हदीस 913. हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि एक शख़्स ने अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! क्या जन्नत वाले और जहन्नम

वाले पहचाने जा चुके हैं? आपने फ़रमाया- बेशक। उसने अ़र्ज़ किया तो फिर अ़मल करने वाले क्यों अ़मल करते हैं? आपने फ़रमाया हर शख़्स उसी के लिये अ़मल करता है जिसके लिये वह पैदा किया गया है, या उसी के मुवाफ़िक़ उसे अ़मल करने की तौफ़ीक़ दी जाती है।

वज़ाहतः- चूँकि अपने अन्जाम से कोई बन्दा व बशर वाक़िफ़ नहीं है इसलिये उसकी ज़िम्मेदारी है कि उन कामों को बजा लाये जिनका उसे हुक्म दिया गया है। क्योंकि उसके आमाल उसके अन्जाम की निशानी हैं लिहाज़ा नेक आमाल के बजा लाने (अ़मल में लाने) में कोताही न करे अगरचे ख़ात्मे के मुताल्लिक़ यक़ीनी इल्म अल्लाह तआ़ला के पास ही है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 914. हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमें ख़ुतबा इरशाद फ़रमाया और क़ियामत की जितनी बातें होनी थीं वो सब बयान फ़रमाईं। अब जिसने उन्हें याद रखना था उन्हें याद रखा और जिसको भूलना था वह भूल गया, और मैं जिस बात को भूल गया हूँ अब उसे ज़ाहिर होती देखकर इस तरह पहचान लेता हूँ जिस तरह किसी का साथी ग़ायब होकर ज़ेहन में न रहे फिर जब वह उसे देखता है तो पहचान लेता है।

हदीस 915. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला का पाक इरशाद है कि नज़्र (मन्नत) मानना आदम के बेटे (यानी इनसान) के पास वह चीज़ नहीं लाती जो हमने उसकी तक़दीर में न रखी हो, बल्कि उसको तक़दीर उस नज़्र की तरफ़ डाल देती है और हमने भी उस चीज़ को उसके मुक़द्दर में किया होता है ताकि हम इस सबब से बख़ील का माल ख़र्च करवायें।

वज़ाहतः- बख़ील (माल को रोक कर रखने वाले, कन्जूस) पर जब कोई मुसीबत आती है तो नज़्र मानता है, वह काम हो जाता है तो अब उसे ख़र्च करना पड़ता है। चुनाँचे एक हदीस में है कि बख़ील जो ख़र्च नहीं करना चाहता, नज़्र के ज़रिये उससे माल निकाला जाता है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 916. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो ख़लीफ़ा होता है उसके दो बातिनी मुशीर यानी सलाहकार (एक फ़रिश्ता और दूसरा शैतान) होते हैं, जिनमें एक (यानी फ़रिश्ता) तो उसे अच्छी बातें कहने और ऐसी ही बातों की तरग़ीब देने पर मामूर करता है और दूसरा (यानी शैतान) बुरी बातें कहने और उन पर उभारने के लिये होता है, बेगुनाह तो वही है जिसे अल्लाह तआ़ला महफ़ूज़ रखे।

वज़ाहतः- बुख़ारी की एक दूसरी हदीस में है कि हर नबी और ख़लीफ़ा के दो बातिनी मुशीर (सलाहकार) होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का पाक इरशाद है कि मैं अपने बुरे मुशीर के उभारने से महफ़ूज़ रहता हूँ। (फ़त्हुल्-बारी)

नोटः- कलाम का ख़ुलासा यह है कि मुजरिम या नेक होना इनसान का फ़ेल (काम) है, यानी उसका अपना फ़ैसला है अल्लाह तआ़ला का फ़ैसला या हुक्म नहीं है, बल्कि अल्लाह तआ़ला तो बुरे अन्जाम से डराते हैं और नेक कामों की तरग़ीब देते हैं, अगर इनसान हर बुरा काम अल्लाह तआ़ला के हुक्म से कर रहा है तो अल्लाह तआ़ला मना क्यों करते।

अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है-

मफ़्हूमः- बेशक अल्लाह तआ़ला नेकी और इन्साफ़ और रिश्तेदारों के साथ अच्छे सुलूक का हुक्म देते हैं और हर क़िस्म के बुरे कामों, बेहयाई और नाफ़रमानी से मना करते हैं। (सूरः नहल 16, आयत 90)

एक तरफ़ अल्लाह तआ़ला बुराई से मना करे और दूसरी तरफ़ बुराई उसी के हुक्म से हो यह बात अल्लाह तआ़ला की शान के ख़िलाफ़ है, बल्कि अल्लाह तआ़ला ने बुराई से मना करने और नेकी की हिदायत करने के लिये अपने नबी हज़रात भेजे, किताबें नाज़िल कीं, लिहाज़ा बुराई को अल्लाह तआ़ला की तरफ़ मन्सूब करना इन्साफ़ के ख़िलाफ़ है। इनसान नेकी या बदी अपने इख़्तियार से करता है और उसकी जज़ा व सज़ा अल्लाह तआ़ला ज़रूर देगा।

अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है-

तर्जुमाः- और हर इनसान के लिये वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश

की, और यह कि वह जल्द ही अपनी कोशिश का अन्जाम देख लेगा।

(सूरः नज्म 53, आयत 39-40)

मालूम हुआ कि इनसान अपने इख़्तियार से जो भी भलाई या बुराई करेगा उसे उसका बदला (जज़ा या सज़ा) मिलकर रहेगा, इसलिये कि हर इनसान को इख़्तियार और सलाहियत वाला बनाकर भेजा गया है, यह बिल्कुल मजबूर नहीं अलबत्ता जहाँ मजबूर होगा वहाँ इससे सवाल भी न होगा। अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है-

तर्जुमाः- अल्लाह तआ़ला किसी को उसकी हिम्मत व गुंजाईश से ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं डालते हैं। जो नेकी करेगा उसका अज्र मिलेगा और जो गुनाह करेगा उसका ख़मियाज़ा उसे भुगतना पड़ेगा।

(सूरः ब-क़रह 2, आयत 286)

एक दूसरी जगह अल्लाह तआ़ला इरशाद फ़रमाते हैं-

तर्जुमाः- और आपका रब अपने बन्दों पर ज़ुल्म नहीं करता।

(सूरः हा-मीम-अस्सज्दा 41, आयत 46)

ग़ौर कीजिये! अगर इनसान गुनाह अपनी मर्ज़ी से नहीं करता बल्कि अल्लाह तआ़ला की तक़दीर से मजबूर होकर करता है तो यह इनसान गुनाह के मामले में बेक़सूर होगा, और फिर अल्लाह तआ़ला इसे इसके गुनाहों के सबब अ़ज़ाब दे तो यह ज़ुल्म होगा, और अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों पर ज़ुल्म नहीं करता है। इसलिये साबित हुआ कि गुनाह इनसान अपनी मर्ज़ी और अपने फ़ैसले से ख़ुद करता है, अल्लाह तआ़ला का इस पर कोई जबर (ज़बरदस्ती और दबाव) नहीं होता है।

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की हदीस मुबारक है- तक़दीर के मामले में बहस करना मना है। (मुस्लिम)

क़सम और नज़्र (मन्नत) का बयान

हदीस 917. हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे इरशाद फ़रमाया- ऐ अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरा! तुम सरदारी और अमीरी के तलबगार न बनना

क्योंकि अगर दरख़्वास्त पर तुझे सरदारी मिलेगी फिर तू उसी को सौंप दिया जायेगा, और अगर वह तुझे बग़ैर माँगे दी गई तो तेरी मदद की जायेगी, और अगर तू किसी बात पर क़सम उठाये फिर उसके ख़िलाफ़ करना तुझे अच्छा मालूम हो तो क़सम का कफ़्फ़ारा देकर वह काम कर जो बेहतर है।

वज़ाहतः- अगर कोई माँगकर (सरदार या अमीर या गर्वनर का) ओहदा लेता है तो अल्लाह तआ़ला की तौफ़ीक़ और उसकी रहमत से मेहरूम रहता है, अगर बग़ैर माँगे ओहदा दिया जाये तो अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से एक फ़रिश्ता मुतैयन कर दिया जाता है जो उसे सही और दुरुस्त रहने की तलक़ीन करता रहता है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 918. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हम दुनिया में तो पहली उम्मतों के बाद आये हैं लेकिन क़ियामत के दिन सबसे आगे होंगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह भी फ़रमाया- अगर तुम में से कोई अपने घर वालों के मुताल्लिक़ अपनी क़सम पर अड़ा हो तो यह अल्लाह तआ़ला के नज़दीक उसका मुक़र्रर किया हुआ कफ़्फ़ारा अदा करने से ज़्यादा गुनाह है।

वज़ाहतः- मतलब यह है कि अगर कोई आदमी गुस्से में आकर ऐसी क़सम उठा ले जिस पर क़ायम रहने से घर वालों को नुक़सान पहुँचता हो तो ऐसी क़सम का तोड़ डालना बेहतर है, और क़सम तोड़ने की तलाफ़ी (भरपाई) कफ़्फ़ारे से हो सकती है। (फ़त्हुल्-बारी)

नोटः- क़सम का कफ़्फ़ारा दस मिस्कीनों को खाना खिलाना या तीन रोज़े रखना या एक ग़ुलाम आज़ाद करना है।

हदीस 919. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन हिशाम रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास ही थे जब आपने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु का हाथ थामा हुआ था, हज़रत उमर ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! आप मुझे मेरी जान के अ़लावा हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हैं, इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- नहीं ऐ उमर! क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम्हारा ईमान

उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक तुम अपने नफ़्स से भी ज़्यादा मुझसे मुहब्बत न करो। यह सुनकर हज़रत उमर ने अर्ज़ किया अगर यही बात है तो आप मेरे नफ़्स (जान) से भी ज़्यादा मुझे महबूब हैं। आपने फ़रमाया हाँ ऐ उमर! अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ।

वज़ाहतः- इनसान का अपनी जान से मुहब्बत करना फ़ितरी चीज़ है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने इसी बात को सामने रखते हुए पहली बात कही, लेकिन जब इस बात की हकीक़त खुली कि दुनिया और आख़िरत की हलाकतों से हिफ़ाज़त का सबब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पाक ज़ात और आपकी पैरवी है तो फ़ौरन पहले मौक़िफ़ (पक्ष और हालत) से रुजू करके हक़ का ऐलान कर दिया। यही हर मोमिन की शान होती है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 920. हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आप काबे के साये में बैठे फ़रमा रहे थे- काबे के रब की क़सम! वे लोग बहुत नुक़सान में हैं। काबे के रब की क़सम! वे लोग बहुत नुक़सान में हैं। मैंने सोचा मुझे क्या हुआ, क्या आपको मुझमें कोई ऐब नज़र आता है? मैंने क्या किया? आख़िरकार मैं आपके पास आकर बैठ गया, आप यही फ़रमा रहे थे तो मैं ख़ामोश न रह सका और ग़म व फ़िक्र जो अल्लाह तआ़ला को मन्ज़ूर था वह मुझ पर तारी हो गया। फिर मैंने अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! मेरे माँ-बाप आप पर क़ुरबान हों वे कौन लोग हैं? आपने फ़रमाया- वही लोग जिनके पास माल व दौलत की ख़ूब अधिकता है, अलबत्ता उनसे वे अलग हैं जो अपने माल को इधर-उधर (सामने, दायें और बायें) अल्लाह तआ़ला की राह में ख़र्च करते रहते हैं।

वज़ाहतः- बुख़ारी शरीफ़ की एक दूसरी हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु से फ़रमाया कि माल व दौलत की कसरत (ज़्यादती) रखने वाले क़ियामत के दिन क़िल्लत का शिकार होंगे यानी सवाब हासिल करने में पीछे होंगे। हाँ अल्लाह तआ़ला की राह में ख़र्च करने से यह कमी पूरी हो सकती है।

हदीस 921. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुसलमानों में से जिसके तीन बच्चे मर गये उसको आग न छुएगी मगर सिर्फ़ क़सम को पूरा करने के लिये ऐसा होगा।

वज़ाहतः- क़सम के पूरा करने से इस आयते करीमा की तरफ़ इशारा है-

तर्जुमाः- तुम में से हर एक को दोज़ख़ के ऊपर से गुज़ारा जायेगा। (सूरः मरियम 19, आयत 17) इसकी तफ़सीर यूँ बयान की गई है कि पुलसिरात को जहन्नम के ऊपर गाड़ा जायेगा और हर इनसान उसके ऊपर से गुज़रेगा। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 922. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने मेरी उम्मत के वस्वसों या दिल के ख़्यालात को माफ़ कर दिया है जब तक इनसान उस पर अ़मल न करे या ज़बान से न निकाले।

वज़ाहतः- भूलकर क़सम तोड़ देने पर कफ़्फ़ारा नहीं है बल्कि एक दूसरी हदीस में स्पष्ट रूप से आया है कि अल्लाह तआ़ला ने भूल-चूक को माफ़ कर दिया है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 923. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसने यह क़सम उठाई कि मैं अल्लाह तआ़ला की इताअ़त (फ़रमाँबरदारी) करूँगा तो उसे पूरा करे, और जिसने यह क़सम उठाई कि मैं अल्लाह तआ़ला की नाफ़रमानी करूँगा तो वह नाफ़रमानी न करे।

वज़ाहतः- नफ़्ली नमाज़ मसलन शुक्राने वग़ैरह की नमाज़, रोज़ा, नफ़्ली हज या सदक़ा व ख़ैरात करने की नज़्र (मन्नत) माने तो उसका पूरा करना ज़रूरी है। अगर गुनाह के काम की नज़्र माने कि फ़ुलाँ क़ब्र पर चिराग़ रोशन करूँगा या उसका तवाफ़ करूँगा तो उसे हरगिज़ पूरा न करे।

हदीस 924. हज़रत सअ़द बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा कि मेरी वालिदा के ज़िम्मे एक नज़्र थी

वह उसे पूरा करने से पहले इन्तिक़ाल कर गयीं। आपने फ़रमाया- तुम उनकी तरफ़ से उस नज़्र को पूरा करो।

वज़ाहतः- मय्यित के ज़िम्मे वाजिब हुक़ूक़ की अदायेगी ज़रूरी है उसके वारिस उसे अदा करें, अगर किसी (मरने वाले) ने नफ़्ली नमाज़ या रोज़े की नज़्र मानी हो तो उसे ज़रूर अदा करना चाहिये। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 925. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ख़ुतबा इरशाद फ़रमा रहे थे इतने में एक आदमी को देखा जो (धूप में) खड़ा है, आपने उसके बारे में मालूम किया तो सहाबा ने अ़र्ज़ किया यह शख़्स अबू इस्राईल है, उसने नज़्र (मन्नत) मानी है कि वह दिन भर (धूप में) खड़ा रहेगा, बैठेगा नहीं, न साये में आयेगा और न ही किसी से गुफ़्तगू करेगा, इसी हालत में अपना रोज़ा पूरा करेगा। आपने फ़रमाया- उसे कह दो बैठ जाये और साये में आये, बातचीत करे और अपना रोज़ा पूरा करे।

विरासत के मसाईल का बयान

हदीस 926. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुक़र्ररा हिस्से वालों को उनका हिस्सा दे दो और जो बाक़ी बचे वह क़रीब के रिश्तेदारों में से जो मर्द हो उसे दे दिया जाये।

वज़ाहतः- मुक़र्ररा हिस्से वालों से मुराद मय्यित के वे रिश्तेदार हैं जिनका हिस्सा अल्लाह तआ़ला ने क़ुरआन मजीद में ख़ुद मुक़र्रर फ़रमाया है, मसलन अगर सिर्फ़ एक बेटी हो तो उसे पूरे माल का आधा हिस्सा मिलेगा, अगर दो या इससे ज़ायद हों तो उन्हें दो तिहाई मिलेगा। एक या एक से ज़ायद बीवियाँ हों तो उन्हें अगर औलाद नहीं है तो चौथा हिस्सा मिलेगा अगर औलाद हो तो आठवाँ हिस्सा मिलेगा। और इसी तरह मर्द को अगर औलाद नहीं है तो बीवी के माल में से आधा मिलेगा और अगर औलाद हो तो चौथा हिस्सा मिलेगा, माँ को छठा हिस्सा मिलेगा और बाप को भी छठा हिस्सा मिलेगा वग़ैरह। और ज़्यादा तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर सूरः

निसा 4, आयत 11-12 और सूरः निसा 4, आयत 177।

हदीस 927. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैं वही हुक्म दूँगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दिया था- यानी बेटी के लिये आधा और पोती के लिये छठा हिस्सा (यह दो तिहाई हो गया), बाक़ी एक तिहाई बहन के लिये है।

वज़ाहतः- मय्यित (मरने वाले) की कुल जायदाद को छह हिस्सों में तक़सीम कर दिया जाये, आधा यानी तीन हिस्से बेटी के लिये छठा यानी एक हिस्सा पोती के लिये, यह दोनों मिलकर 2/3 (दो तिहाई) हो जाते हैं बाक़ी 1/3 (एक तिहाई) बहन के लिये होंगे अगर बाक़ी वारिस न हों तो।

हदीस 928. हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना- जो शख़्स अपने हक़ीक़ी (सगे) बाप के अ़लावा किसी और को अपना बाप बनाये (ज़ाहिर करे) और वह जानता भी है कि वह उसका बाप नहीं है तो उस पर जन्नत हराम है।

हुदूद (शरई सज़ाओं) का बयान

हदीस 929. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास एक शराबी को लाया गया तो आपने फ़रमाया- इसे मारो। हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं कि आपका इरशाद सुनकर हमने उसको हाथ से मारा, किसी ने जूते से मारा और किसी ने कपड़े से मारा, जब वह पलटा तो किसी ने कहा अल्लाह तआ़ला तुझे ज़लील करे, तब आपने फ़रमाया- ऐसा न कहो, इसके ख़िलाफ़ शैतान की मदद न करो।

वज़ाहतः- शराबी को मारने-पीटने के बाद लोगों ने ख़ूब शर्मसार किया (यानी उसको ग़ैरत दिलाई), किसी ने कहा तुझे अल्लाह तआ़ला का ख़ौफ़ न आया, इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तुम इसके लिये बख़्शिश और रहम व करम की दुआ़ करो। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 930. हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि अगर मैं किसी को शरई हद लगाऊँ और वह मर जाये तो मुझे कुछ

अफ़सोस न होगा, लेकिन अगर शराबी को हद लगाऊँ और वह मर जाये तो मैं उसकी दियत (ख़ून का बदला) दूँगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने शराबी के लिये कोई ख़ास हद मुक़र्रर नहीं फ़रमाई।

वज़ाहतः- कोई हद लगने से मर जाये तो उसकी दियत नहीं, अलबत्ता शराबी अगर मार-पीट से मर जाये तो उसकी दियत देनी होगी।

(फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 931. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स को जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मुबारक ज़माने में लोग अ़ब्दुल्लाह अल्-हिमार (हिमार उनका लक़ब था) कहा करते थे, वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को हंसाया करता था और आपने उसे शराब पीने पर सज़ा भी दी थी, एक बार लोग उसे गिरफ़्तार करके लाये तो उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हुक्म पर कोड़े लगाये गये, क़ौम में से एक शख़्स ने कहा या अल्लाह! इस पर लानत कर यह शख़्स कितनी मर्तबा पीने में गिरफ़्तार हुआ है, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इस पर लानत न करो अल्लाह तआ़ला की क़सम! मैंने इसके मुताल्लिक़ यही जाना है कि यह अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल से मुहब्बत रखता है।

हदीस 932. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- दीनार की चौथाई या इससे ज़्यादा मालियत चुराने पर चोर का हाथ काटा जाये।

वज़ाहतः- जब हाथ मासूम (बेगुनाह) था और किसी ने उस पर ज़्यादती करके ज़ाया कर दिया तो दियत के तौर पर सौ ऊँट देने होंगे और इसके उलट जब इस हाथ ने किसी दूसरे की चीज़ चोरी करके ख़्यानत का काम किया तो चौथाई दीनार (दीनार सोने का सिक्का था) के बदले इसे काट दिया जाये। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 933. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में एक ढाल की क़ीमत से कम में हाथ नहीं काटा जाता था।

वज़ाहतः- हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मालूम किया गया कि ढाल की क़ीमत कितनी होती थी तो आपने फ़रमाया कि चौथाई दीनार के बराबर। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 934. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक ढाल की चोरी पर हाथ काटा था जिसकी क़ीमत तीन दिरहम थी।

वज़ाहतः- तीन दिरहम भी चौथाई दीनार के बराबर होते हैं। (फ़त्हुल्-बारी)

काफ़िरों और मुर्तदों (दीन इस्लाम से फिर जाने वालों) का बयान

हदीस 935. हज़रत अबू बुरदा अन्सारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना, आप फ़रमा रहे थे कि अल्लाह तआला की हदों के अलावा किसी जुर्म में दस कोड़ों से ज़्यादा सज़ा न दी जाये।

वज़ाहतः- 'हद' मुक़र्ररा सज़ा को कहते हैं, जैसे ज़िना और चोरी वग़ैरह की सज़ायें हैं, और ताज़ीर (डाँट) वह सज़ा है जो मुक़र्रर न हो। यह दस कोड़ों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिये, जैसे जादू और रमज़ान में बिना वजह रोज़ा छोड़ने की सज़ा। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 936. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने अबुल्-क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना आप फ़रमाते थे- अगर किसी ने अपने ग़ुलाम या बाँदी पर तोहमत लगाई हालाँकि वह उससे पाक है तो क़ियामत के दिन उस आक़ा को दुर्रे लगाये जायेंगे, हाँ मगर यह कि उसका बयान असल हक़ीक़त के मुताबिक़ हो।

वज़ाहतः- ग़ुलाम पर आधी हद्दे क़ज़्फ़ (तोहमत की सज़ा) जारी की जाती है और अगर मालिक अपने ग़ुलाम पर झूठी तोहमत लगाता है तो क़ियामत के दिन मालिक पर हद जारी की जायेगी, क्योंकि उस वक़्त

उसकी मिल्कियत ख़त्म हो चुकी होगी। (फ़त्हुल्-बारी)

दियत का बयान

दियत के मायने हैं 'ख़ून-बहा' या 'जुर्माना'।

हदीस 937. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मोमिन अपने दीन की तरफ़ से हमेशा कुशादगी (आसानी) ही में रहता है जब तक वह ख़ूने नाहक़ नहीं करता (यानी ख़ूने नाहक़ करने से तंगी में पड़ जाता है)।

हदीस 938. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसने हमारे ख़िलाफ़ हथियार उठाया वह हम में से नहीं है।

वज़ाहतः- इससे मुराद वह शख़्स है जो मुसलमानों को ख़ौफ़ज़दा करने (डराने) के लिये उनके ख़िलाफ़ हथियार उठाता है, अगर कोई मुसलमान की हिफ़ाज़त के लिये हथियार उठाता है तो उसे अल्लाह तआ़ला के यहाँ अज्र व सवाब मिलेगा। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 939. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह तआ़ला के अ़लावा कोई सच्चा माबूद नहीं और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) अल्लाह तआ़ला के रसूल हैं तो तीन हालतों के अ़लावा उसका ख़ून करना जायज़ नहीं है-

1. जान के बदले जान। 2. शादी-शुदा ज़ानी।

3. दीने इस्लाम को छोड़ने वाला (मुसलमानों की जमाअ़त से अलग होने वाला यानी मुर्तद)।

वज़ाहतः- मुसलमानों की जमाअ़त से अलग होने में बग़ावत करने वाला, रास्तों में लूटमार करने वाला और मुसलमानों से लड़ने वाला यानी इमामे बरहक़ की हथियारबन्द मुख़ालफ़त करने वाला भी शामिल है।

(फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 940. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला सबसे ज़्यादा इन तीन आदमियों से बुग़ज़ (नफ़रत) रखता है-

1. जो हरम (काबा शरीफ़) में ज़ुल्म व ज़्यादती करे।

2. जो इस्लाम में जाहिलीयत के तरीक़े निकाले।

3. और जो ख़ूने नाहक़ बहाने की फ़िक्र में लगा रहे।

वज़ाहतः- यानी इस्लाम में जहालत के दौर की रस्मों को फैलाना और प्रचलित करना मसलन एक के बजाय दूसरे को पकड़ना, या बुरे शगुन पर पर अ़मल करना वग़ैरह। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 941. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमा रहे थे- अगर कोई शख़्स बिना इजाज़त आपके घर में झाँके और आप कोई कंकरी मारकर उसकी आँख फोड़ दें तो आप पर कोई पकड़ और पूछगछ न होगी।

हदीस 942. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- यह उंगली यानी सबसे छोटी उंगली और यह उंगली यानी अंगूठा दोनों दियत में बराबर हैं।

वज़ाहतः- दियत के मामले में हाथ और पाँव की उंगलियाँ बराबर हैं, उनमें छोटी बड़ी का लिहाज़ नहीं जैसा कि दाँतों का मामला है। हदीस के मुताबिक़ हर उंगली की दियत दस ऊँट हैं। (फ़त्हुल्-बारी)

मुर्तद बाग़ियों से तौबा कराने का बयान

हदीस 943. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि एक आदमी ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! हमने जो गुनाह जाहिलीयत (इस्लाम लाने से पहले) के ज़माने में किये हैं क्या उनकी पकड़ होगी? आपने फ़रमाया- जिसने इस्लाम की हालत में अच्छे काम किये हैं उससे जाहिलीयत के कामों की पकड़ और पूछ नहीं होगी, और जो शख़्स मुसलमान होकर भी बुरे काम करता रहे उससे पहले और बाद के सब गुनाहों की पूछ और पकड़ होगी।

वज़ाहतः- इस्लाम लाने से पहले के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं

लेकिन कोई इस्लाम लाने के बाद इस्लाम के तक़ाज़ों को पूरा न करे और तौहीद पर अ़मल करने वाला न हो तो फिर पिछले गुनाहों की भी पूछ और उन पर पकड़ होगी। (फ़त्हुल्-बारी)

नोटः- मुर्तद मर्द और मुर्तद औ़रत से पहले तौबा कराने की कोशिश की जाये, अगर वे तौबा न करें तो क़त्ल कर दें।

ज़बरदस्ती काम कराने का बयान

किसी अच्छे काम को छुड़ाने या बुरे काम को कराने के लिये किसी कमज़ोर व ग़रीब पर ज़बरदस्ती करना ही 'इक्राह' (ज़बरदस्ती) है, इस्लाम में किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना भी जायज़ नहीं है इसलिये कि ज़बरदस्ती इस्लाम में किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है।

हदीस 944. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम (अपनी बीवी) सारा अ़लैहस्सलाम को लेकर हिजरत कर रहे थे (रास्ते में) एक बस्ती में पहुँचे तो वहाँ एक ज़ालिम बादशाह हुकूमत करता था, उसने (ज़बरदस्ती) इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सारा को मेरे पास भेज दो, हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने (मजबूर होकर) सारा को उसके पास भेज दिया तो बादशाह हज़रत सारा अ़लैहस्सलाम की तरफ़ (ग़लत इरादे से) आगे बढ़ा, (उस वक़्त) सारा अ़लैहस्सलाम वुज़ू करके नमाज़ पढ़ रही थीं और दुआ़ की कि ऐ अल्लाह! अगर मैं आप और आपके नबी पर सच्चा ईमान रखती हूँ तो इस काफ़िर से मुझे महफ़ूज़ फ़रमा, तो वह काफ़िर फ़ौरन ज़मीन पर गिर पड़ा और घबराहट की वजह से पाँव मारने लगा।

वज़ाहतः- यह अल्लाह तआ़ला का अ़ज़ाब था उस बादशाह पर, बाद में उस बादशाह का दिल इतना नर्म हुआ कि उसने अपनी बेटी हज़रत हाजरा (अ़लैहस्सलाम) हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को ख़ादिमा के तौर पर दे दी। बाद में हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने उनसे (हज़रत सारा के मश्विरे पर) शादी कर ली और उनसे हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम पैदा हुए।

ख़्वाबों की ताबीर का बयान

हदीस 945. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- नेक आदमी के सच्चे ख़्वाब नुबुव्वत के छियालीस हिस्सों में से एक हिस्सा हैं।

वज़ाहतः- नेक व पारसा लोगों के अक्सर ख़्वाब (सपने) हक़ीक़त पर आधारित होते हैं और कुछ ऐसे स्पष्ट होते हैं कि उनकी ताबीर की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अच्छे ख़्वाब नुबुव्वत के कमालात और ख़ूबियों में से हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इनसान में नुबुव्वत का हिस्सा आ गया है।

हदीस 946. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से कोई शख़्स ऐसा ख़्वाब देखे जो उसे अच्छा मालूम हो तो समझ ले कि वह अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से है, वह अल्लाह तआ़ला का शुक्र अदा करे और आगे भी बयान कर दे। और अगर कोई उसके अ़लावा (यानी बुरा) ख़्वाब देखे जिसे वह नापसन्द करता हो तो वह शैतान की तरफ़ से है, उसके शर (बुराई) से अल्लाह तआ़ला की पनाह माँगे और किसी से बयान न करे, क्योंकि ऐसा करने से फिर वह उसे नुक़सान नहीं देगा।

वज़ाहतः- अच्छे ख़्वाब को अपने मुख़्लिस (सच्चे और भला चाहने वाले) दोस्त या बा-अ़मल आ़लिमे दीन से बयान करने में कोई हर्ज नहीं, और बुरा ख़्वाब चूँकि शैतान मरदूद की तरफ़ से होता है इसलिये जागने के बाद अपनी बाईं तरफ़ (दिल की तरफ़) थुथकारे और (इन अलफ़ाज़ के साथ) अल्लाह तआ़ला की पनाह माँगे- 'अऊ़ज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम' और किसी से उस ख़्वाब का तज़किरा (भी) न करे। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 947. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- नुबुव्वत में से अब सिर्फ़ मुबश्शिरात बाक़ी रह गयी हैं, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने अ़र्ज़ किया **'मुबश्शिरात'** क्या हैं? आपने फ़रमाया- अच्छे ख़्वाब।

वज़ाहतः- मोमिनों को ख़्वाब के ज़रिये उनके दुनियावी या उख़्रवी अन्जाम की ख़ुशख़बरी दी जाती है। बाज़ दफ़ा आगे आने वाले किसी अन्देशे या ख़तरे से भी आगाह कर दिया जाता है ताकि उसके लिये कोई उपाय और बचने की तैयारी कर ले। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 948. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो कोई ख़्वाब में मुझे देखे यह बहुत जल्द मुझे बेदारी (जागने की हालत) में भी देखेगा, और शैतान मेरी सूरत इख़्तियार नहीं कर सकता।

वज़ाहतः- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ख़्वाब में देखना गोया आप ही को देखना है, शैतान को यह क़ुदरत नहीं है कि वह आपकी सूरत में किसी को ख़्वाब में नज़र आये।

हदीस 949. हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना- जिस शख़्स ने (ख़्वाब में) मुझे देखा तो उसने यक़ीनन हक़ ही को देखा, क्योंकि शैतान मेरे जैसी शक्ल व सूरत इख़्तियार नहीं कर सकता।

वज़ाहतः- मोमिन के रात और दिन के ख़्वाब बराबर हैं। कुछ हज़रात ने कहा कि सुबह सादिक़ के वक़्त का ख़्वाब ज़्यादा सच्चा होता है, फिर भी इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने इमाम इब्ने सीरीन का क़ौल नक़ल किया है कि दिन और रात के ख़्वाब में कोई फ़र्क़ नहीं है। वल्लाहु आलम

हदीस 950. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब क़ियामत का वक़्त आ जायेगा तो मोमिन का ख़्वाब झूठा न होगा, क्योंकि मोमिन का ख़्वाब नुबुव्वत के छियालीस हिस्सों में से एक है, और जो बात नुबुव्वत से होती है वह झूठी नहीं होती।

हदीस 951. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैंने एक काली परेशान बालों वाली औ़रत को ख़्वाब में देखा जो मदीना से निकलकर जोहफ़ा के

मक़ाम में जा ठहरी है, मैंने इस ख़्वाब की यह ताबीर की कि मदीना की वबा जोहफ़ा में मुन्तक़िल कर दी गई है।

हदीस 952. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसने ऐसा ख़्वाब बयान किया जो उसने देखा नहीं तो उसे क़ियामत के दिन दो अ़दद जौ (के दाने) में गिरह लगाने का हुक्म दिया जायेगा, और वह शख़्स गिरह नहीं लगा सकेगा, और जो शख़्स ऐसे लोगों की बातों पर कान लगाये जो अपनी बात किसी को सुनाना पसन्द न करते हों तो उसके कान में सीसा पिघलाकर डाला जायेगा, और जिसने किसी जानदार की तस्वीर बनाई उसे अ़ज़ाब दिया जायेगा कि अब इसमें रूह फूँक, मगर वह रूह नहीं फूँक सकेगा।

वज़ाहतः- ख़्वाब (सपना) भी अल्लाह तआ़ला का पैदा किया हुआ है जिसकी मानवी शक्ल व सूरत होती है। झूठा ख़्वाब कहने वाला अपने झूठ से एक ऐसी मानवी तस्वीर को जन्म देता है जो असल हक़ीक़त से ताल्लुक़ नहीं रखती, जैसा कि तस्वीर बनाने वाला अल्लाह तआ़ला की मख़्लूक़ में ऐसी मख़्लूक़ का इज़ाफ़ा करता है जो कोई हक़ीक़त नहीं रखती, क्योंकि वास्तविक मख़्लूक़ वह है जिसमें रूह हो, इसलिये दोनों को अ़ज़ाब के साथ-साथ ऐसी तकलीफ़ भी दी जायेगी जिसकी वह ताक़त न रखता होगा।

(फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 953. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सबसे बड़ा झूठ यह है कि इनसान अपनी आँखों को ऐसी चीज़ दिखाये जो उन्होंने न देखी हो (यानी झूठा ख़्वाब बयान करे और कहे कि मैंने यह देखा है)।

वज़ाहतः- ख़्वाब चूँकि नुबुव्वत का एक हिस्सा है और नुबुव्वत अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से होती है, इसलिये झूठा ख़्वाब बयान करना गोया अल्लाह तआ़ला पर झूठ बाँधना है, और यह मख़्लूक़ पर झूठ बाँधने से ज़्यादा संगीन है। (फ़त्हुल्-बारी)

फ़ितनों का बयान

हदीस 954. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स अपने अमीर से कोई बुराई होती देखे तो उस पर सब्र करे, क्योंकि जो शख़्स इस्लामी हुक्मराँ की इताअ़त (फ़रमाँबरदारी) से एक बालिश्त भी बाहर हुआ तो वह जाहिलीयत के जैसी मौत मरेगा।

हदीस 955. हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमें बुलाया तो हमने आप से बैअ़त की और बैअ़त में आपने हम से यह इक़रार लिया कि ख़ुशी व नाख़ुशी और तंगी व फ़राख़ी ग़र्ज़ कि हर हाल में आपका हुक्म सुनेंगे और उस पर अ़मल करेंगे, अगरचे हम पर दूसरों को तरजीह ही क्यों न दी जाये, और आपने यह भी इक़रार लिया कि सल्तनत के बारे में हम हुक्मरानों से झगड़ा नहीं करेंगे मगर उस सूरत में कि जब तुम उसे खुले तौर पर कुफ़्र करते देखो, ऐसा कुफ़्र कि जिसके मुताल्लिक़ अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से तुम्हारे पास दलील भी मौजूद हो।

वज़ाहतः- जब तक हाकिमे वक़्त के किसी क़ौल व फ़ेल की कोई शरई तावील हो सकती हो (मतलब निकाला जा सकता हो) उस वक़्त तक उसके ख़िलाफ़ बग़ावत करना जायज़ नहीं, अगर वह खुले तौर पर शरीअ़त के ख़िलाफ़ काम करे या उनका हुक्म दे तो उस पर एतिराज़ करना दुरुस्त है, अगर वह न माने तो ऐसे हालात में उसकी इताअ़त (हुक्म मानना) लाज़िम नहीं है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 956. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बदतरीन (बहुत बुरी) मख़्लूक़ में से वे लोग हैं जिनकी ज़िन्दगी में क़ियामत आ जायेगी।

वज़ाहतः- इसलिये कि वह फ़ितनों के ज़ाहिर होने का वक़्त होगा और क़ियामत के नज़दीक अच्छे लोग उठा लिये जायेंगे। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 957. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि जब मुझसे उन

मुसीबतों की शिकायत की गई जो लोगों को हज्जाज बिन यूसुफ़ से पहुँची थीं तो मैंने कहा कि सब्र करो तुम पर जो ज़माना गुज़रेगा वह पहले से बदतर (ज़्यादा बुरा) होगा, यहाँ तक कि तुम अल्लाह तआला से मिल जाओ। मैंने यह बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुनी है।

हदीस 958. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से कोई शख़्स अपने भाई की तरफ़ हथियार से इशारा न करे, क्योंकि मुम्किन है कि शैतान उसके हाथ से उसे नुक़सान पहुँचा दे जिसकी वजह से यह शख़्स आग के गढ़े (जहन्नम) में गिर पड़े।

वज़ाहतः- किसी मुसलमान को डराने-धमकाने के लिये भी हथियार से इशारा करना बहुत बड़ा गुनाह है, अगर हथियार से उसे नुक़सान पहुँचाया जाये तो अल्लाह तआला के यहाँ सख़्त अज़ाब से दोचार होने का अन्देशा है। चाहे संजीदगी से ऐसा किया जाये या मज़ाक़ से। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 959. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बहुत जल्द ऐसे फ़ितने ज़ाहिर होंगे कि बैठा हुआ शख़्स चलने वाले से और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा, जो शख़्स दूर से भी उनमें झाँकेगा तो वे (फ़ितने) उसको भी समेट लेंगे, लिहाज़ा ऐसे हालात में इनसान जहाँ कहीं कोई पनाह की जगह पाये उसमें पनाह हासिल कर ले।

वज़ाहतः- इससे मुराद वह फ़ितना है जो मुसलमानों में सत्ता और हुकूमत के हासिलक करने की ख़ातिर ज़ाहिर हो और यह मालूम न हो सके कि हक़ किस तरफ़ है, ऐसे हालात में सबसे अलग-थलग रहने और एक कोना पकड़ लेने में ही आफ़ियत है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 960. हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि वह हज्जाज के पास गये। हज्जाज बिन यूसुफ़ ने उनसे कहा- ऐ इब्ने अकवा! आप एड़ियों के बल फिर गये और जंगल के रहने वाले बन गये। हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा- ऐसा नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे जंगल में रहने की ख़ास इजाज़त दी थी।

वज़ाहतः- अगर शहर या आबादी में रहना फ़ितने का सबब हो तो उस सूरत में जंगल में रहना बेहतर है।

हदीस 961. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब अल्लाह तआ़ला किसी क़ौम पर अ़ज़ाब नाज़िल फ़रमाते हैं तो वह अ़ज़ाब क़ौम के तमाम लोगों को पहुँचता है, फिर क़ियामत के दिन वे अपने-अपने आमाल के मुताबिक़ उठाये जायेंगे।

हदीस 962. हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि निफ़ाक़ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में था, अब ईमान के बाद तो कुफ़्र है (यानी इस ज़माने में आदमी मोमिन है या काफ़िर)।

वज़ाहतः- हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु का मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की वफ़ात के बाद चूँकि वही का सिलसिला बन्द हो गया है इसलिये किसी के मुताल्लिक़ मुनाफ़क़त (ज़ाहिर में मुसलमान और अन्दर से काफ़िर होने) का हुक्म नहीं लगाया जा सकता, इसलिये कि किसी के दिल का हाल मालूम नहीं हो सकता। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 963. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- वह ज़माना क़रीब है कि फ़ुरात दरिया से एक सोने का ख़ज़ाना ज़ाहिर होगा जो वहाँ मौजूद हो वह उसमें से कुछ न ले।

वज़ाहतः- इस ख़ज़ाने के हासिल होने पर बहुत क़त्ल व ग़ारत होगी। एक हदीस में है कि सौ आदमियों में से निन्नानवे मारे जायेंगे सिर्फ़ एक ज़िन्दा बचेगा, हर आदमी यही कहेगा कि मैं इस ख़ज़ाने को हासिल करने में कामयाब हो जाऊँगा। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 964. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत उस वक़्त तक क़ायम न होगी जब तक ऐसे दो बड़े-बड़े गिरोहों में लड़ाई न हो जिनका दावा एक होगा। उनके दरमियान ख़ूब ख़ून बहेगा तथा क़ियामत उस वक़्त तक न आयेगी यहाँ तक कि तीस के क़रीब झूठे दज्जाल पैदा होंगे और

उनमें से हर एक यह दावा करेगा कि मैं अल्लाह तआ़ला का रसूल हूँ। और क़ियामत के क़रीब इल्म उठा लिया जायेगा, ज़लज़लों (भूकंपों) की कसरत होगी, वक़्त जल्द-जल्द गुज़रेगा। फ़ितने ज़ाहिर होंगे और कसरत से ख़ून बहाया जायेगा। माल की इतनी फ़रावानी (अधिकता) होगी कि वह पानी की तरह बहता फिरेगा, इस क़द्र कि माल वाले को फ़िक्र लगी होगी कि उसका सदक़ा कोई क़ुबूल करे, वह किसी के सामने उसे पेश करेगा तो वह जवाब देगा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और लोग ख़ूब लम्बी-लम्बी इमारतें तामीर के तौर पर करेंगे और यहाँ तक कि एक शख़्स दूसरे की क़ब्र से गुज़रेगा और कहेगा काश मैं इसकी जगह होता। फिर सूरज पश्चिम की तरफ़ से निकलेगा, जब उधर से निकलेगा तो सब देख लेंगे, फिर सब के सब अल्लाह तआ़ला पर ईमान लायेंगे लेकिन वह ऐसा वक़्त होगा कि किसी नफ़्स को ईमान लाना नफ़ा न देगा जो उससे पहले ईमान न लाया था, और न ही उसने ईमान की हालत में कोई नेकी की थी। और क़ियामत इतनी जल्दी क़ायम हो जायेगी कि दो आदमी आपस में ख़रीद व फ़रोख़्त कर रहे होंगे, उन्होंने अपने आगे कपड़े का थान फैलाया होगा, न वे सौदे को पक्का कर सकेंगे और न ही थान को लपेट सकेंगे कि क़ियामत आ जायेगी। एक शख़्स अपनी ऊँटनी का दूध लेकर चला होगा तो वह उसको पी भी नहीं सकेगा कि क़ियामत आ जायेगी, और कुछ लोग हौज़ की मरम्मत कर रहे होंगे वे अपने जानवरों को उससे पानी भी नहीं पिला सकेंगे कि क़ियामत आ जायेगी, और कोई आदमी निवाला मुँह तक उठा चुका होगा अभी उसे खा भी न सकेगा कि क़ियामत क़ायम हो जायेगी।

वज़ाहतः- इस हदीस में क़ियामत की तीन तरह की निशानियाँ बयान हुई हैं- पहली क़िस्म क़त्ल व ग़ारत की ज़्यादती, दूसरी ज़लज़लों की अधिकता और तीसरी (निशानी) सूरज का पश्चिम से निकलना। पहली दो तो तक़रीबन ज़ाहिर हो चुकी हैं और तीसरी अभी ज़ाहिर नहीं हुई है जो इन्शा-अल्लाह आईन्दा ज़ाहिर होगी। (फ़त्हुल्-बारी)

अहकाम का बयान

हदीस 965. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अमीर की बात सुनो और उसकी इताअ़त करो (हुक्म मानो) अगरचे तुम पर एक हब्शी ग़ुलाम सरदार बनाया जाये जिसका सर मुनक़्क़ा की तरह छोटा हो।

वज़ाहतः- हब्शी ग़ुलाम की ख़िलाफ़त सही है अगर इमामे वक़्त उसे हाकिम बना दे तो लोगों को उसकी इताअ़त करनी चाहिये, लेकिन गुनाहों के कामों में इनकार करना ज़रूरी है। अगर खुल्लम-खुल्ला कुफ़्र करे तो उसे बरख़ास्त कर देना चाहिये। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 966. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बहुत जल्द तुम लोग अमीरी और सरदारी की हिर्स करोगे, क़ियामत के दिन तुम्हें उसकी वजह से नदामत और शर्मिन्दगी होगी, उसकी शुरूआ़त तो अच्छी मालूम होगी लेकिन अन्जाम बुरा होगा जैसा कि दूध पिलाने वाली दूध पिलाते वक़्त अच्छी होती है मगर दूध छुड़ाते वक़्त बुरी लगती है।

वज़ाहतः- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस मिसाल से यह समझाना चाहते हैं कि जिस काम का अन्जाम ग़म व फ़िक्र हो उसे मामूली लज़्ज़त व राहत की ख़ातिर हरगिज़ नहीं अपनाना चाहिये। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 967. हज़रत मअ़क़ल बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना- जिस शख़्स को अल्लाह तआ़ला ने हाकिम बनाया फिर उसने अपनी रियाया (प्रजा) की ख़ैरख़्वाही (भला चाहना और हमदर्दी) न की तो वह जन्नत की ख़ुशबू तक भी नहीं पायेगा।

वज़ाहतः- हज़रत मअ़क़ल बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह हदीस उस वक़्त बयान की जब आप बहुत ज़्यादा बीमार हुए और हज़रत उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद उनकी तीमारदारी के लिये आये। जब आप हदीस बयान कर चुके तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा- आपने मुझे पहले क्यों

नहीं बताया। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 968. हज़रत मअ्क़ल बिन यसार रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो वाली (बादशाह) मुसलमानों पर हुकूमत करता हुआ उनका बुरा चाहने और उनको धोखा देने पर मरा तो उसके लिये जन्नत हराम है।

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि जो किसी का अमीर बनाया गया और उसने अ़दल व इन्साफ़ से काम न लिया तो उसे औंधे मुँह जहन्नम में फेंका जायेगा। ज़ालिम हुक्मरानों के लिये इसमें सख़्त वईद (अज़ाब का वायदा) है। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 969. हज़रत जुन्दुब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमा रहे थे- जिसने लोगों को दिखाने के लिये नेक अ़मल किया अल्लाह तआ़ला उसकी रियाकारी क़ियामत के दिन सुना देंगे, और जिसने लोगों पर मशक़्क़त डाली अल्लाह तआ़ला भी क़ियामत के दिन उस पर सख़्ती करेंगे। लोगों ने अ़र्ज़ किया कि कुछ और वसीयत फ़रमाईये, आपने फ़रमाया- पहले इनसानी जिस्म में जो चीज़ ख़राब होती और बिगड़ती है वह उसका पेट है, अब जिस से हो सके वह पेट में हलाल लुक़्मा ही डाले, और जिस से हो सके वह चुल्लू भर ख़ून बहाकर जन्नत में जाने से अपने आपको न रोके।

हदीस 970. हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना- हाकिम या क़ाज़ी गुस्से की हालत में लोगों का फ़ैसला न करे।

वज़ाहतः- दूसरे लोगों को भी गुस्से की हालत में फ़ैसला करना मना है, इसी तरह सख़्त भूख, प्यास और नींद के ग़लबे के वक़्त फ़ैसला नहीं करना चाहिये, क्योंकि इससे फ़ैसले की क़ुव्वत कमज़ोर होती है।

हदीस 971. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने कहा कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ज़ख़्मी हुए तो आप से कहा गया कि आप अपना कोई जानशीन (उत्तराधिकारी) मुक़र्रर क्यों नहीं कर देते?

उन्होंने फ़रमाया- अगर मैं ख़लीफ़ा मुक़र्रर करूँ तो जो मुझसे बेहतर थे (क्या) वह ख़लीफ़ा मुक़र्रर करके गये थे? यानी अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने किसी को भी ख़लीफ़ा नामज़द नहीं किया था हालाँकि आप मुझसे कहीं बेहतर थे।

वज़ाहतः- हज़रत उमर की एहतियात ध्यान देने के क़ाबिल है कि उन्होंने ख़िलाफ़त के मुताल्लिक़ ऐसा उसूल व तरीक़ा-ए-कार पेश फ़रमाया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु दोनों का था। आपने छह सदस्यों वाली एक कमेटी गठित फ़रमा दी कि इनमें से किसी एक को चुन लिया जाये।

आरज़ुओं का बयान

हदीस 972. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से कोई मौत की तमन्ना न करे क्योंकि अगर वह नेक है तो और नेकियाँ करेगा, और अगर बदकार है तो तब भी शायद तौबा कर ले।

वज़ाहतः- मौत की तमन्ना से इसलिये मना किया गया है कि इसमें ज़िन्दगी की नेमत को अपमान की नज़र से देखना लाज़िम आता है तथा अल्लाह तआ़ला के फ़ैसले और उसकी तक़दीर से किनारा करना है, जो अल्लाह तआ़ला को पसन्द नहीं।

किताब व सुन्नत को मज़बूती से थामने का बयान

हदीस 973. हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अमानतदारी आसमान से कुछ लोगों के दिलों की जड़ों में उतरी है (यानी उनकी फ़ितरत में दाख़िल है), और क़ुरआन मजीद नाज़िल हुआ तो उन्होंने क़ुरआन मजीद का

मतलब समझा और सुन्नत का इल्म हासिल किया। क़ुरआन व हदीस दोनों से (इस तरह उनको) पूरी क़ुव्वत मिल गई।

वज़ाहतः- क़ुरआन मजीद की तफ़सीर हदीस शरीफ़ है, बग़ैर हदीस के क़ुरआन का सही मतलब मालूम नहीं होता। इसलिये मुसलमानों पर लाज़िम है कि क़ुरआन को हदीस के साथ मिलाकर समझें जो तफ़सीर हदीस के मुवाफ़िक़ हो उसी को इख़्तियार करें।

हदीस 974. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि सबसे अच्छी बात किताबुल्लाह (क़ुरआन) की है और सबसे अच्छा तरीक़ा मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) का तरीक़ा है, और सबसे बुरी बात बिद्अ़त (दीन में नई बात पैदा करना) है और बिला-शुब्हा जिसका तुमसे वायदा किया जाता है वह आकर रहेगा और तुम परवर्दिगार से बचकर कहीं नहीं जा सकते।

हदीस 975. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरी उम्मत के सब लोग जन्नत में दाख़िल होंगे मगर जो इनकार करेगा। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने अ़र्ज़ किया वह कौन है जो इनकार करेगा? आपने फ़रमाया जिसने मेरी इताअ़त (हुक्म बरदारी) की वह तो जन्नत में दाख़िल होगा और जिसने मेरी नाफ़रमानी की तो उसने गोया (जन्नत में जाने से) इनकार किया।

वज़ाहतः- एह आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की इताअ़त को अल्लाह तआ़ला की इताअ़त क़रार दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम चूँकि अल्लाह तआ़ला के एक मुस्तनद (प्रमाणित) नुमाइन्दे थे इसलिये उनकी इताअ़त व फ़रमाँबरदारी एक लाज़िमी और भरोसे मन्द मामले की हैसियत रखती है। अल्लाह पाक का फ़रमान है-

وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ.

तर्जुमाः- जिसने रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की इताअ़त की उसने अल्लाह तआ़ला की इताअ़त (फ़रमाँबरदारी) की।

(सूरः अ-ब-स 80, आयत 8)

हदीस 976. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में चन्द फ़रिश्ते हाज़िर हुए जिस वक़्त कि आप आराम फ़रमा रहे थे, कुछ फ़रिश्तों ने कहा कि यह इस वक़्त सो रहे हैं, कुछ ने कहा कि इनकी सिर्फ़ आँखें सोती हैं मगर दिल जागता रहता है, फिर वे कहने लगे कि इनकी मिसाल उस शख़्स की तरह है जिसने एक घर तामीर किया, फिर लोगों की दावत के लिये खाना तैयार किया, अब एक शख़्स को दावत देने के लिये भेजा, पस जिस शख़्स ने उस बुलाने वाले के कहने को क़ुबूल किया वह मकान में दाख़िल होगा और खाना खायेगा और जो बुलाने वाले के कहने को क़ुबूल न करेगा वह न तो मकान में दाख़िल होगा और न ही खाना खा सकेगा। फिर उन्होंने कहा कि इसकी और वज़ाहत करो ताकि समझ लें, तो कुछ ने कहा यह सो रहे हैं और कुछ ने कहा आपकी सिर्फ़ आँखें सोती हैं और दिल जागता रहता है, फिर कहने लगे वह मकान जन्नत है और बुलाने वाले हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) हैं, जिसने हज़रत मुहम्मद की इताअ़त (फ़रमाँबरदारी) की उसने गोया अल्लाह तआ़ला की इताअ़त की, और जिसने हज़रत मुहम्मद की नाफ़रमानी की उसने गोया अल्लाह तआ़ला की नाफ़रमानी की। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम गोया अच्छे को बुरे से अलग करने वाले हैं।

वज़ाहतः- इस हदीस का आख़िरी हिस्सा बड़ी अहमियत वाला है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अच्छे को बुरे से अलग करने वाले हैं, यानी मोमिन और काफ़िर नेक और बदबख़्त के दरमियान भेद और फ़र्क़ की लकीर खींचने वाले हैं।

हदीस 977. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तक मैं तुमसे यक्सू (अलग) रहूँ तो तुम भी मुझे छोड़ दो (और सवालात वग़ैरह न करो), क्योंकि तुमसे पहले की उम्मतें अपने (ग़ैर-ज़रूरी) सवालात और नबियों के सामने इख़्तिलाफ़ की वजह से तबाह हो गये। पस जब मैं तुम्हें किसी चीज़ से रोकूँ तो तुम भी उससे परहेज़ करो, और जब मैं तुम्हें किसी बात का हुक्म दूँ तो

उसे पूरा करो, जिस हद तक तुम में ताक़त हो।

हदीस 978. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मदीना की ज़मीन (अ़ैर मक़ाम से सौर मक़ाम तक) को हरम क़रार दिया और फ़रमाया- इस जगह का कोई दरख़्त न काटे। और जो कोई यहाँ बिद्अ़त (दीन में नई बात पैदा) करे तो उस पर अल्लाह तआ़ला और फ़रिश्तों और सब लोगों की लानत हो।

हदीस 979. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- लोग बराबर सवालात करते रहेंगे यहाँ तक कि यह भी कहेंगे कि यह अल्लाह तआ़ला है जिसने हर चीज़ को पैदा किया तो अल्लाह तआ़ला को किसने पैदा किया है?

वज़ाहतः- एक हदीस में है कि ऐसे शैतानी वस्वसे (ख़्यालात) के वक़्त इनसान को चाहिये कि अल्लाह तआ़ला की पनाह में आये और बाईं जानिब थुथकारे, और "आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिही" कहता हुआ उस ख़्याल से अपने आपको रोक ले।

हदीस 980. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला यूँ नहीं करेंगे कि तुम्हें इल्म देकर फिर यूँ ही छीन लें, बल्कि इल्म इस तरह उठायेंगे कि उलेमा हज़रात इन्तिक़ाल कर जायेंगे उनके साथ ही इल्म चला जायेगा, और चन्द जाहिल लोग रह जायेंगे उनसे फ़तवा लिया जायेगा तो वे महज़ अपनी राय से फ़तवा देकर ख़ुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे।

वज़ाहतः- किताब व सुन्नत में किसी मसले के मुताल्लिक़ कोई दलील न मिले तो एहतियात करना चाहिये, अपनी राय चलाने से बचते हुए दूसरी मौजूद मिसालों पर ग़ौर करे और पेश आने वाले मसले का हल उलेमा-ए-किराम से पूछे।

हदीस 981. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत उस वक़्त तक क़ायम न होगी जब तक मेरी उम्मत भी पहली उम्मतों के रास्ते पर न

चलेगी, बालिश्त के साथ बालिश्त और हाथ के साथ हाथ के बराबर की पैरवी करेगी। अ़र्ज़ किया गया- या रसूलल्लाह! पहली उम्मतों से कौन मुराद हैं पारसी और रूमी? आपने फ़रमाया उनके अ़लावा और कौन लोग मुराद हो सकते हैं?

वज़ाहतः- एक दूसरी हदीस में है कि तुम लोग अपने से पहले यहूदियों व ईसाईयों की पैरवी करोगे, यानी सियासत व नेतृत्व में तुम फ़ारस व रूम के नक़्शे-क़दम पर चलोगे और मज़हबी सभ्यता व कल्चर में यहूदियों और ईसाईयों की पैरवी करोगे।

हदीस 982. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि यक़ीनन अल्लाह तआ़ला ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को हक़ के साथ भेजा और अपनी किताब आप पर नाज़िल फ़रमाई, चुनाँचे उस नाज़िल हुई किताब में से रज्म (शादीशुदा ज़िनाकार को पत्थरों से मार-मारकर हलाक करने) वाली आयत भी है।

हदीस 983. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरे हुजरे और मेरे मिम्बर के दरमियान की ज़मीन जन्नत के बाग़ों में से एक बाग़ है, और मेरा यह मिम्बर मेरे हौज़ पर होगा।

वज़ाहतः- मस्जिदे नबवी में उक्त हिस्सा जन्नत की कियारी है, यहाँ की दुआ़ओं और नमाज़ में अ़जीब लुत्फ़ का एहसास होता है, और उसकी यह फ़ज़ीलत इस वजह से भी है कि यहाँ सुफ़्फ़ा वाले हज़रात बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से क़ुरआन व हदीस का इल्म हासिल करते थे।

हदीस 984. हज़रत अ़मर बिन आ़स रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब हाकिम इज्तिहाद करके कोई हुक्म दे अगर वह हुक्म दुरुस्त होता है तो उसके लिये दुगना अज्र है और जब हुक्म लगाने में इज्तिहाद करते हैं और उसमें ख़ता हो जाती है तो भी उसे एक अज्र ज़रूर मिलता है।

वज़ाहतः- इससे मालूम हुआ कि हक़ एक होता है उसे तलाश करने में अगर ख़ता हो जाये तो हक़ की तलाश का सवाब ज़ाया नहीं होता, यह उस सूरत में होगा जब मुज्तहिद हक़ की तलाश के वक़्त जान-बूझकर इजमा-ए-उम्मत (उम्मत की आ़म राय और सहमति) की ख़िलाफ़वर्ज़ी न करे।

हदीस 985. हज़रत मुहम्मद बिन मुन्कदिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु इस बात पर क़सम उठाते थे कि इब्ने सय्याद दज्जाल है। हदीस का रावी कहता है कि मैंने उनसे कहा तुम इस पर क़सम क्यों उठाते हो? उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु को देखा कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने क़सम उठाते थे और आपने उस पर इनकार नहीं किया।

वज़ाहतः- हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हदीस से मालूम होता है कि इब्ने सय्याद वह दज्जाल नहीं जिसे हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम क़त्ल करेंगे, इसलिये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की क़सम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का ख़ामोश रहना इस हक़ीक़त को साबित करता था कि इब्ने सय्याद भी उन तीस दज्जालों में से एक है जो क़ियामत से पहले ज़ाहिर होंगे, लेकिन बड़े दज्जाल के मुताल्लिक़ आपको यक़ीन था कि वह क़ियामत के नज़दीक ज़ाहिर होगा। (फ़त्हुल्-बारी)

तौहीद (की पैरवी) और जहमिया व दूसरे गुमराह फ़िर्क़ों की तरदीद का बयान

वज़ाहतः- अल्लाह तआ़ला की मारिफ़त (पहचान) दीने इस्लाम का मक़सद व हासिल है, और तौहीद का अ़क़ीदा इस मारिफ़त की बुनियाद है। **तौहीद** यह है कि अल्लाह तआ़ला अपनी ज़ात व सिफ़ात, माबूद व रब और हाकिम व तमाम इख़्तियारात वाला होने में बेमिसाल व यक्ता है, उसका कोई शरीक नहीं। तौहीद के इस अ़क़ीदे का तक़ाज़ा यह है कि किताब व सुन्नत में अल्लाह तआ़ला के मुताल्लिक़ जो सिफ़ात वारिद हैं (उन्हें कैफ़ियत और मिसाल बयान किये बग़ैर) उसकी शायाने शान हक़ीक़त पर

आधारित तस्लीम किया जाये, लेकिन बाज़े बेदीन लोगों ने दीने इस्लाम का चौला पहनकर अल्लाह तआ़ला की सिफ़ात का इनकार कर दिया जिनमें जहम बिन सफ़्वान फ़ेहरिस्त में ऊपर है, फ़िर्क़ा जहमिया इसी की तरफ़ मन्सूब है।

हदीस 986. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक शख़्स को किसी लश्कर का सरदार बनाकर रवाना फ़रमाया। वह जब नमाज़ पढ़ता तो अपनी क़िराअत "क़ुल् हुवल्लाहु अहद्" पर ख़त्म करता, फिर जब ये लोग वापस हुए तो इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से इसका ज़िक्र किया, आपने फ़रमाया उससे मालूम करो कि वह ऐसा क्यों करता है? लोगों ने उससे पूछा तो उसने बताया कि इस सूरत में रहमान की सिफ़ात हैं जिनको तिलावत करना मुझे अच्छा लगता है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उससे कह दो कि अल्लाह तआ़ला (भी) उससे मुहब्बत करता है।

वज़ाहतः- इस हदीस में दो चीज़ों का सुबूत है- एक अल्लाह तआ़ला की सिफ़ात हैं जैसा कि हदीस में इसकी स्पष्टता है, बल्कि यह सूरत (सूरत नम्बर 112) तो अल्लाह तआ़ला की सिफ़ात ही पर मुश्तमिल है, दूसरी यह कि इस हदीस में अल्लाह तआ़ला के लिये (मुहब्बत की) इस सिफ़त को साबित किया गया है, इस सिफ़त को (कोई दूर का मतलब बयान किये बग़ैर) हक़ीक़त पर आधारित तस्लीम किया जाये।

हदीस 987. हज़रत जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह तआ़ला भी उस पर रहम नहीं करता।

वज़ाहतः- यानी अल्लाह तआ़ला की एक सिफ़त रहम भी है तो रहमान व रहीम नामों से भी उसे पुकारिये।

हदीस 988. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ग़ैब की पाँच बातें हैं जिनको सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला ही जानता है-

1. पेटों का घटना बढ़ना (कि उनमें एक बच्चा है या ज़्यादा और पूरा

है या अधूरा, अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई नहीं जानता)।

2. कल क्या होगा? अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई नहीं जानता।

3. कब बारिश होगी? अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई नहीं जानता।

4. जानदार किस सरज़मीन में मरेगा? अल्लाहत तआ़ला के सिवा कोई नहीं जानता।

5. क़ियामत कब होगी? अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई नहीं जानता।

हदीस 989. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम यूँ कहा करते थे-

اَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ الَّذِىْ لَآ اِلٰـــهَ اِلَّآ اَنْتَ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ يَمُوْتُوْنَ.

तर्जुमाः- ऐ वह ज़ात जिसके सिवा कोई माबूदे हक़ीक़ी नहीं है, ऐ वह ज़ात जिसे मौत नहीं आयेगी, जिन्नात व इनसान सब मर जायेंगे, मैं आपकी इ़ज़्ज़त की पनाह माँगता हूँ।

वज़ाहतः- इस हदीस से अल्लाह तआ़ला की सिफ़ात को साबित करना मक़सद है, उन्हीं सिफ़ात में से एक सिफ़त इ़ज़्ज़त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इस सिफ़त का वास्ता देकर अल्लाह तआ़ला की पनाह लेते थे। इसी तरह अल्लाह तआ़ला की सिफ़त की क़सम खाना भी जायज़ है, यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह तआ़ला के सिवा कायनात की हर चीज़ को फ़ना होना है। अधिक जानकारी के लिये पढ़िये तफ़सीर (सूरः रहमान 55, आयत 26-27)।

हदीस 990. हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि हम एक सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ थे, जब हम किसी चढ़ाई पर चढ़ते तो (ज़ोर से) अल्लाहु अकबर कहते। आपने फ़रमाया ऐ लोगो! इतनी तकलीफ़ क्यों उठाते हो (आहिस्ता अल्लाह तआ़ला की याद करो क्योंकि तुम किसी बहरे और ग़ायब को तो नहीं पुकार रहे हो, तुम तो उस ज़ात को पुकार रहे हो जो मामूली से मामूली बात को भी) सुनता और देखता है, और वह क़रीब है। फिर आप मेरे पास तशरीफ़ लाये,

मैं दिल ही दिल में "ला हौ-ल व ला क़ुव्व-त इल्ला बिल्लाहि"

तर्जुमाः- नहीं है गुनाह से बचने की ताक़त और नहीं है नेकी करने की तौफ़ीक़ मगर अल्लाह तआ़ला की मदद से।

पढ़ रहा था। आपने फ़रमाया- ऐ अ़ब्दुल्लाह बिन क़ैस! इन कलिमात को पढ़ते रहो, ये कलिमात जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना हैं-

वज़ाहतः- इस हदीस से अल्लाह तआ़ला की सिफ़त 'समीअ़' और 'बसीर' का मख़्लूक़ से बहुत क़रीब होना साबित हुआ, और "ला हौ-ल व ला क़ुव्व-त इल्ला बिल्लाहि" कसरत से पढ़ने की फ़ज़ीलत भी मालूम हुई, लिहाज़ा आप भी रोज़ाना इन कलिमात को ख़ूब ज़्यादा पढ़ें।

हदीस 991. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला के निन्नानवे (99) नाम हैं जो कोई इनको याद करे तो वह जन्नत में जायेगा।

नोटः- अल्लाह तआ़ला के 99 नामों की तफ़सील के लिये पढ़िये हमारी किताब "आपके लैल व नहार" भाग दो।

हदीस 992. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब अल्लाह तआ़ला ने मख़्लूक़ को पैदा किया तो अपनी किताब में लिखा- मैंने अपने नफ़्स (ज़ात) पर लाज़िम क़रार दिया है कि मेरी रहमत मेरे ग़ुस्से पर ग़ालिब है, यह तहरीर (लिखा हुआ कलाम) अ़र्श पर उसने अपने पास रखा हुआ है।

वज़ाहतः- आयते करीमा (सूरः मायदा 5, आयत 116) और हदीसे मुबारक में बारी तआ़ला के लिये लफ़्ज़ 'नफ़्स' का इस्तेमाल हुआ है इससे मुराद उसकी पाक ज़ात है जो सबसे बुलन्द व आला सिफ़ात वाली है।

हदीस 993. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला का पाक इरशाद है- मैं अपने बन्दे के गुमान के साथ हूँ, अगर वह मुझको याद करता है तो मैं (अपने इल्म और फ़ज़्ल व करम से) उसके साथ होता हूँ, अगर उसने मुझे अपने नफ़्स (जी) में याद किया तो मैं भी उसे अपने नफ़्स में याद करूँगा, अगर वह मुझे जमाअ़त में याद करता है तो मैं भी उससे

बेहतर जमाअ़त (फ़रिश्तों) में उसे याद करता हूँ, अगर वह मेरी जानिब एक बालिश्त आता है तो मैं उसकी तरफ़ एक गज़ नज़दीक होता हूँ, अगर वह एक गज़ मुझसे करीब हो तो मैं दो गज़ उससे नज़दीक हो जाता हूँ, अगर वह मेरे पास चलता हुआ आये तो मैं दौड़ता हुआ उसके पास आता हूँ।

वज़ाहतः- इस हदीस में भी लफ़्ज़ 'नफ़्स' को अल्लाह तआ़ला के लिये साबित किया गया है, मतलब यह है कि अगर बन्दा पोशीदा तौर पर अपने दिल में अपने रब को याद करता है तो अल्लाह तआ़ला भी उसी तरह याद करता है कि किसी को ख़बर तक नहीं होती, और अगर बन्दा खुले तौर पर भरी मजलिस में अल्लाह तआ़ला को याद करता है तो अल्लाह तआ़ला भी उससे आला और अफ़ज़ल मजलिस में उसका तज़किरा करता है।

हदीस 994. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि जब यह आयत (सूरः अन्आ़म 6, आयत 65) उतरी-

तर्जुमाः- ऐ पैग़म्बर! कह दे वह अल्लाह ऐसी क़ुदरत रखता है कि तुम पर ऊपर से अ़ज़ाब भेजे।

तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- "अऊज़ु बि-वजूहि-क" (या अल्लाह! मैं आपके मुबारक चेहरे की पनाह चाहता हूँ)। फिर यह आयत उतरी- "या तुमको टुकड़े-टुकड़े कर दे और आपस में लड़ा दे" तो (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने) फ़रमाया- यह पहले वाले अ़ज़ाबों के मुक़ाबले में आसान है (क्योंकि पहले के अ़ज़ाबों में सब लोग तबाह हो जाते थे)।

हदीस 995. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला का पाक इरशाद है कि जब मेरा बन्दा कोई बुराई करने का इरादा करता है (तो अल्लाह तआ़ला फ़रिश्तों से कहता है) अभी उस पर गुनाह मत लिखो जब तक कि वह उसे कर न ले, अगर कर ले तो उतना ही लिखो जितना उसने किया है (एक के बदले एक गुनाह), और अगर मुझसे डरते हुए उसे छोड़ दे तो उसके लिये एक नेकी लिखो, और अगर कोई नेकी करने का इरादा करे और उसे अ़मल में न ला सके तो भी उसके लिये एक नेकी लिख दो, अगर

कर ले तो दस नेकियों से लेकर सात सौ नेकियों तक लिखो।

वज़ाहतः- यह हदीसे क़ुदसी है और इससे अल्लाह तआ़ला की कलाम करने की सिफ़त को साबित किया गया है, और यह क़ुरआने करीम के अ़लावा भी हो सकती है और कलामे इलाही ग़ैर-मख़्लूक़ है। इस हदीस से यह भी साबित हुआ कि अगर कोई मुसलमान अल्लाह तआ़ला से डरते हुए गुनाह से बचता है तो उसके लिये एक कामिल नेकी लिख दी जाती है। दूसरे- अज्र व सवाब दस से सात सौ गुना तक बल्कि इससे भी ज़्यादा मुम्किन है। पढ़िये आयत व तफ़सीर (सूरः ब-क़रह 2, आयत 261) इसका दारोमदार नीयत और हालात पर है, यानी नीयत में कितना ख़ुलूस है और किन हालात में क्या काम किया, मसलन एक आदमी के पास सिर्फ़ दो रुपये थे उसने ज़रूरत मन्द को एक रुपया दे दिया, दूसरे के पास एक लाख रुपये थे उसने एक सौ दे दिये। जिसने एक रुपया दिया उसको अल्लाह रब्बुल्-इ़ज़्ज़त ने सात सौ रुपये का सवाब दिया या 1500 का सवाब भी दे सकते हैं, और जिसने सौ रुपये दिये उसको दस गुना यानी एक हज़ार रुपये का सवाब दे सकते हैं। वल्लाहु आलम।

हदीस 996. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना जब बन्दा गुनाह करता है फिर कहता है- ऐ रब! मैंने गुनाह किया है तो अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि मेरे बन्दे को मालूम है कि कोई उसका रब है जो गुनाह बख़्शता है और उसकी पकड़ करता है, लिहाज़ा मैंने अपने बन्दे को बख़्श दिया। फिर थोड़ी देर तक जिस क़द्र अल्लाह तआ़ला ने चाहा वह ठहरा रहता है, फिर उसने गुनाह किया, फिर परवर्दिगार से अ़र्ज़ करने लगा- परवर्दिगार! मैंने गुनाह किया आप मुझे माफ़ कर दें, तो अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि मेरा बन्दा जानता है कि उसका एक मालिक है जो गुनाह बख़्शता है और गुनाह पर सज़ा भी देता है, अच्छा मैंने उसे माफ़ कर दिया। फिर थोड़ी देर तक जिस क़द्र अल्लाह तआ़ला को मन्ज़ूर था वह बन्दा ठहरा रहा, उसके बाद उसने फिर गुनाह किया, अब फिर परवर्दिगार से अ़र्ज़ करने लगा- ऐ रब! मुझसे गुनाह हो गया आप मुझे माफ़ कर दें, इस पर अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है

कि मेरा बन्दा जानता है कि उसका एक मालिक है जो गुनाह बख़्शता है और गुनाह पर सज़ा भी देता है, लिहाज़ा मैंने अपने बन्दे को तीन दफ़ा माफ़ कर दिया, अब वह जैसे चाहे अ़मल करे।

वज़ाहतः- इस हदीस से भी अल्लाह तआ़ला की कलाम की सिफ़त साबित है जैसा कि पहले ज़िक्र हो चुका है, साथ ही यह हदीस बार-बार गुनाह करने की गुंजाईश पैदा नहीं करती क्योंकि गुनाह पर अड़े और जमे रहना बहुत संगीन जुर्म है, बल्कि इस हदीस का मतलब यह है कि इनसान गुनाहों से माफ़ी माँगने के बाद अगर फिर अपने नफ़्स के हाथों मजबूर होकर या शैतान के बहकाने से मग़लूब होकर गुनाह कर बैठता है और फिर अल्लाह तआ़ला के अ़ज़ाब से डरते हुए उसके सामने अपने आपको पेश कर देता है तो अल्लाह तआ़ला उसे माफ़ कर देते हैं। यह तौहीद की बरकत है कि अल्लाह ग़फ़ूर व रहीम मोमिन बन्दे की बार-बार ख़ताओं को माफ़ करते रहते हैं बशर्ते कि वह गुनाह पर शर्मिन्दा भी हो और माफ़ी भी माँगे।

हदीस 997. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना- जब क़ियामत के दिन मेरी सिफ़ारिश क़ुबूल की जायेगी तो मैं अ़र्ज़ करूँगा- ऐ परवर्दिगार! जिसके दिल में ज़रा-सा भी ईमान हो उसे भी जन्नत में दाख़िल फ़रमा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि गोया मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की उंगली मुबारक को देख रहा हूँ (जिससे आपने समझाया कि इतने थोड़े ईमान पर भी सिफ़ारिश करूँगा)।

वज़ाहतः- परवर्दिगार फ़रमायेगा कि जिसके दिल में एक जौ के दाने के बराबर ईमान है या राई के दाने के बराबर ईमान है या कुछ भी ईमान है तो मैं उसे जहन्नम से निकाल दूँगा। (फ़त्हुल्-बारी)

हदीस 998. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सख़्ती और मुसीबत के वक़्त यह दुआ़ पढ़ा करते थे-

لَآ اِلٰـــهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَلِيْمُ الْحَلِيْمُ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا

اللهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

ला इला-ह इल्लल्लाहुल्-अलीमुल्-हलीमु ला इला-ह इल्लल्लाहु रब्बुल्-अर्शिल्-अज़ीमि ला इला-ह इल्लल्लाहु रब्बुस्समावाति व रब्बुल्-अर्ज़ि व रब्बुल्-अर्शिल्-करीम।

तर्जुमाः- अल्लाह जानने वाले और बुर्दबार के अ़लावा कोई (सच्चा) माबूद नहीं है। अल्लाह अ़र्शे अ़ज़ीम के रब के अ़लावा कोई (सच्चा) माबूद नहीं है। अल्लाह आसमान व ज़मीन और अ़र्शे करीम के रब के अ़लावा कोई (सच्चा) माबूद नहीं है।

वज़ाहतः- आप भी मुसीबत और परेशानी के वक़्त ये कलिमात पढ़ें।

हदीस 999. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में कोई यूँ न कहे या अल्लाह! अगर आप चाहें तो मुझको बख़्श दें अगर आप चाहें तो मुझ पर रहम करें अगर आप चाहें तो मुझे रोज़ी दें, बल्कि यक़ीन के साथ माँगे (कि या अल्लाह! मुझे बख़्श दे, मुझ पर रहम कर और मुझे रोज़ी दे) इसलिये कि अल्लाह तआ़ला तो वही काम करते हैं जो वह चाहते हैं, उन पर ज़बरदस्ती करने वाला कोई नहीं।

हदीस 1000. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- दो कलिमे ऐसे हैं जो रहमान को बहुत प्यारे हैं और ज़बान पर बड़े हल्के हैं (लेकिन क़ियामत के दिन) तराज़ू में भारी और वज़नी होंगे। वो कलिमे ये हैं–

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

सुब्हानल्लाहि व बि-हम्दिही सुब्हानल्लाहिल्-अ़ज़ीम।

तर्जुमाः- अल्लाह अपनी तारीफ़ के साथ पाक है, बड़ाई वाला अल्लाह पाक है।

वज़ाहतः- मालूम हुआ कि आदम की औलाद (यानी इनसानों) के आमाल और अक़वाल (बातों व कलिमात) को क़ियामत के दिन इन्साफ़ की तराज़ू में रखा जायेगा और उस पर जज़ा व सज़ा मुरत्तब होगी। क़ुरआने

करीम की क़िराअत भी इनसान का ज़ाती अ़मल है, अगरचे अल्लाह तआ़ला का कलाम है और ग़ैर-मख़्लूक़ है फिर भी इनसान का नुत्क़ (बोलना) और तलफ़्फ़ुज़ (उच्चारण) ग़ैर-मख़्लूक़ नहीं हैं, इसलिये कि इनको भी अल्लाह तआ़ला ने ही पैदा किया है। इसी तरह तस्बीह व तहमीद या तमजीद (यानी सुब्हानल्लाह, अल्हम्दु लिल्लाह या अल्लाह की बड़ाई व बुज़ुर्गी) और दूसरे अज़्कार व विर्द भी जब इनसान की ज़बान से अदा होंगे तो उन्हें तराज़ू में तौला जायेगा, चूँकि हदीस में है कि मजलिस को अल्लाह तआ़ला की तस्बीह से ख़त्म किया जाये इसलिये इमाम बुख़ारी ने भी अपनी इल्मी मजलिस (यानी बुख़ारी शरीफ़) को अल्लाह तआ़ला की तस्बीह से ख़त्म किया है। मालूम रहे कि दो गिरोहों के आमाल व अक़्वाल का वज़न नहीं किया जायेगा- एक वे काफ़िर लोग जिनकी सिरे से कोई नेकी न होगी वे बिना हिसाब व तराज़ू के जहन्नम में झोंक दिये जायेंगे।

क़ुरआने करीम में है-

तर्जुमाः- ऐसे लोगों के लिये तराज़ू नहीं रखी जायेंगी।

(सूरः कहफ़ 18, आयत 105)

दूसरे ये ईमान वाले जिनकी बुराईयाँ नहीं होंगी और बेशुमार नेकियाँ लेकर अल्लाह तआ़ला के हुज़ूर में पेश होंगे, उन्हें भी हिसाब व किताब के बग़ैर जन्नत में दाख़िल कर दिया जायेगा (या अल्लाह! हमें भी उनमें शामिल फ़रमा)।

चूँकि हज़राते अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की दावत का मेहवर (धुरी और पूरी मेहनत का ख़ुलासा) अल्लाह तआ़ला की तौहीद है इसलिये इमाम बुख़ारी ने भी अल्लाह तआ़ला की तौहीद पर अपनी किताब को ख़त्म किया है, तथा तंबीह फ़रमाई है कि क़ियामत के दिन ऐसे आमाल का वज़न होगा जो नीयत को ख़ालिस करके किये होंगे। अल्लाह तआ़ला से दुआ़ है कि वह हमें और तमाम मुसलमानों को दुनिया में इख़्लास की दौलत से मालामाल फ़रमाये और क़ियामत के दिन हमारी नेकियों का पलड़ा भारी कर दे। अल्लाह तआ़ला इमाम बुख़ारी रह्मतुल्लाह अ़लैहि के दर्जे बुलन्द फ़रमाये और इस किताब को आप तक पहुँचाने वाले, जमा करने वाले, माली

सहयोग करने वाले, छापने वाले, तक़सीम करने वाले और दूसरे तमाम मदद करने वालों के लिये इस किताब को आख़िरत में सदक़ा-ए-जारिया बना दे और हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फ़रमा दे।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ. وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ. اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह करीम! आप अपनी तारीफ़ों के साथ पाक हैं, हम गवाही देते हैं कि आप (यानी अल्लाह तआ़ला) के अ़लावा कोई माबूद नहीं, हम आप से माफ़ी माँगते हैं और तौबा करते हैं और दुरूद व सलाम हो आपकी मख़्लूक़ में से सबसे बेहतर शख़्सियत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर और आपकी आल और आपके सहाबा और आपकी पैरवी करने वालों तमाम पर। ऐ रब्बुल्-आ़लमीन! क़ुबूल फ़रमा। आमीन

तालिबे दुआ़
मुहम्मद उबैदुल्लाह
ख़ादिमे हदीस व नाज़िम
'अल्-आलामुल-इस्लामी' वक़्फ़। 15-02-2004

इस सदक़ा-ए-जारिया में हिस्सा लेने के तरीक़े

1. तारीख़ गवाह है कि कोई क़ौम हलाकत (तबाही व बरबादी) से महफ़ूज़ नहीं जब तक वह ख़ुद भी नेक अ़मल न करे और अपने भाईयों के सुधार की भी कोशिश न करे। तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर

(सूरः मायदा 5, आयत 78-80)

2. इन किताबों को ख़रीदकर अपने दोस्तों और घर की क़रीबी मस्जिदों में फ़ी सबीलिल्लाह तक़सीम करें, ये किताबें बेहतरीन तोहफ़ा भी हैं।

3. आपको किसी बीमारी के इलाज का इल्म हो जो मुसलमानों के लिये फ़ायदेमन्द हो तो हमें लिखें। इन्शा-अल्लाह तआ़ला अगले प्रकाशन में उसे शामिल करने की कोशिश करेंगे।

4. जब आपको इस किताब से फ़ायदा उठाने की बदौलत लाभ हो तो चन्द किताबें फ़ी सबीलिल्लाह ज़रूर तक़सीम करें ताकि दूसरों को भी आपकी ज़ात व माल से फ़ायदा हो और यह आपके लिये सदक़ा-ए-जारिया भी हो जाये।

5. किताबों की ज़रूरत हो तो रजिस्टर्ड पार्सल मंगायें जिसके लिये मनी आर्डर के ज़रिये पेशगी रक़म भेजें। डाक ख़र्च ख़रीदार के ज़िम्मे है।

एक बहुत ही अहम बात

किताबों की क़ीमत या माली सहयोग के लिये नक़द रक़म डाक या कूरियर के लिफ़ाफ़े में हरगिज़-हरगिज़ रवाना न करें, बहुत सी बार रास्ते से रक़म ग़ायब हो जाती है जिसके लिये इदारा ज़िम्मेदार नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मनी ऑर्डर या बैंक एकाउंट के द्वारा ही रक़म भेजें या ख़ुद तशरीफ़ लाकर इदारे के दफ़्तर में दस्ती तौर पर जमा करायें। शुक्रिया।

कुछ अलफ़ाज़ और उनके मायने

इस्लामी महीनों के नामः- मुहर्रम, सफ़र, रबीउल-अव्वल, रबीउस्सानी, जमादियुल-अव्वल, जमादियुस्सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ीक़ादा, ज़िलहिज्जा।

चार मश्हूर आसमानी किताबें

तौरातः वह आसामानी किताब जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी।

ज़बूरः वह आसमानी किताब जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरी।

इन्जीलः वह आसमानी किताब जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी।

क़ुरआन मजीदः वह आसामानी किताब जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर नाज़िल हुई। यह आख़िरी आसमानी किताब है।

चार बड़े फ़रिश्ते

हज़रत जिब्राईलः- अल्लाह तआला का एक ख़ास फ़रिश्ता जो अल्लाह का पैग़ाम (वही) उसके रसूलों के पास लाता था।

हज़रत इस्राफ़ीलः- अल्लाह का एक ख़ास फ़रिश्ता जो इस दुनिया को तबाह करने के लिये सूर फूँकेगा।

हज़रत मीकाईलः- अल्लाह का एक ख़ास फ़रिश्ता जो बारिश का इन्तिज़ाम करने और मख़्लूक़ को रोज़ी पहुँचाने पर मुक़र्रर है।

हज़रत इज़्राईलः- अल्लाह का एक ख़ास फ़रिश्ता जो जानदारों की जान निकालने पर लगाया गया है।

रिश्ते और निस्बतें

अबूः- बाप (जैसे अबू हुज़ैफ़ा)।

इब्नः- बेटा, पुत्र (जैसे इब्ने उमर)।

उम्मः- माँ (जैसे उम्मे कुलसूम)।

बिन्तः- बेटी, पुत्री (जैसे बिन्ते उमर)।

अहले-बैतः- घर के, ख़ानदानी, रिश्तेदार। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कुनबे के हज़रात, जिनमें हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम शामिल हैं।

अस्हाबे-सुफ़्फ़ाः- वे सहाबा किराम जो सुफ़्फ़ा पर रहते थे।

अहले किताबः- किताब वाले, उन पैग़म्बरों को मानने और पैरवी करने वाले जिन पर कोई आसमानी किताब उतरी है। इससे यहूदी और ईसाई भी मुराद होते हैं।

अजमः- अरब देशों के अलावा बाक़ी सारी दुनिया के लिये अजम का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। वैसे अजम के मायने आते हैं गूँगा।

काफ़िरः- ख़ुदा तआला को न मानने वाला। बेदीन।

काहिनः- जिन्नात से मालूम करके ग़ैब की ख़बरें बताने वाला, क़िस्मत का हाल बताने वाला, ज्योतिषी। इसका स्त्रीलिंग काहिना आता है।

ग़ुलाम/बाँदीः- ज़र-ख़रीद, बन्दा। पहले ज़माने में इनसानों की ख़रीद व बेच के लिये मण्डियाँ लगती थीं। इसके अलावा इस्लामी शरीअत की परिभाषा में ग़ुलाम-बाँदी के कुछ ख़ास मायने हैं। मगर अब वह ग़ुलाम बाँदी नहीं पाये जाते, लेकिन भविष्य में उनका वजूद हो भी सकता है।

मेहरमः- क़रीबी रिश्तेदार होने के कारण जिस शख़्स से किसी औरत का निकाह नहीं हो सकता वह उसका मेहरम होता है जैसे बाप, भाई, चचा आदि।

मजूसीः- आग को पूजने वाला, ज़रदुश्त का पैरो, पारसी।

मुनाफ़िक़ः- जो शख़्स ज़ाहिर में मुसलमान हो और दिल से काफ़िर हो। रियाकार, जिसके दिल में कुछ हो और ज़बान पर कुछ। इसका स्त्रीलिंग मुनाफ़िक़ा आता है।

मुश्रिकः- अल्लाह तआला की ख़ुदाई में किसी और को शरीक करने वाला, मूर्तिपूजक।

मुर्तदः- दीन इस्लाम से फिर जाने वाला।